2015 का विधेयक संख्यांक 349

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2015

खंडों का क्रम

खंड

भाग 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।
2. लागू होना ।
3. परिभाषाएं ।

भाग 2

दिवाला संकल्प और निगमित व्यक्तियों के लिए परिसमापन

अध्याय 1

प्रारंभिक

4. इस भाग का लागू होना ।
5. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया

6. व्यक्ति जो निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ कर सकेंगे ।
7. वित्तीय लेनदार द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया का प्रारंभ ।
8. प्रचालन लेनदार द्वारा दिवाला समाधान ।
9. प्रचालन लेनदार द्वारा निगमन दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए आवेदन ।
10. निगमित लेनदार द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया का प्रारंभ ।
11. व्यक्ति जो आवेदन करने को हकदार नहीं ।
12. दिवाला समाधान प्रक्रिया के पूर्ण होने के लिए समयसीमा ।
13. ज्ञापन की घोषणा और सार्वजनिक आख्यापन ।
14. अधिस्थगन ।
15. निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया, लोक घोषणा ।
16. अंतरिम समाधान वृत्तिक की नियुक्ति और पदावधि ।
17. अंतरिम समाधान वृत्तिक द्वारा निगमित ऋण के मामलों का प्रबंध ।
18. आंतरिक समाधान वृत्तिक के कर्तव्य ।
19. अंतरिम समाधान वृत्तिक को कार्मिकों के सहयोग का विस्तार ।
20. किसी जारी समुत्थान के रूप में निगमित ऋणी के प्रचालन का प्रबंध ।
21. लेनदारों की समिति ।
22. समाधान वृत्तिक की नियुक्ति ।
23. समाधान वृत्तिक द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया संचालित करना ।
24. लेनदारों की समिति की बैठक ।

खंड

25. समाधान वृत्तिक के कर्तव्य ।

26. लेनदारों की समिति द्वारा समाधान वृत्तिक का प्रतिस्थापन ।

27. वित्तीय लेनदार या निगमित ऋणी द्वारा समाधान वृत्तिकों का प्रतिस्थापन ।

28. कतिपय कार्रवाईयों के लिए लेनदारों की समिति का अनुमोदन ।

29. जानकारी ज्ञापन की तैयारी ।

30. समाधान योजना को प्रस्तुत करना ।

31. समाधान योजना का अनुमोदन ।

32. अपील ।

अध्याय 3

परिसमापन प्रक्रिया

33. परिसमापन का प्रारंभ ।

34. समापक की नियुक्ति और उसे संदत्त की जाने वाली फीस ।

35. समापक की शक्तियां और कर्तव्य ।

36. समापन सम्पदा ।

37. समापक की सूचना तक पहुंच बनाने की शक्तियां ।

38. दावों का समेकन ।

39. दावों का सत्यापन ।

40. दावों का ग्रहण किया जाना या उनका नामंजूर किया जाना ।

41 दावों के मूल्यांकन का निर्धारण ।

42. अधिमानी संव्यवहार और सुसंगत समय ।

43. अधिमानों के परिवर्जन के लिए सुसंगत समय ।

44. अधिमानी संव्यवहारों की दशा में आदेश ।

45. न्यून मूल्यांकित संव्यवहारों का परिवर्जन ।

46. परिवर्जनीय संव्यवहारों के लिए सुसंगत अवधि ।

47. लेनदार द्वारा न्यून मूल्यांकित संव्यवहारों के मामलों में आवेदन ।

48. न्यून मूल्यांकित संव्यवहारों के मामलों में आदेश ।

49. लेनदारों को कपट वंचित करने संबंधी संव्यवहार ।

50. उद्दापक प्रत्यय संव्यवहार ।

51. न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के उद्दापक प्रत्यय संव्यवहारों के संबंध में आदेश ।

52 समापन कार्यवाहियों के प्रतिभूत लेनदार ।

53. आस्तियों का वितरण ।

54. कारपोरेट ऋणी का विघटन ।

अध्याय 4

त्वरित कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया

55. त्वरित कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया ।

56. त्वरित कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने संबंधी समयावधि ।

खंड

57. त्वरित कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने की रीति ।

58. इस अध्याय का अध्याय 2 को लागू होना ।

अध्याय 5

कारपोरेट व्यक्तियों का स्वेच्छया समापन

59. कारपोरेट व्यक्तियों का स्वेच्छया समापन ।

अध्याय 6

कारपोरेट व्यक्तियों के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी

60. कारपोरेट व्यक्तियों के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ।

61. अपील और अपील प्राधिकारी ।

62. उच्चतम न्यायालय को अपील ।

63. सिविल न्यायालय को अधिकारिता का न होना ।

64. आवेदनों का शीघ्र निपटारा ।

65. कार्यवाहियों का कपटपूर्ण या विद्वेषपूर्ण रूप से शुरू किया जाना ।

66. कपटपूर्ण व्यापार या सदोष व्यापार ।

67. धारा 66 के अधीन कार्यवाहियां ।

अध्याय 7

अपराध और शास्तियां

68. सम्पत्ति को छिपाए जाने के लिए दंड ।

69 लेनदारों को कपटवचन करने के लिए संव्यवहारों के लिए दंड ।.

70. कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान अवचार के लिए दंड ।

71. कारपोरेट ऋणी की बहियों के मिथ्याकरण के लिए दंड ।

72. कारपोरेट ऋणी के कार्यकलापों से संबंधित विवरणों में जानबूझकर और तात्विक लोप के लिए दंड ।

73. लेनदारों को मिथ्या अभ्यावेदन देने के लिए दंड ।

74. अधिस्थगन काल या समाधान योजना का उल्लंघन करने के लिए दंड ।

75. आवेदन में दी गई मिथ्या सूचना के लिए शास्तियां ।

76. प्रचालन लेनदार द्वारा विवाद को प्रकट न करने या ऋण का प्रतिसंदाय न करने के लिए शास्ति ।

77. कारपोरेट ऋणी द्वारा दिए गए आवेदन में मिथ्या सूचना देने के लिए शास्ति ।

खंड

भाग 3

व्यष्टियों और भागीदारी फर्मों के लिए दिवाला समाधान और शोधन अक्षमता

अध्याय 1

प्रारम्भिक

78. लागू होना ।

79. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

नई आरंभ प्रक्रिया

80. आवेदन करने की पात्रता ।

81. नए सिरे से आदेश करने के लिए आवेदन ।

82. समाधान वृत्तिक की नियुक्ति ।

83. समाधान वृत्तिक द्वारा आवेदन की जांच ।

84. न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करना ।

85. आवेदन को स्वीकार करने का प्रभाव ।

86. लेनदार द्वारा आक्षेप और समाधान वृत्तिक द्वारा उनकी जांच ।

87. समाधान वृत्तिक के विनिश्चय के विरुद्ध आवेदन ।

88. साधारण कर्तव्य ।

89. समाधान वृत्तिक का प्रतिस्थापन ।

90. निर्बंधनों आदि का अनुपालन करने के लिए निदेश ।

91. आवेदन स्वीकार करने के आदेश का प्रतिसंहरण ।

92. उन्मोचन आदेश ।

93. आचरण का स्तर ।

अध्याय 3

दिवाला समाधान प्रक्रिया

94. ऋणी द्वारा दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए आवेदन ।

95. लेनदार द्वारा दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए आवेदन ।

96. आवेदन का प्रभाव ।

97. समाधान वृत्तिक की नियुक्ति ।

98. समाधान वृत्तिक का प्रतिस्थापन ।

99. समाधान वृत्तिक द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

100. आवेदन को स्वीकार करना या अस्वीकार करना ।

101. अधिस्थगन ।

खंड

102. लोक सूचना और लेनदारों से दावे ।
103. लेनदारों द्वारा दावों का रजिस्ट्रीकरण ।
104. लेनदारों की सूची तैयार करना ।
105. पुनर्संदाय योजना ।
106. पुनर्संदाय योजना पर समाधान वृत्तिक की रिपोर्ट ।
107. लेनदारों की बैठक बुलाना ।
108. लेनदारों की बैठक का संचालन ।
109. लेनदारों की बैठक में मतदान के अधिकार ।
110. पुनर्संदाय योजना के संबंध में प्रतिभूत लेनदारों के अधिकार ।
111. लेनदारों की बैठक में अपेक्षित बहुमत ।
112. लेनदारों की बैठक की रिपोर्ट ।
113. लेनदारों की बैठक में लिए गए विनिश्चयों की सूचना ।
114. पुनर्संदाय योजना पर न्यायनिर्णयन प्राधिकारी का आदेश ।
115. पुनर्संदाय योजना पर न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के आदेश का प्रभाव ।
116. पुनर्संदाय योजना का कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण ।
117. पुनर्संदाय योजना का पूरा होना ।
120. आचरण का मानक ।

अध्याय 4

व्यष्टिकों और भागीदारी फर्मों के लिए शोधन अक्षमता आदेश

121. शोधन अक्षमता के लिए आवेदन ।
122. ऋणी द्वारा आवेदन ।
123. लेनदार द्वारा आवेदन ।
124. आवेदन का प्रभाव ।
125. शोधन अक्षमता न्यासी के रूप में शोधन अक्षमता वृत्तिक की नियुक्ति ।
126. शोधन अक्षमता आदेश ।
127. शोधन अक्षमता आदेश की विधिमान्यता ।
128. शोधन अक्षमता का प्रभाव ।
129. कार्यों का विवरण ।
130. लेनदारों से दावे आमंत्रित करने वाली लोक सूचना ।
131. दावों का रजिस्ट्रीकरण ।
132. लेनदारों की सूची तैयार करना ।
133. लेनदारों की बैठक बुलाना ।
134. लेनदारों की बैठक का संचालन ।
135. लेनदारों के मतदान अधिकार ।
136. दिवालिया की संपदा का प्रशासन और वितरण ।
137. प्रशासन का पूरा किया जाना ।
138. उन्मोचन आदेश ।
139. उन्मोचन का प्रभाव ।
140. दिवालिया की निर्रहता ।
141. शोधन अक्षम पर निर्बंधन ।
142. शोधन असक्षमता का बातिलकरण ।

खंड

143. आचारण का स्तर ।
144. शोधन अक्षमता न्यासी की फीस ।
145. शोधन अक्षमता न्यासी का प्रतिस्थापन ।
146. शोधन अक्षमता न्यासी द्वारा रजिस्ट्रीकरण ।
147. शोधन अक्षमता न्यासी के पद की रिक्ति ।
148. शोधन अक्षमता न्यासी की निर्मुक्ति ।

अध्याय 5

शोधन अक्षम की संपदा का प्रशासन और उसका वितरण

149. शोधन अक्षमता न्यासी के कृत्य ।
150. शोधन अक्षमता न्यासी के प्रति शोधन अक्षम के कर्तव्य ।
151. शोधन अक्षमता न्यासी के अधिकार ।
152. शोधन अक्षमता न्यासी की साधारण शक्तियां ।
153. कतिपय कार्यों के लिए लेनदारों का अनुमोदन ।
154. शोधन अक्षमता न्यासी में शोधन अक्षम की संपदा का निहित किया जाना ।
155. शोधन अक्षम की संपदा ।
156. शोधन अक्षमता न्यासी को संपत्ति और दस्तावेजों का परिदान ।
157. शोधन अक्षमता न्यासी द्वारा नियंत्रण का अर्जन ।
158. संपत्ति के व्ययन पर निर्बंधन ।
159. शोधन अक्षम की पश्चअर्जित संपत्ति ।
160. शोधन अक्षम की दुर्भर संपत्ति ।
161. दुर्भर संपत्ति के दावात्याग की सूचना ।
162. पट्टाधृतों का दावात्याग ।
163. । अदावाकृत संपत्ति के विरुद्ध चुनौती ।
164. अवमूल्यकृत संव्यवहार ।
165. अधिमान संव्यवहार ।
166. आदेश का प्रभाव ।
167. उद्घापन के तौर पर प्रत्यय संव्यवहार ।
168. संविदाओं के अध्यधीन बाध्यताएं ।
169. शोधन अक्षम की मृत्यु पर कार्यवाहियों का चालू रहना ।
170. मृत शोधन अक्षम की संपदा का प्रशासन ।
171. ऋणों का सबूत ।
172. प्रतिभूत लेनदारों द्वारा ऋण का सबूत ।
173. पारस्परिक प्रत्यय और मुजरा ।
174. अंतरिम लाभांश का वितरण ।
175. संपत्ति का वितरण ।
176. अंतिम लाभांश ।
177. लेनदारों के दावे ।
178. ऋणों के संदाय की पूर्विकता ।

खंड

अध्याय 6

व्यष्टिकों और भागीदारी फर्मों के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी

179. व्यष्टिकों और भागीदारी फर्मों के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी ।
180. सिविल न्यायालय को अधिकारिता न होना ।
181. ऋण वसूली अपील अधिकरण को अपील ।
182. उच्चतम न्यायालय को अपील ।
183. आवेदनों का शीघ्र निपटान ।

अध्याय 7

अपराध और शास्तियां

184. लेनदार द्वारा दिवाला समाधान प्रक्रिया में मिथ्या सूचना आदि के लिए दंड ।
185. समाधान वृत्तिक का दायित्व ।
186. शोधन अक्षम द्वारा मिथ्या सूचना, छिपाव आदि के लिए दंड ।
187. शोधन अक्षमता न्यासी का दायित्व ।

भाग 4

दिवाला वृत्तिक, अभिकरण और सूचना उपयोगिताएं का विनियमन

अध्याय 1

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

188. बोर्ड की स्थापना और निगमन ।
189. बोर्ड का गठन ।
190. सदस्य का पद से हटाया जाना ।
191. अध्यक्ष की शक्तियां ।
192. बोर्ड की बैठकें ।
193. कतिपय मामलों में सदस्यों द्वारा बैठकों में भाग न लेना ।
194. रिक्तियों आदि का बोर्ड की कार्यवाहियों को अविधिमान्य न ठहराना ।
195. वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों को पदाभिहित करने की शक्ति ।

अध्याय 2

बोर्ड की शक्तियां और कृत्य

196. बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।
197. सलाहकार समिति, कार्यपालक समिति या अन्य समिति का गठन ।
198. विलंब की माफी ।

अध्याय 3

दिवाला वृत्तिक अभिकरण

199. किसी व्यक्ति द्वारा किसी विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के बिना दिवाला वृत्तिक अभिकरण के रूप में कार्य न करना ।
200. दिवाला वृत्तिक अभिकरण के रजिस्ट्रीकरण को शासित करने वाले सिद्धान्त ।
201. दिवाला वृत्तिक अभिकरण का रजिस्ट्रीकरण ।
202 राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण को अपील ।
203 दिवाला वृत्तिक अभिकरण का शासी बोर्ड ।
204. दिवाला वृत्तिक अभिकरणों के कृत्य ।

खंड

205. दिवाला वृत्तिक अभिकरणों की उपविधियां ।

206. किसी दिवाला वृत्तिक अभिकरण द्वारा कार्यपालन बंधपत्र का फाइल किया जाना ।

अध्याय 4

दिवाला वृत्तिक

207. दिवाला वृत्तिकों का नामांकन और रजिस्ट्रीकरण ।

208. दिवाला वृत्तिकों के कृत्य और बाध्यताएं ।

अध्याय 5

सूचना उपयोगिताएं

209. किसी व्यक्ति द्वारा किसी विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के बिना सूचना उपयोगिता के रूप में कार्य न करना ।

210. सूचना उपयोगिता का रजिस्ट्रीकरण ।

211. राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण को अपील ।

212. सूचना उपयोगिता का शासी बोर्ड ।

213. सूचना उपयोगिता की कोर सेवाएं, आदि ।

214. सूचना उपयोगिता की बाध्यताएं ।

215. वित्तीय सूचना को प्रस्तुत करने आदि के लिए प्रक्रिया ।

216. वित्तीय सूचना प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों के अधिकार और बाध्यताएं ।

अध्याय 6

निरीक्षण और अन्वेषण

217. दिवाला वृत्तिक अभिकरण या उसके सदस्यों या सूचना उपयोगिता के विरुद्ध शिकायतें ।

218. दिवाला वृत्तिक अभिकरण या उसके सदस्यों या सूचना उपयोगिता का अन्वेषण ।

219. दिवाला वृत्तिक अभिकरण या उसके सदस्य या सूचना उपयोगिता को कारण बताओ सूचना जारी करना ।

220. अनुशासन समिति की नियुक्ति ।

अध्याय 7

वित्त, लेखा और लेखापरीक्षा

221. केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।

222. बोर्ड की निधियां ।

223. लेखा और लेखापरीक्षा ।

भाग 5

प्रकीर्ण

224. दिवाला और शोधन अक्षमता निधि ।

225. केंद्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति ।

226. केंद्रीय सरकार की बोर्ड को अधिक्रांत करने की शक्ति ।

227. केंद्रीय सरकार की वित्तीय सेक्टर प्रदाताओं आदि को अधिसूचित करने की शक्ति ।

228. बजट ।

खंड

229. वार्षिक रिपोर्ट ।
230. प्रत्यायोजन ।
231. अधिकारिता का वर्जन ।
232. बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना ।
233. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।
234. इस संहिता के उपबंधों का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना ।
235. नियम बनाने की शक्ति ।
236. विनियम बनाने की शक्ति ।
237. नियमों, विनियमों और उपविधियों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।
238. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति ।
239. कतिपय अधिनियमितियों का निरसन और व्यावृत्ति ।
240. विशेष न्यायालय ।
241. संक्रमणकालीन उपबंध ।
242. 1932 के अधिनियम 9 का संशोधन ।
243. 1944 के अधिनियम 1 का संशोधन ।
244. 1961 के अधिनियम 43 का संशोधन
245. 1962 के अधिनियम 52 का संशोधन
246. 1993 के अधिनियम 51 का संशोधन ।
247. 1994 के अधिनियम 32 का संशोधन ।
248. 2002 के अधिनियम 54 का संशोधन ।
249. 2004 के अधिनियम 1 का संशोधन ।
250. 2007 के अधिनियम 51 का संशोधन ।
251. 2009 के अधिनियम 6 का संशोधन ।
242. 2013 के अधिनियम 18 का संशोधन ।

पहली अनुसूची ।
दूसरी अनुसूची ।
तीसरी अनुसूची ।
चौथी अनुसूची ।
पांचवीं अनुसूची ।
छठी अनुसूची ।
सातवीं अनुसूची ।
आठवीं अनुसूची ।
नवीं अनुसूची ।
दसवीं अनुसूची ।
ग्यारहवीं अनुसूची ।

2015 का विधेयक संख्यांक 349

[दि इन्सोलवेन्सी एंड बैंक्रप्सी कोड, 2015 का हिन्दी अनुवाद]

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2015

कारपोरेट व्यक्तियों, भागीदारी फर्मों और व्यष्टियों के पुनर्गठन और दिवाला समाधान से संबंधित विधियों का समयबद्ध रीति में ऐसे व्यक्तियों की आस्तियों के अधिकतम मूल्य के लिए समेकन तथा संशोधन करने, उद्यमता, उधार की उपलब्धता और सभी पणधारियों के हितों के संतुलन का संबर्धन करने, जिसके अन्तर्गत सरकारी शोध्यों के संदाय की पूर्विकता के क्रम में परिवर्तन भी है तथा दिवाला तथा शोधन अक्षमता निधि की स्थापना करने और उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

भाग 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2015 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है :

परंतु इस संहिता के भाग 3 का विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य को नहीं होगा ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें :

परंतु इस संहिता के विभिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेगी और ऐसे किसी उपबंध में इस संहिता के प्रारंभ के प्रति निर्देश का यह अर्थ

लगाया जाएगा कि उक्त उपबंध के प्रारंभ को संहिता के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है ।

लागू होना ।

2. इस संहिता के उपबंधों को--

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 या किसी पूर्व कंपनी विधि के अधीन निगमित कोई कंपनी ; 2013 का 18

(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विशेष अधिनियम द्वारा शासित कोई अन्य कंपनी सिवाय जहां तक ऐसे विशेष अधिनियम के उपबंधों के साथ वहां उक्त उपबंध असंगत न हो ;

(ग) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन निगमित कोई सीमित दायित्व भागीदारी ; 2009 का 6

(घ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निगमित ऐसा निगमित निकाय जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ; और

(ड़) भागीदारी फर्म और व्यष्टि,

यथास्थिति, दिवालिया, परिसमापन या शोधन अक्षमता को लागू होना ।

परिभाषाएं ।

3. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(1) "बोर्ड" से धारा 188 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय दिवाला और शोध्य अक्षमता बोर्ड अभिप्रेत है ;

(2) "पीठ" से न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की कोई पीठ अभिप्रेत है ;

(3) "उपविधि" से धारा 205 के अधीन दिवाला वृत्तिक अभिकरण द्वारा बनाई गई उपविधियां अभिप्रेत है ;

(4) "प्रभार" से, यथास्थिति, किसी व्यक्ति की संपत्ति या आस्तियों पर कोई हित या सृजित धारणाधिकार या कोई वचनबद्ध या कोई प्रतिभूति दोनों के रूप में अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत बंधक भी है ;

(5) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(6) "दावा" से–

(क) संदाय का कोई अधिकार, चाहे या किसी निर्णय, नियत, विवादित, अविवादित, विधिक, साम्यापूर्ण, प्रतिभूति या अप्रतिभूति के लिए घटा दिया गया ऐसा अधिकार जिसके अंतर्गत उधार या अग्रिम भी हैं ; या

(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन संविदा के भंग के लिए उपचार, यदि ऐसा भंग संदाय के किसी अधिकार से उत्पन्न होता है निर्णय, नियत, परिपक्व, अपरिपक्व, विवादित, अविवादित, प्रतिभूति या अप्रतिभूति की कटौती से दिया गया ऐसा अधिकार है या नहीं,

अभिप्रेत है ;

(7) "निगमित व्यक्ति" से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में यथा परिभाषित कोई कंपनी, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ढ) में यथा परिभाषित कोई सीमित दायित्व भागीदारी या कोई अन्य व्यक्ति, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के 2013 का 18 2009 का 6

अधीन सीमित दायित्व के साथ निगमित है, किंतु इसके अंतर्गत कोई वित्तीय सेवाएं प्रदाता नहीं है ।

(8) "निगमित ऋणी" से कोई निगमित व्यक्ति अभिप्रेत है जो व्यक्ति किसी ऋण से ऋणी है ।

(9) "कोर सेवाएं" से–

(क) किसी ऐसे रूप और रीति में वित्तीय जानकारी को इलैक्ट्रानिक प्ररूप में भेजने को स्वीकार करना, जो विहित की जाए ;

(ख) वित्तीय जानकारी का सुरक्षित और शुद्ध अभिलिखित करना ;

(ग) किसी व्यक्ति द्वारा भेजी गई वित्तीय जानकारी को अधिप्रमाणित और सत्यापन करना ;

(घ) व्यक्तियों को उपयोगी जानकारी के साथ भंडारित जानकारी तक पहुंच उपलब्ध कराना जो विनिर्दिष्ट किया जाए,

के लिए किसी उपयोगी जानकारी द्वारा दी जाने वाली सेवाएं अभिप्रेत है ;

(10) "लेनदार" से कोई व्यक्ति जो किसी ऋण से ऋणी अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति को शोध्य और जिसके अंतर्गत कोई वित्तीय ऋण तथा प्रचालन ऋणी भी है ।

(11) "ऋण" से किसी दावे के संबंध में कोई दायित्व या बाध्यता अभिप्रेत है और किसी शंका को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि ऋण के अंतर्गत कोई वित्तीय ऋण प्रचालन ऋण भी है ;

(12) "व्यतिक्रम" से किसी ऋण का तब असंदाय अभिप्रेत है, जब ऋण की संपूर्ण रकम या कोई भाग या किस्त देय और संदेय हो जाती है तथा उसका, यथास्थिति, ऋणी या निगमित ऋणी द्वारा पुनर्संदाय नहीं किया जाता है ;

(13) "वित्तीय जानकारी" किसी व्यक्ति के संबंध में जानकारी के निम्नलिखित प्रवर्गों के एक या अधिक साधन अभिप्रेत है, अर्थात् :-

(क) व्यक्ति के ऋण का अभिलेख ;

(ख) दायित्व के अभिलेख जब व्यक्ति ऋणशोधक्षम ;

(ग) व्यक्ति के आस्तियों के अभिलेख जिन पर प्रतिभूति हित सृजित किए गए हैं ;

(घ) किसी ऋण के विरुद्ध किसी व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम की घटना से अभिलेख साक्ष्य, यदि कोई हों ; और

(ड़) व्यक्ति के तुलनपत्र की विवरणी और नकदी प्रवाह के अभिलेख ;

(च) ऐसी अन्य सूचना, जो विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(14) "वित्तीय संस्था" से—

(क) कोई अधिसूचित बैंक ;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधीन यथापरिभाषित

वित्तीय संस्था ; और

(ग) कोई अन्य संस्था जिसे केंद्रीय सरकार किसी वित्तीय संस्था के रूप में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ;

(15) "वित्तीय उत्पाद" से प्रतिभूति, बीमा की संविदा, जमा, प्रत्यय करार, जिसके अंतर्गत बैंक और वित्तीय संस्था के द्वारा दिए गए उधार भी हैं, सेवानिवृत्ति फायदे योजना, लघु बचत लिखत, एक मुद्रा (चाहे वह भारतीय हो या नहीं) से दूसरी मुद्रा में विनिमय की संविदा जिसका तत्काल निपटान होना है, से भिन्न विदेशी मुद्रा संविदा, कोई अन्य लिखत जो विहित की जाए, अभिप्रेत है ।

(16) "वित्तीय सेवा" के अंतर्गत निम्नलिखित है,--

(क) जमा को स्वीकार करना ;

(ख) किसी अन्य व्यक्ति की आस्तियों जो वित्तीय उत्पादों, माल-असबास से मिलकर बनी है, को सुरक्षित रखना और उनका प्रशासन करना या ऐसा करने के लिए सहमत होना ;

(ग) बीमा की संविदाओं को प्रभावी करना ;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति की आस्तियां जो वित्तीय उत्पादों के माल-असबास से मिलकर बनी हैं, का प्रस्ताव देना, प्रबंध करना या सहमत होना ;

(ड़) निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रतिफल के लिए सलाह देने की याचना करना या उसके लिए सहमत होना :--

(i) किसी वित्तीय उत्पाद को क्रय, विक्रय या अभिदाय ;

(ii) किसी वित्तीय सेवा का उपभोग करना ;

(iii) किसी वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवा से सहबद्ध किसी अधिकार का प्रयोग करना ;

(च) किसी विनिधान, स्कीम को स्थापित करना या प्रचालन करना ;

(छ) किसी वित्तीय उत्पाद के स्वामित्व के अभिलेखों का अनुरक्षण या अंतरण करना ;

(ज) किसी वित्तीय उत्पाद की हामीदारी जारी करना या प्रतिश्रुति करना ;

(झ) भंडारित मूल्य का विक्रय, उपलब्ध कराना या जारी करना या संदाय लिखत या संदाय सेवाएं उपलब्ध कराना ;

(17) "वित्तीय सेवा प्रदाता" से किसी वित्तीय सेक्टर विनियामक द्वारा जारी प्राधिकार या प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण के निबंधनों में किसी वित्तीय सेवा को प्रदान करने के कारबार में लगा हुआ व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(18) "वित्तीय सेवा विनियामक" से वित्तीय क्षेत्र की सेवाओं या संव्यवहारों को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित प्राधिकरण कोई निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक,

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण पेंशन निधि विनियामक प्राधिकरण और ऐसे अन्य कोई विनियामक प्राधिकारी अभिप्रेत हैं, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित करें ;

(19) "दिवाला वृत्तिक" से सदस्य के रूप में किसी दिवाला वृत्तिक अभिकरण और धारा 207 के अधीन बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत कोई दिवाला वृत्तिक अभिप्रेत है ;

(20) "दिवाला वृत्तिक अभिकरण" से धारा 201 के अधीन बोर्ड से किसी अभिकरण के रूप में रजिस्ट्रीकृत कोई दिवाला वृत्तिक अभिकरण अभिप्रेत है ;

(21) "जानकारी उपयोगिता" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 210 के अधीन किसी जानकारी उपयोगिता के रूप में बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत है ;

(22) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित" और "अधिसूचित करना" का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(23) "व्यक्ति" के अंतर्गत–

(क) व्यष्टि ;

(ख) अविभक्त हिंदु कुटुंब ;

(ग) कंपनी ;

(घ) न्यास ;

(ड़) भागीदारी ;

(च) सीमित दायित्व भागीदारी ;

(छ) किसी कानून के अधीन स्थापित कोई अन्य अस्तित्व ;

और जिसके अंतर्गत भारत के बाहर निवासी कोई व्यक्ति भी है ;

1999 का 49

(24) "भारत का निवासी व्यक्ति" से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (v) में ऐसे निबंधनों में समनुदेशित अर्थ होगा ;

(25) "भारत से बाहर निवासी व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत के निवासी व्यक्ति से भिन्न है ;

(26) "विहित" से केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(27) "संपत्ति" के अंतर्गत धन, माल, अनुयोज्य दावे, भूमि और संपत्ति के प्रत्येक विवरण जहां कहीं भी अवस्थित हो तथा हितों के प्रत्येक विवरण भी है, चाहे वह वर्तमान में या भविष्य में या निहित या आकस्मिक संपत्ति से उत्पन्न हुए हों या आनुषंगिक हों ;

(28) "विनियम" से इस संहिता के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;

(29) "अनुसूची" से इस संहिता से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(30) "प्रतिभूत लेनदार" से कोई लेनदार अभिप्रेत है जिसमें प्रतिभूत हित

सृजित किया है ;

(31) "प्रतिभूत हित" से अधिकार, हक या ब्याज या संपत्ति का कोई दावा, किसी संव्यवहार द्वारा किसी प्रतिभूति ऋणी के लिए उपबंधित के पक्ष में या सृजित या उपलब्ध कराने के लिए, या किसी संव्यवहार द्वारा जो किसी बाध्यता के प्रतिभूत संदाय या अनुपालन द्वारा और जिसके अंतर्गत बंधक प्रभार आड़मान, समनुदेशन और विलंब या कोई अन्य करार या किसी व्यक्ति की किसी बाध्यता या शंका को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है प्रतिभूति ब्याज का विचार, उसका समान प्रभाव रखने वाली प्रतिभूत की व्यवस्था, किसी अनुपालन गारंटी के लिए नहीं होगा :

परंतु प्रतिभूति हित के अंतर्गत अनुपालन प्रत्याभूत नहीं है ।

(32) "विनिर्दिष्ट" से संहिता के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम द्वारा विनिर्दिष्ट है और "विनिर्दिष्ट करना" पद का तदनुसार अर्थ लिया जाएगा ;

(33) "संव्यवहार" के अंतर्गत संविदा, निगमित लेनदार से या को आस्तियों, या निधियों, माल या सेवाओं के अंतरण के लिए लिखित में कोई संविदा, उपहार, करार या व्यवस्था भी है :

(34) "अंतरण" के अंतर्गत विक्रय, क्रय, विनिमय, बंधक, गिरवी, उपहार, ऋण या अधिकार, हक, कब्जा या धारणाधिकार के अंतरण का कोई अन्य प्ररूप भी है ;

(35) "संपत्तियों का अंतरण" से किसी संपत्ति के अंतरण अभिप्रेत है और संपत्ति में किसी हित का अंतरण और संपत्ति पर किसी प्रभार का सृजन भी है ;

(36) "कर्मकार" का वही अर्थ है जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खंड (ध) में है ; 1947 का 14

(37) उन शब्द और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त है, किंतु इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है, किंतु प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 कंपनी अधिनियम, 2013, या में परिभाषित है, वहीं अर्थ होंगे जो उस संदर्भ में यथा अपेक्षित उस अधिनियम में है । 1956 का 42 1992 का 15 2009 का 06 2013 का 18

भाग 2

दिवाला संकल्प और निगमित व्यक्तियों के लिए परिसमापन

अध्याय 1

प्रारंभिक

इस भाग का लागू होना ।

4. यह भाग कारपोरेट ऋणियों के दिवाला और समापन से संबंधित विषयों को लागू होगा, जहां व्यतिक्रम की रकम एक लाख रूपए से अन्यून है या ऐसी अन्य रकम, जो एक करोड़ रूपए से अधिक नहीं है, जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

परिभाषाएं ।

5. इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,--

(1) "न्यायनिर्णयन प्राधिकरण" से इस भाग के प्रयोजनों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 408 के अधीन गठित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण अभिप्रेत है ;

2013 का 19

(2) "लेखा परीक्षक" से चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 6 के अधीन भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा ऐसे रूप में व्यवसाय के लिए सत्यापित कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिप्रेत है ;

1949 का 38

(3) "अध्याय" से इस भाग के अधीन कोई अध्याय अभिप्रेत है ;

(4) किसी निगमित व्यक्ति के संबंध में "गठन दस्तावेज" जिसके अंतर्गत संगम अनुच्छेद, किसी कंपनी के संगम ज्ञापन और किसी सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदारी करार भी है ;

(5) "निगमित आवेदक" से निम्नलिखित अभिप्रेत है :-

(क) कोई निगमित ऋणी ;

(ख) निगमित व्यक्ति का कोई संदाय या भागीदार, जो निगमित व्यक्ति के गठन दस्तावेजों के अधीन निगमित दिवाला, संकल्प, प्रक्रिया के लिए कोई आवेदन कर सकेगा ;

(ग) कोई व्यष्टि जो निगमित ऋणी के संपूर्ण प्रचालन और संसाधनों के प्रबंध का भारसाधक है ;

(घ) कोई व्यक्ति जो निगमित ऋणी के वित्तीय मामलों का नियंत्रण, अधीक्षण, या अन्वेक्षा करता है ; या

(6) "विवाद" से, (क) किसी ऋण की रकम की विद्यमानतः ;

(ख) किसी माल या सेवा की क्वालिटी ; या

(ग) किसी अभ्यावेदन या वारंटी का भंग के संबंध में कोई वाद या माध्यस्थम अभिप्रेत है ;

(7) "वित्तीय लेनदार" से किसी व्यक्ति को, जिसे वित्तीय ऋण देय है, और जिसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति जो किसी ऋण को विधिक रूप से समनुदेशित या अंतरित कर सकता है ;

(8) "वित्तीय ऋण" से हित के साथ कोई ऋण, यदि कोई हों, जो धन की समय मूल्य के लिए प्रतिफल के विरुद्ध संवितरित कोई ऋण अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत :--

(क) ब्याज के संदाय के लिए धन उधार देना ;

(ख) कोई स्वीकार्य प्रत्यय सुविधा के अधीन स्वीकार्य द्वारा ली गई कोई रकम या उसके अक्रियान्वयन के समतुल्य ;

(ग) किसी नोट क्रय सुविधा के अनुसरण में उत्पन्न कोई रकम या बांड, नोट, डिबेंचर, उधार स्टाक या कोई समतुल्य लिखत द्वारा उत्पन्न कोई रकम ;

(घ) किसी पट्टे या अवक्रय संविदा के संबंध में किसी दायित्व की रकम जो भारतीय लेखा मानक या कोई अन्य लेखा मानकों के अधीन में किसी वित्तीय या पूंजी पट्टे के रूप में समझी गई है ;

(ड़) गैर अवलंब आधार पर किसी प्राप्त करने योग्य विक्रय की गई से भिन्न प्राप्त करने योग्य बिक्री की गई, छूट ली गई ;

(च) किसी अन्य अंतरण के अधीन उत्पन्न कोई रकम, जिसके अंतर्गत कोई अग्रिम विक्रय या क्रय करार ली गई है जो किसी उधार लेने का वाणिज्यिक प्रभाव रखता है ;

(छ) किसी दर या मूल्य में उतार चढ़ाव के विरुद्ध या उससे लाभ के संरक्षण के संबंध में कोई व्युत्पन्न संव्यवहार करना और ऐसे संव्यवहार की मूल्य नीति की संगणना करने के लिए केवल लेखों में बाजारु मूल्य लिया जाएगा ;

(ज) किसी प्रत्याभूति, क्षतिपूर्ति, बंधपत्र, व्यवस्था या प्रत्यय का दस्तावेजी पत्र या किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा जारी कोई अन्य लिखत के संबंध में कोई प्रति क्षतिपूर्ति बाध्यता ;

(झ) इस खंड के उपखंड (क) से (ख) तक निर्दिष्ट किसी मद के लिए किसी प्रत्याभूति या क्षतिपूर्ति के संबंध में किसी दायित्व की रकम या ;

(9) "वित्तीय स्थिति" से किसी व्यक्ति के संबंध में किसी कतिपय तारीख पर किसी व्यक्ति के रूप में वित्तीय जानकारी अभिप्रेत है ;

(10) "जानकारी ज्ञापन" से धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन समाधान वृत्तिक द्वारा तैयार किया गया कोई ज्ञापन अभिप्रेत है ;

(11) "आरंभिक तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको, यथास्थिति, कोई वित्तीय लेनदार, वित्तीय ऋणी या प्रचालन लेनदार निगमित दिवाला संकल्प प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को कोई आवेदन करता है ;

(12) "दिवाला प्रारंभ की तारीख" से न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए, यथास्थिति, धारा 7, धारा 9 या धारा 10 के अधीन किसी आवेदन ग्रहण की तारीख अभिप्रेत है ;

(13) "दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत" से निम्नलिखित अभिप्रेत है–

(क) कोई अंतरिम वित्त की रकम और ऐसे वित्त के उद्भूत में उपगत लागत ;

(ख) किसी समाधान वृत्तिक के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को संदेय फीस ; और

(ग) किसी चालू समुत्थान के रूप में निगमित श्रेणी के कारबार को चलाने में समाधान वृत्तिक द्वारा प्रोद्भूत व्यय की कोई रकम ;

(घ) दिलावा समाधान प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए सरकार द्वारा उपगत कोई लागतें ; और

(ङ) ऐसी अन्य लागतें जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ;

(14) "दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि" से दिवाला आरंभ होने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि और दिवाला आरंभ होने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की समाप्ति तक की प्रारंभ की अवधि अभिप्रेत है ;

(15) "अंतरिम वित्त" से दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि के दौरान समाधान वृत्तिक द्वारा लिया गया कोई वित्तीय ऋण अभिप्रेत है ;

(16) "परिसमापन लागत" से ऐसे किसी विनियम के अधीन रहते हुए परिसमापन की अवधि के दौरान परिसमापक द्वारा कोई उपगत रकम अभिप्रेत है, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ;

(17) "परिसमापन प्रारंभ की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसके, यथास्थिति, धारा 33 या धारा 59 के अनुसरण में परिसमापन प्रक्रिया प्रारंभ की गई है ;

(18) "परिसमापक" से, यथास्थिति, इस भाग के अध्याय 3 या अध्याय 5 के अनुसरण में परिसमापक के रूप में नियुक्त कोई दिवाला वृत्तिक अभिप्रेत है ;

(19) "अधिकारी" से इस भाग के अध्याय 7 के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (60) में यथा परिभाषित और सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खंड (ञ) में यथा परिभाषित कोई अभिहित भागीदार "अधिकारी जो व्यतिक्रम में है" अभिप्रेत है ;

2013 का 18
2009 का 6

(20) "प्रचालन लेनदार" से कोई व्यक्ति (जिसके अंतर्गत भारत से बाहर निवासी अभिप्रेत है) जो कोई प्रचालन ऋण लेता है और जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति जो ऐसा ऋण विधिक रूप से समनुदेशित करेगा, अभिप्रेत है ;

(21) "प्रचालन ऋण" से किसी माल या सेवा या के उपबंध के संबंध में कोई दावा (जिसके अंतर्गत नियोजन भी है) या किसी शोध्य के संदाय के संबंध में कोई ऋण और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रोद्भूत केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय रकम अभिप्रेत है ;

(22) "वैयक्तिक प्रत्याभूति दाता" से कोई व्यष्टिक अभिप्रेत है जो किसी निगमित ऋणी की किसी गारंटी संविदा में प्रतिभू है ;

(23) "कार्मिक" से निगमित ऋणी के कर्मचारी, निदेशक, प्रबंधक, मुख्य प्रबंधक, कार्मिक और अभिहित भागीदार, यदि कोई हों, अभिप्रेत है ;

(24) "संबंधित पक्षकार" से किसी निगमित ऋणी के संबंध में निम्नलिखित अभिप्रेत है :--

(क) निगमित ऋणी का निदेशक या भागीदार या निगमित ऋणी के निदेशक या भागीदार का कोई नातेदार ;

(ख) निगमित ऋणी का प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या निगमित ऋणी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का नातेदार ;

(ग) कोई सीमित दायित्व भागीदारी या भागीदारी फर्म, जिसमें कोई निदेशक, भागीदार या निगमित ऋणी का प्रबंधक या उसका नातेदार

भागीदार है ;

(घ) कोई प्राइवेट कंपनी, जिसमें कोई निदेशक, भागीदार या निगमित ऋणी का प्रबंधक निदेशक है और अपने नातेदारों के साथ उसकी संदत्त शेयर पूंजी का दो प्रतिशत से अधिक धारण करता है ;

(ङ) कोई पब्लिक कंपनी, जिसमें कोई निदेशक, भागीदार या निगमित ऋणी का प्रबंधक निदेशक है और अपने नातेदारों के साथ उसकी संदत्त शेयर पूंजी का दो प्रतिशत से अधिक धारण करता है ;

(च) कोई निगमित निकाय, जिसका निदेशक बोर्ड, प्रबंध निदेशक या प्रबंधक किसी निदेशक, भागीदार या निगमित ऋणी के प्रबंधक के परामर्श, निदेशों या अनुदेशों के अनुसार प्रायिक कार्य करते हैं ;

(छ) कोई सीमित दायित्व भागीदारी या भागीदारी फर्म, जिसके भागीदार या कर्मचारी, किसी निदेशक, भागीदार या निगमित ऋणी के प्रबंधक के परामर्श, निदेशों या अनुदेशों के अनुसार प्रायिक कार्य करते है ;

(ज) कोई व्यक्ति, जिसका परामर्श, निदेशों या अनुदेशों से निगमित ऋणी का निदेशक, भागीदार या प्रबंधक प्रायिक कार्य करते है ;

(झ) कोई निगमित निकाय, जो निगमित ऋणी की धृति या अनुषंगी या कोई सहयुक्त कंपनी है या किसी धृति कंपनी की अनुषंगी है, जिसमें निगमित ऋणी की कोई अनुषंगी है ;

(ञ) कोई व्यक्ति जो स्वामित्वता या किसी मतदान करार के मद्दे निगमित ऋणी के मतदान अधिकार का बीस प्रतिशत से अधिक नियंत्रण रखता है ;

(ट) कोई व्यक्ति जिसको निगमित ऋणी के स्वामित्वता या किसी मतदान करार के मध्य निगमित ऋण के बीस प्रतिशत से अधिक मतदान अधिकार नियंत्रण में है ;

(ठ) कोई व्यक्ति जो निगमित ऋणी के निदेशक बोर्ड या तत्स्थानी शासी निकाय की संरचना पर नियंत्रण कर सकता है ;

(ड) कोई व्यक्ति जो निम्नलिखित के मध्य निगमित ऋणी के संबंधित पक्षकार पर विचार कर सकता है :

(i) निगमित ऋणी की नीति निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी ; या

(ii) निगमित ऋणी और ऐसे व्यक्ति के मध्य सम्मिलित दो से अधिक निदेशक रखना; या

(iii) निगमित ऋणी और व्यक्ति के मध्य प्रबंध कार्मिकों के अंतःपरिवर्तन ; या

(iv) निगमित ऋणी को, या से आवश्यक तकनीकी जानकारी का उपबंध करना ;

(25) "समाधान आवेदक" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो समाधान वृत्तिकों

को कोई समाधान योजना देगा ;

(26) "समाधान योजना" से भाग 2 के अनुसरण में किसी चालू समुत्थान के रूप में निगमित ऋणी के दिवाला समाधान के लिए किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित योजना अभिप्रेत है ;

(27) इस भाग के प्रयोजन के लिए "समाधान वृत्तिक" से निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया संचालित करने को नियुक्त कोई दिवाला वृत्तिक अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत अंतरिम समाधान वृत्तिक भी है ; और

(28) "मतदान भाग" से लेनदारों की समिति में कोई एकल वित्तीय लेनदार के मतदान अधिकार का भाग है और निगमित ऋणी द्वारा लिए जाने वाले संपूर्ण वित्तीय ऋण के संबंध में ऐसे वित्तीय लेनदार द्वारा लिए गए वित्तीय ऋण के अनुपातों पर आधारित है ।

अध्याय 2

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया

व्यक्ति जो निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ कर सकेंगे ।

6. जहां कोई वित्तीय ऋणी, किसी वित्तीय लेनदार का व्यतिक्रम करता है, कोई प्रचालनीय लेनदार या कोई निगमित ऋणी चयन इस अध्याय के अधीन यथा उपबंधित रीति में ऐसे निगमित ऋणी के संबंध में निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ कर सकेगा ।

वित्तीय लेनदार द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया का प्रारंभ ।

7. (1) कोई वित्तीय लेनदार स्वयं या किसी अन्य वित्तीय लेनदार के साथ संयुक्त रूप से न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष किसी निगमित ऋणी के विरुद्ध, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए आवेदन फाइल कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, कोई व्यतिक्रम, जिसके अंतर्गत निगमित ऋणी के किसी वित्तीय लेनदार से लिए जाने वाले किसी वित्तीय ऋण के संबंध में कोई व्यतिक्रम भी है किन्तु आवेदक केवल किसी अन्य निगमित ऋणी का कोई वित्तीय लेनदार नहीं होगा ।

(2) वित्तीय लेनदार उपधारा (1) के अधीन ऐसे प्ररूप और रीति में आवेदन कर सकेगा तथा जिसके साथ ऐसी फीस भी होगी, जो विहित की जाएं ।

(3) वित्तीय लेनदार आवेदन के साथ निम्नलिखित देगा–

(क) जानकारी उपयोगिता के साथ अभिलिखित व्यतिक्रम के सबूत या व्यतिक्रमों के ऐसे अन्य अभिलेख, जो विनिर्दिष्ट किए जाए ;

(ख) किसी अंतरिम समाधान वृत्तिक के रूप में कार्य करने को समाधान वृत्तिक का नाम ; और

(ग) ऐसी अन्य जानकारी जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(4) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी उपधारा (2) के अधीन आवेदन की प्राप्ति के चौदह दिन के भीतर या जानकारी उपयोगिता के अभिलेखों उपधारा (3) के अधीन वित्तीय लेनदार के द्वारा अन्य साक्ष्य के अभिलेख देने के आधार पर किसी व्यतिक्रम के विद्यमानतः को सुनिश्चित करेगा ;

(5) जहां न्यायनिर्णयन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि--

(क) जहां कोई व्यतिक्रम हुआ है और उपधारा (2) के अधीन आवेदन पूर्ण है और प्रस्तावित समाधान वृत्तिक के विरुद्ध कोई अनुशासनिक प्रक्रिया लंबित नहीं है, आदेश द्वारा ऐसे आवेदन को स्वीकार कर सकेगा ;

(ख) जहां कोई व्यतिक्रम नहीं हुआ है और उपधारा (2) के अधीन आवेदन अपूर्ण है और प्रस्तावित समाधान वृत्तिक के विरुद्ध कोई अनुशासनिक प्रक्रिया लंबित है, आदेश द्वारा ऐसे आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा :

परंतु न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, उपधारा (5) के खंड (ख) के अधीन अपूर्ण होने के आधार पर आवेदन को निरस्त करने से पूर्व इस संबंध में आवेदक को, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी से ऐसी सूचना की प्राप्ति के तीन दिन के भीतर अपने आवेदन के दोषों को दूर करने के लिए आवेदक को अवसर देना आवश्यक होगा ।

(6) उपधारा (5) के अधीन आवेदन के स्वीकार करने की तारीख से निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ होगी ।

(7) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी–

(क) निगमित लेनदार और निगमित ऋणी को उपधारा (5) के खंड (क) के अधीन आदेश ;

(ख) वित्तीय लेनदार को उपधारा (5) के खंड (ख) के अधीन आदेश, यथास्थिति, ऐसे आवेदन के स्वीकार करने या उसके निरस्त करने के दो दिन के भीतर,

संसूचित किया जाएगा ।

प्रचालन लेनदार द्वारा दिवाला समाधान ।

8. (1) कोई प्रचालन लेनदार किसी व्यतिक्रम के होने पर कोई असंदत्त प्रचालन ऋण की मांग सूचना या निगमित ऋणी को व्यतिक्रम में अतंर्वलित रकम के संदाय की मांग के लिए किसी बीजक की प्रति ऐसे प्ररूप में सूचना उपयोगिता के माध्यम से, जहां लागू हो, या रजिस्ट्रीकृत डाक या कोरियर या कोई अन्य इलेक्ट्रोनिक संसाधन, जो विनिर्दिष्ट किया जाए, द्वारा भेजेगा।

(2) ऐसा निगमित ऋणी मांग सूचना की प्राप्ति के या प्रचालन लेनदार की सूचना, जो उपधारा (1) में वर्णित बीजक की प्रति प्राप्त होने के दस दिन के भीतर –

(क) किसी विवाद, यदि कोई हों और वाद के लंबित होने के अभिलेख या ऐसे बीजक की प्राप्ति के पूर्व कम से कम साठ दिन पूर्व फाइल किए गए माध्यस्थम कार्रवाई या किसी जानकारी उपयोगिता या रजिस्ट्रीकृत डाक या कोरियर या किसी इलेक्ट्रोनिक संसाधन द्वारा ऐसे विवाद के संबंध में सूचना के विद्यमान होने पर ;

(ख) असंदत्त प्रचालन ऋण का पुनर्संदाय –

(i) निगमित ऋणी के बैंक खाते से असंदत्त रकम के इलेक्ट्रोनिक अंतरण की सत्यापित प्रति भेजे जाने द्वारा ; या

(ii) अभिलेख की सत्यापित प्रति जो प्रचालन लेनदार द्वारा निगमित ऋणी द्वारा जारी किसी चेक के भुनाने का सबूत है, भेजने के द्वारा ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजन के लिए, "मांग सूचना" से किसी निगमित

लेनदार द्वारा प्रचालन ऋणी को प्रचालन ऋण के संदाय की मांग जो व्यतिक्रम से उत्पन्न हुई है, के संबंध में तामील कोई सूचना अभिप्रेत है ।

प्रचालन लेनदार द्वारा निगमन दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए आवेदन ।

9. (1) बीजक या धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन मांग संदाय सूचना के प्रदाय की तारीख से दस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात्, यदि प्रचालन लेनदार निगमित ऋण से संदाय प्राप्त नहीं करता है या धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन विवाद की सूचना प्राप्त नहीं करता है प्रचालन लेनदार किसी निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष कोई आवेदन फाइल कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में फाइल होगा और उसके साथ ऐसी फीस हो सकेगी जो विहित की जाए ।

(3) प्रचालन लेनदार आवेदन के साथ निम्नलिखित देगा –

(क) निगमित ऋण को प्रचालक लेनदार द्वारा दिया गया मांग संदाय की बीजक या सूचना की प्रति ;

(ख) इस प्रभाव का शपथपत्र कि असंदत्त प्रचालन ऋण के किसी विवाद से संबंधित निगमित ऋणी द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई है ;

(ग) प्रचालन लेनदार के लेखों का अनुरक्षण करने वाले वित्तीय संस्थान से प्रमाणपत्र प्ररूप की प्राप्ति की निगमित ऋणी द्वारा असंदत्त प्रचालन ऋण का संदाय नहीं किया गया है ; और

(घ) ऐसी अन्य जानकारी या जो विनिर्दिष्ट की जाए ।

(4) इस धारा के अधीन निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने वाला कोई प्रचालन लेनदार किसी समाधान वृत्तिक का अंतरिम समाधान वृत्तिक के रूप में कार्य करने के लिए प्रस्ताव कर सकेगा ।

(5) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी उपधारा (2) के अधीन आवेदन की प्राप्ति के चौदह दिन के भीतर आदेश द्वारा-

(i) आवेदन को स्वीकार करेगा और इस विनिश्चय से प्रचालन लेनदार तथा निगमित ऋणी को संसूचित करेगा, यदि--

(क) उपधारा (2) के अधीन किया गया आवेदन अपूर्ण है ;

(ख) असंदत्त प्रचालन ऋण का पुनः संदाय कर लिया है ;

(ग) निगमित ऋणी को संदाय के लिए बीजक या सूचना लेनदार द्वारा परिदत्त नहीं की गई है ; और

(घ) विवाद की सूचना प्रचालन लेनदार द्वारा प्राप्त हो गई है और सूचना उपयोगिता में विवाद का कोई अभिलेख नहीं है ;

(ड.) उपधारा (4) के अधीन प्रस्तावित किसी समाधान वृत्तिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लंबित नहीं है, यदि कोई हो ।

(ii) आवेदन को अस्वीकार करेगा और ऐसे विनिश्चय से प्रचालन लेनदार तथा निगमित ऋणी को संसूचित करेगा यदि--

(क) उपधारा (2) के अधीन किया गया आवेदन पूर्ण नहीं है ;

(ख) असंदत्त प्रचालन ऋण का पुनर्संदाय किया गया है ;

(ग) लेनदार ने निगमित ऋणी को बीजक या भुगतान के लिए सूचना का परिदान नहीं किया है ; और

(घ) प्रचालन लेनदार ने विवाद की सूचना प्राप्त की है या सूचना उपयोगिता में विवाद का कोई अभिलेख नहीं है ;

(ड.) किसी प्रस्तावित समाधान वृत्तिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लंबित नहीं है :

परंतु न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, इस उपधारा के खंड (क) के उपखंड (ii) के अधीन आवेदन को अस्वीकार करने से पूर्व, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी से सूचना प्राप्त करने के तीन दिन के भीतर आवेदक को उसके आवेदन में इस त्रुटि को ठीक करने के लिए अवसर प्रदान करेगा ।

(6) निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया उपधारा (5) के अधीन आवेदन के स्वीकार होने की तारीख से प्रारंभ होगी ।

निगमित लेनदार द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया का प्रारंभ ।

10. (1) जहां कोई व्यतिक्रम उत्पन्न होता है, कोई निगमित आवेदक न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए आवेदन फाइल कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन ऐसे प्ररूप में फाइल होगा जिसमें ऐसी विशिष्टियां प्रविष्ट होंगी और ऐसे प्ररूप में तथा उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाए ।

(3) निगमित आवेदक, आवेदन के साथ निम्नलिखित संबंधित जानकारी देगा,-

(क) ऐसी अवधि की अपनी लेखा बही और ऐसे अन्य दस्तावेज, जो विनिर्दिष्ट की जाए ; और

(ख) प्रस्तावित समाधान वृत्तिक को अंतरिम समाधान वृत्तिक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त होगा ।

(4) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी आवेदन प्राप्ति से चौदह दिन की अवधि के भीतर निम्नलिखित आदेश करेगा,-

(क) आवेदन स्वीकार है यदि वह पूर्ण है ;

(ख) आवेदन अस्वीकार है यदि वह अपूर्ण है ;

(5) निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया उपधारा (4) के अधीन आवेदन के स्वीकार होने की तारीख से प्रारंभ होगी ।

व्यक्ति जो आवेदन करने को हकदार नहीं ।

11. निम्नलिखित व्यक्ति इस अध्याय के अधीन निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने को कोई आवेदन करने को हकदार नहीं होगा, अर्थात् :-

(क) कोई निगमित लेनदार किसी निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को करा रहा है ; या

(ख) कोई निगमित लेनदार ने आवेदन करने की तारीख से निगमित

दिवाला समाधान प्रक्रिया बारह मास में प्रक्रिया पूर्ण की है ;

(ग) कोई निगमित ऋणी या कोई वित्तीय ऋणी जिसकी समाधान योजना इस अध्याय के अधीन किसी आवेदन की तारीख से पूर्व बारह महीने पूर्व अनुमोदित की गई थी और जिसमें ऐसी योजना के किसी निबंधन का उल्लंघन किया है ; या

(घ) कोई निगमित ऋणी, जिसके संबंध में कोई परिसमापन आदेश किया गया है ;

दिवाला समाधान प्रक्रिया के पूर्ण होने के लिए समयसीमा ।

12. (1) उपधारा (2) के अधीन रहते हुए निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया ऐसे प्रक्रिया के प्रारंभ करने को आवेदन के स्वीकार करने की तारीख से 180 दिन की अवधि के भीतर पूर्ण होगी ।

(2) समाधान वृत्तिक 180 दिन की अवधि से परे न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को निगमित दिवाला समाधान की अवधि का विस्तार करने को आवेदन फाइल करेगा यदि ऋणियों की समिति की किसी बैठक में ऐसा पारित संकल्प मतदान शेयर का 75 प्रतिशत किसी बोर्ड द्वारा समर्थित होगा, ऐसा करने का निदेश दिया जाता है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर यदि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि मामले की विषयवस्तु ऐसी है कि कोई निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया विधिपूर्वक एक सौ अस्सी दिन के भीतर पूरी नहीं की जा सकती है, वह आदेश द्वारा ऐसी प्रक्रिया की अवधि को एक सौ अस्सी दिन से परे ऐसी और अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगा जो नब्बे दिन से अधिक नहीं होगी, विस्तारित कर सकेगा :

परंतु इस धारा के अधीन निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया का कोई विस्तार एक बार से अधिक अनुदत्त नहीं होगा ।

ज्ञापन की घोषणा और सार्वजनिक आख्यापन ।

13. (1) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, धारा 7, धारा 9 या धारा 10 के अधीन आवेदन को स्वीकार करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश द्वारा –

(क) धारा 14 में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किसी अधिस्थगन की घोषणा करेगा ;

(ख) धारा 15 के अधीन किए गए निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को प्रारंभ करने और दावों को प्रस्तुत करने के लिए मांगना के लिए कोई लोक आख्यापन कारित करना ; और

(ग) धारा 16 में अधिकथित रीति में किसी अंतरिम समाधान वृत्तिक की नियुक्ति करना ।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट सार्वजनिक आख्यापन अंतरिम समाधान वृत्तिक की नियुक्ति के ठीक पश्चात् करेगा ।

अधिस्थगन ।

14. (1) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, दिवाला प्रारंभ की तारीख को, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी सभी को आदेश द्वारा प्रतिषिद्ध के लिए निम्नलिखित अधिस्थगन की घोषणा करेगा, अर्थात् :--

(क) निगमित ऋणी के विरुद्ध वाद को संस्थित करने या वादों को जारी रखने, कार्रवाईयां जिसके अंतर्गत विधि के किसी न्यायालय, अधिकरण,

माध्यस्थम, पैनल या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश का निष्पादन भी है, संस्थित करना या उसको जारी रखना ;

(ख) निगमित ऋणी से उसकी किसी आस्ति का अंतरण विल्लंगम करना, अन्य संक्रामण या व्ययन करना या किसी विधिक अधिकार या उसमें हित का कोई फायदा ;

(ग) किसी संपत्ति के संबंध में निगमित ऋणी द्वारा सृजित किसी प्रतिभूत हित के पुरोबंध, वसूली या प्रवृत्त की कोई कार्रवाई जिसके अंतर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन कोई कार्रवाई भी है ; 2002 का 54

(घ) किसी स्वामी या पट्टाधारी द्वारा किसी संपत्ति की वसूली जहां ऐसी संपत्ति निगमित ऋणी द्वारा अधिभोग में है या उसके कब्जे में है :

(2) निगमित ऋणी को आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति, जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए, को अधिस्थगन कालावधि के दौरान समाप्त या निलंबित या बाधित नहीं किया जाएगा ।

(3) ऐसे संव्यवहारों, जो किसी वित्तीय सैक्टर के विनियामक के साथ परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित किए जाए, को उपधारा (1) के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

(4) अधिस्थगन का आदेश, ऐसे आदेश की तारीख से निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के पूरा होने तक प्रभावी रहेगा :

परंतु जहां निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि के किसी समय के दौरान यदि धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन सम्यक् रूप से जमा समाधान योजना के अनुमोदन या धारा 33 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन निगमित ऋणी के परिसमापन को लेनदार की समिति द्वारा समाधान कर लिया गया है, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, यथास्थिति, ऐसे अनुमोदन की तारीख से परिसमापन आदेश के प्रभाव से अधिस्थगन, समाप्त होगा ।

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया, लोक घोषणा ।

15. (1) धारा 13 में निर्दिष्ट आदेश के अधीन निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की लोक घोषणा में निम्नलिखित जानकारी अंतर्विष्ट होगी, अर्थात् :-

(क) निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के अधीन निगमित ऋणी का नाम और पता ;

(ख) प्राधिकारी का नाम जिससे निगमित ऋणी निगमित या रजिस्ट्रीकृत है ;

(ग) दावों को भेजने के लिए अंतिम तारीख ;

(घ) अंतिम समाधान वृत्तिक के ब्यौरे जो दावों को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा ;

(ड.) मिथ्या और भ्रामक दावों के लिए शास्ति ; और

(च) तारीख जिसको निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया जिसको धारा 7, धारा 9 या धारा 10 के अधीन आवेदन प्राप्ति की तारीख से 180 दिन होंगे, समाप्त होगी ।

(2) इस धारा के अधीन लोक घोषणा ऐसी रीति में की जाएगी जो विहित की जाए ।

अंतरिम समाधान वृत्तिक की नियुक्ति और पदावधि ।

16. (1) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, कोई दिवाला प्रारंभ की तारीख से चौदह दिन के भीतर अंतिरम समाधान वृत्तिक नियुक्त करेगा ।

(2) जहां निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है, यथास्थिति, कोई वित्तीय लेनदार या निगमित ऋणी धारा 7 या धारा 10 के अधीन आवेदन में क्रमश: समाधान वृत्तिक को प्रस्ताव करेगा अंतरिम समाधान वृत्तिक के रूप में नियुक्त होगा ।

(3) जहां किसी प्रचालन लेनदार द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन किया गया है, और

(क) कोई प्रचालन लेनदार और किसी अंतरिम समाधान वृत्तिक के लिए प्रस्ताव नहीं करता है, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी किसी दिवाला वृत्तिक की सिफारिश के लिए बोर्ड को निर्देश दे सकेगा जो किसी अंतरिम समाधान वृत्तिक के रूप में कार्य कर सकेगा ।

(ख) प्रचालन लेनदार और धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन किसी अंतरिम समाधान वृत्तिक का प्रस्ताव किया गया है, यथा प्रस्तावित समाधान वृत्तिक की अंतरिम समाधान वृत्तिक के रूप में नियुक्ति की जाएगी ।

(4) बोर्ड, उपधारा (3) के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी से किसी संदर्भ की प्राप्ति की तारीख के दस दिन के भीतर किसी दिवाला वृत्तिक के नाम की सिफारिश करेगा जो –

(क) प्रस्तावित, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए अंतरिम समाधान वृत्तिक के रूप में कार्य करने को सुसंगत विशेषज्ञता रखता हो ; और

(ख) जिसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाईयां लंबित नहीं हैं ।

(5) अंतरिम समाधान वृत्तिक की पदावधि, उसकी नियुक्ति की तारीख से तीस दिन से अधिक नहीं होगी ।

अंतरिम समाधान वृत्तिक द्वारा निगमित ऋण के मामलों का प्रबंध ।

17. (1) अंतरिम समाधान वृत्तिक की नियुक्ति की तारीख से, –

(क) निगमित ऋणी के मामलों का प्रबंध अंतरिम समाधान वृत्तिक में निहित होगा ;

(ख) यथास्थिति, निदेशक बोर्ड या भागीदारों या निगमित ऋणी की शक्तियां निलंबित होंगी और अंतरिम समाधान वृत्तिक द्वारा प्रयोग की जाएंगी ;

(ग) निगमित ऋणी के अधिकारी और प्रबंधक अंतरिम समाधान वृत्तिक को रिपोर्ट करेंगे और निगमित ऋणी के ऐसे दस्तावेज और अभिलेखों तक पहुंच उपलब्ध कराएंगे जिनकी मांग अंतरिम समाधान वृत्तिक द्वारा की जाए ;

(घ) ऐसे लेखों के संबंध में अंतरिम समाधान वृत्तिक के अनुदेशों पर कार्य करने वाला निगमित ऋणी के लेखों की देखरेख करने वाला वित्तीय संस्थान करेगा तथा अंतरिम समाधान वृत्तिक को निगमित ऋण से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध कराएगा ।

(2) निगमित ऋणी का प्रबंध अंतरिम समाधान वृत्तिक में निहित होगा–

(क) सभी कार्य और निगमित ऋणी के नाम से या उसके निमित्त सभी विलेख, प्राप्तियां और अन्य दस्तावेज, यदि कोई हों, निष्पादित करेगा ;

(ख) ऐसी कार्रवाई ऐसी रीति में करेगा और ऐसे निबंधनों के अधीन रहते हुए जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ;

(ग) निगमित ऋणी की वित्तीय जानकारी रखने वाले सूचना उपयोगिता से निगमित ऋणी के इलेक्ट्रानिक पहुंच का प्राधिकार ;

(घ) लेखा बहियों, अभिलेखों और निगमित ऋणी के अन्य संबंधित दस्तावेजों जो सरकारी प्राधिकारियों, कानूनी लेखा परीक्षकों, अकाउंटेंटों और ऐसे अन्य व्यक्तियों, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, तक पहुंच का प्राधिकार ।

आंतरिक समाधान वृत्तिक के कर्तव्य ।

18. अंतरिम समाधान वृत्तिक के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे, अर्थात् :--

(क) निगमित ऋणी की वित्तीय स्थिति का अवधारण करने के लिए निगमित ऋणी आस्तियों, वित्त और प्रचालन से संबंधित सभी जानकारियां एकत्र करना जिसके, अंतर्गत निम्नलिखित जानकारी भी है :--

(i) पूर्ववर्ती दो वर्षों के लिए कारबार प्रचालन ;

(ii) पूर्ववर्ती दो वर्षों के लिए वित्त और प्रचालन संदाय ;

(iii) निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन के समय आस्तियों की सूची और दायित्वों की सूची ; और

(iv) ऐसा कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए ;

(ख) धारा 13 और धारा 15 के अधीन लोक घोषणा के अनुसरण में उसे लेनदारों द्वारा जमा किए सभी दावों को प्राप्त करना और संग्रह करना ;

(ग) लेनदारों की समिति गठित करना ;

(घ) निगमित ऋण की आस्तियों को मानीटर करना और लेनदारों की समिति द्वारा नियुक्त किसी समाधान व्यक्ति तक उसके प्रचालन का प्रबंध करना ; और

(ड.) जानकारी उपयोगिता से एकत्र जानकारी को फाइल करना यदि आवश्यक हो ;

(च) किसी आस्ति का नियंत्रण और अभिरक्षा लेगा, जिस पर निगमित ऋणी का निगमित ऋणी या सूचना उपयोगिता या प्रतिभूतियों का निक्षेपागार या कोई अन्य रजिस्ट्री, जो आस्तियों के स्वामित्व को अभिलिखित करता है, के तुलन-पत्र में यथा अभिलिखित स्वामित्व अधिकार है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल है--

(i) आस्ति जिस पर निगमित ऋणी का स्वामित्व अधिकार है जो किसी विदेशी देश में अवस्थित हो सकेगी ;

(ii) आस्ति जो निगमित ऋणी के कब्जे में हो सकेगी या नहीं हो सकेगी ;

(iii) मूर्त आस्ति चाहे जंगम या स्थावर हो ;

(iv) अमूर्त आस्तियां जिसके अंतर्गत बौद्धिक संपदा किंतु सीमित नहीं है ;

(v) प्रतिभूतियां जिसके अंतर्गत निगमित ऋणी किसी समनुषंगी में धारित शेयर, वित्तीय लिखत, बीमा पालिसी और संविदात्मक अधिकार भी है ; और

(vi) किसी न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा स्वामित्व के अवधारण के अधीन रहते हुए आस्तियां ;

(छ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ;

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजन के लिए आस्तियां पद में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं,--

(क) किसी न्यास या किसी संविदात्मक करार के अधीन निगमित ऋणी के कब्जे में किसी तृतीय पक्षकार के स्वामित्व की आस्तियां जिसके अतंर्गत उपविधान भी हैं ;

(ख) निगमित ऋणी की किसी भारतीय या विदेशी समनुषंगी की आस्तियां ;

(ग) ऐसी अन्य आस्तियां, जो किसी वित्तीय सेक्टर विनियामक के परामर्श से केन्द्रीय सरकरा द्वारा अधिसूचित की जाए ।

अंतरिम समाधान वृत्तिक को कार्मिकों के सहयोग का विस्तार ।

19. (1) निगमित ऋणी और उसके संप्रवर्तक के कार्मिक या निगमित ऋणी के प्रबंध से संबंधित कोई व्यक्ति अंतरिम समाधान वृत्तिक को जहां तक उसके द्वारा अपेक्षित हों, निगमित ऋणी के मामलों में प्रबंधन सहायता और सहयोग विस्तारित होंगे ।

(2) जहां निगमित ऋणी के कार्मिक या कोई अन्य व्यक्ति निगमित ऋणी के मामलों में प्रबंधन में सहायता या उसे सहयोग नहीं करते है, अंतरिम समाधान वृत्तिक आवश्यक निर्देश के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा ।

(3) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी उपधारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्त करने पर किसी आदेश द्वारा, ऐसे कार्मिक या अन्य व्यक्ति को समाधान वृत्तिक के अनुदेशों का अनुपालन करने का और सूचना एकत्रित करने में तथा और निगमित ऋणी के प्रबंधन में सहयोग करने का निदेश देगा ।

किसी जारी समुत्थान के रूप में निगमित ऋणी के प्रचालन का प्रबंध ।

20. (1) अंतरिम समाधान वृत्तिक निगमित ऋणी की संपत्ति के मूल्य के संरक्षण और सुरक्षित करने का प्रत्येक प्रयास करेगा और किसी जारी समुत्थान के रूप में निगमित ऋणी के प्रचालन का प्रबंध करेगा ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए अंतरिम समाधान वृत्तिक को निम्नलिखित प्राधिकार होंगे–

(क) लेखाकारों, विधिक परामर्शी या ऐसे अन्य कार्मिक जो आवश्यक हों, को नियुक्त करना ;

(ख) निगमित ऋणी के निमित्त ऐसी संविदाएं करना या संविदाओं को

संशोधित या उपांतरित करना या संव्यवहार करना जिन्हें निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के प्रारंभ होने से पूर्व किया गया था ;

(ग) अंतरिम वित्त लेने का उपबंध करना कि लेनदार की पूर्व सहमति के बिना निगमित ऋणी की संपत्तियों पर किसी विल्लंगमित पर कोई प्रतिभूति हित नहीं है, सृजित करना, जो ऋण ऐसी विल्लंगमित संपत्ति पर प्रतिभूत है ;

(घ) उसके कार्मिकों को ऐसे निदेश जारी करना जो किसी जारी समुत्थान के रूप में निगमित ऋणी के लिए करना आवश्यक है ;

(ड़) ऐसी सभी कार्रवाई करना जो किसी जारी समुत्थान के रूप में निगमित ऋणी के लिए करना आवश्यक है ।

लेनदारों की समिति ।

21. (1) अंतरिम समाधान वृत्तिक निगमित ऋणी के विरुद्ध प्राप्त सभी दावों का संग्रह करने के पश्चात् निगमित ऋणी की वित्तीय प्रास्थिति का अवधारण करेगा और लेनदारों की समिति गठित करेगा ।

(2) लेनदारों की समिति निगमित ऋणी के सभी वित्तीय लेनदारों से मिलकर बनेगी :

परंतु कोई संबंधित पक्षकार जिसके प्रति निगमित ऋणी द्वारा कोई वित्तीय ऋण देय है, को लेनदारों की समिति में अभ्यावेदन करने का, भाग देने का या मतदान करने का अधिकार नहीं होगा ।

(3) जहां निगमित ऋणी द्वारा किसी कंसोर्टियम या करार के भाग के रूप में दो या अधिक वित्तीय लेनदारों के प्रति ऋण देय है वहां ऐसा प्रत्येक वित्तीय लेनदार लेनदारों की समिति का भाग होगा और उनके मतदान अंश का अवधारण उनके प्रति देय वित्तीय ऋणों के आधार पर किया जाएगा ।

(4) जहां कोई व्यक्ति वित्तीय लेनदार के साथ-साथ कोई प्रचालन लेनदार है, वहां उसे,--

(क) उस सीमा तक वित्तीय लेनदार माना जाएगा जहां तक निगमित ऋणी द्वारा वित्तीय ऋण देय है और ऐसे लेनदार के प्रति देय वित्तीय ऋणों की सीमा के विस्तार के समानुपात तक मतदान अंश के साथ लेनदारों की समिति में शामिल किया जाएगा ;

(ख) ऐसे व्यक्ति को निगमित ऋणी द्वारा देय प्रचालित ऋण तक प्रचालक लेनदार माना जाएगा ।

(5) जहां किसी प्रचालक लेनदार ने वित्तीय लेनदार को किसी प्रचालन ऋण समनुदेशित किया है या विधिपूर्वक अंतरित किया है वहां ऐसे समनुदेशन या विधिक अंतरण की सीमा तक समनुदेशिती या अंतरिती को प्रचालन लेनदार माना जाएगा ।

(6) जहां वित्तीय ऋण के निबंधनों का कंसोर्टियम, इंतजाम या सिंडीकेटेड प्रसुविधा के भाग के रूप में विस्तार किया जाता है या उन्हें एकल न्यासी या अभिकर्ता को सभी वित्तीय लेनदारों के लिए प्रतिभूतियों का उपबंध करने के लिए उनका विस्तार किया जाता है वहां प्रत्येक वित्तीय लेनदार–

(क) न्यासी या अभिकर्ता को लेनदारों की समिति में उसके मतदान करने के

भाग तक उसके निमित्त कृत्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ;

(ख) उसके मतदान के भाग तक लेनदारों की समिति में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ;

(ग) उसका लेनदारों की समिति में उसके मतदान करने की भाग के विस्तार तक उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वयं की लागत पर किसी दिवाला वृत्तिक (समाधान वृत्तिक से भिन्न) की नियुक्ति करेगा ; या

(घ) उसके मतदान करने के भाग के विस्तार तक एक या अधिक वित्तीय सलाहकारों के साथ संयुक्त रूप से या पृथक् रूप से मिलकर मतदान करने के उसके अधिकार का निर्वहन करेगा ।

(7) बोर्ड, उपधारा (6) के अधीन जारी प्रतिभूतियों के लिए वित्तीय ऋणों के संबंध में मतदान भाग का अवधारण करने की रीति को विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

(8) लेनदारों की समिति में सभी विनिश्चय मतदान करने के भाग के 75 प्रतिशत से अन्यून किसी मत द्वारा किए जाएंगे :

परंतु किसी निगमित ऋणी के पास वित्तीय लेनदार न होने की दशा में लेनदारों की समिति का ऐसा गठन और विनिश्चय करने की प्रक्रिया होगी जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(9) लेनदारों की समिति को निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय निगम ऋणी के संबंध में कोई वित्तीय सूचना प्रस्तुत करने के लिए समाधान वृत्तिक से अपेक्षा करने का अधिकार होगा । समाधान वृत्तिक से इस प्रकार अपेक्षित वित्तीय सूचना को ऐसी मांग करने के दो दिन के भीतर प्रस्तुत करने की अपेक्षा होगी या लिखित में यह स्पष्टीकरण करने की अपेक्षा होगी कि ऐसी सूचना क्यों उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है ।

(10) समाधान वृत्तिक, लेनदारों की समिति द्वारा इस प्रकार अपेक्षित किसी वित्तीय सूचना को ऐसी मांग किए जाने के तीन दिन की कालावधि के भीतर उपलब्ध कराएगा ।

समाधान वृत्तिक की नियुक्ति ।

22. (1) लेनदारों की समिति की पहली बैठक लेनदारों की समिति का गठन होने के तीन दिन के भीतर आयोजित की जाएगी ।

(2) लेनदारों की समिति अपनी पहली बैठक में वित्तीय लेनदारों के मतदान भाग के 75 प्रतिशत से अन्यून के बहुमत द्वारा या तो समाधान वृत्तिक के रूप में अंतरिम समाधान वृत्तिक को नियुक्त करने का संकल्प करेगी या अंतरिम समाधान वृत्तिक को प्रतिस्थापित करने के लिए किसी दिवाला समाधान वृत्तिक के नाम का प्रस्ताव करेगी ।

(3) उपधारा (2) के अधीन जहां लेनदारों की समिति का संकल्प–

(क) समाधान वृत्तिक के रूप में अंतरिम समाधान वृत्तिक को जारी रखने का कोई संकल्प किसी बैठक द्वारा विनिश्चत होता है कि उसे अंतरिम समाधान वृत्तिक, निगमित ऋणी और न्याय निर्णयन प्राधिकारी को उसके इस विनिश्चय को संसूचित किया जाएगा ; या

(ख) अंतरिम समाधान वृत्तिक को प्रतिस्थापित करने के प्रयोजन के लिए प्रस्तावित समाधान वृत्तिक के नियुक्ति के लिए न्याय निर्णयन प्राधिकारी के

समक्ष आवेदन को फाइल करना होगा ।

(4) न्याय निर्णयन प्राधिकारी प्रस्तावित समाधान वृत्तिक के नाम को इस पुष्टि के लिए बोर्ड को भेजेगा और बोर्ड से ऐसी पुष्टि के पश्चात् ऐसी नियुक्ति करेगा ।

(5) जहां बोर्ड प्रस्तावित समाधान वृत्तिक के नाम की प्राप्ति की तारीख के दस दिन के भीतर प्रस्तावित समाधान वृत्तिक के नाम की पुष्टि नहीं करता है, न्याय निर्णयन प्राधिकारी समाधान वृत्तिक के नियुक्ति बोर्ड से पुष्टि होने तक ऐसी अवधि तक समाधान वृत्तिक के रूप में कार्य जारी करने के लिए निदेश जारी करने के आदेश दे सकेगा ।

समाधान वृत्तिक द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया संचालित करना ।

23. (1) धारा 26 के अधीन रहते हुए समाधान वृत्तिक संपूर्ण निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया संचालित करेगा और दिवाला समाधान प्रक्रिया की अवधि के दौरान निगमित ऋण के प्रचालन का प्रबंध करेगा ।

(2) समाधान वृत्तिक ऐसी शक्तियां का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो इस अध्याय के अधीन अंतरिम समाधान वृत्तिक को निहित और प्रदत्त है ।

(3) धारा 22 की उपधारा (4) के अधीन किसी समाधान वृत्तिक की किसी नियुक्ति की दशा में अंतरिम समाधान वृत्तिक को सभी जानकारी, दस्तावेज और अभिलेख निगमित ऋणी द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे ।

लेनदारों की समिति की बैठक ।

24. (1) लेनदारों की समिति के सभी सदस्य वैयक्तिक रूप से या ऐसे अन्य इलैक्ट्रानिकी संगोष्ठी माध्यम से बैठक कर सकेंगे, जो विनिर्दिष्ट की जाए ।

(2) लेनदारों की समिति की सभी बैठकें समाधान वृत्तिक द्वारा आयोजित होंगी ।

(3) समाधान वृत्तिक, लेनेदारों की समिति की प्रत्येक बैठक की सूचना, यथास्थिति, निगमित व्यक्ति के निलंबित निदेशक बोर्ड के सभी सदस्य या भागीदारों को देगा ।

(4) निलंबित निदेशक बोर्ड से सदस्य लेनदारों की समिति की बैठक में भाग ले सकेंगे किंतु ऐसी बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा :

परंतु, यथास्थिति, किसी निदेशक या भागीदार की अनुपस्थिति से ऐसी बैठक की कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं होगी ।

(5) कोई लेनदार जो लेनदारों की समिति का एक सदस्य है किसी समाधान वृत्तिक से भिन्न समाधान वृत्तिक जो लेनदारों की समिति की किसी बैठक में ऐसे लेनदारों का प्रतिनिधित्व करने को नियुक्त हो सकेगा :

परंतु ऐसे समाधान वृत्तिक को संदेय ऐसी फीस ऐसे लेनदार द्वारा वहन की जाएगी जो ऐसे व्यक्तिगत लेनदार का प्रतिनिधित्व करता है ।

(6) ऐसा लेनदार का मत ऐसे लेनदार द्वारा दिए गए वित्तीय ऋण के आधार पर उसे समनुदेशित मत भाग के अनुसार होगी ।

(7) समाधान वृत्तिक बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में प्रत्येक लेनदार को उसके मत भाग को अवधारित कर समनुदेशित करेगा ।

(8) लेनदार समिति की बैठक का संचालन ऐसी रीति में होगा जो विनिर्दिष्ट की जाए ।

समाधान वृत्तिक के कर्तव्य ।

25. (1) समाधान वृत्तिक का यह कर्तव्य होगा कि वह निगमित ऋणी की आस्तियों को सुरक्षित और संरक्षित करें जिसके अंतर्गत निगमित ऋणी के जारी कारबार के अभिलेख भी हैं ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए समाधान वृत्तिक निम्नलिखित कार्रवाई करेगा, अर्थात् :--

(क) निगमित ऋणी की सभी आस्तियों जिसके अतंर्गत निगमित ऋणी के कारबार के अभिलेख भी है तत्काल अपनी अभिरक्षा और नियंत्रण में लेगा ;

(ख) निगमित ऋणी का प्रतिनिधित्व और उसके निमित्त सभी कृत्य तृतीय पक्षकारों के साथ करना निगमित ऋणी के फायदे के लिए न्यायिक, अर्द्धन्यायिक या माध्यस्थम प्रक्रियाओं के लिए सभी अधिकारों का प्रयोग करना ;

(ग) धारा 28 के अधीन लेनदारों की समिति के अनुमोदन के लिए अंतरिम वित्त की व्यवस्था करना ;

(घ) बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट रीति में लेखाकारों, वकीलों और अन्य सलाहकारों की नियुक्ति करना ;

(ड़) दावों की अद्यतन सूची का अनुरक्षण करना ;

(च) लेनदारों की समिति की सभी बैठकें आहूत करना और भाग लेना ;

(छ) धारा 29 के अनुसरण में जानकारी ज्ञापन को तैयार करना ;

(ज) संभावित उदाहरण देने वाले, निवेशकों और किन्हीं अन्य व्यक्तियों को जो समाधान योजना को आगे बढ़ा सकते है, आमंत्रित करना ;

(झ) लेनदारों की समिति की बैठक में सभी समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करना ;

(ञ) अध्याय 3 के अनुसरण में संव्यवहारों के परिवर्जन के लिए कोई आवेदन फाइल करना, यदि कोई हो ; और

(ट) ऐसी अन्य कार्रवाई करना जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(3) समाधान वृत्तिक द्वारा उपधारा (2) के खंड (ञ) के अधीन कोई आवेदन को फाइल करने निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी ।

लेनदारों की समिति द्वारा समाधान वृत्तिक का प्रतिस्थापन ।

26. (1) जहां लेनदारों की समिति की यह राय है कि निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय धारा 22 के अधीन नियुक्त किसी समाधान वृत्तिक इस अध्याय के उपबंधों के अनुसरण में अपने कर्तव्यों का अनुपालन नहीं करता है, वह किसी अन्य समाधान वृत्तिक से प्रतिस्थापित कर सकेगी ।

(2) लेनदारों की समिति किसी बैठक में मतदान भाग के 75 प्रतिशत के मत द्वारा धारा 22 के अधीन उसके द्वारा नियत समाधान वृत्तिक को प्रतिस्थापन का प्रस्ताव किसी अन्य समाधान वृत्तिक के साथ प्रस्तावित कर सकेगी ।

(3) लेनदारों की समिति द्वारा न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को उसके द्वारा प्रस्तावित दिवाला वृत्तिक का नाम भेजा जाएगा ।

(4) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी प्रस्तावित समाधान वृत्तिक के नाम को उसकी पुष्टि

के लिए बोर्ड को भेजेगा और धारा 16 की उपधारा (3) और उपधारा (4) में अधिकथित रीति में कोई समाधान वृत्तिक नियुक्त होगा :

परंतु जहां प्रस्तावित समाधान वृत्तिक के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाईयां लंबित है वहां धारा 22 के अधीन नियुक्त समाधान वृत्तिक विद्यमान निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शेष अवधि के लिए जारी रहेगा ।

वित्तीय लेनदार या निगमित ऋणी द्वारा समाधान वृत्तिकों का प्रतिस्थापन ।

27. (1) निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान किसी समय किसी निगमित ऋणी या वित्तीय लेनदारों की समिति में मतदान भाग का पचहत्तर प्रतिशत से अन्यून के लिए वित्तीय लेनदार किसी समाधान वृत्तिक के प्रतिस्थापन के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष आवेदन फाइल कर सकेगा । यदि वहां यह साक्ष्य प्रदर्शित होता है कि समाधान वृत्तिक–

(क) लेनदारों की समिति की बैठक को संचालन में सारभूत अनियमितताएं की गई है ;या

(ख) लेनदार समिति की बैठक की सूचना निगमित ऋणी को उपलब्ध नहीं कराई गई ; या

(ग) जानकारी ज्ञापन में गलत जानकारी उपलब्ध कराई गई है या तात्विक जानकारियों को लोप किया गया है ;या

(घ) किसी समाधान आवेदक को या तृतीय पक्षकार को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराना किन्तु जिसे लेनदारों की समिति या किसी अन्य समाधान वृत्तिक को उपलब्ध नहीं कराई गई है ;या

(ङ) किसी उपेक्षापूर्वक या कपटपूर्ण रीति में निगमित ऋणी के प्रचालनों का प्रबंध करना ; या

(च) अपनी शक्तियों और कृत्यों के अनुपालन में सम्यक् तत्परता बरतने में असफल रहना ;या

(छ) यथा अपेक्षित विशेषज्ञ अर्हता में नहीं रखता ;या

(ज) ऐसी रीति में कार्य करना जहां निगमित लेनदारों, ऋणी या अन्य पणधारियों के हितों के साथ उसके हितों का विरोध हो ; या

(झ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन शक्तियों का प्रयोग करना ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति के चौदह दिन के भीतर यदि न्यायनिर्णयन अधिकारी की राय में समाधान वृत्तिक द्वारा उपधारा (1) के अधीन वर्णित किसी कृत्य को किए जाना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है, वह आवेदन को स्वीकार कर सकेगा और लेनदारों की समिति को निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया का संचालन करने के लिए अन्य समाधान वृत्तिक का प्रस्ताव करने को निदेश देगा अन्यथा आवेदन को नामंजूर कर देगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के निदेश के अनुपालन करने के प्रयोजन के लिए लेनदारों की समिति धारा 22 में यथा अधिकथित समान रीति में समाधान वृत्तिक के नाम का प्रस्ताव करे ।

(4) इस उपधारा के अधीन नियुक्त समाधान वृत्तिक इस संहिता के अधीन प्रयोक्तव्य या अनुपालन के लिए यथा अपेक्षित सभी शक्तियों का प्रयोग और सभी कर्तव्यों का अनुपालन करने का हकदार होगा ।

कतिपय कार्रवाईयों के लिए लेनदारों की समिति का अनुमोदन ।

28. (1) तत्समय किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी समाधान वृत्तिक निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान लेनदार समिति के पूर्व अनुमोदन के बिना निम्नलिखित कार्रवाई नहीं करेगा, अर्थात् :--

(क) लेनदारों की समिति द्वारा प्रथम बैठक जो किसी रकम से अधिक कोई अंतरिम बजट जुटाना जो विनिश्चित किया जाए ;

(ख) निगमित ऋणी की आस्तियों पर कोई प्रतिभूति हित सृजित करना ;

(ग) निगमित ऋणी की पूंजी संरचना में परिवर्तन जिसके अंतर्गत अतिरिक्त प्रतिभूतियों को जारी करने के माध्यम द्वारा, प्रतिभूतियों के नए वर्ग का सृजन करना, पुनः क्रय या निगमित ऋणी कोई कंपनी है की दशा में मोचन जारी करना ;

(घ) निगमित ऋणी के स्वामित्व हित में कोई परिवर्तन अभिलिखित करना ;

(ङ) पहली बैठक में लेनदारों की समिति द्वारा किसी रकम से अधिक किसी ऐसे खाते से कोई विकलन, संव्यवहार के लिए निगमित ऋणी के खातों का अनुरक्षण करने वाले वित्तीय संस्था को अनुदेश देना जो विनिश्चित किया जाए ;

(च) संबंधित पक्षकार का संव्यवहार करना ;

(छ) निगमित ऋणी के, यथास्थिति, संगम ज्ञापन या संगम अनुच्छेद या गठन दस्तावेज में संशोधन करना ;

(ज) किसी अन्य व्यक्ति को अपने प्राधिकार का प्रत्यायोजन करना ;

(झ) किसी शेयरधारक या उसके नामनिर्देशिती के शेयरों का तृतीय पक्षकार को व्ययन करना या निपटान को अनुज्ञात करना ;

(ञ) निगमित ऋणी या उसकी समनुषंगी के प्रबंध में कोई परिवर्तन करना ;

(ट) कारबार के सामान्य अनुक्रम से भिन्न किसी तात्विक संविदा के अधीन अधिकारों या वित्तीय ऋण या प्रचालन ऋण का अंतरण करना ;

(ठ) लेनदारों की समिति द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसे कार्मिक की नियुक्ति या संविदा के निबंधनों में परिवर्तन करना ; या

(ड) किसी कानूनी लेखा परीक्षक या निगमित ऋणी के आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति या संविदा के निबंधनों में परिवर्तन करना ।

(2) समाधान वृत्तिक लेनदारों की समिति की बैठक संयोजित करेगा और उपधारा (1) के अधीन किसी कार्रवाई करने से पूर्व लेनदारों का मत प्राप्त करेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई कार्रवाई लेनदारों की समिति के मतदान भाग के 75 प्रतिशत किसी मत द्वारा अनुमोदन के बिना नहीं होगी ।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई कार्रवाई इस धारा में यथा अपेक्षित किसी रीति में लेनदारों की समिति के अनुमोदन प्राप्त किए बिना समाधान वृत्तिक द्वारा की जाती है ऐसी कार्रवाई शून्य होगी ।

(5) लेनदारों की समिति बोर्ड को उपधारा (4) के अधीन समाधान वृत्तिक की

कार्रवाई की रिपोर्ट कर सकेगी जिससे ऐसी कार्रवाई करने के लिए समाधान वृत्तिक को हटाया जा सकेगा ।

जानकारी ज्ञापन की तैयारी ।

29. (1) समाधान वृत्तिक किसी समाधान योजना को बनाने के लिए बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी सुसंगत जानकारी ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में जानकारी ज्ञापन को तैयार करेगा ।

(2) समाधान वृत्तिक, समाधान आवेदक तक सभी सुसंगत जानकारी तक पहुंच को भौतिक और इलेक्ट्रानिक प्ररूप में उपलब्ध कराने के अधीन रहते हुए ऐसे समाधान वृत्तिक को–

(क) गोपनीयता और आंतरिक व्यापार से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों का अनुपालन करना ;

(ख) निगमित ऋणी के किसी बौद्धिक संपदा को सुरक्षित करना जो उसकी पहुंच में है ;

(ग) इस धारा के खंड (क) और खंड (ख) का अनुपालन जब तक किसी तृतीय पक्षकार के साथ संबंधित जानकारी नहीं देने को सहमत होना :

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए "संबंधित जानकारी" से निगमित ऋणी के लिए समाधान योजना बनाने के लिए समाधान आवेदक द्वारा अपेक्षित जानकारी अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत निगमित ऋणी की वित्तीय स्थिति निगमित ऋणी के द्वारा या उसके विरुद्ध विवादों से संबंधित सभी जानकारी तथा कोई अन्य विषय जो निगमित ऋणी से संबंधित है, विनिर्दिष्ट किए जाए ।

समाधान योजना को प्रस्तुत करना ।

30. (1) कोई समाधान आवेदक सूचना ज्ञापन के आधार पर तैयार समाधान वृत्तिक को प्रस्तुत कर सकेगा ।

(2) समाधान वृत्तिक उसको प्राप्त प्रत्येक समाधान योजना की परीक्षा यह पुष्टि करते हुए करेगा कि प्रत्येक समाधान योजना--

(क) दिवालिया समाधान प्रक्रिया लागत का संदाय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में निगमित ऋणी के अन्य ऋणों का संदाय अधिमानतः पर किए जाने का उपबंध करने के लिए किया जाए ;

(ख) बोर्ड द्वारा विर्निदिष्ट ऐसी रीति में प्रचालिक लेनदार का पुनर्संदाय करने के लिए उपबंध करने के लिए जो कि किसी भी दशा में धारा 53 के अधीन ऋणी के निगमित परिसमापन की दशा में प्रचालन लेनदार को संदत्त रकम से कम नहीं होगी;

(ग) यह तत्समय प्रवृत्त विधि के विरोध में न हो, और

(घ) ऐसी अन्य अपेक्षाओं की पुष्टि करना, जो बोर्ड द्वारा विर्निदिष्ट की जाए ।

(3) समाधान वृत्तिक प्रत्येक समाधान योजना लेनदारों की समिति को प्रस्तुत करेगा, जो उप धारा (2) में निर्दिष्ट शर्तों की पुष्टि करती है ।

(4) लेनदारों की समिति ऐसी मद को, जो वित्तीय लेनदार के मत के भाग का पचहत्तर प्रतिशत से कम न हो तो यह अनुमोदित कर सकेगी ।

(5) समाधान आवेदक,लेनदारो की समिति बैठक में जिसमें जहां आवेदक की समाधान योजना पर विचार किया जाना है, में भाग ले सकेगा :

परन्तु समाधान आवेदक को लेनदारों की बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि एक ऐसा समाधान आवेदक भी वित्तीय लेनदार न हो।

(6) वृत्तिक समाधान, लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना को न्यायनिर्णयन प्रधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।

समाधान योजना का अनुमोदन ।

31. (1) यदि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि--

(i) धारा 30 की उपधारा (4) के अधीन लेनदारों की समिति द्वारा यथा अनुमोदित समाधान योजना को उस उपधारा (2) में निर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करते है ; और

(ii) निगमित दिवाला समाधान अवधि के दौरान समाधान वृत्तिक द्वारा शक्तियों के निर्वहन में कोई तात्विक अनियमितता नहीं है ;

और वह आदेश द्वारा समाधान योजना को अनुमोदित करेगा, जो निगमित ऋणी तथा उसके कर्मचारियों, सदस्यों, लेनदारों और गारंटरों पर तथा समाधान योजना में अंतर्वलित अन्य पणधारियों पर बाध्यकर होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुमोदन आदेश के पश्चात्,--

(क) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा धारा 14 के अधीन अधिस्थगन आदेश को विरत रहने का प्रभाव रखेगा ; और

(ख) समाधान वृत्तिक निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया संचालित करने के सभी अभिलेख और समाधान योजना तथा ऐसी निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया से संबंधित जानकारी का डाटा बेस के अभिलेख बोर्ड को भेजेगा ।

अपील ।

32. समाधान योजना को अनुमोदित करने वाले किसी आदेश से कोई अपील धारा 61(3) में अधिकथित रीति और आधारों पर की जाएगी ।

अध्याय 3

परिसमापन प्रक्रिया

परिसमापन का प्रारंभ ।

33. (1) यदि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि या धारा 12 के अधीन निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के पूर्ण होने के लिए अनुज्ञात अधिकतम अवधि या धारा 56 के अधीन त्वरित निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के समाप्त होने से पूर्व या धारा 30 की उपधारा (6) के अधीन कोई समाधान योजना प्राप्त नहीं होने पर उसमें विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अननुपालन के लिए धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन समाधान योजना को निरस्त कर सकेगा, वह--

(i) इस अध्याय में अधिकथित रीति में निगमित ऋणी के परिसमापन का अपेक्षित आदेश पारित करेगा ;

(ii) लोक घोषणा जारी करेगा कि निगमित ऋणी परिसमापन में है ; और

(iii) ऐसे आदेश को सूचना प्राधिकारी को भेजने की अपेक्षा करेगा जिससे निगमित ऋणी रजिस्ट्रीकृत है ।

(2) जहां समाधान वृत्तिक निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान किसी समय किंतु समाधान योजना की पुष्टि से पूर्व लेनदारों की समिति का निगमित ऋणी के परिसमापन के लेनदारों की समिति के विनिश्चय को न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को सूचित करता है, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी उपधारा (1) के खंड (i), खंड (ii) और खंड (iii) में यथानिर्दिष्ट परिसमापन आदेश पारित कर सकेगा ;

(3) जहां संबंधित निगमित ऋण द्वारा न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना का उल्लंघन किया जाता है, निगमित ऋण से भिन्न कोई व्यक्ति जिसके ऐसे उल्लंघन द्वारा हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उपधारा (1) के खंड (i), (ii) और (iii) में यथानिर्दिष्ट किसी परिसमापन आदेश के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(4)उपधारा (3) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर यदि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी यह अवधारित करता है कि निगमित ऋणी ने समाधान योजना के उपबंधों का उल्लंघन किया है वह उपधारा (1) के खंड (i), (ii) और (iii) में यथानिर्दिष्ट किसी परिसमापन आदेश पारित करेगा ।

(5) धारा 52 के अधीन रहते हुए जब कोई परिसमापन आदेश पारित किया गया है निगमित ऋणी या उसके विरुद्ध कोई वाद या कोई अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं होगी :

परंतु न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से निगमित ऋणी के निमित्त परिसमापक द्वारा कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी ।

परंतु यह और कि इस उपधारा में किसी बात के होते हुए भी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में लंबित किसी कार्यवाही को लागू नहीं होगी :

(6) उपधारा (4) के उपबंध ऐसे संव्यवहारों के, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी वित्तीय क्षेत्र के विनियामक के परामर्श से अधिसूचित किए जाएं, संबंध विधिक कार्यवाहियों को लागू नहीं होगी ।

(7) तब के सिवाय, जब समापक द्वारा कारपोरेट ऋणी का कारबार समापन की प्रक्रिया के दौरान जारी रखा जाता है, धारा 31 के अधीन समापन आदेश को कारपोरेट ऋणी के अधिकारियों, कर्मचारियों और कर्मकारों के प्रति कार्यमुक्ति सूचना समझा जाएगा ।

समापक की नियुक्ति और उसे संदत्त की जाने वाली फीस ।

34. (1) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, धारा 33 के अधीन कारपोरेट ऋणी के समापन का कोई आदेश पारित करता है, वहां अध्याय 2 के अधीन कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए नियुक्त समाधानकर्ता वृत्तिक, जब तक उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा बदला न जाए, समापन के प्रयोजनों के लिए समापक के रूप में कार्य करेगा ।

(2) इस धारा के अधीन समापक की नियुक्ति हो जाने पर, यथास्थिति, निदेशक बोर्ड, प्रमुख प्रबंधकार कार्मिकों और कारपोरेट ऋणी के भागीदारों की सभी शक्तियां प्रभावहीन हो जाएंगी और वे समापक में निहित हो जाएंगी ।

(3) कारपोरेट ऋणी के कार्मिक, समापक की, जैसी भी कारपोरेट ऋणी के कार्यकलापों के प्रबंधन में उसके द्वारा अपेक्षा की जाए, सभी प्रकार से सहायता और सहयोग करेंगे और इस संहिता की धारा 19 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित

लागू होंगे ।

(4) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, आदेश द्वारा समाधानकर्ता वृत्तिक को बदल देगा, यदि,--

(क) धारा 30 के अधीन समाधानकर्ता वृत्तिक द्वारा प्रस्तुत संकल्प रेखांक को धारा 31 की उपधारा (1) में वर्णित अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल होने के कारण नामंजूर कर दिया गया हो ; या

(ख) बोर्ड ने लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से न्यायनिर्णायक प्राधिकारी से समाधानकर्ता वृत्तिक को बदले जाने की सिफारिश की है ।

(5) उपधारा (3) के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, बोर्ड को समापक बनाए जाने के लिए एक अन्य दिवाला वृत्तिक के नाम का प्रस्ताव करने का निदेश दे सकेगा ।

(6) बोर्ड, उपधारा (4) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा जारी निदेश के दस दिन के भीतर एक अन्य दिवाला वृत्तिक के नाम का प्रस्ताव करेगा ।

(7) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, समापक के रूप में किसी दिवाला वृत्तिक की नियुक्ति के लिए बोर्ड का प्रस्ताव प्राप्त होने पर, आदेश द्वारा, ऐसे दिवाला वृत्तिक की समापक के रूप में नियुक्ति करेगा ।

(8) समापक के रूप में नियुक्त किए जाने वाला प्रस्तावित दिवाला वृत्तिक समापन कार्यवाहियां करने के लिए ऐसी फीस और समापन संपदा आस्तियों के मूल्य के ऐसे अनुपात में प्रभारित करेगा, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(9) समापक को, उपधारा (6) के अधीन समापन कार्यवाहियां करने के लिए फीस, धारा 53 के अधीन समापन सम्पदा के आगमों से संदत्त की जाएगी ।

समापक की शक्तियां और कर्तव्य ।

35. (1) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के निदेशों के अधीन रहते हुए, समापक की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, अर्थात् :--

(क) सभी लेनदारों के सभी दावों का सत्यापन करना ;

(ख) ऐसी सभी आस्तियों, संपत्तियों, चीजबस्तों और अनुयोज्य दावों को अपनी अभिरक्षा या नियंत्रण में रखना ;

(ग) ऐसे कारपोरेट ऋणी की आस्तियों का ऐसी रीति से, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, मूल्यांकन करना और उसकी रिपोर्ट तैयार करना ;

(घ) कारपोरेट ऋणी की आस्तियों और संपत्तियों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए ऐसे उपाय करना, जो वह आवश्यक समझे ;

(ङ) कारपोरेट ऋणी के कारबार को उसके ऐसे फायदाप्रद समापन के लिए, जो वह आवश्यक समझे, चलाना ;

(च) धारा 52 के अधीन रहते हुए कारपोरेट ऋणी की समापन संबंधी स्थावर और जंगम संपत्ति तथा अनुयोज्य दावों का लोक नीलामी या प्राइवेट संविदा द्वारा, किसी व्यक्ति या निगमित निकाय को ऐसी संपत्ति का अंतरण करने या उसका ऐसी रीति से, जो विनिर्दिष्ट की जाए, भागत: विक्रय करने की शक्ति के साथ, विक्रय करना ;

(छ) कारपोरेट ऋणी के नाम से या उसकी ओर से किसी परक्राम्य लिखत को, जिसके अंतर्गत विनिमय पत्र, हुंडी या वचनपत्र भी है, उसी प्रभाव से लिखना, प्रतिगृहीत करना, दिया जाना या पृष्ठांकित करना, मानो ऐसी लिखत कारपोरेट ऋणी से या उसकी ओर से, उसके कारबार के मामूली अनुक्रम में लिखी गई थी, प्रतिगृहीत की गई थी, दी गई या पृष्ठांकित की गई थी ;

(ज) किसी मृत अभिदायी के लिए प्रशासन पत्र अपने पदीय नाम से लेना और अभिदायी या उसकी संपदा से शोध्य और उसे संदेय किसी धनराशि का संदाय करने के लिए आवश्यक कोई ऐसा कार्य अपने पदीय नाम से करना, जो कारपोरेट ऋणी के नाम से मामूली तौर से नहीं किया जा सकता था और ऐसी सभी दशाओं में उस शोध्य और संदेय राशि के संबंध में यह बात कि स्वयं समापक को शोध्य नहीं है, इस प्रयोजन के लिए यह समझी जाएगी कि कंपनी का समापक प्रशासन पत्र लेने या ऐसी धनराशि वसूल किए जाने के लिए समर्थ होगा ;

(झ) अपने कर्तव्यों, बाध्यताओं और उत्तरदायित्वों के निर्वहन में किसी व्यक्ति से वृत्तिक सहायता प्राप्त करना या वृत्तिक सहायता प्राप्त करने के लिए किसी वृत्तिक की नियुक्ति करना ;

(ञ) इस संहिता के उपबंधों के अनुसार लेनदारों और दावेदारों को आमंत्रित करना और उनके दावों को तय करना तथा आगमों का वितरण करना ;

(ट) कारपोरेट ऋणी के नाम से या उसकी ओर से कोई वाद, अभियोजन या अन्य सिविल या दांडिक विधिक कार्यवाहियां संस्थित करना या उसमें प्रतिरक्षा करना ;

(ठ) कारपोरेट ऋणी के वित्तीय कार्यों को न्यून मूल्यांकित या अधिमानी संव्यवहार अवधारित करने के लिए अन्वेषण करना ;

(ड) ऐसी सभी कार्रवाइयां, उपाय करना या किसी ऐसे कागज-पत्र, विलेख, दस्तावेज, आवेदन, याचिका, शपथपत्र, बंधपत्र या लिखत को हस्ताक्षरित, निष्पादित और सत्यापित करना और सामान्य मुद्रा, यदि कोई हो, का उक्त प्रयोजन के लिए प्रयोग करना, जो समापन, आस्तियों के वितरण के लिए और समापक के रूप में अपने कर्तव्यों और बाध्यताओं तथा कृत्यों के निर्वहन में आवश्यक हों ;

(ढ) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को ऐसे आदेशों या निदेशों के लिए आवेदन करना, जो कारपोरेट ऋणी के समापन के लिए आवश्यक हों और ऐसी रीति से, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, समापन प्रक्रिया की प्रगति की रिपोर्ट देना ;

(ण) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ; और

(त) ऐसे अन्य कर्तव्य करना, जो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे ।

(2) समापक को ऐसे पणधारियों में से किसी पणधारी से, जो धारा 53 के अधीन वितरण का हकदार है, परामर्श करने की शक्ति होगी :

परंतु ऐसा कोई परामर्श समापक पर बाध्यकारी नहीं होगा :

परंतु यह और कि किसी ऐसे परामर्श के अभिलेख, ऐसे अन्य सभी पणधारियों के लिए, जिनसे इस प्रकार परामर्श नहीं किया गया है, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से उपलब्ध होंगे ।

समापन सम्पदा ।

36. (1) समापन के प्रयोजनों के लिए, समापक, उपधारा (3) में वर्णित आस्तियों की एक सम्पदा गठित करेगा, जिसे कारपोरेट ऋणी के संबंध में समापन सम्पदा कहा जाएगा ।

(2) समापक सभी लेनदारों के फायदे के लिए वैश्वासिक रूप में समापन करेगा ।

(3) उपधारा (4) के अधीन रहते हुए, समापन सम्पदा में सभी समापन सम्पदा आस्तियां समाविष्ट होंगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगी,--

(क) ऐसी आस्तियां, जिन पर कारपोरेट ऋणी का स्वामित्व अधिकार है, जिसके अंतर्गत उसमें के ऐसे सभी अधिकार और हित भी हैं, जो कारपोरेट ऋणी के तुलनपत्र या किसी सूचना उपयोगिता या रजिस्ट्री के अभिलेखों या कारपोरेट ऋणी की किसी निक्षेपागार अभिलेखन प्रतिभूतियों में या ऐसे किन्ही अन्य साधनों द्वारा साक्ष्यित हैं, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, इसके अंतर्गत कारपोरेट ऋणी के किसी समनुषंगी द्वारा धारित शेयर भी हैं ;

(ख) ऐसी आस्तियां, जो कारपोरेट ऋणी के कब्जे में हैं या कब्जे में नहीं हैं, जिसके अंतर्गत विल्लंगमित आस्तियां भी हैं, किंतु इस तक सीमित नहीं है ;

(ग) मूर्त आस्तियां, चाहे जंगम हो या स्थावर ;

(घ) अमूर्त आस्तियां, जिसके अंतर्गत बौद्धिक संपदा, प्रतिभूतियां (जिसमें कारपोरेट ऋणी के किसी समनुषंगी द्वारा धारित शेयर भी सम्मिलित हैं) और वित्तीय लिखतें, बीमा पालिसियां, संविदात्मक अधिकार भी हैं, किंतु इस तक सीमित नहीं है ;

(ङ) ऐसी आस्तियां, जो न्यायालय या प्राधिकरण द्वारा स्वामित्व के अवधारण के अध्यधीन हैं ;

(च) कोई आस्तियां या इस अध्याय के अनुसार संव्यवहारों के परिवर्जन की कार्यवाहियों के माध्यम से वसूल किया गया उनका मूल्य ;

(छ) कारपोरेट ऋणी की कोई ऐसी आस्ति, जिसके संबंध में किसी प्रतिभूत लेनदार ने प्रतिभूति हित त्याग दिया है ;

(ज) कोई अन्य संपत्ति, जो दिवाला प्रारंभ होने की तारीख को कारपोरेट ऋणी की है या उसमें निहित है ; और

(झ) समापन के सभी आगम जब कभी भी वे वसूल किए जाएं ।

(4) समापन सम्पदा आस्तियों में निम्नलिखित को सम्मिलित नहीं किया जाएगा और समापन में की वसूली के लिए उनका उपयोग नहीं किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) किसी अन्य पक्षकार के स्वामित्वाधीन ऐसी आस्तियां, जो कारपोरेट ऋणी के कब्जे में हैं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,--

(i) किसी अन्य पक्षकार के लिए न्यास में धृत आस्तियां ;

(ii) उपनिधान संविदाएं ;

(iii) कर्मचारी पेंशन के संबंध में अभिदाय ; या

(iv) अन्य संविदात्मक ठहराव, जिसमें हक के अंतरण का अनुबंध नहीं है, बल्कि केवल आस्तियों के उपयोग का अनुबंध है ;

(v) ऐसी अन्य आस्तियां, जो केंद्रीय सरकार द्वारा किसी वित्तीय सेक्टर विनियामक के परामर्श से अधिसूचित की जाएं ;

(ख) वित्तीय सेवाएं प्रदाताओं द्वारा धारित सांपार्श्विक प्रतिभूतिओं में की ऐसी आस्तियां, जो बहुपक्षीय व्यापारिक या समाशोधन संव्यवहारों के नेटिंग और मुजराई के अध्यधीन हैं ;

(ग) किसी कारपोरेट ऋणी के, यथास्थिति, किसी शेयरधारक या भागीदार की निजी आस्तियां, परंतु ऐसी आस्तियां ऐसे परिवर्जन संव्यवहारों के कारण, जिनका इस अध्याय के अधीन परिवर्जन किया जा सकेगा, धारित नहीं हैं ;

(घ) कारपोरेट ऋणी के किसी भारतीय या विदेशी समनुषंगी की आस्तियां ; या

(ङ) कोई अन्य आस्तियां, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, जिसके अंतर्गत ऐसी आस्तियां भी हैं, जो कारपोरेट ऋणी और किसी लेनदार के बीच पारस्परिक व्यवहार के कारण मुजरा करने के अध्यधीन हो सकेंगी ।

समापक की सूचना तक पहुंच बनाने की शक्तियां ।

37. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समापक को, कारपोरेट ऋणी से संबंधित समापन संपदा आस्तियों को ग्रहण करने तथा उनके दावों का सबूत और पहचान करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित स्रोतों से पहुंच बनाने की शक्ति होगी, अर्थात् :--

(क) किसी सूचना उपयोगिता ;

(ख) तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन विनियमित विश्वसनीय सूचना प्रणाली ;

(ग) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार का कोई अभिकरण, जिसके अंतर्गत कोई रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी भी है ;

(घ) ऐसी प्रतिभूतियों और आस्तियों के लिए सूचना प्रणाली, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विनियमित प्रतिभूति हित के रूप में उल्लिखित हैं ;

(ङ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विनियमित प्रतिभूति हित के रूप में घोषित प्रतिभूतियों और आस्तियों के लिए सूचना प्रणाली ;

(च) बोर्ड द्वारा अनुरक्षित कोई डाटा भंडार ; और

(छ) कोई अन्य स्रोत, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) लेनदार, समापक से, ऐसी रीति से, जो विनिर्दिष्ट की जाए, कारपोरेट ऋणी से संबंधित कोई वित्तीय सूचना उन्हें देने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(3) समापक, ऐसे लेनदारों को, जिन्होंने ऐसी सूचना का अनुरोध किया है, ऐसे अनुरोध की तारीख से तीन दिन की अवधि के भीतर, उपधारा (2) में निर्दिष्ट सूचना

उपलब्ध कराएगा या उसके उपलब्ध न करवाने के कारण बताएगा ।

दावों का समेकन ।

38. (1) परिसमापक, समापन प्रक्रिया के प्रारंभ की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर लेनदारों के दावों को प्राप्त या संग्रहीत करेगा ।

(2) कोई वित्तीय लेनदार, समापक को किसी सूचना उपयोगिता में के ऐसे दावे का अभिलेख उपलब्ध करते हुए दावा प्रस्तुत कर सकेगा :

परंतु जहां किसी दावे के संबंध में सूचना, सूचना उपयोगिता में अभिलिखित नहीं है, वहां वित्तीय लेनदार उसी रीति से दावा प्रस्तुत कर सकेगा, जो उपधारा (3) के अधीन प्रचालन लेनदार हेतु दावे प्रस्तुत करने के लिए उपबंधित है ।

(3) कोई प्रचालन लेनदार, समापक को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से तथा दावे को साबित करने के लिए अपेक्षित ऐसे समर्थनकारी दस्तावेजों के साथ दावा प्रस्तुत कर सकेगा, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(4) कोई ऐसा लेनदार, जो भागत: वित्तीय लेनदार है और भागत: प्रचालन लेनदार, समापक को अपने वित्तीय ऋण के विस्तार तक, ऐसी रीति से, जैसी उपधारा (2) में उपबंधित है और प्रचालन ऋण के विस्तार तक उपधारा (3) के अधीन उपबंधित रीति से, दावे प्रस्तुत करेगा ।

(5) इस धारा के अधीन कोई लेनदार, अपने दावे को, उसके प्रस्तुत किए जाने के चौदह दिन के भीतर वापस ले सकेगा या उसमे फेरफार कर सकेगा ।

दावों का सत्यापन ।

39. (1) समापक, ऐसे समय के भीतर, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, धारा 38 के अधीन प्रस्तुत दावों का सत्यापन करेगा ।

(2) समापक, किसी लेनदार या कारपोरेट ऋणी या किसी अन्य व्यक्ति से कोई ऐसा अन्य दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो वह सम्पूर्ण दावे या उसके किसी भाग का सत्यापन करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे ।

दावों का ग्रहण किया जाना या उनका नामंजूर किया जाना ।

40. (1) समापक, धारा 39 के अधीन दावों का सत्यापन करने के पश्चात्, यथास्थिति, संपूर्ण दावे को या उसके किसी भाग को या तो ग्रहण कर सकेगा या उसे नामंजूर कर सकेगा :

परंतु जहां समापक किसी दावे को नामंजूर कर देता है, वहां वह ऐसे नामंजूर करने के कारणों को अभिलिखित करेगा ।

(2) समापक, लेनदारों और कारपोरेट ऋणी को दावों के ऐसे ग्रहण किए जाने या उन्हें नामंजूर किए जाने के तीन दिन के भीतर दावों को ग्रहण करने या उन्हें नामंजूर करने के बारे में संसूचित करेगा ।

(3) कोई लेनदार, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को दावों के नामंजूर किए जाने के समापक के विनिश्चय के विरुद्ध, ऐसा विनिश्चय प्राप्त होने के चौदह दिन के भीतर अपील कर सकेगा ।

दावों के मूल्यांकन का निर्धारण ।

41. समापक, ऐसी रीति से, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, धारा 40 के अधीन ग्रहण किए गए दावों के मूल्य का अवधारण करेगा ।

अधिमानी संव्यवहार और

42. (1) जहां, यथास्थिति, समापक या समाधानकर्ता वृत्तिक की यह राय है कि कारपोरेट ऋणी ने किसी सुसंगत समय पर ऐसे संव्यवहारों में और उपधारा (2) में

सुसंगत समय ।

यथाअधिकथित रीति से उपधारा (4) में यथानिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को अधिमान दिया है, वहां वह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को अधिमानी संव्यवहारों के परिवर्जन के लिए और धारा 44 के अधीन एक या अधिक आदेशों के लिए आवेदन करेगा ।

(2) किसी कारपोरेट ऋणी को कोई अधिमान दिया गया समझा जाएगा, यदि,--

(क) उसमें कारपोरेट ऋणी द्वारा लिए गए किसी पूर्ववर्ती वित्तीय ऋण या प्रचालन ऋण या अन्य दायित्वों के लिए या उसके मद्दे किसी लेनदार या किसी प्रतिभू या किसी प्रत्याभूति दावा के फायदे के लिए, कारपोरेट ऋणी की संपत्ति या उसके हित का अंतरण हुआ है ; और

(ख) खंड (क) के अधीन ऐसा अंतरण ऐसे लेनदार या प्रतिभू या किसी प्रत्याभूति दावा को उस स्थिति से फायदाप्रद स्थिति में लाने के लिए प्रभावी किया गया है जो उसकी धारा 53 के अनुसार किए गए वितरण की दशा में थी ।

(3) उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, अधिमान में निम्नलिखित अंतरण सम्मिलित नहीं होंगे,--

(क) कारपोरेट ऋणी द्वारा उपगत किसी वित्तीय ऋण या किसी प्रचालन ऋण के संदाय के लिए किया गया अंतरण ;

(ख) कारपोरेट ऋणी या अंतरिती के कारबार या वित्तीय कार्यकलापों के मामूली अनुक्रम में किया गया अंतरण ;

(ग) ऐसा अंतरण, जिसमें कारपोरेट ऋणी द्वारा अर्जित संपत्ति में निम्नलिखित सीमा तक किसी प्रतिभूति हित का सृजन होता है,--

(i) जिससे ऐसे प्रतिभूति हित का ऐसा नया मूल्य सुनिश्चित हो और जो ऐसे किसी प्रतिभूति करार पर हस्ताक्षर करने पर या उसके पश्चात् दिया गया था जिसमें प्रतिभूति हित के रूप में ऐसी संपत्ति का विवरण अंतर्विष्ट है और जिसका कारपोरेट ऋणी द्वारा ऐसी संपत्ति को अर्जित करने के लिए उपयोग किया गया था ;

(ii) ऐसा अंतरण कारपोरेट ऋणी द्वारा ऐसी संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् तीस दिन होने पर या उसके पहले उपयोगिता सूचना में रजिस्ट्रीकृत कर दिया था :

परंतु किसी न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किया गया कोई अंतरण, ऐसे अंतरण को कारपोरेट ऋणी द्वारा दिए गए अधिमान के रूप में समझे जाने से निवारित नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरण--उपधारा (3) के प्रयोजन के लिए, "नए मूल्य" से कोई धन या माल, सेवाओं में उसका मूल्य या नए प्रत्यय या अंतरिती द्वारा उस संपत्ति का उन्मोचन अभिप्रेत है, जो इस संहिता के अधीन ऐसे किसी संव्यवहार में, जो न तो शून्य है और न ही शून्यकरणीय है, समापक समाधानकर्ता वृत्तिक द्वारा ऐसे अंतरिती को पूर्व में अंतरित की गई थी, जिसके अंतर्गत ऐसी संपत्ति के आगम भी हैं, किंतु इसके अंतर्गत कोई ऐसा वित्तीय ऋण या प्रचालन ऋण नहीं आता, जो विद्यमान वित्तीय ऋण या प्रचालन ऋण के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है ।

अधिमानों के परिवर्जन के लिए सुसंगत समय ।

43. किसी अधिमान को सुसंगत समय पर दिया गया समझा जाएगा, यदि,--

(क) यह किसी संबंधित पक्षकार को (केवल कोई कर्मचारी होने के कारण से

भिन्न) दिवाला प्रारंभ होने से पूर्व दो वर्ष की अवधि के दौरान दिया गया है ; या

(ख) अधिमान संबंधित पक्षकार से भिन्न किसी व्यक्ति को दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व एक वर्ष की अवधि के दौरान दिया गया है ।

अधिमानी संव्यवहारों की दशा में आदेश ।

44. (1) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी धारा 43 की उपधारा (1) के अधीन समाधानकर्ता वृत्तिक द्वारा किए गए आवेदन पर,--

(क) अधिमान दिए जाने से संबंधित कोई अंतरित संपत्ति कारपोरेट ऋणी में निहित होने की अपेक्षा की जा सकेगी ;

(ख) इस प्रकार विनिहित की जाने वाली ऐसी किसी संपत्ति की अपेक्षा की जा सकेगी, यदि उसमें वह इस प्रकार अंतरित संपत्ति के विक्रय आगमों का या इस प्रकार अंतरित धन का उपयोजन दर्शित होता हो ;

(ग) कारपोरेट ऋणी द्वारा सृजित किसी प्रतिभूति हित का (संपूर्णत: या भागत:) निर्मोचन या उन्मोचन किया जा सकेगा ;

(घ) किसी व्यक्ति से, उसके द्वारा कारपोरेट ऋणी से प्राप्त फायदों के संबंध में, समापक या समाधानकर्ता वृत्तिक को ऐसी धनराशि का संदाय करने की अपेक्षा की जा सकेगी, जैसा न्यायनिर्णायक प्राधिकारी निदेश दे ;

(ङ) किसी ऐसे प्रत्याभूतिदाता को यह निदेश दिया जा सकेगा, जिसके किसी व्यक्ति को दिए गए वित्तीय ऋणों या प्रचालन ऋणों का, ऐसे नए या प्रवर्तित वित्तीय ऋणों के अधीन अधिमान देते हुए, उस व्यक्ति को, जिसे न्यायनिर्णायक प्राधिकारी समुचित समझे, (संपूर्णत: या भागत:) निर्मोचन या उन्मोचन कर दिया गया है ;

(च) आदेशाधीन उद्भूत किसी वित्तीय ऋण या प्रचालन ऋण के उन्मोचन के लिए, किसी संपत्ति पर प्रतिभूति या भार का और वैसी ही पूर्विक्ता वाली प्रतिभूति या प्रभार जैसी प्रतिभूति या भार, अधिमान देते हुए पूर्णत: या भागत: निर्मोचित या उन्मोचित की गई थी, के लिए प्रतिभूति का उपबंध करने का निदेश दे सकेगा ;

(छ) ऐसी सीमा का उपबंध करने का निदेश दे सकेगा, जिस तक कोई व्यक्ति, जिसकी संपत्ति कारपोरेट ऋणी में इस प्रकार निहित है या जिस पर आदेश द्वारा अधिरोपित ऐसे वित्तीय ऋणों या प्रचालन ऋणों को, ऐसे वित्तीय ऋणों या प्रचालन ऋणों के लिए, जो अधिमान से उद्भूत हुए है या जिन्हें अधिमान देते हुए पूर्णत: या भागत: निर्मोचित या उन्मोचित कर दिया गया था, समापन या कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में साबित किया जाना है :

परंतु इस धारा के अधीन कोई आदेश,--

(क) किसी ऐसी संपत्ति, जो कारपोरेट ऋणी से भिन्न किसी व्यक्ति से अर्जित की गई थी, में के किसी हित को या ऐसे हित से व्युत्पन्न किसी हित को, जो सद्भावपूर्वक और मूल्यार्थ अर्जित किया गया था, प्रभावित नहीं करेगा ;

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति की अपेक्षा नहीं की जाएगी जिसने समापक या समाधानकर्ता वृत्तिक को किसी धनराशि का संदाय करने के लिए सद्भावपूर्वक और

मूल्यार्थ अधिमानी संव्यवहार से कोई फायदा प्राप्त किया है ।

स्पष्टीकरण 1–इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसने कारपोरेट ऋणी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति से संपत्ति में कोई हित अर्जित किया है या जिसने किसी अधिमान से कोई फायदा प्राप्त किया है या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति, जिसे कारपोरेट ऋणी ने अधिमान दिया है,--

(क) कारपोरेट ऋणी द्वारा दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने या प्रारंभ होने की पर्याप्त सूचना थी ; या

(ख) वह संबंधित पक्षकार है,

यह उपधारणा की जाएगी कि जब तक तत्प्रतिकूल दर्शित नहीं किया जाए, इस धारा के प्रयोजनों के लिए हित या फायदा सद्भाव से अन्यथा अर्जित किया गया था या प्राप्त किया गया था ।

स्पष्टीकरण 2--किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे पर्याप्त सूचना थी या उसे ऐसी सूचना प्राप्त करने का पर्याप्त अवसर था, यदि कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के संबंध में धारा 13 के अधीन कोई सार्वजनिक घोषणा की गई है ।

न्यून मूल्यांकित संव्यवहारों का परिवर्जन ।

45. (1) यदि, यथास्थिति, समापक या समाधानकर्ता वृत्तिक, धारा 43 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कारपोरेट ऋणी के संव्यवहारों की परीक्षा करने पर यह अवधारित करता है कि धारा 46 के अधीन सुसंगत अवधि के दौरान किए गए कतिपय संव्यवहार न्यून मूल्यांकित थे, तो वह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को, ऐसे संव्यवहारों को शून्य घोषित करने और इस अध्याय के अनुसार ऐसे संव्यवहार के प्रभाव को उलटने के लिए आवेदन करेगा ।

(2) किसी संव्यवहार को न्यून मूल्यांकित माना जाएगा, यदि,--

(क) कारपोरेट ऋणी ने किसी व्यक्ति को कोई दान दिया है ; या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, जिसमें कारपोरेट ऋणी द्वारा, ऐसे प्रतिफलार्थ मूल्य के लिए, जो कारपोरेट ऋणी द्वारा दिए गए प्रतिफल के मूल्य से बहुत कम है, एक या अधिक आस्तियां अंतरण में अंतर्वलित है, कोई संव्यवहार किया गया है,

और ऐसा संव्यवहार कारपोरेट ऋणी के कारबार के मामूली अनुक्रम में किया गया है ।

परिवर्जनीय संव्यवहारों के लिए सुसंगत अवधि ।

46. न्यून मूल्य पर किसी संव्यवहार के परिवर्जन के लिए किसी आवेदन में, यथास्थिति, समापक या समाधानकर्ता वृत्तिक यह संप्रदर्शित करेगा कि,--

(i) ऐसा संव्यवहार, दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व एक वर्ष की अवधि के भीतर किसी व्यक्ति के साथ किया गया था ;

(ii) ऐसा संव्यवहार, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, जो एक संबंधित पक्षकार है, दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व दो वर्ष की अवधि के भीतर किया गया था ;

(iii) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, इस धारा में वर्णित संव्यवहारों के मूल्य के संबंध में साक्ष्य के निर्धारण के लिए किसी स्वतंत्र विशेषज्ञ की अपेक्षा कर

सकेगा ।

अवमूल्यकृत संव्यवहारों के मामलों में लेनदार द्वारा आवेदन ।

47. (1) जहां कोई न्यून मूल्यांकित संव्यवहार किया गया था और, यथास्थिति, समापक या समाधानकर्ता वृत्तिक ने न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को इसकी रिपोर्ट नहीं की थी, वहां, यथास्थिति, कारपोरेट ऋणी का लेनदार, शेयरधारक या भागीदार न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को ऐसे संव्यवहारों को शून्य घोषित करने तथा इस अध्याय के अनुसार उसके प्रभाव को उलटने के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(2) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन की परीक्षा करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि,--

(क) न्यून मूल्यांकित संव्यवहार किए गए थे ; और

(ख) यथास्थिति, समापक या समाधानकर्ता वृत्तिक ने ऐसे संव्यवहारों की पर्याप्त सूचना होने या ऐसे संव्यवहारों की सूचना का उपयोग करने का पर्याप्त अवसर होने के पश्चात् भी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को ऐसे संव्यवहार की रिपोर्ट नहीं की थी,

तो वह,--

(क) वैसी ही स्थिति, जो ऐसे संव्यवहारों से पूर्व विद्यमान थी, पुन: स्थापित करते हुए और धारा 45 तथा धारा 48 में यथाअधिकथित रीति से उनके प्रभाव को उलटते हुए,

(ख) बोर्ड से, यथास्थिति, समापक या समाधानकर्ता वृत्तिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियां प्रारंभ करने की अपेक्षा करते हुए,

आदेश पारित करेगा ।

न्यून मूल्यांकित संव्यवहारों के मामलों में आदेश ।

48. धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा,--

(क) संव्यवहार के भागरूप अंतरित किसी संपत्ति का कारपोरेट ऋणी में निहित होने की अपेक्षा ;

(ख) कारपोरेट ऋणी द्वारा दिए गए किसी प्रतिभूति हित का (पूर्णत: या भागत:) निर्मोचन या उन्मोचन ;

(ग) किसी व्यक्ति से, यथास्थिति, समापक या समाधानकर्ता वृत्तिक को, ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त फायदों के संबंध में ऐसी धनराशि का, जैसा न्यायनिर्णायक प्राधिकारी निदेश दे, संदाय करने की अपेक्षा ; या

(घ) ऐसे संव्यवहार के लिए, ऐसे प्रतिफल का संदाय करने की अपेक्षा, जो किसी स्वतंत्र विशेषज्ञ द्वारा दिए गए साक्ष्य में अवधारित किया जाए ।

लेनदारों को कपट वंचित करने संबंधी संव्यवहार ।

49. जहां किसी कारपोरेट ऋणी ने धारा 45 की उपधारा (2) में यथा निर्दिष्ट कोई न्यून मूल्यांकित संव्यवहार किया है और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का यह समाधान हो गया है कि ऐसे कारपोरेट ऋणी द्वारा ऐसा संव्यवहार जानबूझकर,--

(क) कारपोरेट ऋणी की आस्तियों को किसी ऐसे व्यक्ति की, जो कारपोरेट ऋणी के विरुद्ध दावा करने का हकदार है, पहुंच से दूर रखने के लिए ;

(ख) दावे के संबंध में किसी ऐसे व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने

के लिए,

किया गया था, वहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी,--

(क) वैसी ही स्थिति बहाल करने का, जैसी वह ऐसे संव्यवहार से पूर्व तब विद्यमान होती यदि वह संव्यवहार नहीं किया गया होता ; और

(ख) ऐसे व्यक्तियों के हितों का, जो ऐसे संव्यवहारों से पीड़ित हैं, संरक्षण करने का,

आदेश करेगा :

परंतु इस धारा के अधीन,--

(क) ऐसा आदेश, ऐसी संपत्ति में के किसी हित पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो कारपोरेट ऋणी से भिन्न किसी व्यक्ति से अर्जित की गई थी और जो मूल्यार्थ और सुसंगत परिस्थितियों की सूचना के बिना सद्भावपूर्वक अर्जित की गई थी या जो ऐसे किसी हित से व्युत्पन्न किसी हित पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ; और

(ख) जब तक वह संव्यवहार का पक्षकार न हो तब तक ऐसे आदेश में, किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसने मूल्यार्थ और किसी धनराशि का संदाय करने के लिए सुसंगत परिस्थितियों की अवेक्षा किए बिना सद्भावपूर्वक संव्यवहार से फायदा प्राप्त किया था, कोई अपेक्षा नहीं होगी ।

उद्दापक प्रत्यय संव्यवहार ।

50. (1) जहां कोई कारपोरेट ऋणी किसी ऐसे संव्यवहार का भाग है, जिसमें दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व दो वर्ष के भीतर वित्तीय या प्रचालन ऋण की प्राप्ति अंतर्वलित है, वहां, यथास्थिति, समापक या समाधानकर्ता वृत्तिक, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को, यदि ऐसे संव्यवहार में कारपोरेट ऋणी द्वारा अत्यधिक संदाय किया जाना अपेक्षित है, ऐसे संव्यवहार के परिवर्जन के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(2) बोर्ड ऐसी परिस्थितियां विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिसमें कोई संव्यवहार उपधारा (1) के अधीन आएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी वित्तीय सेवाओं को, जो ऐसे ऋण के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुपालन में हैं, उपबंध करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा लिए गए किसी ऋण को किसी भी दशा में उद्दापक प्रत्यय संव्यवहार के रूप में नहीं माना जाएगा ।

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के उद्दापक प्रत्यय संव्यवहारों के संबंध में आदेश ।

51. धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन की परीक्षा करने के पश्चात्, उसका यह समाधान हो जाता है कि प्रत्यय संव्यवहार के निबंधनों में उद्दापक संदाय अपेक्षित है तो वह,--

(क) ऐसे संव्यवहार से पूर्व की स्थिति पुन:स्थापित करने का ;

(ख) उद्दापक प्रत्यय संव्यवहार के मद्दे जमा किए गए संपूर्ण ऋण या उसके भाग का अपास्त करने का ;

(ग) संव्यवहार के निबंधनों को उपांतरित करने का ;

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति से, जो संव्यवहार का पक्षकार है या था, ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त किसी रकम के प्रतिदाय करने के लिए अपेक्षा करने का ; या

(ङ) किसी ऐसे प्रतिभूति हित का, जो उद्दापक प्रत्यय संव्यवहार के भागरूप में सृजित हुआ था, यथास्थिति, समापक या समाधानकर्ता वृत्तिक के पक्ष में

त्यागने की अपेक्षा का,

आदेश करेगा ।

समापन कार्यवाहियों के प्रतिभूत लेनदार ।

52. (1) समापन कार्यवाहियों में का कोई प्रतिभूत लेनदार,--

(क) समापन संपदा के प्रति अपने प्रतिभूत हित को त्याग सकेगा और धारा 53 में विनिर्दिष्ट रीति से समापक द्वारा आस्तियों के विक्रय से आगम प्राप्त कर सकेगा ; या

(ख) इस धारा में विनिर्दिष्ट रीति से अपने प्रतिभूत हित का आपन कर सकेगा ।

(2) जहां कोई प्रतिभूत लेनदार, उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन प्रतिभूत हित को वसूल करता है, वहां वह ऐसे प्रतिभूति हित के समापक को सूचित करेगा तथा ऐसी आस्ति की पहचान करेगा, जिसके अधीन रहते हुए ऐसे प्रतिभूत हित का आपन किया जाना है ।

(3) प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस धारा के अधीन किसी प्रतिभूत हित का आपन किए जाने के पूर्व समापक ऐसे प्रतिभूत हित का सत्यापन करेगा और प्रतिभूत लेनदार केवल ऐसे प्रतिभूत हित का आपन करने की अनुज्ञा देगा, जिसके अस्तित्व को या तो,--

(क) सूचना उपयोगिता द्वारा अनुरक्षित ऐसे प्रतिभूति हित के अभिलेखों द्वारा साबित किया जा सकेगा ; या

(ख) ऐसे अन्य साधन द्वारा साबित किया जा सकेगा, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(4) कोई प्रतिभूत लेनदार, प्रतिभूत आस्तियों को, किसी ऐसी विधि के अनुसार, जो प्रतिभूत हित का आगम किए जाने के संबंध में और प्रतिभूत लेनदार को लागू होती है तथा उससे शोध्य ऋणों को वसूल किए जाने के लिए आगमों को लागू हो, प्रतिभूत आस्तियों को प्रवर्तित कर सकेगा, उनका आपन कर सकेगा, उनका निपटान कर सकेगा, उनके संबंध में समझौता या कार्रवाई कर सकेगा ।

(5) यदि प्रतिभूत आस्ति का आपन करने के दौरान किसी प्रतिभूति लेनदार को प्रतिभूति का कब्जा लेने, उसका विक्रय या अन्यथा निपटारा करने में कारपोरेट ऋणी या उससे संबंधित किसी व्यक्ति के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है तो प्रतिभूत लेनदार, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को, तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार ऐसे प्रतिभूत हित का आपन करने के लिए प्रतिभूत लेनदार को सुकर बनाए जाने हेतु आवेदन कर सकेगा ।

(6) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, उपधारा (5) के अधीन प्रतिभूति लेनदार से कोई आवेदन प्राप्त होने पर, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो प्रतिभूत लेनदार के लिए, तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार प्रतिभूत आस्तियां वसूली के लिए अनुज्ञात करने के लिए आवश्यक है ।

(7) जहां उपधारा (4) के अधीन प्रतिभूति हित के प्रवर्तन आगमों के रूप में ऐसी रकम दी जानी है, जो प्रतिभूत लेनदार,--

(क) समापक को ऐसे अधिशेष का हिसाब देगा ; और

(ख) ऐसी प्रतिभूत आस्तियों के प्रवर्तन से प्राप्त किन्हीं अधिशेष निधियों को

पेश करेगा ।

(8) ऐसे प्रतिभूत लेनदारों से, जिन्होंने इस धारा में उपबंधित रीति से अपने प्रतिभूत हितों को वसूल किया है, शोध्य दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत की रकम की ऐसे प्रतिभूत लेनदारों द्वारा किसी वसूली के आगमों से कटौती की जाएगी और वे ऐसी रकमों को समापन संपदा में सम्मिलित किए जाने के लिए समापक को अंतरित करेंगे ।

(9) जहां प्रतिभूत आस्तियों की वसूली के आगम, प्रतिभूत लेनदार को दिए गए ऋणों का प्रतिदाय करने के लिए पर्याप्त नहीं है वहां, समापक द्वारा ऐसे प्रतिभूत लेनदार के असंदत्त ऋणों का संदाय धारा 53 की उपधारा (1) के खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट रीति से किया जाएगा ।

आस्तियों का वितरण ।

53. (1) संसद् द्वारा या किसी राज्य विधान-मंडल द्वारा अधिनियमित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समापन सम्पदा आस्तियों के विक्रय के आगमों का, निम्नलिखित पूर्विकता क्रम में और ऐसी अवधि के भीतर, जो विनिर्दिष्ट की जाए, वितरण किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) पूर्णत: संदत्त दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत और समापन लागत ;

(ख) निम्नलिखित ऋणों को, जिन्हें निम्नलिखित के बीच समान रूप से श्रेणीबद्ध किया जाएगा :--

(i) किसी प्रतिभूत लेनदार को उधार दिए गए ऋण, उस दशा में जब ऐसे प्रतिभूत लेनदार ने धारा 52 में उपवर्णित रीति से प्रतिभूति का त्याग कर दिया है ; और

(ii) समापन प्रारंभ होने की तारीख के पूर्व बारह मास की अवधि की कर्मकारों को देय राशि ;

(ग) समापन प्रारंभ होने की तारीख के पूर्व बारह मास की अवधि की कर्मकारों से भिन्न कर्मचारियों को उधार दी जाने वाली मजदूरी और कोई असंदत्त देय राशि ;

(घ) अप्रतिभूत लेनदारों को उधार दिए गए वित्तीय ऋण ; और

(ङ) निम्नलिखित शोध्य राशियों को निम्नलिखित के बीच समान रूप से श्रेणीकृत किया जाएगा :--

(i) समापन प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व पूरे दो वर्ष की अवधि या उसके किसी भाग के संबंध में राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार को शोध्य कोई धनराशि, जिसके अन्तर्गत भारत की संचित निधि और किसी राज्य की संचित निधि, यदि कोई हो के लेखे में प्राप्त धान राशि भी है ;

(ii) प्रतिभूत हित के प्रवर्तन के अनुसरण में किसी असंदत्त धनराशि के लिए किसी प्रतिभूत लेनदार को उधार दिए गए ऋण ;

(च) कोई अवशिष्ट ऋण ;

(छ) अधिमानी शेयरधारक, यदि कोई हों ; और

(ज) यथास्थिति, साधारण शेयरधारक या भागीदार ।

(2) उपधारा (1) के अधीन समतुल्य श्रेणी के प्राप्तिकर्ताओं के मध्य किसी

संविदाजात करार को यदि उससे उस उपधारा के अधीन पूर्विकता के क्रम में कोई विच्छिन्नता आती हे, समापक द्वारा महत्व नहीं दिया जाएगा ।

(3) समापक को संदेय फीस की उपधारा (1) के अधीन प्राप्तिकर्ताओं के प्रत्येक वर्ग को संदेय आगमों से अनुपातत: कटौती की जाएगी और ऐसी कटौती के पश्चात् सुसंगत प्राप्तिकर्ताओं को आगमों का वितरण किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजन के लिए,--

(i) यह स्पष्ट किया जाता है कि समतुल्य श्रेणी के प्राप्तिकर्ताओं के किसी वर्ग के संबंध में आगमों के वितरण का प्रत्येक प्रक्रम पर प्रत्येक ऋण का या तो पूर्णतया संदाय किया जाएगा या यदि आगम संपूर्ण वित्तीय ऋणों या प्रचालन ऋणों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है तो प्राप्तिकर्ताओं में समान वर्ग में समान अनुपात में संदत्त किया जाएगा ; और

(ii) "कर्मकारों को शोध्य राशि" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 326 में उसका है । 2013 का 18

कारपोरेट ऋणी का विघटन ।

54. (1) जहां कारपोरेट ऋणी की आस्तियों का पूर्ण रूप से परिनिर्धारण कर दिया गया है, वहां समापक न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को ऐसे कारपोरेट ऋणी के विघटन के लिए आवेदन करेगा ।

(2) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन समापक द्वारा फाइल किए गए आवेदन पर यह आदेश देगा कि उस आदेश की तारीख से कारपोरेट ऋणी विघटित हो जाएगा और तदनुसार कारपोरेट ऋणी का विघटन हो जाएगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन आदेश की प्रति, ऐसे आदेश की तारीख से सात दिन के भीतर ऐसे प्राधिकारी को भेजी जाएगी, जिसके पास कारपोरेट ऋणी रजिस्ट्रीकृत है ।

अध्याय 4

त्वरित कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया

त्वरित कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया ।

55. (1) इस अध्याय के अनुसार संपादित किसी कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को त्वरित कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया कहा जाएगा ।

(2) त्वरित कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए कोई आवेदन निम्नलिखित कारपोरेट ऋणियों के संबंध में किया जा सकेगा, अर्थात् :--

(क) किसी ऐसे स्तर से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, नीचे की आस्तियों और आय वाला कारपोरेट ऋणी ; या

(ख) लेनदारों के ऐसे वर्ग का या ऐसी रकम के ऋण वाला कोई कारपोरेट ऋणी, जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ; या

(ग) कारपोरेट व्यक्तियों का ऐसा अन्य प्रवर्ग, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ।

त्वरित कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने संबंधी समयावधि ।

56. (1) उपधारा (3) के अधीन रहते हुए त्वरित कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया, दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी ।

(2) समाधानकर्ता वृत्तिक, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को नब्बे दिन के पश्चात्

त्वरित कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की अवधि बढ़ाने संबंधी आवेदन फाइल करेगा, यदि लेनदारों की समिति की बैठक में पारित और पचहत्तर प्रतिशत मतदान करने वाले शेयर के मत द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा ऐसा करने के लिए अनुदेशित किया जाए ।

(3) उपधारा (2) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि मामले की विषय-वस्तु ऐसी है कि मामूली त्वरित कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया नब्बे दिन के भीतर पूरी नहीं हो सकती है तो वह, आदेश द्वारा, ऐसी प्रक्रिया की अवधि को नब्बे दिन की उक्त अवधि से अधिक बढ़ा सकेगा :

परंतु इस धारा के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा त्वरित कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की अवधि के किसी विस्तार को पैंतालीस दिन की अवधि से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा :

परंतु यह और कि इस धारा के अधीन त्वरित कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया का कोई विस्तार एक से अधिक बार नहीं किया जाएगा ।

त्वरित कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने की रीति ।

57. त्वरित कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए कोई आवेदन, यथास्थिति, किसी लेनदार या कारपोरेट ऋणी द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुत करते हुए दिया जा सकेगा :--

(क) व्यतिक्रम की विद्यमानता का ऐसा सबूत, जो सूचना उपयोगिता या ऐसे अन्य साधनों पर, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, उपलब्ध अभिलेख द्वारा साक्ष्यित है ; और

(ख) ऐसी अन्य सूचना, जो बोर्ड द्वारा यह स्थापित करने के लिए विनिर्दिष्ट की जाए कि कारपोरेट ऋणी त्वरित कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए पात्र है ।

इस अध्याय का अध्याय 2 को लागू होना ।

58. यह अध्याय, अध्याय 2 के अधीन किसी कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के संचालन की प्रक्रिया को और अध्याय 6 के अधीन अपराधों और शास्तियों से संबंधित उपबंधों को लागू होगा, जैसा कि संदर्भ में अपेक्षित है ।

अध्याय 5

कारपोरेट व्यक्तियों का स्वेच्छया समापन

कारपोरेट व्यक्तियों का स्वेच्छया समापन ।

59. (1) कोई कारपोरेट व्यक्ति, जिसका स्वयं का स्वेच्छया समापन का आशय है और उसने कोई व्यतिक्रम नहीं किया है, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन स्वेच्छया समापन कार्यवाहियां आरंभ कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी कारपोरेट व्यक्ति की स्वेच्छया समापन की प्रक्रिया में ऐसी शर्तों और प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं को पूरा किया जाएगा, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(3) उपधारा (2) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किसी कारपोरेट व्यक्ति की स्वेच्छया समापन प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) कंपनी के अधिकांश निदेशकों द्वारा ऐसे शपथपत्र द्वारा सत्यापित घोषणा, जिसमें यह कथन हो कि,--

(i) उन्होंने कंपनी के कार्यकलापों की पूरी जांच की है और उनकी यह राय है कि या तो कंपनी का कोई ऋण नहीं है या वह स्वेच्छया समापन में विक्रय की जाने वाली आस्तियों के आगमों से अपने संपूर्ण ऋणों को चुकाने में समर्थ है ; और

(ii) कंपनी का, किसी व्यक्ति को कपटवंचन करने के लिए, समापन नहीं किया जा रहा है ;

(ख) उपखंड (क) के अधीन की गई घोषणा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे :--

(i) पूर्ववर्ती दो वर्ष का या कंपनी के निगमन की अवधि से लेकर अब तक का, इनमें से जो भी कम हो, कंपनी के संपरीक्षित वित्तीय विवरण और उसके कारबार प्रचालन के अभिलेख ; और

(ii) कंपनी की आस्तियों के मूल्यांकन की रिपोर्ट, यदि रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा तैयार की गई हो ;

(ग) उपखंड (क) के अधीन घोषणा करने के चार सप्ताह के भीतर,--

(i) कंपनी के साधारण अधिवेशन में उसके सदस्यों का ऐसा विशेष संकल्प होगा, जिसमें कंपनी के स्वेच्छया समापन किए जाने और समापक के रूप में कार्य करने के लिए एक दिवाला वृत्तिक की नियुक्ति करने की अपेक्षा होगी ; या

(ii) कंपनी के साधारण अधिवेशन में उसके सदस्यों का एक संकल्प होगा, जिसमें कंपनी के, यथास्थिति, उसके अनुच्छेदों द्वारा नियत उसके कार्यकाल की अवधि, यदि कोई हो, समाप्त होने के परिणामस्वरूप या कोई ऐसी घटना के घटित होने पर, जिसके संबंध में अनुच्छेद में यह उपबंधित है कि कंपनी को समाप्त कर दिया जाएगा, स्वेच्छया समापन करने की और समापक के रूप में कार्य करने के लिए एक दिवाला वृत्तिक की नियुक्ति करने की अपेक्षा होगी :

परंतु यदि कंपनी किसी व्यक्ति के प्रति किसी ऋण की देनदार है, तो कंपनी के ऋण के दो-तिहाई मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाले लेनदार ऐसे संकल्प के सात दिन के भीतर खंड (ग) के अधीन पारित संकल्प का अनुमोदन करेंगे ।

(4) कंपनी, यथास्थिति, ऐसे संकल्प के दो दिन के भीतर या लेनदारों के पश्चात्वर्ती अनुमोदन पर, कंपनी के समापन के लिए उपधारा (3) के अधीन संकल्प के बारे में कंपनी रजिस्ट्रार और बोर्ड को अधिसूचित करेगी ।

(5) उपधारा (3) के अधीन लेनदारों के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, किसी कंपनी के संबंध में स्वेच्छया समापन कार्यवाहियों को उपधारा (3) के उपखंड (ग) के अधीन संकल्प पारित किए जाने की तारीख से आरंभ हुआ समझा जाएगा ।

(6) अध्याय 3 की धारा 35 से धारा 54 और अध्याय 7 के उपबंध, इस अध्याय

के अधीन कारपोरेट व्यक्तियों को स्वेच्छया समापन कार्यवाहियों के लिए उस प्रकार लागू होंगे जैसा संदर्भ में अपेक्षित हो और पूर्वोक्त धाराओं में से किसी धारा के अधीन दिवाला प्रारंभ होने की तारीख के प्रति निर्देश का इस अध्याय के अधीन स्वेच्छया समापन के प्रारंभ होने की तारीख के रूप में अर्थान्वयन किया जाएगा ।

(7) जहां कारपोरेट व्यक्ति के कार्यकलाप पूर्णतया समाप्त हो गए हैं और उसकी आस्तियों का पूर्णतया परिनिर्धारण हो गया है, वहां समापक न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को ऐसे कारपोरेट व्यक्ति की समाप्ति के बारे में एक आवेदन करेगा ।

(8) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, उपधारा (7) के अधीन समापक द्वारा फाइल किए गए आवेदन पर यह आदेश पारित करेगा कि कारपोरेट ऋणी उस आदेश की तारीख से समाप्त हो जाएगा और तदनुसार कारपोरेट ऋणी को समाप्त कर दिया जाएगा ।

(9) उपधारा (8) के अधीन आदेश की एक प्रति, ऐसे आदेश की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर ऐसे प्राधिकारी को भेजी जाएगी, जिसके पास कारपोरेट व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत है ।

अध्याय 6

कारपोरेट व्यक्तियों के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी

कारपोरेट व्यक्तियों के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ।

60. (1) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, कारपोरेट व्यक्तियों, जिसके अंतर्गत निजी प्रत्याभूतिदाता सहित कारपोरेट ऋणी भी है, के दिवाला समाधान और समापन के संबंध में उस स्थान पर, जहां कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय अवस्थित है, राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाला राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण होगा ।

(2) उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस संहिता में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष किसी कारपोरेट ऋणी की कोई कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया या समापन कार्यवाहियां लंबित हैं, वहां ऐसे कारपोरेट ऋणी के निजी प्रत्याभूतिदाता की कोई दिवाला समाधान प्रक्रिया या शोधन अक्षमता संबंधी कार्यवाहियां राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष फाइल की जाएगी ।

(3) कारपोरेट ऋणी की निजी प्रत्याभूतिदाता की न्यायालय में लंबित दिवाला समाधान प्रक्रिया या शोधन अक्षमता प्रक्रिया, ऐसे कारपोरेट ऋणी की दिवाला समाधान प्रक्रिया या समापन कार्यवाहियों का निपटारा करने वाले न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को अंतरित हो जाएगी ।

(4) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण में ऋण वसूली अधिकरण की ऐसी सभी शक्तियां निहित होंगी, जो इस उपधारा के प्रयोजन के लिए इस संहिता के भाग 3 के अधीन अनुध्यात हैं ।

(5) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण को,--

(क) किसी कारपोरेट ऋणी या कारपोरेट व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध किसी आवेदन या कार्यवाही को ;

(ख) कारपोरेट ऋणी या कारपोरेट व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध किए गए किसी दावे को, जिसके अंतर्गत भारत में स्थित उसकी समनुषंगियों द्वारा या

उनके विरुद्ध किए गए दावे भी हैं ; और

(ग) पूर्विकता के किसी प्रश्न या विधि या तथ्यों के ऐसे किसी प्रश्न को, जो इस संहिता के अधीन कारपोरेट ऋणी या कारपोरेट व्यक्ति की दिवाला समाधान या समापन कार्यवाहियों से या उसके संबंध में उद्भूत हुआ है,

ग्रहण करने या उसका निपटारा करने की अधिकारिता होगी ।

1963 का 36

(6) परिसीमन अधिनियम, 1963 और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे कारपोरेट ऋणी के नाम से या उसकी ओर से, जिसके लिए इस भाग के अधीन अधिस्थगन का आदेश पारित किया गया है, कोई वाद या आवेदन के लिए विनिर्दिष्ट परिसीमा की कालावधि की संगणना में ऐसी अवधि को अपवर्जित किया जाएगा, जिसके दौरान ऐसा अधिस्थगन हुआ था ।

2013 का 18

अपील और अपील प्राधिकारी ।

61. (1) कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस भाग के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण को अपील कर सकेगा ।

(2) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के समक्ष उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील पैंतालीस दिन के भीतर फाइल की जाएगी :

परंतु यदि अपील अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि अपील फाइल न करने का पर्याप्त कारण था, तो वह पैंतालीस दिन के पश्चात् अपील फाइल करने की अनुज्ञा दे सकेगा, परंतु ऐसी अवधि पन्द्रह दिन से अधिक की नहीं होगी ।

(3) धारा 31 के अधीन किसी संकल्प रेखांक के अनुमोदन करने संबंधी किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील निम्नलिखित आधारों पर ही फाइल की जा सकेगी :--

(i) अनुमोदित संकल्प रेखांक में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है ;

(ii) कारपोरेट दिवाला समाधान अवधि के दौरान समाधानकर्ता वृत्तिक द्वारा शक्तियों के प्रयोग में तात्विक अनियमितता हुई है ;

(iii) कारपोरेट ऋणी के प्रचालन लेनदारों को दिए गए ऋणों का, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में संकल्प रेखांक में उपबंध नहीं किया गया है ;

(iv) दिवाला समाधान प्रक्रिया में अन्य सभी ऋणों को पूर्विकता देते हुए प्रतिसंदाय करने का उपबंध नहीं किया गया है ; या

(v) संकल्प रेखांक में बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य मापदंड का अनुपालन नहीं किया गया है :

(4) धारा 33 के अधीन पारित समापन आदेश के विरुद्ध कोई अपील ऐसे किसी समापन आदेश के संबंध में की गई तात्त्विक अनियमितता या कपट के आधार पर फाइल की जा सकेगी ।

उच्चतम न्यायालय को अपील ।

62. (1) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, इस संहिता के अधीन ऐसे आदेश से उद्भूत विधि के किसी प्रश्न पर, ऐसे आदेश के प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उच्चतम न्यायालय को अपील कर सकेगा ।

(2) उच्चतम न्यायालय, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति को

नब्बे दिन के भीतर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था तो वह उसे तीस दिन से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के भीतर अपील फाइल करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ।

सिविल न्यायालय को अधिकारिता का न होना ।

63. किसी ऐसे विषय के संबंध में, जिस पर इस संहिता के अधीन राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण या राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण को अधिकारिता है, सिविल न्यायालय या प्राधिकरण को कोई वाद या कार्यवाहियां ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी ।

आवेदनों का शीघ्र निपटारा ।

64. (1) कंपनी अधिनियम, 2013 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां इस संहिता में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी आवेदन का निपटारा नहीं किया गया है या उस पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, वहां, यथास्थिति, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण या राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण, ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसा न किए जाने के लिए कारणों को अभिलिखित करेगा ; और, यथास्थिति, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का अध्यक्ष या राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण का अध्यक्ष इस प्रकार अभिलिखित कारणों पर विचार करने के पश्चात् अधिनियम में विनिर्दिष्ट अवधि को दस दिन से अनधिक की अवधि के लिए बढ़ा सकेगा । 2013 का 18

(2) इस संहिता द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण या राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण को प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई के संबंध में किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण द्वारा कोई व्यादेश नहीं दिया जाएगा ।

कार्यवाहियों का कपटपूर्ण या विद्वेषपूर्ण रूप से शुरू किया जाना ।

65. (1) यदि कोई व्यक्ति, दिवाला का समाधान करने से भिन्न किसी प्रयोजन के आशय से कपटपूर्ण या विद्वेषपूर्ण आशय से दिवाला समाधान प्रक्रिया या समापन प्रक्रिया आरंभ करता है तो वह ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो एक करोड़ रुपए तक की हो सकेगी ।

(2) यदि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को कपट वंचित करने के आशय से स्वेच्छया समापन कार्यवाहियां आरंभ करता है तो वह ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी और जो एक करोड़ रुपए तक की हो सकेगी ।

कपटपूर्ण व्यापार या सदोष व्यापार ।

66. (1) यदि कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया या समापन प्रक्रिया के दौरान यह पाया जाता है कि कारपोरेट ऋणी का कोई कारबार, कारपोरेट ऋणी के लेनदारों को या किसी अन्य व्यक्ति के लेनदारों को कपट वंचित करने या कोई कपटपूर्ण प्रयोजन के लिए किया जा रहा है तो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी समाधानकर्ता वृत्तिक के आवेदन पर यह आदेश पारित कर सकेगा कि ऐसे व्यक्ति, जो ऐसी रीति से कारबार चलाने वाले पक्षकारों को जानते थे, कारपोरेट ऋणी की आस्तियों के लिए ऐसे अभिदाय करने के दायी होंगे, जो वह ठीक समझे ।

(2) कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के संचालन के दौरान समाधानकर्ता वृत्तिक द्वारा किए गए आवेदन पर, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी यह आदेश कर सकेगा कि कारपोरेट ऋणी का, यथास्थिति, निदेशक या भागीदार कारपोरेट ऋणी की आस्तियों के लिए ऐसा अभिदाय करने के दायी होंगे, जो वह ठीक समझे, यदि :--

(क) दिवाला प्रारंभ होने की तारीख के पूर्व ऐसे निदेशक या भागीदार को इस बात का पता था या उसे ऐसी बात का पता होना चाहिए था कि ऐसे कारपोरेट

ऋणी के संबंध में कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को प्रारंभ करने से बचने की कोई युक्तियुक्त संभावना नहीं है ;

(ख) ऐसे निदेशक या भागीदार ने कारपोरेट ऋणी के लेनदारों की संभाव्य हानि को कम करने के लिए सम्यक् तत्परता का प्रयोग नहीं किया था ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, कारपोरेट ऋणी के निदेशक या भागीदार के बारे में सम्यक् तत्परता का प्रयोग किया गया समझा जाएगा, यदि ऐसी तत्परता, वैसा ही कार्य, जो कारपोरेट ऋणी के संबंध में, यथास्थिति, ऐसे निदेशक या भागीदार द्वारा किए जाते हैं, करने वाले किसी व्यक्ति से युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशित होती ।

धारा 66 के अधीन कार्यवाहियां ।

67. (1) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, यथास्थिति, धारा 66 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश पारित करता है, वहां वह ऐसे और निदेश दे सकेगा, जो वह आदेश को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक समझे, और विशिष्टतया न्यायनिर्णायक प्राधिकारी,--

(क) आदेश के अधीन किसी व्यक्ति के ऐसे दायित्व का उपबंध कर सकेगा, जो कारपोरेट ऋणी से उसे शोध्य किसी ऋण या बाध्यता पर या किसी बंधक या भार पर या किसी बंधक में किसी हित पर या कारपोरेट ऋणी की, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति या दायी व्यक्ति से या उसके माध्यम से समनुदेशिती के रूप में दावा करने वाले किसी व्यक्ति या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा धारित या उसमें निहित आस्तियों पर भार होगा ; और

(ख) समय-समय पर ऐसे और निदेश दे सकेगा, जो इस धारा के अधीन अधिरोपित भार के प्रवर्तन के लिए आवश्यक हों ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "समनुदेशिती" के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है, जिसे या जिसके पक्ष में (इस उपधारा के खंड (क) के अधीन दायी बनाए गए) व्यक्ति के निदेशों द्वारा ऋण, बाध्यता, बंधक या भार का सृजन हुआ था, जारी या अंतरित किया गया था या हित का सृजन हुआ था, किंतु इसके अंतर्गत सद्भावपूर्वक और ऐसे किन्हीं आधारों की, जिनके आधार पर घोषणा की गई थी, सूचना के बिना मूल्यवान प्रतिफल के लिए समनुदेशिती सम्मिलित नहीं है ।

(2) जहां न्याय निर्णायक प्राधिकारी, यथास्थिति, धारा 66 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में देता है जो कारपोरेट ऋणी का लेनदार है वहां वह यह निदेश दे सकेगा कि कारपोरेट ऋणी द्वारा उस व्यक्ति से लिया गया कोई ऋण पूर्णतया या उसका कोई भाग और उस पर के किसी ब्याज को, कारपोरेट ऋणी द्वारा लिए गए सभी ऋणों और उसके पश्चात् और उन ऋणों पर किसी ब्याज के पश्चात् पूर्विकता देते हुए श्रेणीकृत किया जाएगा ।

अध्याय 7

अपराध और शास्तियां

सम्पत्ति को छिपाए जाने के लिए दंड ।

68. जहां कारपोरेट ऋणी का कोई अधिकारी,--

(i) दिवाला प्रारम्भ होने की तारीख से ठीक पूर्व बारह मास के भीतर,--

(क) जानबूझ कर कारपोरेट ऋणी की कोई सम्पत्ति या ऐसी सम्पत्ति के किसी भाग को छिपाएगा या कारपोरेट ऋणी के प्रति या उससे शोध्य दस हजार रुपए या उससे अधिक मूल्य के किसी ऋण को छिपाएगा ; या

(ख) कपटपूर्वक कारपोरेट ऋणी की दस हजार रुपए या उससे अधिक मूल्य की सम्पत्ति के किसी भाग को हटाएगा ; या

(ग) जानबूझकर, कारपोरेट ऋणी की सम्पत्ति या उसके कार्यकलापों को प्रभावित करने वाली या उससे संबंधित किसी बही या कागजपत्रों को छिपाएगा, नष्ट करेगा, विकृत करेगा या उसका मिथ्याकरण करेगा ; या

(घ) जानबूझकर, कारपोरेट ऋणी की सम्पत्ति या उसके कार्यकलापों से संबंधी किसी बही या कागजपत्र में कोई मिथ्या प्रविष्टि करेगा ; या

(ङ) कपटपूर्वक, कारपोरेट ऋणी की सम्पत्ति या उसके कार्यकलापों को प्रभावित करने वाले या उनसे संबंधित किसी दस्तावेज को अलग करेगा, उसमें परिवर्तन या कोई लोप करेगा ; या

(च) जानबूझकर, कारपोरेट ऋणी की किसी ऐसी सम्पत्ति पर कोई प्रतिभूति हित का सृजन करेगा, उसका अन्तरण या व्ययन करेगा जो उसने उधार पर अभिप्राप्त की है और उसके ऐसे सृजन, अंतरण या व्ययन तक होने तक उसे कारपोरेट ऋणी के कारबार के मामूली अनुक्रम में उसका संदाय नहीं किया गया था ; या

(छ) जानबूझकर किसी अन्य के द्वारा खंड (ग), खंड (घ) या खंड (ङ) में उल्लिखित कृत्यों में से किन्हीं कृत्यों को करने की जानकारी छिपाएगा ; या

(ii) दिवाला प्रारम्भ होने की तारीख के पश्चात् किसी समय खंड (i) के उपखंड (क) से उपखंड (च) में वर्णित कोई कृत्य करेगा या जिसे किसी अन्य के द्वारा उपधारा (1) के खंड (i) के उपखंड (ग) से उपखंड (ङ) में वर्णित बातों में किसी बात के करने की जानकारी होगी ; या

(iii) दिवाला प्रारम्भ होने की तारीख के पश्चात् किसी समय यह जानते हुए कि सम्पत्ति इस प्रकार प्रतिभूत है, उसका अन्तरण या व्ययन हो गया है, उसे पणयम् या गिरवी रखेगा या अन्यथा प्राप्त करेगा,

वहां ऐसा अधिकारी, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा :

परंतु इस धारा की कोई बात, इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को किसी दंड के लिए दायी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि उसका कारपोरेट ऋणी के कार्यलापों की स्थिति को कपटवंचित करने या छिपाने का कोई आशय नहीं था ।

लेनदारों को कपटवचन करने के लिए संव्यवहारों के लिए दंड ।

69. दिवाला प्रारम्भ होने की तारीख को या उसके पश्चात्, यदि कारपोरेट ऋणी,--

(क) कारपोरेट ऋणी की सम्पत्ति का कोई दान या अन्तरण करेगा या करवाएगा या उस पर कोई भार डालेगा या डलवाएगा या उसके विरुद्ध किसी डिक्री

या आदेश के निष्पादन की मौनानुमति देगा,

(ख) कारपोरेट ऋणी के विरुद्ध अभिप्राप्त धन के संदाय के लिए किसी असंतुष्ट निर्णय डिक्री या आदेश की तारीख से या उसके पहले दो मास के भीतर कारपोरेट ऋणी की सम्पत्ति को या उसके किसी भाग को छिपाएगा या हटाएगा,

कारपोरेट ऋणी या कारपोरेट ऋणी का अधिकारी का अधिकारी कारवास से, जिसकी अवधि, एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा :

परंतु कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन दंडनीय नहीं होगा यदि खंड (क) में वर्णित कार्य दिवाला प्रारम्भ होने की तारीख से पूर्व पांच वर्ष पहले किए गए थे ; या यदि वह यह साबित कर देता है कि उन कृत्यों को करते समय उसका कारपोरेट ऋणी के लेनदारों को कपटवंचित करने का कोई आशय नहीं था ।

कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान अवचार के लिए दंड ।

70. (1) दिवाला प्रारम्भ होने की तारीख को या उसके पश्चात् जहां कारपोरेट ऋणी का कोई अधिकारी,--

(क) समाधान वृत्तिक को कारपोरेट ऋणी की सम्पत्ति के सभी ब्यौरे और उसके संव्यवहार के ऐसे ब्यौरे या ऐसी कोई अन्य जानकारी, जिसकी समाधान वृत्तिक अपेक्षा करे, प्रकट नहीं करेगा ; या

(ख) समाधान वृत्तिक (या उसके द्वारा यथानिदेशित व्यक्ति) को कारपोरेट ऋणी की सभी सम्पत्तियों या उनके ऐसे भाग का, जो उसके नियंत्रण या अभिरक्षा में है और जिसके परिदान की उससे अपेक्षा है, परिदान नहीं करेगा ; या

(ग) समाधान वृत्तिक को, कारपोरेट ऋणी की उसके नियंत्रण या अभिरक्षा में रखी सभी बहियों और कागजपत्रों का परिदान नहीं करेगा ; या

(घ) समाधान वृत्तिक को इस बात की जानकारी देने में असफल रहेगा कि कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऋण को मिथ्या रूप से साबित किया गया है ; या

(ङ) कारपोरेट ऋणी की सम्पत्ति या कार्यकलापों को प्रभावित करने वाली या उनसे संबंधित किसी बही या कागज पत्र को प्रस्तुत करने से रोकेगा ; या

(च) कारपोरेट ऋणी की सम्पत्ति के किसी भाग के संबंध में काल्पनिक हानि या व्यय का हिसाब देगा या वह दिवाला प्रारम्भ होने की तारीख से ठीक पहले बारह मास के भीतर कारपोरेट ऋणी के लेनदारों की किसी बैठक में ऐसा प्रयास करेगा,

वहां वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा :

परंतु इस धारा की कोई बात, इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को किसी दंड के

लिए दायी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि उसका कारपोरेट ऋणी के कार्यलापों की स्थिति को कपटवंचित करने या छिपाने का कोई आशय नहीं था ।

(2) यदि कोई दिवाला वृत्तिक जानबूझकर, इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने में इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और वह, ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा ।

कारपोरेट ऋणी की बहियों के मिथ्याकरण के लिए दंड ।

71. दिवाला समाधान प्रारम्भ होने की तारीख को या उसके पश्चात् जहां कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कपटवंचित या प्रवंचित करने के आशय से कारपोरेट ऋणी की किन्हीं बहियों, कागजपत्रों या प्रतिभूतियों को नष्ट, विकृत, परिवर्तित या मिथ्याकरण करेगा या उसके किसी रजिस्टर, लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों में कोई मिथ्या या कपटपूर्ण प्रविष्टि करेगा या उसे इस बात की जानकारी है कि कारपोरेट ऋणी के किसी रजिस्टर, लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों में कोई मिथ्या या कपटपूर्ण प्रविष्टि की गई है, वहां वह ऐसे कारवास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

कारपोरेट ऋणी के कार्यकलापों से संबंधित विवरणों में जानबूझकर और तात्विक लोप के लिए दंड ।

72. जहां कारपोरेट ऋणी का कोई अधिकारी, कारपोरेट ऋणी के कार्यकलापों से संबंधित किसी विवरण को कोई तात्विक और जानबूझकर लोप करेगा, वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

लेनदारों को मिथ्या अभ्यावेदन देने के लिए दंड ।

73. जहां कारपोरेट ऋणी का कोई अधिकारी,--

(क) दिवाला प्रारंभ होने की तारीख को या उसके पश्चात् कारपोरेट ऋणी के लेनदारों या उनमें से किसी की, कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया या समापन प्रक्रिया के दौरान कारपोरेट ऋणी के कार्यकलापों से संदर्भ में कोई करार करने के लिए सहमति अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए कोई मिथ्या अभ्यावेदन करेगा या कोई कपट करेगा,

(ख) दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से पहले उस प्रयोजन के लिए कोई मिथ्या अभ्यावेदन करेगा या कोई कपट करेगा,

वहां वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

अधिस्थगन काल या समाधान योजना का उल्लंघन करने के लिए दंड ।

74. (1) जहां कोई कारपोरेट ऋणी या उसका कोई अधिकारी धारा 14 के उपबंधों का अतिक्रमण करेगा, कोई ऐसा अधिकारी जो यह जानते हुए या जानबूझकर ऐसा उल्लंघन करेगा ऐसे उल्लंघन को प्राधिकृत या अनुज्ञात करेगा, वहां वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(2) जहां कोई लेनदार धारा 14 के उपबंधों का उल्लघंन करेगा तब ऐसा कोई

व्यक्ति जो जानते हुए और जानबूझकर किसी लेनदार द्वारा ऐसे उल्लंघन को प्राधिकृत या अनुज्ञात करेगा, वहां वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(3) जहां कोई कारपोरेट ऋणी, उसके कोई अधिकारी या कोई लेनदार या कोई ऐसा व्यक्ति, जिस पर धारा 31 के अधीन अनुमोदित सकंल्प रेखांकन बाध्यकारी है, जानते हुए या जानबूझकर ऐसे सकंल्प रेखांकन के किसी निबंधन का अतिक्रमण, भंग या उल्लंघन करेगा या ऐसे अतिक्रमण, भंग या उल्लंघन को प्राधिकृत या अनुज्ञात करेगा, वहां अधिकारी, लेनदार या व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

आवेदन में दी गई मिथ्या सूचना के लिए शास्तियां ।

75. जहां कोई व्यक्ति, धारा 7 के अधीन किए गए आवेदन में ऐसी सूचना देगा, जो तात्विक विशिष्टियों में मिथ्या है, जिसका मिथ्या होना वह जानता है या कोई तात्विक तथ्य देने में जानबूझकर लोप करेगा, वह जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

प्रचालन लेनदार द्वारा विवाद को प्रकट न करने या ऋण का प्रतिसंदाय न करने के लिए शास्ति ।

76. (i) जहां--

(क) कोई प्रचालन लेनदार, जानते हुए या जानबूझकर धारा 9 के अधीन आवेदन में इस तथ्य को छिपाएगा कि कारपोरेट ऋण ने उसे अंसदत्त प्रचालन ऋण से संबंधित किसी विवाद की या असंदत्त प्रचालन ऋण के पूर्ण और अंतिम प्रतिसंदाय की सूचना दी थी ; या

(ii) जहां--

(ख) कोई व्यक्ति, जो जानते हुए और जानबूझकर खंड (i) के अधीन ऐसे छिपाव को प्राधिकृत या अनुज्ञात करेगा,

यथास्थिति, ऐसा प्रचालन लेनदार या व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

कारपोरेट ऋणी द्वारा दिए गए आवेदन में मिथ्या सूचना देने के लिए शास्ति ।

77. (i) जहां--

(क) कोई कारपोरेट ऋणी धारा 10 के अधीन आवेदन में ऐसी सूचना देगा जो तात्विक विशिष्टियों में मिथ्या है जिसका मिथ्या होना वह जानता है या कोई तात्विक तथ्य देने में जानबूझकर लोप करेगा ; या

(ii) जहां--

(क) कोई ऐसा व्यक्ति जो यह जानते हुए और जानबूझकर कर उपखंड (i) के अधीन दी गई ऐसी सूचना को प्रधिकृत या अनुज्ञात करेगा,

यथास्थिति, ऐसे कारपोरेट ऋणी या उपखंड (ii) में निर्दिष्ट व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो, पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजन के लिए, कारपोरेट ऋणी द्वारा फाइल किए गए आवेदन के बारे यह समझा जाएगा कि वह तात्विक विशिष्टियों में मिथ्या है, यदि आवेदन में वर्णित या लोप किए गए तथ्य, यदि वे, यथास्थिति, सही होते या उनका आवेदन से लोप न किया गया होता तो वे इस संहिता के अधीन व्यतिक्रम की विद्यमानता का अवधारण करने के लिए पर्याप्त होते ।

भाग 3

व्यष्टियों और भागीदारी फर्मों के लिए दिवाला समाधान और शोधन अक्षमता

अध्याय 1

प्रारम्भिक

लागू होना ।

78. (1) यह भाग, जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय, सम्पूर्ण भारत को लागू होगा ।

(2) इस भाग के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे, जहां व्यतिक्रमी की रकम एक हजार रुपए से कम या एक लाख रुपए से अनधिक ऐसी रकम है, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ।

(3) इस भाग के प्रयोजनों के लिए न्यायनिर्णय प्राधिकारी, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित ऋण वसूली अधिकरण होगा । 1993 का 51

परिभाषाएं ।

79. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(1) ऋणी का "सहचरी" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,--

(क) कोई ऐसा व्यक्ति, जो ऋणी के ठीक निकट का कुटुम्ब का अंग है ;

(ख) ऐसा व्यक्ति, जो ऋणी का नातेदार है या ऋणी के पति या पत्नी का नातेदार है ;

(ग) ऐसा व्यक्ति, जो ऋणी का भागीदार है ;

(घ) ऐसा व्यक्ति, जो किसी ऐसे व्यक्ति का पति या पत्नी है या नातेदार है, जिसका ऋणी भागीदार है ;

(ङ) ऐसा व्यक्ति, जो ऋणी का नियोजक है या ऋणी का कर्मचारी है ;

(च) ऐसा व्यक्ति, जो किसी ऐसे न्यास का न्यासी है, जिसमें न्यास के हिताधिकारियों में कोई ऋणी सम्मिलित है या न्यास के निबंधन न्यासी को ऐसी शक्ति प्रदत्त करते हैं, जिसका ऋणी या ऋणी के किसी सहचरी के फायदे के लिए प्रयोग किया जा सकेगा ; और

(छ) ऐसी कम्पनी, जहां ऋणी या ऋणी के साथ उसके सहचरी, कम्पनी की पचास प्रतिशत से अधिक शेयरपूंजी के स्वामी हैं या वे कम्पनी के निदेशक बोर्ड की नियुक्ति को नियंत्रण करते हैं ।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के संदर्भ में

"नातेदार" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी अन्य व्यक्ति का नातेदार है, यदि,--

(i) वह हिंदू अविभक्त कुटुंब के सदस्य है ; या

(ii) एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संबंधित है ।

(2) "शोधन अक्षम व्यक्ति" (दिवालया) से अभिप्रेत है,--

(क) ऐसा ऋणी, जिसे धारा 126 के अधीन शोधन अक्षमता आदेश द्वारा शोधन अक्षम के रूप में न्यायनिर्णीत किया गया है ; या

(ख) जहां धारा 126 के अधीन शोधन अक्षमता आदेश किसी फर्म के विरुद्ध किया गया है, वहां फर्म का प्रत्येक भागीदार ;

(3) "शोधन अक्षमता" से किसी शोधन अक्षम व्यक्ति की दशा अभिप्रेत है ;

(4) शोधन अक्षम व्यक्ति के संबंध में "शोधन अक्षमता ऋणों" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,--

(क) शोधन अक्षमता प्रारम्भ होने की तारीख को उसके द्वारा लिया गया कोई ऋण ;

(ख) ऐसा कोई ऋण, जिसके लिए वह शोधन अक्षमता प्रारम्भ होने की तारीख के पश्चात् दायी किंतु शोधन अक्षमता प्रारम्भ होने की तारीख के पूर्व किए गए किसी संव्यवहार के कारण उसके उन्मोचित होने के पूर्व दायी होगा ; और

(ग) कोई ऐसा हित, जो धारा 171 के अधीन ऋण का भाग है ;

(5) "शोधन अक्षमता प्रारम्भ होने की तारीख" से ऐसी तारीख अभिप्रेत है जिसको धारा 126 के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वरा शोधन अक्षमता संबंधी आदेश पारित किया गया था ;

(6) "शोधन अक्षमता आदेश" से धारा 126 के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश अभिप्रेत है ;

(7) "शोधन अक्षमता प्रक्रिया" से इस भाग के अध्याय 4 और अध्याय 5 के अधीन किसी ऋणी के विरुद्ध कोई प्रक्रिया अभिप्रेत है ।

(8) "शोधन अक्षमता न्यासी" से धारा 125 के अधीन शोधन अक्षम की संपदा के लिए न्यासी के रूप में नियुक्त संकल्प व्यवसायी अभिप्रेत है ।

(9) "अध्याय" से इस भाग के अधीन कोई अध्याय अभिप्रेत है ।

(10) "लेनदारों की समिति" से धारा 134 के अधीन गठित कोई समिति अभिप्रेत है ।

(11) "ऋणी" के अंतर्गत निर्णीत ऋणी है ।

(12) "उन्मोचन आदेश" से न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा किसी ऋणी को यथास्थिति, धारा 92, धारा 119 और धारा 138 के अधीन उन्मोचित करने वाला आदेश अभिप्रेत है ;

(13) इस भाग के प्रयोजनों के लिए "अपवर्जित आस्तियों" में निम्नलिखित शामिल हैं--

(क) अविल्लंगमित औजार, बहियां, यान और अन्य उपस्कर, जो ऋणी या शोधन अक्षम के लिए उसके वैयक्तिक उपयोग के लिए या उसके नियोजन, कारबार के लिए आवश्यक हैं ;

(ख) अविल्लंगमित, फर्नीचर, घरेलू उपस्कर और सामग्रियां, जो शोधन अक्षम और उसके अव्यवहित कुटुंब की मूल घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं ;

(ग) ऋणी या उसके अव्यवहित कुटुंब के कोई अविल्लंगमित वैयक्तिक आभूषण, जिन्हें उसके धार्मिक उपयोग के अनुसार अलग नहीं किया जा सकता है ;

(घ) कोई अविल्लंगमित जीवन बीमा पालिसी या पेंशन योजना, जिसे ऋणी या उसके अव्यवहित कुटुंब के नाम से लिया गया है ;

(ङ) ऋणी के स्वामित्व में ऐसे मूल्य की, जो विहित किया जाए, कोई अविल्लंगमित एकल रिहायशी इकाई ;

(14) "अपवर्जित ऋण" से निम्नलिखित अभिप्रेत है–

(क) किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अधिरोपित जुर्माने का संदाय करने का दायित्व ;

(ख) उपेक्षा, न्यूसेंस, कानूनी संविदायी या अन्य विधिक बाध्यता भंग के लिए नुकसानी का संदाय करने का दायित्व ;

(ग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी व्यक्ति को भरण-पोषण का संदाय करने का दायित्व ;

(घ) किसी विद्यार्थी ऋण के संबंध में दायित्व ;

(ङ) किसी निगम ऋणी को किसी गारंटी की संविदा में प्रतिभू के रूप में दायित्व ; और

(च) कोई अन्य ऋण, जो विहित किया जाए ।

(15) "फर्म" से भागीदारी में कारबार करने वाला और भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यष्टिकों का निकाय अभिप्रेत है ; 1932 का 9

(16) ऋणी का "अव्यवहित कुटुंब" से उसका पति या पत्नी आश्रित बालक और आश्रित माता-पिता अभिप्रेत है ;

(17) "भागीदारी ऋण" से कोई ऋण अभिप्रेत है, जिसके लिए किसी फर्म में सभी भागीदार संयुक्त रूप से दायी हैं ;

(18) "अर्हक ऋण" से कोई शोध्य रकम अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत किसी परिनिर्धारित राशि के लिए ऋणी द्वारा या तो तुरंत या कतिपय भावी समय में किसी संविदा के अधीन स्वामित्वाधीन रकमों के संबंध में ब्याज या कोई अन्य राशि शामिल है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल नहीं है–

(क) कोई अपवर्जित ऋण ;

(ख) प्रत्याभूत सीमा तक कोई ऋण ; और

(ग) कोई ऋण, जो नई प्रक्रिया आरंभ करने के लिए आवेदन की तारीख से तीन मास पूर्व उपगत किया गया है ।

(19) "पुनर्संदाय योजना" से ऋणी द्वारा धारा 105 के अधीन समाधान वृत्तिक के परामर्श से तैयार योजना अभिप्रेत है जिसमें उसके ऋणों या कार्यों के पुनर्गठन के लिए लेनदारों की समिति के लिए योजना अंतर्विष्ट है ।

(20) "समाधान वृत्तिक" से दिवाला समाधान वृत्तिक अभिप्रेत है, जिसे नयी आरंभ प्रक्रिया या दिवाला संकल्प प्रक्रिया का संचालन करने के लिए समाधान वृत्तिक नियुक्त किया गया है ।

(21) "अननुन्मोचित शोधन अक्षम" से कोई शोधन अक्षम अभिप्रेत है, जिसमें धारा 138 के अधीन उन्मोचन आदेश प्राप्त नहीं किया है ।

अध्याय 2

नई आरंभ प्रक्रिया

कोई आवेदन करने के लिए पात्रता ।

80. (1) कोई ऋणी, जो अपने ऋणों का संदाय करने में असमर्थ है और उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है, इस अध्याय के अधीन अपने अर्हक ऋणों के उन्मोचन के लिए नई प्रारंभ करने के लिए आवेदन करने का पात्र होगा ।

(2) कोई ऋणी या तो वैयक्तिक रूप से या किसी समाधान वृत्तिक के माध्यम से इस अध्याय के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को अपने अर्हक ऋणों के संबंध में नए आरंभ के लिए आवेदन कर सकेगा, यदि–

(क) ऋणी की समग्र वार्षिक आय साठ हजार रुपए से अनधिक है ;

(ख) ऋणी की आस्तियों का समग्र मूल्य बीस हजार रुपए से अनधिक है ;

(ग) अर्हक ऋणों का समग्र मूल्य पैंतीस हजार रुपए से अनधिक है ;

(घ) वह अननुन्मोचित शोधन अक्षम नहीं है ;

(ङ) उसके स्वामित्वाधीन कोई रिहायशी इकाई नहीं है, इस बात के होते हुए भी वह अविल्लंगमित है या नहीं ;

(च) उसके विरुद्ध कोई नई आरंभ प्रक्रिया, दिवाला संकल्प प्रक्रिया या शोधन अक्षमता प्रक्रिया अस्तित्व में नहीं है ; और

(छ) उसके संबंध में नई प्रारंभ के लिए आवेदन की तारीख से पूर्ववर्ती 12 मास में इस अध्याय के अधीन कोई नई प्रक्रिया आदेश नहीं किया गया है ।

नई आरंभ आदेश करने के लिए आवेदन ।

81. (1) जब किसी ऋणी द्वारा धारा 80 के अधीन कोई आवेदन फाइल किया जाए तो–

(क) सभी ऋणों के संबंध में उक्त आवेदन फाइल करने की तारीख को एक अंतरिम अधिस्थगन प्रारंभ होगा और वह यथास्थिति, ऐसे आवेदन के स्वीकार या अस्वीकार करने की तारीख को निष्प्रभावी हो जाएगा ; और

(ख) अंतरिम अधिस्थगन की अवधि के दौरान–

(i) उसके किसी भी ऋण के संबंध में कोई लंबित विधिक कार्रवाई या विधिक कार्यवाही को रोक दिया गया समझा जाएगा ; और

(ii) कोई लेनदार ऐसे ऋण के संबंध में कोई विधिक कार्रवाई या विधिक कार्यवाहियां संस्थित नहीं करेगा ।

(2) धारा 80 के अधीन आवेदन ऐसे प्ररूप और रीति में होगा तथा उसके साथ ऐसी फीस संलग्न होगी, जो विहित की जाए ।

(3) उपधारा (2) के अधीन आवेदन में शपथपत्र द्वारा समर्थित कतिपय निम्नलिखित सूचना होगी, अर्थात् :–

(क) उक्त आवेदन की तारीख को ऋणी के सभी ऋणों की सूची के साथ प्रत्येक ऋण की रकम से संबंधित ब्यौरे, उन पर संदेय ब्याज तथा लेनदारों का नाम, जिनके प्रति प्रत्येक ऋण है ;

(ख) ऋणों पर संदेय ब्याज तथा उन पर संविदा में अनुबद्ध दर ;

(ग) किसी भी ऋण के संबंध में धृत प्रतिभूति की सूची ;

(घ) ऋणी और उसके अव्यवहित कुटुंब की आवेदन की तारीख से दो वर्ष पूर्व तक की वित्तीय सूचना ;

(ङ) ऋणी के वैयक्तिक ब्यौरों की यथाविहित विशिष्टियां ;

(च) आवेदन करने के कारण ;

(छ) किसी विधिक प्रक्रिया की विशिष्टियां, जो ऋणी की जानकारी में उसके विरुद्ध आरंभ की गई है ;

(ज) इस बात की पुष्टि की इस अध्याय के अधीन कोई पूर्ववर्ती नई प्रारंभ आदेश आवेदन की तारीख से पूर्ववर्ती बारह मास में ऋणी के अर्हक ऋणों के संबंध में नहीं किया गया है,

और ऐसे आवेदन के समर्थन में शपथ-पत्र होगा ।

समाधान वृत्तिक की नियुक्ति ।

82. (1) जहां धारा 80 के अधीन ऋणी द्वारा समाधान वृत्तिक के माध्यम से कोई आवेदन फाइल किया जाता है, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी बोर्ड को आवेदन प्राप्त होने की तारीख से दो दिन के भीतर निदेश देगा और बोर्ड से निम्नलिखित की संपुष्टि करेगा–

(क) समाधान वृत्तिक, जिसने आवेदन प्रस्तुत किया है, के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां नहीं है ; और

(ख) ऐसा समाधान वृत्तिक के पास सुसंगत विशेषज्ञता है या वह नई प्रारंभ प्रक्रिया के लिए समाधान वृत्तिक के रूप में कार्य करने के लिए उपयुक्त है ।

(2) बोर्ड न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को लिखित में निम्नलिखित की संसूचना देगा–

(क) या तो समाधान वृत्तिक, जिसने उपधारा (1) के अधीन आवेदन फाइल किया है, की नियुक्ति की संपुष्टि की ; या

(ख) या समाधान वृत्तिक, जिसने उपधारा (1) के अधीन आवेदन फाइल

किया है, की नियुक्ति को अस्वीकार करने की और नई प्रारंभ प्रक्रिया के लिए उपयुक्त समाधान वृत्तिक को नामनिर्दिष्ट करने की ।

(3) जहां ऋणी द्वारा धारा 80 के अधीन स्वयं कोई आवेदन फाइल किया गया है और न कि किसी समाधान वृत्तिक के माध्यम से, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी बोर्ड को आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दो दिन के भीतर नई आरंभ प्रक्रिया के लिए समाधान वृत्तिक नामनिर्दिष्ट करने का निदेश देगा ।

(4) बोर्ड उपधारा (3) के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा जारी निदेश की प्राप्ति से दो दिन के भीतर समाधान वृत्तिक नामनिर्दिष्ट करेगा ।

(5) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी बोर्ड द्वारा, यथास्थिति, उपधारा (2) के खंड (क) या उपधारा (4) के अधीन सिफारिश किए गए या नामनिर्दिष्ट समाधान वृत्तिक की नियुक्ति का आदेश देगा ।

(6) उपधारा (5) के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति समाधान वृत्तिक को नए प्रारंभ के लिए आवेदन की प्रति उपलब्ध कराई जाएगी ।

(7) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा नियुक्त समाधान वृत्तिक धारा 206 के अनुसार कार्यकरण प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा ।

समाधान वृत्तिक द्वारा आवेदन की जांच ।

83. (1) समाधान वृत्तिक धारा 80 के अधीन किए गए आवेदन की उसकी नियुक्ति के 10 दिन के भीतर जांच करेगा और न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को या तो आवेदन को स्वीकार करने की या अस्वीकार करने की सिफारिश की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट में आवेदन में वर्णित रिपोर्ट के ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे, जो समाधान वृत्तिक के मत में–

(क) अर्हक ऋण हैं ; और

(ख) धारा 92 की उपधारा (3) के अधीन उन्मोचन के लिए पात्र दायित्व है ।

(3) समाधान वृत्तिक आवेदन से संबद्ध ऐसी और सूचना या स्पष्टीकरण की मांग कर सकेगा जैसा ऋणी या किसी अन्य व्यक्ति से अपेक्षित हो, जो समाधान वृत्तिक के मत में ऐसी सूचना उपलब्ध करा सके ।

(4) यथास्थिति, ऋणी या अन्य व्यक्ति, उपधारा (3) के अधीन अनुरोध की प्राप्ति के पांच दिन के भीतर ऐसी सूचना या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा ।

(5) समाधान वृत्तिक यह उपधारणा करेगा कि ऋणी अपने ऋणों का आवेदन की तारीख को संदाय करने में असमर्थ है, यदि–

(क) उसके मत में आवेदन में दी गई सूचना यह उपदर्शित करती है कि ऋणी अपने ऋणों का संदाय करने में असमर्थ है और उसके पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि दी गई सूचना सही नहीं है या अपूर्ण है ; और

(ख) उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऋणी की वित्तीय स्थितियों में आवेदन की तारीख से ऋणी को उसके ऋणों का संदाय करने में समर्थ बनाने वाला कोई परिवर्तन नहीं है ।

(6) समाधान वृत्तिक आवेदन को अस्वीकार कर देगा यदि उसके मत में—

(क) ऋणी धारा 80 के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा नहीं करता है ; या

(ख) ऋणी द्वारा आवेदन में प्रकृटित ऋण अर्हित ऋण नहीं है ; या

(ग) ऋणी ने आवेदन में या प्रस्तुत दस्तावेजों या सूचना में जानबूझकर कोई मिथ्या कथन या लोप किया है ;

(7) समाधान वृत्तिक उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को रिपोर्ट में आवेदन को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के कारणों को अभिलिखित करेगा तथा रिपोर्ट की एक प्रति ऋणी को देगा ।

न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करना ।

84. (1) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी समाधान वृत्तिक द्वारा रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की तारीख से 14 दिन के भीतर धारा 82 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट के आधार पर किए गए आवेदन को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का आदेश पारित करेगा ।

(2) आवेदन को उपधारा (1) के अधीन स्वीकार करने का आदेश उन रकमों का कथन करेगा, जिन्हें समाधान वृत्तिक द्वारा अर्हक ऋण के रूप में स्वीकार किया गया है और अन्य रकम, जो नई प्रारंभ आदेश के प्रयोजनों के लिए धारा 92 के अधीन उन्मोचन के लिए पात्र हैं ।

(3) उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रति के साथ आवेदन की प्रति आवेदन में वर्णित लेनदारों को आदेश पारित करने के दो दिन के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी ।

आवेदन को स्वीकार करने का प्रभाव ।

85. (1) आवेदन को स्वीकार करने की तारीख को सभी ऋणों के संबंध में अधिस्थगन कालावधि प्रारंभ हो जाएगी ।

(2) अधिस्थगत कालावधि के दौरान–

(क) ऋण के संबंध में कोई लंबित विधिक कार्रवाई या विधिक कार्यवाही रोक दी गई समझी जाएगी ; और

(ख) धारा 86 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लेनदार किसी ऋण के संबंध में कोई विधिक कार्रवाई या कार्यवाही संस्थित नहीं करेंगे ।

(3) अधिस्थगत अवधि के दौरान ऋणी–

(क) किसी कंपनी के निदेशक के रूप में कृत्य नहीं करेगा या किसी कंपनी के संप्रवर्तन, गठन या प्रबंधन में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: भाग नहीं लेगा ;

(ख) अपनी परिसंपत्तियों का निपटान नहीं करेगा या उन्हें पृथक् नहीं करेगा ;

(ग) अपने कारबार भागीदारों को सूचित करना कि वह नई प्रारंभ प्रक्रिया से गुजर रहा है ;

(घ) केंद्रीय सरकार द्वारा यथाअधिसूचित मूल्य के वित्तीय या वाणिज्यिक संव्यवहार में व्यष्टिक या संयुक्त रूप से प्रविष्ट होने से पूर्व अंतर्वलित सभी पक्षकारों को सूचित करने की अपेक्षा कि वह नई प्रारंभ प्रक्रिया से गुजर रहा है ;

(ङ) उस नाम का प्रकटन, जिसके अधीन वह कारबार संव्यवहारों में प्रविष्ट

होता है, यदि वह नाम धारा 84 के अधीन स्वीकृत आवेदन से भिन्न है ;

(च) केवल न्यायनिर्णयन प्राधिकारी की अनुज्ञा से ही विदेश यात्रा करेगा ;

(4) स्वीकार करने की तारीख से आरंभ होने वाले छह मास की कालावधि की समाप्ति पर अधिस्थगन समाप्त हो जाएगा, सिवाय तब जब धारा 91 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन को स्वीकार करने वाले आदेश का प्रतिसंहरण कर लिया गया हो ।

लेनदार द्वारा आक्षेप और समाधान वृत्तिक द्वारा उनकी जांच ।

86. (1) धारा 84 के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के आदेश में वर्णित कोई लेनदार, जिसके प्रति अर्हक ऋण है, धारा 84 के अधीन आदेश की प्राप्ति की तारीख से 10 दिन की कालावधि के भीतर केवल निम्नलिखित आधारों पर आक्षेप कर सकेगा, अर्थात् :–

(क) किसी ऋण को अर्हक ऋण के रूप में समाविष्ट करना ;

(ख) धारा 84 के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट अर्हक ऋण के ब्यौरों का गलत होना ;

(2) कोई लेनदार उपधारा (1) के अधीन समाधान वृत्तिक को आवेदन के माध्यम से आक्षेप फाइल कर सकेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन आवेदन ऐसी सूचना और दस्तावेजों द्वारा समर्थित होगा जैसा विहित किया जाए ।

(4) समाधान वृत्तिक इस धारा के अधीन प्रत्येक आक्षेप पर विचार करेगा ।

(5) समाधान वृत्तिक उपधारा (2) के अधीन आक्षेपों की जांच करेगा और आवेदन की तारीख से 10 दिन के भीतर या तो आक्षेपों को स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा ।

(6) समाधान वृत्तिक स्वप्रेरणा से किसी भी विषय की जांच करेगा, जो उसे धारा 92 के प्रयोजनों के लिए अर्हक ऋणों की अंतिम सूची तैयार करने में सुसंगत प्रतीत हो ।

(7) उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन अन्वेषणों के आधार पर संकल्प वृत्तिक–

(क) उन्मोचन आदेश के प्रयोजन के लिए अर्हक ऋणों की संशोधित सूची तैयार करेगा ;

(ख) धारा 90 के अधीन निदेशों के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को आवेदन करेगा ; या

(ग) ऋणी के संबंध में कोई अन्य कदम उठाएगा ;

समाधान वृत्तिक के विनिश्चय के विरुद्ध आवेदन ।

87. (1) ऋणी या लेनदार, जो धारा 86 के अधीन समाधान वृत्तिक द्वारा की गई कार्रवाई से कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसे विनिश्चय के 10 दिन के भीतर निम्नलिखित में से किसी आधार पर ऐसी कार्रवाई को चुनौती देते हुए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को आवेदन करेगा, अर्थात् :–

(क) यह कि समाधान वृत्तिक ने ऋणी या लेनदार को अभ्यावेदन देने का अवसर प्रदान नहीं किया है ; या

(ख) यह कि समाधान वृत्तिक ने विनिश्चय अन्य पक्षकार के साथ दुराभिसंधि से किया है ; या

(ग) यह कि समाधान वृत्तिक ने धारा 86 की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया है ;

(2) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट आवेदन का ऐसा आवेदन प्राप्त होने के 14 दिन के भीतर विनिश्चय करेगा और ऐसा आदेश करेगा जैसा वह उचित समझे ।

(3) जब उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा आवेदन को अनुज्ञात किया गया है, तब वह अपने आदेश को बोर्ड को अग्रेषित करेगा और बोर्ड समाधान वृत्तिक के विरुद्ध धारा 219 के अधीन कार्रवाई करेगा ।

साधारण कर्तव्य ।

88. ऋणी–

(क) समाधान वृत्तिक को अपने कार्यों के संबंध में सभी सूचना उपलब्ध कराएगा, बैठकों में भाग लेगा और नई प्रारंभ प्रक्रिया के संबंध में समाधान वृत्तिक के अनुरोधों का अनुपालन करेगा ;

(ख) युक्तियुक्त रूप से यथासंभवशीघ्र निम्नलिखित से भिज्ञ होने पर समाधान वृत्तिक को सूचित करेगा--

(i) समाधान वृत्तिक को आपूर्ति की गई सूचना या दस्तावेजों के संबंध में कोई तात्विक त्रुटि या लोप ; या

(ii) आवेदन की तारीख के पश्चात् वित्तीय परिस्थितियों में कोई परिवर्तन, जहां ऐसे परिवर्तन का नई प्रारंभ प्रक्रिया पर कोई प्रभाव हो ।

समाधान वृत्तिक का प्रतिस्थापन ।

89. (1) ऋणी या लेनदार न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को समाधान वृत्तिक के प्रतिस्थापन के लिए आवेदन कर सकेगा, यदि वह :–

(क) उसने, यथास्थिति, ऋणी या लेनदार के हितों के प्रतिकूल कार्य किया है

(ख) ऋणी या लेनदार को इस अध्याय के अधीन, जहां अपेक्षित था, अभ्यावेदन करने का अवसर नहीं दिया है ;

(ग) इस अध्याय के अधीन आवेदन पर विचार करने के लिए पर्याप्त अपेक्षित सूचना एकत्रित नहीं की है ;

(घ) नई प्रारंभ प्रक्रिया का संचालन उपेक्षापूर्वक या कपटपूर्वक रीति में किया है ;

(ङ) अन्य पक्षकार के साथ दुराभिसंधि की है ;

(च) वह अपने कृत्यों का निष्पादन यथाशीघ्र या दक्षतापूर्वक नहीं कर रहा है जैसा कि युक्तियुक्त रूप से व्यावहार्य है या वह ऐसे वृत्तिक से उसकी शक्तियों और कृत्यों के निर्वहन में अपेक्षित युक्तियुक्त देखरेख मानक का निर्वहन करने में असफल रहा है ।

(2) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति के 14

दिन के भीतर आवेदन की जांच करेगा ।

(3) जहां न्यायनिर्णयन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि समाधान वृत्तिक के प्रतिस्थापन के लिए उपधारा (1) के अधीन आधार विद्यमान है तो वह समाधान वृत्तिक के प्रतिस्थापन के लिए बोर्ड को निर्देश करेगा ।

(4) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी नई प्रारंभ प्रक्रिया के प्रयोजनों के लिए बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर दूसरे समाधान वृत्तिक की नियुक्ति करेगा ।

(5) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी उपधारा (4) के अधीन प्रतिस्थापित समाधान वृत्तिक को निम्नलिखित के संबंध में निदेश दे सकेगा–

(क) नई प्रारंभ प्रक्रिया के संबंध में नए समाधान वृत्तिक को सभी सूचना को बांटना ; और

(ख) नए समाधान वृत्तिक के साथ ऐसे मामलों में, जो अपेक्षित हों, में सहयोग करना ।

(6) बोर्ड भाग 4 के अध्याय 6 के अधीन उस समाधान वृत्तिक के विरुद्ध कार्रवाई करेगा, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन आवेदन किया गया है ।

निर्बंधनों आदि का अनुपालन करने के लिए निदेश ।

90. (1) समाधान वृत्तिक न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को निम्नलिखित में से किसी एक के लिए निदेश देने के लिए आवेदन कर सकेगा, अर्थात् :–

(क) ऋणी द्वारा अननुपालन की दशा में धारा 85 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किन्हीं निर्बंधनों का अनुपालन ; या

(ख) प्रतिस्थापित समाधान वृत्तिक के किसी विनिश्चय को अभिखंडित करना ।

(2) समाधान वृत्तिक न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को इस अध्याय के अधीन किसी अन्य विषय के संबंध में निदेश देने के लिए आवेदन कर सकेगा, जिसके लिए कोई विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं किए गए हैं ।

आवेदन स्वीकार करने के आदेश का प्रतिसंहरण ।

91. (1) समाधान वृत्तिक निम्नलिखित में से निम्न आधारों पर धारा 84 के अधीन किए गए अपने आदेश के प्रतिसंहरण की ईप्सा करते हुए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, अर्थात् :–

(क) ऋणी की वित्तीय परिस्थितियों में किसी परिवर्तन के कारण ऋणी नई प्रारंभ प्रक्रिया के लिए अपात्र हो गया है ; या

(ख) ऋणी द्वारा धारा 85 की उपधारा (3) के अधीन अधिरोपित निर्बंधनों का अननुपालन ; या

(ग) यदि ऋणी ने असद्भावपूर्वक कार्य किया है और जानबूझकर इस अध्याय के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहा है ।

(2) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति के 14 दिन के भीतर आदेश द्वारा आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन को स्वीकार करने का आदेश पारित करने पर अधिस्थगन और नई प्रारंभ प्रक्रिया निष्प्रभावी हो जाएगी ।

(4) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन पारित आदेश की प्रति निम्नलिखित को उपलब्ध कराई जाएगी–

(क) बोर्ड को धारा 196 में निर्दिष्ट रजिस्टर में किसी प्रविष्टि को अभिलिखित करने के प्रयोजन के लिए ; और

(ख) दिवाला वृत्तिक अभिकरण को धारा 206 के अधीन समाधान वृत्तिक द्वारा प्रस्तुत कार्य निष्पादन प्रतिभूति को निर्मुक्त करने के प्रयोजन के लिए ।

उन्मोचन आदेश ।

92. (1) समाधान वृत्तिक अर्हक ऋणों की अंतिम सूची तैयार करेगा और ऐसी सूची को उसे अधिस्थगन कालावधि की समाप्ति से कम से कम पांच दिन पूर्व न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।

(2) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी अधिस्थगन अवधि की समाप्ति पर उपधारा (1) के अधीन सूची में वर्णित अर्हक ऋणों से ऋणी को उन्मोचित करने के लिए अधिस्थगन कालावधि के अंत में एक उन्मोचन आदेश पारित करेगा ।

(3) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऋणी को निम्नलिखित दायित्वों से उन्मोचित करेगा, अर्थात् :–

(क) आवेदन की तारीख से उन्मोचन आदेश की तारीख तक अर्हक ऋणों के संबंध में शास्तियों ;

(ख) अर्हक ऋणों के संबंध में आवेदन की तारीख से उन्मोचन आदेश की तारीख तक ब्याज में दांडिक ब्याज शामिल है ;

(ग) आवेदन की तारीख से उन्मोचन आदेश की तारीख तक अर्हक ऋणों के संबंध में किसी संविदा के अधीन देय अन्य राशियां ।

(4) उन्मोचन आदेश किसी ऋणी को किसी ऋण से, जिसे उपधारा (1) में शामिल नहीं किया गया है और किसी दायित्व से, जिसे उपधारा (3) के अधीन शामिल नहीं किया गया है, उन्मोचित नहीं करेगा ।

(5) उन्मोचन आदेश को निम्नलिखित को अग्रेषित किया जाएगा–

(क) बोर्ड को धारा 196 में निर्दिष्ट रजिस्टर में किसी प्रविष्टि को अभिलिखित करने के प्रयोजन के लिए ; और

(ख) दिवाला वृत्तिक अभिकरण को धारा 208 के अधीन समाधान वृत्तिक द्वारा प्रस्तुत कार्य निष्पादन प्रतिभूति को निर्मुक्त करने के प्रयोजन के लिए ।

(6) धारा 2 के अधीन उन्मोचन आदेश किसी अन्य व्यक्ति को अर्हक ऋणों के संबंध में किसी दायित्व से उन्मोचित नहीं करेगा ।

आचरण का स्तर ।

93. समाधान वृत्तिक अपने कृत्यों और कर्तव्यों का निष्पादन धारा 208 के अधीन उपबंधित आचार-संहिता का अनुपालन करते हुए करेगा ।

अध्याय 3

दिवाला समाधान प्रक्रिया

ऋणी द्वारा दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ

94. (1) कोई ऋणी, जो व्यतिक्रम करता है, या तो वैयक्तिक रूप से या किसी समाधान वृत्तिक के माध्यम से न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को दिवाला समाधान प्रक्रिया

करने के लिए आवेदन ।

आरंभ करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करके आवेदन कर सकेगा ।

(2) जहां ऋणी किसी फर्म में भागीदार है तो ऐसा ऋणी इस अध्याय के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को फर्म के संबंध में तब तक आवेदन नहीं करेगा जब तक कि फर्म में सभी भागीदार या बहुसंख्या संयुक्त रूप से आवेदन न करे ।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन केवल उन ऋणों के संबंध में प्रस्तुत किया जाएगा, जो अपवर्जित ऋण नहीं हैं ।

(4) कोई ऋणी उपधारा (1) के अधीन आवेदन करने का हकदार नहीं होगा यदि वह–

(क) अननुमोचित शोधन अक्षम है ;

(ख) नई प्रबंध प्रक्रिया से गुजर रहा है ;

(ग) दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रहा है ;

(घ) शोधन अक्षमता प्रक्रिया से गुजर रहा है ।

(5) कोई ऋणी उपधारा (1) के अधीन आवेदन करने का पात्र नहीं होगा यदि इस अध्याय के अधीन कोई आवेदन किसी ऋणी के संबंध में इस धारा के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से पूर्ववर्ती 12 मास की कालावधि के दौरान स्वीकार किया गया है ।

(6) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन ऐसे प्ररूप और रीति में होगा तथा उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाए ।

लेनदार द्वारा दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए आवेदन ।

95. (1) कोई लेनदार या तो स्वयं या अन्य लेनदारों के साथ संयुक्त रूप से या किसी समाधान वृत्तिक के माध्यम से न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को इस धारा के अधीन दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।

(2) कोई लेनदार उपधारा (1) के अधीन उसे देय ऋण के संबंध में निम्नलिखित के विरुद्ध दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए आरंभ कर सकेगा–

(क) फर्म का कोई एक या अधिक भागीदार ; या

(ख) फर्म ।

(3) जहां किसी फर्म में एक भागीदार के विरुद्ध कोई आवेदन किया गया है उसी फर्म में किसी अन्य भागीदार के विरुद्ध अन्य आवेदन को न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा या अंतरित किया जाएगा जिसमें पहला वर्णित आवेदन न्यायनिर्णयन के लिए लंबित है और ऐसा न्यायनिर्णयन प्राधिकारी आवेदनों के अधीन कार्यवाहियों के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह न्यायोचित समझे ।

(4) उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा केवल तभी स्वीकार किया जाएगा जब उसके साथ निम्नलिखित के संबंध में ब्यौरे संलग्न हों–

(क) लेनदार के कब्जे में ऋणी के संबंध में हाल ही की वैयक्तिक सूचना ;

(ख) दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन की तारीख को आवेदन प्रस्तुत कर रहे लेनदार या लेनदारों को ऋणी द्वारा देय ऋण ;

(ग) मांग की सूचना की तामील से 14 दिन की कालावधि के भीतर ऋणी

द्वारा संदाय करने में असफलता ;

(घ) ऐसे व्यतिक्रम या ऋण का पुनर्संदाय न किए जाने का सुसंगत साक्ष्य ।

(5) लेनदार उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन की प्रति भी ऋणी को उपलब्ध कराएगा ।

(6) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन ऐसे प्ररूप और रीति में होगा तथा उसके साथ ऐसी फीस संलग्न होगी, जो विहित की जाए ।

(7) उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित ब्यौरे और दस्तावेज वे होंगे जो विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

आवेदन का प्रभाव ।

96. (1) धारा 94 या धारा 95 के अधीन कोई आवेदन फाइल करने पर–

(क) सभी ऋणों के संबंध में आवेदन की तारीख को अंतरिम अधिस्थगन ऐसे आवेदन को स्वीकार करने की तारीख को निष्प्रभावी हो जाएगा ; और

(ख) अंतरिम अधिस्थगन कालावधि के दौरान–

(i) किसी ऋण के संबंध में कोई लंबित विधिक कार्रवाई या कार्यवाही रोक दी गई समझी जाएगी ; और

(ii) ऋणी के लेनदार किसी ऋण के संबंध में विधिक कार्रवाई या कार्यवाहियां संस्थित नहीं करेंगे ।

(2) जहां कोई आवेदन किसी फर्म के संबंध में किया गया है वहां उपधारा (1) के अधीन अंतरिम अधिस्थगन आवेदन की तारीख को फर्म के सभी भागीदारों के विरुद्ध प्रचालित होगा ।

(3) उपधारा (1) के उपबंध ऐसे संव्यवहारों को लागू नहीं होंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा वित्तीय क्षेत्र विनियामक के परामर्श से अधिसूचित किए जाएं ।

समाधान वृत्तिक की नियुक्ति ।

97. (1) यदि आवेदन धारा 94 या धारा 95 के अधीन किसी समाधान वृत्तिक के माध्यम से फाइल किया जाता है तो न्यायनिर्णयन प्राधिकारी आवेदन की तारीख से दो दिन के भीतर बोर्ड को निदेश देगा और निम्नलिखित की मांग करेगा–

(क) प्रस्तावित समाधान वृत्तिक के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां लंबित नहीं हैं ; और

(ख) समाधान वृत्तिक के पास सुसंगत अनुभव है या वह दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए समाधान वृत्तिक के रूप में कृत्य करने के लिए उपयुक्त है ।

(2) बोर्ड उपधारा (1) के अधीन निदेश की प्राप्ति के दो दिन के भीतर न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को लिखित में संसूचित करेगा कि–

(क) या तो उसने समाधान वृत्तिक की नियुक्ति की पुष्टि कर दी है ; या

(ख) उसने समाधान वृत्तिक की नियुक्ति को अस्वीकार कर दिया है और उसके स्थान पर दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए अन्य समाधान वृत्तिक को नामनिर्दिष्ट किया है ।

(3) जहां धारा 94 या धारा 95 के अधीन, यथास्थिति, ऋणी द्वारा या लेनदार द्वारा स्वयं कोई आवेदन फाइल किया गया है और न कि किसी समाधान वृत्तिक के

माध्यम से तो न्यायनिर्णयन प्राधिकारी बोर्ड को ऐसा आवेदन फाइल करने की तारीख से दो दिन के भीतर दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए समाधान वृत्तिक नामनिर्दिष्ट करने का निदेश देगा ।

(4) बोर्ड उपधारा (3) के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा जारी निदेश को प्राप्त करने के 10 दिन के भीतर समाधान वृत्तिक को नामनिर्दिष्ट करेगा ।

(5) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी उपधारा (2) के अधीन सिफारिश किए गए या उपधारा (4) के अधीन बोर्ड द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट समाधान वृत्तिक की नियुक्ति करेगा ।

(6) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा उपधारा (5) के अधीन नियुक्त समाधान वृत्तिक को दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन की प्रति उपलब्ध कराई जाएगी ।

(7) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा नियुक्त समाधान वृत्तिक धारा 208 के अनुसार कार्य निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा ।

समाधान वृत्तिक का प्रतिस्थापन ।

98. (1) ऋणी या लेनदार न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को समाधान वृत्तिक के प्रतिस्थापन के लिए आवेदन कर सकेगा, यदि वह :–

(क) यह कि उसने ऋणी या लेनदार के हितों के प्रतिकूल कार्य किया है ;

(ख) उसने दिवाला समाधान प्रक्रिया उपेक्षापूर्वक या कपटपूर्वक रीति में संचालित की है ;

(ग) वह निम्नलिखित को करने में असफल रहा है–

(i) धारा 99 या धारा 106 के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में ;

(ii) धारा 105 के अधीन ऋणी की पुनर्संदाय योजना तैयार करने में सहायता करने में ;

(iii) धारा 107 के अधीन पात्र लेनदारों को लेनदारों की बैठक की सूचना की तामील करने में ;

(iv) धारा 116 में यथाउपबंधित पुनर्संदाय योजना के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने में ;

(घ) अपने कृत्यों का निष्पादन यथाशीघ्र या दक्षतापूर्वक नहीं कर रहा है जैसा कि युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य है या वह ऐसे वृत्तिक से उसकी शक्तियों और कृत्यों के निर्वहन में अपेक्षित युक्तियुक्त देखरेख मानक का निर्वहन करने में असफल रहा है ।

(2) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति के 14 दिन के भीतर आवेदन की जांच करेगा ।

(3) जहां न्यायनिर्णयन प्राधिकारी का उपधारा (2) के अधीन आवेदन की जांच करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि समाधान वृत्तिक को प्रतिस्थापित करने के आधार विद्यमान है, तो वह समाधान वृत्तिक को प्रतिस्थापित करने के लिए बोर्ड को निर्देश करेगा ।

(4) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लेनदार, जहां धारा 108 की उपधारा (6) के अधीन लेनदारों की बैठक में समाधान वृत्तिक को

प्रतिस्थापित करने का विनिश्चय किया जाता है वहां लेनदार पुनर्संदाय योजना के कार्यान्वयन के लिए समाधान वृत्तिक को नए समाधान वृत्तिक से प्रतिस्थापित करने का न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेंगे ।

(5) जहां न्यायनिर्णयन प्राधिकारी उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन किसी आवेदन को स्वीकार करता है वहां वह बोर्ड को निम्नलिखित की पुष्टि करने का निदेश देगा–

(क) प्रस्तावित समाधान वृत्तिक के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां लंबित नहीं है ; और

(ख) प्रस्तावित समाधान वृत्तिक के पास दिवाला समाधान प्रक्रिया का संचालन करने के लिए अपेक्षित विशेषज्ञता है ।

(6) बोर्ड उपधारा (5) के अधीन निदेश की प्राप्ति के 10 दिन के भीतर निम्नलिखित की संसूचना देगा कि वह–

(क) नामनिर्दिष्ट समाधान वृत्तिक की नियुक्ति की पुष्टि करता है ; या

(ख) नामनिर्दिष्ट समाधान वृत्तिक की नियुक्ति को अस्वीकार करता है और नए समाधान वृत्तिक की सिफारिश करता है ।

(7) उपधारा (6) के अधीन बोर्ड की संसूचना के आधार पर न्यायनिर्णयन प्राधिकारी नए समाधान वृत्तिक की नियुक्ति का आदेश पारित करेगा ।

(8) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी उपधारा (5) के अधीन प्रतिस्थापित समाधान वृत्तिक को निदेश दे सकेगा कि–

(क) दिवाला समाधान प्रक्रिया के संबंध में नए समाधान वृत्तिक को सभी सूचनाएं दे ; और

(ख) नए समाधान वृत्तिक के साथ ऐसे मामलों में, जो अपेक्षित हों, सहयोग करना ।

(9) बोर्ड भाग 4 के अध्याय 6 के अधीन उस समाधान वृत्तिक के विरुद्ध कार्रवाई करेगा, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट आवेदन फाइल किया गया है और जिसे दूसरे समाधान वृत्तिक ने प्रतिस्थापित किया है ।

समाधान वृत्तिक द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

99. (1) समाधान वृत्तिक, यथास्थिति, धारा 94 या धारा 95 में निर्दिष्ट आवेदन की अपनी नियुक्ति के 10 दिन के भीतर जांच करेगा और न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को या तो आवेदन को स्वीकार करने की या अस्वीकार करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(2) जहां धारा 95 के अधीन आवेदन पारित किया गया है वहां समाधान वृत्तिक ऋणी को लेनदार द्वारा असंदत के रूप में दावा किए गए किसी ऋण के पुनर्संदाय को साबित करने के लिए ऋणी से निम्नलिखित को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा–

(क) ऋणी के बैंक खाते से असंदत रकम के अंतरण का इलैक्ट्रानिकी साक्ष्य ;

(ख) ऋणी द्वारा जारी चेक के नकदीकरण का साक्षी ;

(ग) शोध्यों की प्राप्ति को स्वीकार करने की लेनदार द्वारा हस्ताक्षरित

अभिस्वीकृति ।

(3) जहां ऋण, जिनके लिए लेनदार द्वारा आवेदन फाइल किया गया है, सूचना उपयोगिता के पास रजिस्ट्रीकृत हैं, वहां ऋणी ऋण की वैधता का प्रतिवाद करने के लिए पात्र नहीं होगा ।

(4) किसी आवेदन की जांच करने के प्रयोजनों के लिए समाधान वृत्तिक आवेदन से संबद्ध ऐसी और सूचना या स्पष्टीकरण की मांग कर सकेगा जैसा ऋणी या लेनदार या किसी अन्य व्यक्ति से अपेक्षित हो, जो समाधान वृत्तिक के मत में ऐसी सूचना को उपलब्ध करा सके ।

(5) व्यक्ति, जिससे सूचना या स्पष्टीकरण की धारा 4 के अधीन वांछा की गई है, ऐसी सूचना या स्पष्टीकरण को अनुरोध की प्राप्ति के 3 दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा ।

(6) समाधान वृत्तिक आवेदन की जांच करेगा और निम्नलिखित का पता लगाएगा कि–

(क) आवेदन धारा 94 या धारा 95 में दी गई अपेक्षाओं को पूरा करता है ;

(ख) आवेदक ने सूचना उपलब्ध कराई है और उपधारा (4) के अधीन समाधान वृत्तिक द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण दे दिए हैं ।

(7) उपधारा (6) के अधीन आवेदन की जांच करने के पश्चात् वह अपनी रिपोर्ट में आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने की सिफारिश कर सकेगा ।

(8) जहां समाधान वृत्तिक यह पाता है कि ऋणी अध्याय 2 के अधीन नए प्रारंभ के लिए पात्र है, यह सिफारिश करते हुए एक रिपोर्ट जारी करेगा कि धारा 94 के अधीन ऋणी के आवेदन को न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा धारा 81 के अधीन आवेदन माना जाए ।

(9) समाधान वृत्तिक उपधारा (7) के अधीन आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने की सिफारिश करने के कारणों को अभिलिखित करेगा ।

(10) समाधान वृत्तिक उपधारा (7) के अधीन रिपोर्ट की प्रति यथास्थिति, ऋणी या लेनदार को देगा ।

आवेदन को स्वीकार करना या अस्वीकार करना ।

100. (1) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी धारा 99 के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से 14 दिन के भीतर उक्त रिपोर्ट के आधार पर धारा 94 या धारा 95 में निर्दिष्ट आवेदन को या तो स्वीकार करने या अस्वीकार करने का आदेश पारित करेगा ।

(2) जहां न्यायनिर्णयन प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन को स्वीकार करता है तो वह समाधान वृत्तिक के अनुरोध पर ऋणी और लेनदार के बीच बातचीत संचालित करने के प्रयोजन के लिए और कोई पुनर्संदाय योजना बनाने के लिए अनुदेश जारी करेगा ।

(3) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश की प्रति समाधान वृत्तिक की रिपोर्ट के साथ और, यथास्थिति, धारा 94 या धारा 95 में निर्दिष्ट आवेदन को उक्त आदेश की तारीख से दो दिन के भीतर लेनदारों को उपलब्ध कराएगा ।

(4) यदि, यथास्थिति, धारा 94 या धारा 95 में निर्दिष्ट आवेदन को न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा समाधान वृत्तिक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अस्वीकार कर दिया जाता है या यह कि आवेदन लेनदारों या समाधान वृत्तिक को कपट वंचित करने के आशय से किया गया था, तो उपधारा (1) के अधीन आदेश में यह अभिलिखित किया जाएगा कि लेनदार अध्याय 4 के अधीन शोधन अक्षमता के आदेश के लिए फाइल करने के लिए पात्र हैं ।

अधिस्थगन ।

101. (1) जब धारा 100 के अधीन आवेदन को स्वीकार किया जाता है तब सभी ऋणों के संबंध में एक अधिस्थगन आरंभ होगा और वह उस आवेदन को स्वीकार करने की तारीख से आरंभ होने वाली एक सौ अस्सी दिन की कालावधि की समाप्ति या उस तारीख को जिसे न्यायनिर्णयन प्राधिकारी धारा 114 के अधीन पुनर्संदाय योजना के लिए आदेश पारित करता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, निष्प्रभावी हो जाएगा ।

(2) अधिस्थगन की अवधि के दौरान–

(क) किसी ऋण के संबंध में लंबित विधिक कार्रवाई या कार्यवाही को रोक दिया गया समझा जाएगा ; और

(ख) लेनदार किसी ऋण के संबंध में कोई विधिक कार्रवाई या कार्यवाहियां संस्थित नहीं करेंगे ।

(3) जहां किसी फर्म के संबंध में धारा 96 के अधीन आवेदन को स्वीकार करने का कोई आदेश किया गया है वहां उपधारा (1) के अधीन अधिस्थगन फर्म के सभी भागीदारों के विरुद्ध परिचालित होगा ।

(4) इस धारा के उपबंध ऐसे संव्यवहारों को लागू नहीं होंगे, जिन्हें केंद्रीय सरकार वित्तीय क्षेत्र विनियामक के साथ परामर्श से अधिसूचित करे ।

लोक सूचना और लेनदारों से दावे ।

102. (1) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी धारा 96 के अधीन आदेश पारित करने के 10 दिन के भीतर सभी लेनदारों से दावे आमंत्रित करते हुए एक लोक सूचना जारी करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन सूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे–

(क) आवेदन को स्वीकार करने के आदेश के ब्यौरे ;

(ख) उस समाधान वृत्तिक की विशिष्टियां, जिसके पास दावे रजिस्ट्रीकृत किए जाने हैं ; और

(ग) दावे फाइल करने की अंतिम तारीख ।

(3) सूचना को–

(क) कम से कम एक अंग्रेजी और एक स्थानीय भाषा में उस राज्य में, जहां ऋणी निवास करता है, परिचालित समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ;

(ख) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के परिसर में चस्पा किया जाएगा ; और

(ग) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी की वेबसाइट पर रखा जाएगा ।

लेनदारों द्वारा दावों का रजिस्ट्रीकरण ।

103. (1) लेनदार दावों के ब्यौरों को समाधान वृत्तिक के पास इलैक्ट्रानिकी संचार या कुरियर, स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्रीकृत पत्र के माध्यम से भेजकर रजिस्ट्रीकृत करेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट दावों के अतिरिक्त लेनदार समाधान वृत्तिक को

वैयक्तिक सूचना और ऐसी विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, उपलब्ध कराएगा ।

लेनदारों की सूची तैयार करना ।

104.(1) समाधान वृत्तिक निम्नलिखित के आधार पर लेनदारों की सूची तैयार करेगा–

(क) यथास्थिति, धारा 94 या धारा 95 के अधीन ऋणी द्वारा फाइल किए गए आवेदन में प्रकटित सूचना ;

(ख) धारा 102 के अधीन समाधान वृत्तिक द्वारा प्राप्त किए गए दावे ।

(2) समाधान वृत्तिक उपधारा (1) में वर्णित सूची को सूचना की तारीख से 30 दिन के भीतर तैयार करेगा ।

पुनर्संदाय योजना ।

105.(1) ऋणी समाधान वृत्तिक के परामर्श से उसके ऋणों या मामलों के पुनर्गठन के लिए लेनदारों को एक प्रस्ताव अंतर्विष्ट करते हुए एक पुनर्संदाय योजना तैयार करेगा ।

(2) समाधान वृत्तिक न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को धारा 102 के अधीन दावे फाइल करने की अंतिम तारीख से 21 दिन की अवधि के भीतर पुनर्संदाय योजना प्रस्तुत करेगा ।

(3) पुनर्संदाय योजना समाधान वृत्तिक को निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत या निम्नलिखित की अपेक्षा कर सकेगी--

(क) ऋणी का कारबार या व्यापार उसके निमित्त या उसके नाम से करने की ; या

(ख) ऋणी की आस्तियों के प्रापण की ; या

(ग) ऋणी की किन्हीं निधियों का प्रशासन या निपटान की ।

(4) पुनर्संदाय योजना में निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात्–

(क) ऐसी पुनर्संदाय योजना को तैयार करने का न्यायोचित्य तथा उस योजना के कारण, जिन पर लेनदार सहमत हो सकेंगे ;

(ख) समाधान वृत्तिक को फीस का संदाय करने का उपबंध ;

(ग) ऐसे अन्य विषयों का उपबंध करेगी, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

पुनर्संदाय योजना पर समाधान वृत्तिक की रिपोर्ट ।

106. (1) धारा 105 के अधीन तैयार की गई पुनर्संदाय योजना को उपधारा (2) के अधीन पुनर्संदाय योजना पर समाधान वृत्तिक की रिपोर्ट के साथ न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल होंगे–

(क) पुनर्संदाय योजना तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अनुरूप है ;

(ख) पुनर्संदाय योजना को अनुमोदित किए जाने और कार्यान्वित किए जाने की युक्तियुक्त संभावना है ; और

(ग) पुनर्संदाय योजना पर विचार करने के लिए लेनदारों की एक बैठक बुलाए जाने की आवश्यकता :

परंतु जहां समाधान वृत्तिक यह सिफारिश करता है कि लेनदारों की बैठक

बुलाए जाने की आवश्यकता नहीं है तो उसके कारणों को बताया जाएगा ।

(3) यदि उसका यह मत है कि लेनदारों की बैठक बुलाई जानी चाहिए तो उपधारा (2) में निर्दिष्ट रिपोर्ट उस तारीख और समय तथा स्थान को भी विनिर्दिष्ट करेगी, जब बैठक आयोजित की जानी चाहिए ।

(4) उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए–

(क) वह तारीख, जिसको बैठक आयोजित की जाएगी, उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से 14 दिन से अन्यून और 28 दिन से, अनधिक नहीं होगी ;

(ख) समाधान वृत्तिक लेनदारों की बैठक की तारीख और स्थान नियत करते समय लेनदारों की सुविधा का भी ध्यान रखेगा ।

लेनदारों की बैठक बुलाना ।

107. (1) समाधान वृत्तिक लेनदारों की बैठक बुलाने के लिए ऐसी बैठक के लिए नियत तारीख से कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना जारी करेगा ।

(2) समाधान वृत्तिक धारा 104 के अधीन तैयार की गई लेनदारों की सूची को बैठक की सूचना भेजेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन भेजी गई सूचना में न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के पते का कथन होगा, जिसे पुनर्संदाय योजना और पुनर्संदाय योजना पर समाधान वृत्तिक की पुनर्संदाय योजना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और उसके साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे–

(क) पुनर्संदाय योजना की प्रति ;

(ख) ऋणी के कार्यों के विवरण की प्रति ;

(ग) समाधान वृत्तिक की उक्त रिपोर्ट की प्रति ; और

(घ) प्रॉक्सी मतदान का प्ररूप ।

(4) प्रॉक्सी मतदान, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिकी प्रॉक्सी मतदान भी है, ऐसे स्थान पर और ऐसी रीति तथा प्ररूप में होगा जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

लेनदारों की बैठक का संचालन ।

108. (1) लेनदारों की बैठक इस धारा और धारा 109-111 के उपबंधों के अनुसार संचालित की जाएगी ।

(2) यदि किसी कारण से समाधान वृत्तिक लेनदारों की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो वह अपने निमित्त कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन समाधान वृत्तिक के रूप में कार्य करने के लिए अर्हित व्यक्ति होगा ।

(4) लेनदारों की बैठक में लेनदार पुनर्संदाय योजना को अनुमोदित करने, उपांतरित करने या अस्वीकार करने का विनिश्चय कर सकेंगे ।

(5) समाधान वृत्तिक यह सुनिश्चित करेगा कि यदि लेनदारों द्वारा उपांतरणों का सुझाव दिया जाता है तो प्रत्येक उपांतरण के लिए लेनदार की सहमति अभिप्राप्त की जाएगी ।

(6) लेनदार यह विनिश्चित कर सकेंगे कि क्या प्रस्तावित समाधान वृत्तिक को पुनर्संदाय योजना के कार्यान्वयन के लिए जारी रखा जाए या उसे प्रतिस्थापित किया

जाए या अतिरिक्त समाधान वृत्तिकों की नियुक्ति की जाए ।

(7) समाधान वृत्तिक पर्याप्त कारण से लेनदारों की बैठक को किसी एक समय पांच से अनधिक दिन की कालावधि के लिए स्थगित कर सकेगा ।

लेनदारों की बैठक में मतदान के अधिकार ।

109. (1) प्रत्येक लेनदार पुनर्संदाय योजना के संबंध में लेनदारों की प्रत्येक बैठक में मत देने का पात्र होगा ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी लेनदार का मत देने का अधिकार धारा 100 के अधीन आवेदन स्वीकार करने के आदेश की तारीख को ऋण के मूल्य पर निर्भर करेगा ।

(3) कोई लेनदार किसी अपरिनिर्धारित रकम के ऋण के संबंध में या किसी ऋण के संबंध में, जिसके मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है सिवाय वहां जहां समाधान वृत्तिक मत देने की पात्रता के प्रयोजन के लिए ऋण को प्राक्कलित मूल्य समनुदेशित करने के लिए सहमत होता है, मत देने का पात्र नहीं होगा ।

(4) कोई लेनदार लेनदारों की बैठक में मत देने का पात्र नहीं होगा, यदि वह–

(क) धारा 104 के अधीन लेनदारों की सूची में वर्णित लेनदार नहीं है ; या

(ख) ऋणी का सहयुक्त नहीं है ।

पुनर्संदाय योजना के संबंध में प्रतिभूत लेनदारों के अधिकार ।

110. (1) प्रतिभूत लेनदार लेनदारों की बैठक में भाग लेने और मत देने के पात्र होंगे ।

(2) कोई प्रतिभूत लेनदार, जो पुनर्संदाय योजना के संबंध में लेनदारों की बैठक में भाग ले रहा है और मत दे रहा है, पुनर्संदाय योजना के निबंधनों के अनुसार पुनर्संदाय योजना की अवधि के दौरान प्रतिभूति को प्रवृत्त करने के अपने अधिकार को समपहृत कर देगा ।

(3) जहां कोई प्रतिभूत लेनदार अपने प्रतिभूति के अधिकार को समपहृत नहीं करता है वहां वह लेनदारों की बैठक में निम्नलिखित का कथन करते हुए समाधान वृत्तिक को एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा–

(क) प्रतिभूत लेनदार द्वारा मत देने का अधिकार केवल ऋण के अप्रत्याभूत भाग के संबंध में है ; और

(ख) ऋण के अप्रत्याभूत भाग का प्राक्कलित मूल्य ।

(4) जहां कोई प्रत्याभूत लेनदार द्वारा पुनर्संदाय योजना में मतदान करने में उपधारा (3) के अधीन शपथ-पत्र प्रस्तुत करके भाग लेता है, ऋण के प्रत्याभूत और अप्रत्याभूत भागों को पृथक् ऋणों के रूप में माना जाएगा ।

(5) प्रत्याभूत लेनदार की सहमति अभिप्राप्त की जाएगी, यदि वह पुनर्संदाय योजना के लिए मतदान करने में भाग नहीं लेता है और पुनर्संदाय योजना का कोई उपबंध उसके प्रतिभूति को प्रवर्तित करने के अधिकार को प्रभावित करते हैं ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए "पुनर्संदाय योजना की अवधि" पद से धारा 114 के अधीन पारित आदेश की तारीख से उस तारीख तक की कालावधि अभिप्रेत है, जिसको समाधान वृत्तिक द्वारा, यथास्थिति, धारा 117 के अधीन सूचना दी जाती है या समाधान वृत्तिक द्वारा धारा 118 के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है

।

लेनदारों द्वारा पुनर्संदाय योजना का अनुमोदन ।

111. पुनर्संदाय योजना या पुनर्संदाय योजना में किसी उपांतरण का अनुमोदन लेनदारों की बैठक में उपस्थित या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित और किसी संकल्प पर मत देने वाले लेनदारों के मूल्य में तीन चौथाई से अधिक बहुमत द्वारा किया जाएगा ।

लेनदारों की बैठक की रिपोर्ट ।

112. (1) समाधान वृत्तिक लेनदारों की बैठक की रिपोर्ट तैयार करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगा–

(क) क्या पुनर्संदाय योजना को अनुमोदित किया गया था या अस्वीकृत किया गया था और यदि अनुमोदित किया गया था तो उपांतरणों की सूची, यदि कोई हो ;

(ख) संकल्प, जिनका बैठक में प्रस्ताव किया गया और ऐसे संकल्पों पर विनिश्चय ;

(ग) लेनदारों की सूची, जो बैठक में उपस्थित थे या जिनका प्रतिनिधित्व किया गया और लेनदारों की सभी बैठकों में प्रत्येक लेनदार के मतदान का अभिलेख ; और

(घ) ऐसी सूचना, जिसे समाधान वृत्तिक न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को देने के लिए उपयुक्त समझे ।

लेनदारों की बैठक में लिए गए विनिश्चयों की सूचना ।

113. (1) समाधान वृत्तिक धारा 99 के अधीन तैयार की गई लेनदारों की बैठक की रिपोर्ट की प्रति निम्नलिखित को उपलब्ध कराएगा–

(क) ऋणी ;

(ख) लेनदार, जिसके अंतर्गत वे भी हैं जो बैठक में उपस्थित नहीं थे ;

(ग) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी ।

पुनर्संदाय योजना पर न्यायनिर्णयन प्राधिकारी का आदेश ।

114. (1) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी धारा 112 के अधीन समाधान वृत्तिक द्वारा प्रस्तुत लेनदारों की बैठक की रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित करेगा :

परंतु जहां लेनदारों की बैठक नहीं बुलाई गई है, वहां न्यायनिर्णयन प्राधिकारी समाधान वृत्तिक द्वारा धारा 106 के अधीन तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित करेगा ।

(2) पुनर्संदाय योजना का अनुमोदन करने वाला न्यायनिर्णयन प्राधिकारी का आदेश पुनर्संदाय योजना को कार्यान्वित करने के लिए निदेश का भी उपबंध कर सकेगा ।

(3) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी इस उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित करते समय लेनदारों की बैठक में यथाअनुमोदित पुनर्संदाय योजना को उपांतरित नहीं करेगा :

परंतु जहां न्यायनिर्णयन प्राधिकारी का यह मत है कि पुनर्संदाय योजना में उपांतरण अपेक्षित है तो वह समाधान वृत्तिक को पुनर्संदाय योजना पर पुन: विचार करने के लिए लेनदारों की बैठक पुन: बुलाने का निदेश दे सकेगा ।

पुनर्संदाय योजना पर न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के आदेश का प्रभाव ।

115. (1) जहां न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा धारा 114 के अधीन आदेश पारित किया गया है वहां पुनर्संदाय योजना–

(क) ऐसे प्रभावी होगी मानो वह बैठक में ऋणी द्वारा प्रस्तावित थी ; और

(ख) उसमें वर्णित लेनदारों और ऋणी पर आबद्धकर होगी ।

(2) जहां न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश लेनदारों की बैठक द्वारा पुनर्संदाय योजना की अस्वीकृति को अभिलिखित करता है वहां आदेश अभिलिखित करेगा कि ऋणी और लेनदार दोनों अध्याय 4 के अधीन शोधन अक्षमता का आवेदन फाइल करने के लिए पात्र होंगे ।

(3) उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रति निम्नलिखित को उपलब्ध कराई जाएगी–

(क) बोर्ड को धारा 196 में निर्दिष्ट रजिस्टर में प्रविष्टि अभिलिखित करने के प्रयोजन के लिए ; और

(ख) दिवाला वृत्तिक प्राधिकरण को धारा 208 के अधीन समाधान वृत्तिक द्वारा प्रस्तुत कार्य निष्पादन प्रतिभूति को निर्मुक्त करने के प्रयोजन के लिए ।

पुनर्संदाय योजना का कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण ।

116. (1) धारा 97 या धारा 98 के अधीन नियुक्त समाधान वृत्तिक पुनर्संदाय योजना के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करेगा ।

(2) समाधान वृत्तिक न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को पुनर्संदाय योजना के अधीन उद्भूत किसी विशिष्ट मामले के संबंध में निदेशों, यदि कोई हों, के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(3) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी उपधारा (2) के अधीन किसी आवेदन के आधार पर समाधान वृत्तिक को निदेश जारी कर सकेगा ।

(4) धारा 108 के अधीन लेनदारों की बैठक में यदि लेनदार समाधान वृत्तिक को अन्य समाधान वृत्तिक के साथ प्रतिस्थापित करने का या विद्यमान समाधान वृत्तिक के अतिरिक्त समाधान वृत्तिक की नियुक्ति का विनिश्चय करते हैं तो न्यायनिर्णयन प्राधिकारी ऐसे विनिश्चय को प्रभावी करने के लिए आदेश पारित करेगा ।

(5) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी उपधारा (4) के अधीन आदेश पारित करने से पूर्व स्वयं का यह समाधान करेगा कि उपधारा (4) के अधीन दूसरे समाधान वृत्तिक के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां लंबित नहीं है ।

(6) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी धारा 114 के अधीन पारित आदेश से तीन दिन के भीतर उपधारा (4) के अधीन आदेश पारित करेगा ।

पुनर्संदाय योजना का पूरा होना ।

117. (1) समाधान वृत्तिक पुनर्संदाय योजना के पूरा होने से 14 दिन के भीतर उन व्यक्तियों को, जो धारा 115 के अधीन पुनर्संदाय योजना से आबद्ध हैं तथा न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को निम्नलिखित दस्तावेज अग्रेषित करेगा, अर्थात् :–

(क) एक सूचना की पुनर्संदाय योजना को पूर्णतया कार्यान्वित किया गया है ; और

(ख) समाधान वृत्तिक द्वारा पुनर्संदाय योजना के अनुसरण में संराशिकृत सभी प्राप्तियां और किए गए संदाय और ऐसी योजना के कार्यान्वयन के परिमाण में लेनदारों की बैठक में अनुमोदित पुनर्संदाय योजना के साथ तुलना में किसी अंतर को स्पष्ट करते हुए संराशिकृत करते हुए रिपोर्ट की एक प्रति ।

(2) समाधान वृत्तिक न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को उपधारा (1) में वर्णित कालावधि का सात दिन से अनधिक की ऐसी और कालावधि तक विस्तार करने के लिए आवेदन कर सकेगा ।

पुनर्संदाय योजना का समयपूर्व समाप्त होना ।

118. (1) पुनर्संदाय योजना समयपूर्व समाप्त हो गई मानी जाएगी यदि उसको पुनर्संदाय योजना में यथावर्णित कालावधि के भीतर उससे आबद्ध सभी व्यक्तियों के संबंध में पूर्णतया कार्यान्वित नहीं किया गया है ।

(2) जहां इस धारा के अधीन कोई पुनर्संदाय योजना समयपूर्व समाप्त हो जाती है तो समाधान वृत्तिक न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें निम्नलिखित कथन होगा–

(क) पुनर्संदाय योजना के अनुसरण में प्राप्तियां और किए गए संदाय ;

(ख) पुनर्संदाय योजना की समयपूर्व समाप्ति के कारण ; और

(ग) उन लेनदारों के ब्यौरे, जिनके दावों को पूर्णतया चुकाया नहीं गया है ।

(3) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी समाधान वृत्तिक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित का कथन करते हुए एक आदेश पारित करेगा कि–

(क) पुनर्संदाय योजना को पूर्णतया कार्यान्वित नहीं किया गया है ; और

(ख) ऋणी या लेनदार, जिसके दावों को पूर्णतया चुकाया नहीं गया है, अध्याय 4 के अधीन शोधन अक्षमता आदेश के लिए आवेदन करने का पात्र होगा ।

(4) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी धारा 115 के अधीन पुनर्संदाय योजना से आबद्ध व्यक्तियों को निम्नलिखित की प्रति अग्रेषित करेगा–

(क) उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को समाधान वृत्तिक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रति ; और

(ख) उपधारा (4) के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश ।

(5) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी उपधारा (4) के अधीन पारित आदेश की प्रति निम्नलिखित को अग्रेषित करेगा–

(क) बोर्ड को धारा 196 में निर्दिष्ट रजिस्टर में किसी प्रविष्टि को अभिलिखित करने के प्रयोजन के लिए ; और

(ख) दिवाला वृत्तिक अभिकरण को धारा 208 के अधीन समाधान वृत्तिक द्वारा प्रस्तुत कार्य निष्पादन प्रतिभूति को निर्मुक्त करने के प्रयोजन के लिए ।

उन्मोचन आदेश ।

119. (1) समाधान वृत्तिक पुनर्संदाय योजना के आधार पर न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को पुन: संदाय योजना में वर्णित ऋणों के संबंध में निर्मुक्ति आदेश के लिए आवेदन करेगा और न्यायनिर्णयन प्राधिकारी ऐसा आदेश पारित कर सकेगा ।

(2) पुनर्संदाय योजना में निम्नलिखित के लिए उपबंध होगा–

(क) शीघ्र उन्मोचन ; या

(ख) पुनर्संदाय योजना के पूर्ण संदाय पर उन्मोचन ।

(3) उन्मोचन आदेश निम्नलिखित को अग्रेषित किया जाएगा–

(क) बोर्ड को धारा 196 में निर्दिष्ट रजिस्टर में किसी प्रविष्टि को अभिलिखित करने के प्रयोजन के लिए ; और

(ख) दिवाला व्यवसायिक अभिकरण को धारा 208 के अधीन समाधान वृत्तिक द्वारा प्रस्तुत कार्य निष्पादन प्रतिभूति को निर्मुक्त करने के प्रयोजन के लिए ।

(4) उपधारा (3) के अधीन उन्मोचन आदेश ऋणी के ऋणों के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को दायित्व से उन्मोचित नहीं करेगा ।

आचरण का मानक ।

120. समाधान वृत्तिक अपने कृत्यों और कर्तव्यों का निष्पादन धारा 208 के अधीन उपबंधित आचार-संहिता का अनुपालन करते हुए करेगा ।

अध्याय 4

व्यष्टिकों और भागीदारी फर्मों के लिए शोधन अक्षमता आदेश

शोधन अक्षमता के लिए आवेदन ।

121. (1) किसी ऋणी की शोधन अक्षमता के लिए आवेदन लेनदार द्वारा व्यष्टिक रूप से या अन्य लेनदारों के साथ संयुक्त रूप से या ऋणी द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को आवेदन द्वारा किया जा सकेगा, अर्थात् :–

(क) जहां न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा धारा 100 की उपधारा (4) के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है ; या

(ख) जहां न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा धारा 115 की उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है ; या

(ग) जहां न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा धारा 118 की उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है ।

(2) शोधन अक्षमता के लिए कोई आवेदन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट धाराओं के अधीन आदेश पारित करने की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर किया जाएगा ।

(3) जहां ऋणी कोई फर्म है वहां उपधारा (1) के अधीन आवेदन उसके किसी भी भागीदार द्वारा किया जा सकेगा ।

ऋणी द्वारा आवेदन ।

122.(1) ऋणी द्वारा शोधन अक्षमता के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे–

(क) भाग 3 के अध्याय 3 के अधीन की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया के अभिलेख ;

(ख) ऋणी के कार्यों का उस रूप और रीति में विवरण जैसा शोधन अक्षमता के लिए आवेदन की तारीख को विहित किया जाए ; और

(ग) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा भाग 3 के अध्याय 3 के अधीन शोधन अक्षमता के लिए ऋणी को अनुज्ञात करने के लिए पारित आदेश की प्रति ।

(2) ऋणी शोधन अक्षमता के लिए आवेदन में शोधन अक्षमता वृत्तिक का शोधन अक्षमता न्यासी के रूप में प्रस्ताव कर सकेगा ।

(3) शोधन अक्षमता के लिए आवेदन ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसी फीस के साथ होगा जैसी विहित की जाए ।

(4) ऋणी द्वारा शोधन अक्षमता के लिए किसी आवेदन को न्यायनिर्णयन प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना प्रत्याहृत नहीं किया जाएगा ।

लेनदार द्वारा आवेदन ।

123. (1) लेनदार द्वारा शोधन अक्षमता के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे–

(क) भाग 3 के अध्याय 3 के अधीन की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया के अभिलेख ;

(ख) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा भाग 3 के अध्याय 3 के अधीन शोधन अक्षमता के लिए लेनदार को अनुज्ञात करने के लिए पारित आदेश की प्रति ;

(ग) शोधन अक्षमता के लिए आवेदन की तारीख को लेनदार को ऋणी द्वारा देय ऋणों के ब्यौरे ; और

(घ) ऐसी अन्य सूचना, जैसी विहित की जाए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी प्रत्याभूत ऋण के संबंध में सूचना के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे–

(क) लेनदार, जिसको प्रतिभूति को प्रवृत्त करने का अधिकार है, द्वारा एक कथन कि वह शोधन अक्षमता आदेश किए जाने की दशा में शोधन अक्षम के सभी लेनदारों के फायदे के लिए अपनी प्रतिभूति का त्याग कर देगा ; या

(ख) लेनदार द्वारा निम्नलिखित का कथन करते हुए एक कथन–

(i) कि शोधन अक्षमता के लिए आवेदन केवल ऋण के अप्रत्याभूत भाग के लिए ही है ; और

(ii) ऋण के प्रत्याभूत भाग का प्राक्कलित मूल्य ।

(3) यदि कोई प्रत्याभूत लेनदार शोधन अक्षमता के लिए आवेदन करता है और उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन एक कथन प्रस्तुत करता है, तो ऋण के प्रत्याभूत और अप्रत्याभूत भागों को पृथक् ऋण माना जाएगा ।

(4) लेनदार किसी शोधन अक्षमता वृत्तिक का शोधन अक्षमता आवेदन में शोधन अक्षमता न्यासी के रूप में प्रस्ताव कर सकेगा ।

(5) मृतक ऋणी की दशा में उपधारा (1) के अधीन शोधन अक्षमता के लिए आवेदन उसके विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध फाइल किया जा सकेगा ।

(6) शोधन अक्षमता के लिए आवेदन ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसी फीस के साथ होगा जैसी विहित की जाए ।

(7) लेनदार द्वारा शोधन अक्षमता के लिए किसी आवेदन को न्यायनिर्णयन प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना प्रत्याहृत नहीं किया जाएगा ।

आवेदन का प्रभाव ।

124. (1) जब धारा 122 या धारा 123 के अधीन कोई आवेदन फाइल किया जाता है तो–

(क) आवेदन करने की तारीख को ऋणी की सभी संपत्तियों के विरुद्ध उसके

ऋणों के संबंध में सभी कार्रवाईयों पर एक अंतरिम अधिस्थगन आरंभ होगा और ऐसा अधिस्थगन शोधन अक्षमता प्रारंभ होने की तारीख को निष्प्रभावी हो जाएगा ; और

(ख) अंतरिम अधिस्थगन की अवधि के दौरान–

(i) ऋणी की किसी संपत्ति के विरुद्ध उसके ऋणों के संबंध में कोई लंबित विधिक कार्रवाई या कार्यवाही को रोक दिया गया समझा जाएगा ; और

(ii) ऋणी के लेनदार उसकी किसी संपत्ति के विरुद्ध किसी ऋण के संबंध में कोई विधिक कार्रवाई या कार्यवाहियां संस्थित करने के पात्र नहीं होंगे ।

(2) जहां कोई आवेदन किसी फर्म के संबंध में किया गया है वहां उपधारा (1) के अधीन अंतरिम अधिस्थगन आवेदन करने की तारीख को फर्म के सभी भागीदारों के विरुद्ध प्रचालित होगा ।

शोधन अक्षमता न्यासी के रूप में शोधन अक्षमता वृत्तिक की नियुक्ति ।

125. (1) यदि किसी शोधन अक्षमता वृत्तिक को धारा 122 या धारा 123 के अधीन शोधन अक्षमता आवेदन में शोधन अक्षमता न्यासी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाता है तो न्यायनिर्णयन प्राधिकारी शोधन अक्षमता के लिए आवेदन प्राप्त करने के दो दिन के भीतर बोर्ड को निदेश देगा और निम्नलिखित की पुष्टि की मांग करेगा–

(क) प्रस्तावित शोधन अक्षमता न्यासी के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां नहीं हैं ; और

(ख) प्रस्तावित शोधन अक्षमता न्यासी के पास सुसंगत विशेषज्ञता है या वह नई प्रारंभ प्रक्रिया के लिए शोधन अक्षमता न्यासी के रूप में कार्य करने के लिए उपयुक्त है ।

(2) बोर्ड उपधारा (1) के अधीन निदेश की प्राप्ति के 10 दिन के भीतर लिखित में संसूचित करेगा कि–

(क) या तो प्रस्तावित समाधान न्यासी की शोधन अक्षमता प्रक्रिया के लिए शोधन अक्षमता न्यासी के रूप में नियुक्ति की संपुष्टि की ; या

(ख) या प्रस्तावित समाधान वृत्तिक की शोधन अक्षमता न्यासी के रूप में नियुक्ति को अस्वीकार करने की और अन्य शोधन अक्षमता न्यासी की शोधन अक्षमता प्रक्रिया के लिए समुचित प्रतिस्थापन के रूप में नामनिर्दिष्ट करने की ।

(3) यदि धारा 122 या धारा 123 के अधीन ऋणी या लेनदार द्वारा शोधन अक्षमता न्यासी का प्रस्ताव नहीं किया जाता है तो न्यायनिर्णयन प्राधिकारी बोर्ड को आवेदन प्राप्त करने के दो दिन के भीतर शोधन अक्षमता प्रक्रिया के लिए शोधन अक्षमता न्यासी नामनिर्दिष्ट करने का निदेश देगा ।

(4) बोर्ड उपधारा (3) के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी से निदेश प्राप्त करने से 10 दिन के भीतर शोधन अक्षमता न्यासी को नामनिर्दिष्ट करेगा ।

(5) उपधारा (4) के अधीन नामनिर्दिष्ट शोधन अक्षमता न्यासी को न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा धारा 126 के अधीन शोधन अक्षमता आदेश में शोधन अक्षमता न्यासी

के रूप में नियुक्त किया जाएगा ।

(6) शोधन अक्षमता न्यासी धारा 208 के उपबंधों के अनुसरण कार्य निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा ।

शोधन अक्षमता आदेश ।

126. (1) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी धारा 125 के अधीन शोधन अक्षमता का नामनिर्देशन प्राप्त करने के 14 दिन के भीतर शोधन अक्षमता आदेश पारित करेगा ।

(2) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी शोधन अक्षम, लेनदारों और शोधन अक्षमता न्यासी को शोधन अक्षमता आदेश पारित करने के दो दिन के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराएगा, अर्थात् :–

(क) शोधन अक्षमता के लिए आवेदन की एक प्रति ; और

(ख) शोधन अक्षमता आदेश की एक प्रति ।

शोधन अक्षमता आदेश की विधिमान्यता ।

127. न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा धारा 126 के अधीन पारित शोधन अक्षमता आदेश का ऋणी के धारा 138 के अधीन उन्मोचित होने तक प्रभावी होना जारी रहेगा ।

शोधन अक्षमता का प्रभाव ।

128. (1) धारा 126 के अधीन शोधन अक्षमता आदेश के पारित होने पर–

(क) शोधन अक्षमता की संपदा शोधन अक्षमता न्यासी में विहित होगी जैसा कि धारा 154 में उपबंधित है ;

(ख) शोधन अक्षम की संपदा को लेनदारों के बीच विभाजित किया जाएगा ;

(ग) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए शोधन अक्षम का कोई लेनदार, शोधन अक्षम के रूप में दावा किए गए किसी ऋण के संबंध में ऋणग्रस्त ऋणी किसी शोधन अक्षम ऋण के संबंध में–

(i) ऐसे ऋण के संबंध में शोधन अक्षम की संपत्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेगा ; या

(ii) कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां सिवाय न्यायनिर्णयन प्राधिकारी की मंजूरी के और ऐसे निबंधनों पर जैसा न्यायनिर्णयन प्राधिकारी अधिरोपित करे, संस्थित नहीं करेगा ।

(2) धारा 123 के उपबंधों के अधीन रहते हुए शोधन अक्षमता आदेश किसी प्रत्याभूत लेनदार के उसके प्रतिभूत हित को वसूलने या उसी रीति में अन्यथा व्यौहार करने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा मानो वह पात्र होता यदि शोधन अक्षमता आदेश पारित नहीं किया गया होता :

परंतु कोई प्रत्याभूत लेनदार अपने ऋण के संबंध में किसी हित का शोधन अक्षमता प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात् पात्र नहीं होगा यदि वह उक्त तारीख से एक मास के भीतर प्रतिभूति को वसूलने के लिए कदम नहीं उठाता है ।

(3) जहां धारा 126 के अधीन किसी फर्म के विरुद्ध कोई शोधन अक्षमता आदेश पारित किया गया है वहां आदेश ऐसे प्रचालित होगा मानो वह प्रत्येक व्यष्टि, जो आदेश की तारीख को फर्म का भागीदार है, के विरुद्ध किया गया शोधन अक्षमता आदेश है ।

(4) उपधारा (1) के उपबंध ऐसे संव्यवहारों को लागू नहीं होंगे, जिन्हें केंद्रीय सरकार वित्तीय क्षेत्र विनियामक के परामर्श से अधिसूचित करे ।

कार्यों का विवरण ।

129. (1) जहां धारा 123 के अधीन किसी लेनदार द्वारा शोधन अक्षमता के लिए आवेदन पर शोधन अक्षमता आदेश पारित किया गया है वहां शोधन अक्षम अपने कार्यों का विवरण शोधन अक्षमता न्यासी को शोधन अक्षमता प्रारंभ होने की तारीख से पांच दिन के भीतर देगा ।

(2) कार्यों का विवरण ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में प्रस्तुत किया जाएगा जैसी विहित की जाए ।

(3) जहां शोधन अक्षम कोई फर्म है वहां आदेश की तारीख को उसके भागीदार फर्म के कार्यों का एक संयुक्त विवरण प्रस्तुत करेंगे और फर्म का प्रत्येक भागीदार उसके साथ अपने कार्यों का विवरण प्रस्तुत करेगा ।

(4) शोधन अक्षमता न्यासी शोधन अक्षम या किसी अन्य व्यक्ति से लिखित में कार्यों के विवरण में अंतर्विष्ट सूचना को स्पष्ट करने या किसी विषय को उपांतरित करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

लेनदारों से दावे आमंत्रित करने वाली लोक सूचना ।

130. (1) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी--

(क) निम्नलिखित में उल्लिखित लेनदारों को, शोधन अक्षमता प्रारंभ की तारीख से चौदह दिन के भीतर सूचनाएं भेजेगा--

(i) धारा 129 के अधीन शोधन अक्षम द्वारा प्रस्तुत कार्यकलापों का विवरण**;** या

(ii) धारा 122 के अधीन शोधन अक्षम द्वारा शोधन अक्षमता के लिए आवेदन **;**

(ख) लेनदारों से दावे आमंत्रित करने वाली लोक सूचना जारी करेगा ।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन लोक सूचना में वह समय**,** जिसके अंदर दावे फाइल किए गए हैं और ऐसे विषय और ब्यौरे**,** जो विहित किए जाएं**,** सम्मिलित होंगे और –

(क) कम से कम एक अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के समाचारपत्र में**,** जो उस राज्य में परिचालित किया जाता है**,** जहां पर शोधन अक्षम निवास करता है**,** में प्रकाशित की जाएगी**;**

(ख) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के परिसर पर लगाई जाएगी**;** और

(ग) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी की वेबसाइट पर डाली जाएगी ।

(3) उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन निर्दिष्ट लेनदारों के लिए सूचना में ऐसे विषय और ब्यौरे सम्मिलित होंगे, जो विहित किए जाएं ।

दावों का रजिस्ट्रीकरण ।

131. (1) लेनदार लोक सूचना के प्रकाशन के सात दिन के भीतर शोधन अक्षमता न्यासी को दावों के ब्यौरे ऐसी रीति में भेजकर, जो विहित की जाए, शोधन अक्षमता न्यासी के पास दावे रजिस्टर करेंगे ।

(2) लेनदार, अपने दावों के ब्यौरों के अतिरिक्त, ऐसी अन्य सूचना और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उपलब्ध कराएगा ।

लेनदारों की सूची तैयार करना ।

132. शोधन अक्षमता न्यासी, शोधन अक्षमता प्रारंभ की तारीख से चौदह दिन के

भीतर, निम्नलिखित आधार पर शोधन अक्षम के लेनदारों की सूची तैयार करेगा:-

(क) धारा 118 के अधीन शोधन अक्षम द्वारा फाइल किए गए शोधन अक्षमता के लिए आवेदन में शोधन अक्षम द्वारा प्रकटित सूचना और धारा 125 के अधीन फाइल किए गए कार्यकलापों का विवरण ; और

(ख) धारा 130 की उपधारा (2) के अधीन शोधन अक्षमता न्यासी द्वारा प्राप्त दावे ।

लेनदारों की बैठक बुलाना ।

133. (1) शोधन अक्षमता न्यासी, शोधन अक्षमता प्रारंभ की तारीख से साठ दिन के भीतर धारा 132 के अधीन तैयार की गई सूची में यथा उल्लिखित शोधन अक्षम के प्रत्येक लेनदार को, लेनदारों की बैठक बुलाने के लिए सूचना जारी करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सूचनाओं में,--

(क) लेनदारों की बैठक की तारीख का कथन होगा जो शोधन अक्षमता प्रारंभ की तारीख से इक्कीस दिन अपश्चात् की नहीं होगी ;

(ख) सूचनाओं के साथ प्रोक्सी मतदान के प्ररूप संलग्न होंगे ।

(ग) ऐसे प्ररूप और रीति विनिर्दिष्ट करेंगे जिसमें प्रोक्सी मतदान किया जा सकेगा ।

(3) परोक्षी मतदान, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रोनिक प्रोक्सी मतदान भी है ऐसी रीति और प्ररूप में किया जा सकेगा, जो विनिर्दिष्ट किया जाए ।

लेनदारों की बैठक का संचालन ।

134. (1) धारा 133 के अधीन बुलाई गई लेनदारों की बैठक का संचालक शोधन अक्षमता न्यासी होगा ।

(2) शोधन अक्षमता न्यासी लेनदारों की बैठक के लिए कोरम का विनिश्चय करेगा और बैठक केवल तभी संचालित करेगा यदि कोरम उपस्थित है ।

(3) लेनदारों की बैठक में निम्नलिखित कारबार किया जाएगा जिस संबंध में निम्नलिखित एक संकल्प पारित किया जा सकेगा, अर्थात्:-

(क) लेनदारों की समिति की स्थापना ; और

(ख) कोई अन्य कारबार जिसे शोधन अक्षमता न्यासी संव्यवहार किए जाने के लिए ठीक समझे ।

(4) यदि शोधन अक्षमता न्यासी लेनदारों की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो वह अपने स्थान पर बैठक में हाजिर होने के लिए किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा जो इस संहिता के अधीन शोधन अक्षमता न्यासी के रूप में कार्य करने के लिए अर्ह होगा ।

(5) शोधन अक्षमता न्यासी लेनदारों के बैठक के कार्यवृत्त को अभिलिखित कराएगा, उस पर हस्ताक्षर कराएगा और उसे शोधन अक्षमता प्रक्रिया के अभिलेखों के भाग के रूप में प्रतिधारित करेगा ।

(6) शोधन अक्षमता न्यासी एक बार में तीन दिन से अधिक के लिए किसी प्रयोजन के संबंध में लेनदारों की बैठक को स्थगित नहीं करेगा ।

लेनदारों के मतदान अधिकार ।

135. (1) धारा 132 के अधीन सूची में उल्लिखित प्रत्येक लेनदार या उसका

प्रोक्सी लेनदारों की बैठक में संकल्पों की बाबत मतदान करने के लिए हकदार होगा ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, लेनदार का मताधिकार शोधन अक्षमता के प्रारंभ की तारीख को ऋण के मूल्य पर निर्भर करेगा ।

(3) लेनदार किसी अपरिनिर्धारित रकम के लिए ऋण या किसी ऐसे ऋण, जिसका मूल्य अभिनिश्चित करने योग्य नहीं है, की बाबत सिवाय वहां के मतदान करने का हकदार नहीं होगा जहां शोधन अक्षमता न्यासी उपधारा (1) के अधीन मतदान करने के लिए लेनदार को हकदार बनाने के प्रयोजनों के लिए ऐसे ऋण के मूल्य को समनुदेशित करने के लिए करार करता है।

(4) निम्नलिखित लेनदार इस धारा के अधीन मतदान करने के लिए हकदार नहीं होंगे, अर्थात् :--

(क) ऐसे लेनदार जो धारा 132 के अधीन लेनदारों की सूची में उल्लिखित नहीं हैं और ऐसे लेनदार जिन्हें शोधन अक्षमता न्यासी द्वारा सूचना नहीं दी गई है ;

(ख) ऐसे लेनदार जो शोधन अक्षम के सहयोगी हैं ।

दिवालिया की संपदा का प्रशासन और वितरण ।

136. शोधन अक्षमता न्यासी अध्याय 5 के उपबंधों के अनुसार शोधन अक्षम की संपदा का प्रशासन करेगा और उसका वितरण करेगा ।

प्रशासन का पूरा किया जाना ।

137. (1) शोधन अक्षमता न्यासी अध्याय 5 के उपबंधों के अनुसार शोधन अक्षम की संपदा के प्रशासन तथा वितरण के पूरे किए जाने पर लेनदारों की समिति की बैठक बुलाएगा ।

(2) शोधन अक्षमता न्यासी उक्त समिति की बैठक में शोधन अक्षम की संपदा के प्रशासन की रिपोर्ट लेनदारों की समिति को उपलब्ध कराएगा ।

(3) लेनदारों की समिति रिपोर्ट की प्राप्ति के सात दिन भीतर उपधारा (2) के अधीन शोधन अक्षमता न्यासी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अनुमोदन करेगा और यह अवधारित करेगा कि क्या धारा 148 के अधीन शोधन अक्षमता न्यासी को निर्मुक्त किया जाना चाहिए या नहीं ।

(4) शोधन अक्षमता न्यासी संपदा के प्रशासन के दौरान इस धारा के अधीन अपेक्षित बैठक आहूत करने और उसके संचालन के खर्चों को पूरा करने के लिए शोधन अक्षम की संपदा से पर्याप्त धनराशि प्रतिधारित करेगा ।

उन्मोचन आदेश ।

138. (1) शोधन अक्षमता न्यासी--

(क) शोधन अक्षमता प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष के समाप्त होने पर ; या

(ख) जहां अनुमोदन खंड (क) में उल्लिखित अवधि से पूर्व का है, वहां धारा 137 के अधीन प्रशासन के पूरे किए जाने के लेनदारों की समिति के अनुमोदन की दो दिन के भीतर,

उन्मोचन के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को आवेदन करेगा ।

(2) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन शोधन अक्षमता न्यासी द्वारा किए गए आवेदन पर उन्मोचन आदेश पारित करेगा ।

(3) उन्मोचन आदेश की प्रति--

(क) धारा 196 में निर्दिष्ट रजिस्टर में प्रविष्टि अभिलिखित करने के प्रयोजन के लिए बोर्ड को; और

(ख) धारा 208 के अधीन शोधन अक्षमता न्यासी द्वारा दी गई निष्पादन प्रतिभूति को उन्मोचित करने के प्रयोजन के लिए दिवाला वृत्तिक अभिकरण को उपलब्ध कराएगा ।

उन्मोचन का प्रभाव ।

139. (1) धारा 138 की उपधारा (2) के अधीन उन्मोचन आदेश--

(क) धारा 138 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन आवेदन पर सभी शोधन अक्षमता ऋणों से दिवालिया को उन्मोचित करेगा ;

(ख) धारा 138 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन आवेदन पर, शोधन अक्षमता ऋणों से शोधन अक्षम को उन्मोचित करेगा किंतु ऐसा उन्मोचन--

(i) शोधन अक्षमता न्यासी के कृत्यों को ; या

(ii) भाग 3 के अध्याय 4 और अध्याय 5 के उपबंधों के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगा :

परंतु यह कि उन्मोचन--

(क) ऐसे ऋण के संदाय के लिए जिससे शोधन अक्षम उन्मोचित हो जाता है, अपनी प्रतिभूति प्रवृत्त कराने के लिए प्रतिभूत लेनदार के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा ;

(ख) कपट या न्यासभंग, जिसका वह पक्षकार था, के माध्यम से उपगत किसी ऋण से दिवालिया को निर्मुक्त नहीं करेगा ; या

(ग) किसी अपवर्जित ऋण से शोधन अक्षम को उन्मोचित नहीं करेगा ।

(2) उन्मोचन आदेश किसी ऐसे व्यक्ति को निर्मुक्त नहीं करेगा जो शोधन अक्षमता प्रारंभ की तारीख को,-

(क) शोधन अक्षम का भागीदार था ;

(ख) शोधन अक्षम का सह-न्यासी था ;

(ग) शोधन अक्षम का प्रतिभू था ; या

(घ) शोधन अक्षम के साथ संयुक्त रूप से दायी था ।

दिवालिया की निर्रहता ।

140. (1) शोधन अक्षम, शोधन अक्षमता प्रारंभ की तारीख से इस धारा में उल्लिखित निरर्हताओं के ग्रस्त तब तक नहीं होगा जब तक कि उसे न्याय निणर्यन-प्राधिकारी द्वारा छूट प्राप्त न हो जाए ।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी निरर्हता के अतिरिक्त शोधन अक्षम--

(क) किसी न्यास, संपदा या बंदोबस्त के संबंध में न्यासी या प्रतिनिधि के रूप में होने से या कार्य करने से ;

(ख) लोक सेवक के रूप में नियुक्त होने या कार्य करने से ;

(ग) जहां ऐसे पद के लिए नियुक्ति निर्वाचन द्वारा की जाती है वहां किसी लोक पद पर निर्वाचित होने से ;और

(घ) किसी स्थानीय प्राधिकारी के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने या पदासीन होने या मतदान करने से ; और

(ड.) किसी स्थानीय प्राधिकारी के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के या आसीन होने या मतदान करने से निरर्हित नहीं होगा

(3) कोई निरर्हता, जिससे शोधन अक्षम इस धारा के अधीन ग्रस्त हो सकेगा, प्रभाव में नहीं रहेगी, यदि-

(क) धारा 142 के अधीन उसके विरुद्ध शोधन अक्षमता आदेश बातिल कर दिया जाता है ; या

(ख) उसे धारा 138 के अधीन उन्मोचित कर दिया जाता है ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "लोकसेवक" पद का वही अर्थ होगा जो उसका भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में है ।

1860 का 45

शोधन अक्षम पर निर्बंधन ।

141. (1) कोई शोधन अक्षम शोधन अक्षमता प्रारंभ की तारीख से,—

(क) किसी कंपनी के निदेशक के रूप में कार्य नहीं करेगा या कंपनी के संवर्धन, या उसके बनाए जाने या प्रबंधन में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: भाग नहीं लेगा या उससे संबद्ध नहीं होगा;

(ख) शोधन अक्षमता न्यासी की पूर्व मंजूरी के बिना, अपनी संपदा पर कोई प्रभार या कोई अतिरिक्त ऋण सृजित करने से प्रतिषिद्ध किया जाएगा;

(ग) अपने कारबार भागीदारों को सूचित करने की अपेक्षा की जाएगी कि वह शोधन अक्षमता प्रक्रिया से गुजर रहा है ;

(घ) ऐसे मूल्य के किसी वित्तीय या वाणिज्यिक संव्यवहार करने से पूर्व, जो विहित किया जाए, ऐसे संव्यवहार में अंतवर्लित सभी पक्षकारों को या तो व्यष्टिक रूप से या संयुक्त रूप से सूचित करेगा कि वह शोधन अक्षमता प्रक्रिया से गुजर रहा है;

((ड.) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना शोधन अक्षमता ऋणों के संबंध में किसी विधिक कार्रवाई या कार्यवाहियों को चलाने में अक्षम होगा; और

(च) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना विदेश यात्रा करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(2) कोई ऐसा निर्बंधन जिससे इस धारा के अधीन कोई शोधन अक्षम ग्रस्त हो सकेगा प्रभाव में नहीं रहेगा, यदि-

(क) धारा 142 के अधीन उसके विरुद्ध शोधन अक्षमता आदेश बातिल हो गया है; या

(ख) धारा 138 के अधीन उन्मोचित किया गया है ।

शोधन असक्षमता

142. (1) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी शोधन अक्षमता आदेश को बातिल कर सकेगा

चाहे शोधन अक्षम उन्मोचित किया गया है या नहीं, यदि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि-- का बातिलकरण ।

(क) जब शोधन अक्षमता आदेश किया गया था, तब विद्यमान किसी आधार पर शोधन अक्षमता आदेश को नहीं किया जाना चाहिए था; या

(ख) शोधन अक्षमता ऋण और शोधन अक्षमता के खर्च इन दोनों का ही शोधन अक्षमता आदेश किए जाने के पश्चात् या तो न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में पूर्णत: संदाय कर दिया गया है या प्रतिभूत कर दिया गया है ।

(2) जहां न्यायनिर्णयन प्राधिकारी इस धारा के अधीन किसी शोधन अक्षमता आदेश को बातिल करता है वहां शोधन अक्षमता न्यासी द्वारा किए गए संपत्ति के किसी विक्रय या अन्य व्ययन , संदाय या सम्यकत: की गई अन्य बातें इसके सिवाय विधिमान्य होगी कि शोधन अक्षम की संपत्ति ऐसे व्यक्ति में निहित हो जाएगी जो न्यायनिर्णयन प्राधिकारी नियुक्त करे या ऐसी किसी नियुक्ति के व्यतिक्रम में ऐसे निबंधनों पर शोधन अक्षम को प्रतिवर्तित कर देगा जैसा न्यायनिर्णयन प्राधिकारी निदेश दे ।

(3) उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रति-

-

(क) धारा 191 में निर्दिष्ट रजिस्टर में कोई प्रविष्टि अभिलिखित करने के प्रयोजन के लिए बोर्ड को; और

(ख) धारा 208 के अधीन दिवालिया वृत्तिक द्वारा दी गई निष्पादन प्रतिभूति को निर्मुक्त करने के प्रयोजन के लिए दिवालिया वृत्तिक अभिकरण को उपलब्ध कराई जाएगी ।

(4) उपधारा(1) के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा बातलिकरण सभी लेनदारों को वहां तक आबद्धकर बनाएगा जहां तक उनका संबंध उनको देय किसी ऐसे ऋण से है जो शोधन अक्षमता का भाग रूप हैं ।

आचारण का स्तर ।

143. शोधन अक्षमता न्यासी धारा 208 के अधीन उपबंधित आचार संहिता के अनुपालन में अपने कृत्यों का पालन और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा ।

शोधन अक्षमता न्यासी की फीस ।

144. (1) शोधन अक्षमता प्रक्रिया संचालित करने के लिए नियुक्त शोधन अक्षमता न्यासी ऐसी फीस प्रभारित करेगा जो शोधन अक्षम की संपत्ति के मूल्य के अनुपात में विनिर्दिष्ट की जाए ।

(2) शोधन अक्षमता प्रक्रिया के संचालन के लिए फीस धारा 178 में उपबंधित रीति में शोधन अक्षम की संपदा के वितरण से शोधन अक्षमता न्यासी को संदत्त की जाएगी ।

शोधन अक्षमता न्यासी का प्रतिस्थापन ।

145. (1) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, शोधन अक्षमता न्यासी को लेनदारों की समिति द्वारा किए गए आवेदन पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है, यदि शोधन अक्षमता न्यासी--

(क) अनुचित रूप से कार्य कर रहा है या उसने ऐसा कार्य किया है जिससे कि उपेक्षापूर्वक या कपटपूर्वक शोधन अक्षमता प्रक्रिया का संचालन करके लेनदार

के हितों को हानि पहुंचती है, क्योंकि -

(i) वह शोधन अक्षमता प्रक्रिया की अपेक्षानुसार कारबार का संचालन करने में असफल हुआ है ;

(ii) इस अध्याय के अधीन, जहां कहीं अपेक्षित हो, वहां अभ्यावेदन करने के लिए लेनदार को अवसर प्रदान करने में असफल हुआ है ;

(iii) उसने इस संहिता के उपबंधों के अतिक्रमण में शोधन अक्षम के मामलों में अन्वेषण किया है ;

(iv) उसने इस संहिता के उपबंधों के अतिक्रमण में शोधन अक्षम की संपदा को वसूल किया है ;

(v) उसने इस संहिता के उपबंधों के अतिक्रमण में शोधन अक्षम की संपदा का वितरण किया है ;

(vi) उसने अन्य पक्षकार के साथ दुस्संधि की है ।

(ख) वह अपने कृत्यों का उतनी समीचीनता से या दक्षता से पालन नहीं कर रहा है जितना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य हो या वह अपनी शक्तियों तथा कृत्यों के पालन में ऐसी वृत्तिकों की प्रत्याशित देखभाल के युक्तियुक्त स्तर का प्रयोग करने में असफल हुआ है ।

(2) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, स्वप्रेरणा से, इस धारा में उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार, उपधारा (1) में उल्लिखित आधारों पर शोधन अक्षमता न्यासी के प्रतिस्थापन का आदेश कर सकेगा ।

(3) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन के भीतर आवेदन की जांच करेगा ।

(4) जहां न्यायनिर्णयन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि शोधन अक्षमता न्यासी को प्रतिस्थापित करना आवश्यक है वहां वह बोर्ड को शोधन अक्षमता न्यासी के प्रतिस्थापन के लिए निदेश देगा ।

(5) बोर्ड उपधारा (4) के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के निदेश के दस दिन के भीतर शोधन अक्षमता न्यासी की प्रतिस्थापन के रूप में सिफारिश करेगा ।

(6) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी ऐसी सिफारिश प्राप्त करने के चौदह दिन के भीतर उपधारा (5) के अधीन बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार शोधन अक्षमता न्यासी की नियुक्ति करेगा ।

(7) पूर्वतर शोधन अक्षमता न्यासी अपनी नियुक्ति की तारीख को उपधारा (6) के अधीन नियुक्त शोधन अक्षमता न्यासी को शोधन अक्षम की संपदा का कब्जा परिदत्त करेगा

(8) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी पूर्वतर शोधन अक्षमता न्यासी को निदेश देगा कि वह--

(क) शोधन अक्षमता प्रक्रिया के संबंध में नए शोधन अक्षमता न्यासी के साथ सभी सूचना सांझा करे ;और

(ख) ऐसे मामलों में, जो अपेक्षित हों, नए शोधन अक्षमता न्यासी के साथ

सहयोग करे ।

(9) बोर्ड उस शोधन अक्षमता न्यासी के विरुद्ध कार्रवाई करेगा जिसके विरुद्ध उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन फाइल किया गया है और जिसे धारा 219 के अधीन नए शोधन अक्षमता न्यासी के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है ।

(10) इस धारा के अधीन प्रतिस्थापित पूर्वतर शोधन अक्षमता न्यासी धारा 148 के उपबंधों के अनुसार निर्मुक्त किया जाएगा ।

(11) इस धारा के अधीन नियुक्त शोधन अक्षमता न्यासी अपनी नियुक्ति के दो दिन के भीतर शोधन अक्षम को अपनी नियुक्ति की सूचना देगा ।

शोधन अक्षमता न्यासी द्वारा रजिस्ट्रीकरण ।

146. (1) शोधन अक्षमता न्यासी त्याग पत्र दे सकेगा, यदि--

(क) वह दिवाला वृत्तिक के रूप में व्यवसाय न करने का आशय रखता है ;

(ख) हित का विरोध है या वैयक्तिक परिस्थितियों में परिवर्तन है जो शोधन अक्षमता न्यासी के रूप में उसे, उसके कर्तव्यों का अतिरिक्त निर्वहन करने से प्रवरित करता है ।

(2) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, शोधन अक्षमता न्यासी के त्यागपत्र की स्वीकृति के दो दिन के भीतर उसके प्रतिस्थापन के लिए बोर्ड को निदेश देगा ।

(3) बोर्ड उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के निदेश के दस दिन के भीतर किसी अन्य शोधन अक्षमता न्यासी की प्रतिस्थापन के रूप में सिफारिश करेगा ।

(4) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी सिफारिश की प्राप्ति के चौदह दिन के भीतर उपधारा (3) के अधीन बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए शोधन अक्षमता न्यासी की नियुक्ति करेगा ।

(5) प्रतिस्थापित शोधन अक्षमता न्यासी अपनी नियुक्ति की तारीख से उपधारा (4) के अधीन नियुक्त शोधन अक्षमता न्यासी को शोधन अक्षम संपत्ति का कब्जा देगा ।

(6) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी शोधन अक्षमता न्यासी, जिसने त्यागपत्र दिया है, को निदेश दे सकेगा--

(क) वह शोधन अक्षमता प्रक्रिया की बाबत नए शोधन अक्षमता न्यासी के साथ सभी सूचनाएं सांझा करे; और

(ख) ऐसे मामलों में, जो अपेक्षित हों, नए शोधन अक्षमता न्यासी के साथ सहयोग करे ।

(7) इस धारा के अधीन नियुक्त शोधन अक्षमता न्यासी लेनदारों की समिति को और शोधन अक्षम को अपनी नियुक्ति के दो दिन के भीतर अपनी नियुक्ति की सूचना देगा ।

(8) इस धारा के अधीन प्रतिस्थापित शोधन अक्षमता न्यासी धारा 148 के उपबंधों के अनुसार निर्मुक्त किया जाएगा ।

शोधन अक्षमता न्यासी के पद की रिक्ति ।

147. (1) यदि शोधन अक्षमता न्यासी के पद पर उसके प्रतिस्थापन या त्याग पत्र से भिन्न किसी कारण से कोई रिक्ति उत्पन्न होती है तो रिक्ति इस धारा के

उपबंधों के अनुसार भरी जाएगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिक्ति के होने की दशा में, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी शोधन अक्षमता न्यासी के प्रतिस्थापन के लिए बोर्ड को निदेश देगा ।

(3) बोर्ड, उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के निदेश के दस दिन के भीतर शोधन अक्षमता न्यासी की प्रतिस्थापन के रूप में सिफारिश करेगा ।

(4) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, सिफारिश प्राप्त करने के चौदह दिन के भीतर उपधारा (3) के अधीन बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए शोधन अक्षमता न्यासी की नियुक्ति करेगा ।

(5) पूर्वतर शोधन अक्षमता न्यासी अपनी नियुक्ति की तारीख को उपधारा (4) के अधीन नियुक्त शोधन अक्षमता न्यासी को शोधन अक्षम की संपदा का कब्जा देगा ।

(6) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी ऐसे शोधन अक्षमता न्यासी को, जिसने पद रिक्त किया है, ऐसे निदेश दे सकेगा कि वह--

(क) शोधन अक्षमता के संबंध में नए शोधन अक्षमता न्यासी के साथ सभी सूचनाएं सांझा करे; और

(ख) ऐसे मामलों में, जो अपेक्षित हों, नए शोधन अक्षमता न्यासी के साथ सहयोग करे ।

(7) उपधारा (4) के अधीन नियुक्त शोधन अक्षमता न्यासी अपनी नियुक्ति के दो दिन के भीतर लेनदारों की समिति और शोधन अक्षम को अपनी नियुक्ति की सूचना देगा ।

(8) इस धारा के अधीन प्रतिस्थापित पूर्वतर शोधन अक्षमता न्यासी धारा 148 के उपबंधों के अनुसार निर्मुक्त किया जाएगा :

परंतु यह धारा लागू नहीं होगी यदि रिक्ति शोधन अक्षमता न्यासी की अस्थायी रुग्णता या अस्थायी छुट्टी के कारण उद्भूत हुई हो ।

शोधन अक्षमता न्यासी की निर्मुक्ति ।

148. (1) शोधन अक्षमता न्यासी अपने पद से उस तारीख से निर्मुक्त किया जाएगा जिसको न्याय निर्णयण प्राधिकारी, यथास्थिति, धारा 145, धारा 146 या धारा 147 के अधीन प्रतिस्थापन, त्यागपत्र या रिक्ति उद्भूत होने की दशा में नए शोधन अक्षमता न्यासी की नियुक्ति करने वाला आदेश पारित करता है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन निर्मुक्ति के होते हुए भी, शोधन अक्षमता न्यासी जिसे इस प्रकार निर्मुक्त किया गया है, शोधन अक्षमता प्रक्रिया के संबंध में नए शोधन अक्षमता न्यासी के साथ सभी जानकारी सांझा करेगा और ऐसे मामलों में नए शोधन अक्षमता न्यासी के साथ सहयोग, जो अपेक्षित हो, करेगा ।

(3) शोधन अक्षमता न्यासी जिसने शोधन अक्षमता प्रक्रिया का प्रशासन पूरा कर लिया है उस तारीख से अपने कर्तव्यों से निर्मुक्त कर दिया जाएगा जिसको लेनदारों की समिति धारा 137 के अधीन शोधन अक्षमता न्यासी की रिपोर्ट का अनुमोदन करती है ।

अध्याय 5

शोधन अक्षम की संपदा का प्रशासन और उसका वितरण

शोधन अक्षमता न्यासी के कृत्य ।

149. (1) शोधन अक्षमता न्यासी इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा-

(क) शोधन अक्षम के कार्यकलापों का अन्वेषण करना;

(ख) शोधन अक्षम की संपदा को वसूल करना; और

(ग) शोधन अक्षम की संपदा को वितरित करना ।

शोधन अक्षमता न्यासी के प्रति शोधन अक्षम के कर्तव्य ।

150. (1) शोधन अक्षम इस अध्याय के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने में शोधन अक्षमता न्यासी की--

(क) शोधन अक्षमता न्यासी को उसके कार्यकलापों की जानकारी देकर;

(ख) ऐसे समय, जो अपेक्षित हों, पर शोधन अक्षमता न्यासी पर ध्यान देकर;

(ग) निम्नलिखित घटनाओं में किसी घटना में, जो शोधन अक्षमता प्रारंभ की तारीख के पश्चात् घटित हुई है, शोधन अक्षमता न्यासी को सूचना देकर--

(i) शोधन अक्षम द्वारा किसी की संपति का अर्जन;

(ii) शोधन अक्षम पर किसी संपत्ति का न्यागमन;

(iii) शोधन अक्षम की आय में वृद्धि;

(घ) ऐसी सभी अन्य बातें करके, जो विहित की जाएं, सहायता करेगा ।

(2) शोधन अक्षम ऐसी वृद्धि, अर्जन या न्यागमन के पांच दिन के भीतर उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन आय में वृद्धि या संपत्ति के अर्जन या न्यागमन की सूचना देगा ।

(3) शोधन अक्षम धारा 138 के अधीन उन्मोचन के पश्चात् ही खंड (ग) के अधीन कर्तव्यों से भिन्न उपधारा (1) के अधीन कर्तव्यों का निर्वहन करता रहेगा ।

शोधन अक्षमता न्यासी के अधिकार ।

151. (1) इस अध्याय के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए शोधन अक्षमता न्यासी अपने पदीय नाम से--

(क) प्रत्येक वर्णन की संपत्ति धारण कर सकेगा;

(ख) संविदा कर सकेगा;

(ग) वाद ला सकेगा या उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा;

(घ) शोधन अक्षम की संपदा के संबंध में वचनबंध कर सकेगा;

(ड.) अपनी ओर से कार्य करने के लिए व्यक्तियों को नियोजित कर सकेगा;

(च) कोई मुख्तारनामा, विलेख या अन्य लिखत निष्पादित कर सकेगा ; और

(छ) कोई ऐसा अन्य कार्य कर सकेगा जो उसके अधिकारों के प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए या उसके संबंध में आवश्यक या समीचीन हो ।

शोधन अक्षमता न्यासी की साधारण शक्तियां

152. (1) शोधन अक्षमता न्यासी इस अध्याय के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करते समय,--

(क) शोधन अक्षम की संपदा के किसी भाग का विक्रय कर सकेगा;

(ख) उसके द्वारा प्राप्त किसी धनराशि के लिए रसीद दे सकेगा;

(ग) शोधन अक्षम को देय ऐसे ऋणों, जो उसकी संपदा से मिलकर बने हैं, के संबंध में लाभांश को साबित कर सकेगा, उसे समान रूप से क्रमबद्ध कर सकेगा उसका दावा कर सकेगा और उसका आहरण कर सकेगा;

(घ) जहां शोधन अक्षम की संपदा में समाविष्ट कोई संपत्ति गिरवी या आडमान के माध्यम से किसी व्यक्ति द्वारा धारित की जाती हैं वहां ऐसी किसी संपत्ति की बाबत मोचन के अधिकार का प्रयोग उक्त व्यक्ति को सूचना देकर सुसंगत संविदा के अधीन रहते हुए कर सकेगा;

(ड.) जहां शोधन अक्षम की संपदा का कोई भाग किसी कंपनी का या किसी ऐसी अन्य संपत्ति में प्रतिभूतियों से मिलकर बनता है जो व्यक्ति की बहियों में अंतरणीय है, वहां वह उसी विस्तार तक संपत्ति को अंतरण करने के अधिकार का प्रयोग कर सकेगा जिस तक शोधन अक्षम ने इसका प्रयोग किया होता यदि वह शोधन अक्षम न हुआ होता; और

(च) शोधन अक्षम की संपत्ति में समाविष्ट किसी ऐसी संपत्ति से व्यवहार करना जिसके लिए शोधन अक्षम फायदाप्रद रूप में उसी रीति में हकदार है जिसमें उसने इसे व्यवहृत किया हो ।

कतिपय कार्यों के लिए लेनदारों का अनुमोदन ।

153. (1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए शोधन अक्षमता न्यासी लेनदारों की समिति के अनुमोदन को उपाप्त करने के पश्चात्,--

(क) शोधन अक्षम के किसी कारबार को वहां तक चला सकेगा जहां तक फायदाप्रद रूप में उसका परिसमापन करना आवश्यक हो;

(ख) शोधन अक्षम की संपदा में समाविष्ट संपत्ति से संबंधित कोई विधिक कार्रवाई या कार्यवाही कर सकेगा, संस्थित कर सकेगा या उसकी प्रतिरक्षा कर सकेगा ;

(ग) प्रतिभूति जैसे कतिपय अनुबंधों के अधीन रहते हुए भविष्य में देय धन की राशि को किसी संपत्ति के विक्रय के लिए प्रतिफल के रूप में स्वीकार कर सकेगा ;

(घ) शोधन अक्षम के ऋणों के संदाय के लिए धन जुटाने के प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को बंधक कर सकेगा या गिरवी रख सकेगा ।

(ड.) जहां कोई अधिकार विकल्प या अन्य शक्ति शोधन अक्षम की संपत्ति का भाग रूप है, वहां लेनदारों के फायदे के लिए किसी ऐसी संपत्ति, जो ऐसे अधिकार विकल्प या शक्ति का विषय है, को अभिप्राप्त करने की दृष्टि से संदाय या दायित्व उपगत कर सकेगा ;

(च) शोधन अक्षम या किसी ऐसे व्यक्ति, जिसने शोधन अक्षम के प्रति कोई दायित्व उपगत किया हो, के बीच अस्तित्ववान या अस्तित्ववान होने के लिए अनुमित किसी ऋण को ऐसे निबंधनों, जो करार पाए जाएं, पर माध्यस्थम् को निर्दिष्ट कर सकेगा या समझौता कर सकेगा ;

(छ) लेनदारों के साथ कोई समझौता या ठहराव कर सकेगा, जो समीचीन

समझा जाए ;

(ज) शोधन अक्षम की संपदा से उद्भूत होने वाली या उसकी समनुषंगी किसी दावे की बावत समझौता या अन्य ठहराव कर सकेगा जो वह समीचीन समझे;

(झ) शोधन अक्षम को--

(i) दिवालिया की संपदा या उसके किसी भाग के प्रबंध का पर्यवेक्षण करने के लिए ;

(ii) उसके लेनदारों के फायदे के लिए उसके कारबार को चलाने के लिए ;

(iii) शोधन अक्षम की संपदा को प्रशासित करने के लिए शोधन अक्षमता न्यासी की सहायता करने के लिए,

नियुक्त कर सकेगा ।

(2) जहां शोधन अक्षमता न्यासी ने उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित अनुमोदन के बिना कोई बात नहीं की है, वहां लेनदारों की समिति शोधन अक्षमता न्यासी के कार्यों को केवल वहां अनुसमर्थित कर सकेगा जहां शोधन अक्षमता न्यासी ने अत्यावश्यकता के कारण कार्य किया है और उसमें अनुचित विलंब के बिना ऐसे अनुसमर्थन की ईप्सा की है ।

शोधन अक्षमता न्यासी में शोधन अक्षम की संपदा का निहित किया जाना ।

154. (1) शोधन अक्षम की संपदा उसकी नियुक्ति की तारीख से सीधे ही शोधन अक्षमता न्यासी में निहित हो जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन निहित करना, किसी अभिहस्तांतरण, समनुदेशन या अंतरण के बिना प्रभावी होगा ।

शोधन अक्षम की संपदा ।

155. (1) शोधन अक्षम की संपदा में,—

(क) शोधन अक्षमता प्रारंभ की तारीख को शोधन अक्षम से संबंधित या उसमें निहित सभी संपत्ति ;

(ख) ऐसी संपत्ति में या उस पर या उसकी बाबत ऐसी सभी शक्तियों का, जो शोधन अक्षमता प्रारंभ की तारीख को या धारा 138 के अधीन पारित उन्मोचन की तारीख से पूर्व अपने ही फायदे के लिए शोधन अक्षम द्वारा प्रयोग की गई हों, प्रयोग की और कार्यवाहियां आरंभ करने की हैसियत ; और

(ग) सभी संपत्ति, जो इस अध्याय के उपबंधों में से किसी उपबंध के आधार पर संपत्ति में समाविष्ट की जाती है, सम्मिलित होगी ।

(2) शोधन अक्षम की संपदा में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होगा,-

(क) अपवर्जित आस्तियां ;

(ख) किसी अन्य व्यक्ति के लिए न्यास पर शोधन अक्षम द्वारा धृत संपत्ति ; और

(ग) ऐसी आस्तियां जो किसी वित्तीय सेक्टर विनियामक के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं ।

शोधन अक्षमता न्यासी को संपत्ति

156. शोधन अक्षम, उसका बैंककार या अभिकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति जिसके कब्जे में कोई संपत्ति, बहियां, कागजात या अन्य अभिलेख, जिनकी शोधन अक्षमता

और दस्तावेजों का परिदान ।

न्यासी से शोधन अक्षमता प्रक्रिया के प्रयोजनों के लिए कब्जा लेने की अपेक्षा की जाती है, शोधन अक्षमता न्यासी को उक्त संपत्ति तथा दस्तावेज परिदत्त करेगा ।

शोधन अक्षमता न्यासी द्वारा नियंत्रण का अर्जन ।

157. (1) शोधन अक्षमता न्यासी दिवालिया की संपदा या शोधन अक्षम के उन कार्योंकलापों, जिनका उससे संबंध है या उसके कब्जे में हैं या नियंत्रण में हैं, से संबंधित सभी संपत्ति, बहियों, कागजातों या अन्य अभिलेखों का कब्जा लेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा ।

(2) जहां शोधन अक्षम की संपदा का कोई भाग अनुयोज्य दावों में चीजों से मिलकर बना है, वहां वे समनुदेशन की किसी सूचना के बिना शोधन अक्षमता न्यासी को समनुदेशित कर दिया गया समझा जाएगा ।

संपत्ति के व्ययन पर निर्बंधन ।

158. (1) शोधन अक्षमता के लिए आवेदन फाइल करने की तारीख तथा शोधन अक्षमता प्रारंभ की तारीख के बीच की अवधि के दौरान ऋणी द्वारा किए गए संपत्ति का कोई व्ययन शून्य होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन संपत्ति का कोई व्ययन, किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी संपत्ति की बाबत किसी अधिकार को उत्पन्न नहीं करेगा भले ही उसने ऐसी संपत्ति शोधन अक्षमता प्रारंभ की तारीख से पूर्व--

(क) सदभावपूर्वक ;

(ख) मूल्य के लिए ; और

(ग) शोधन अक्षमता के लिए आवेदन के फाइल करने की सूचना के बिना,

क्यों न प्राप्त कर ली हो ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "संपत्ति" पद से ऋणी की ऐसी सभी संपत्ति अभिप्रेत है, चाहे वह शोधन अक्षम की संपदा से मिलकर बनी हो या नहीं किंतु इसके अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति के लिए न्यास में ऋणी द्वारा धृत संपत्ति सम्मिलित नहीं होगी ।

शोधन अक्षम की पश्चअर्जित संपत्ति ।

159. (1) शोधन अक्षमता न्यासी दिवालिया को नोटिस देकर किसी पश्च अर्जित संपत्ति शोधन अक्षम की संपदा के लिए दावा करने का हकदार होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना,--

(क) अपवर्जित आस्तियों, या

(ख) किसी संपत्ति, जिसे धारा 138 के अधीन उन्मोचन आदेश किए जाने के पश्चात् शोधन अक्षम द्वारा अर्जित किया जाता है या इसे उस पर न्यागत किया जाता है, के संबंध में तामील नहीं की जाएगी ।

(3) उपधारा (2) के अधीन सूचना उस दिन से पंद्रह दिन के भीतर दी जाएगी जिसको पश्च अर्जित संपत्ति का अर्जन या न्यागमन शोधन अक्षमता न्यासी की जानकारी में आता है ।

(4) उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए,--

(क) ऐसी कोई बात जो शोधन अक्षमता न्यासी की जानकारी में आती है, उसी समय शोधन अक्षमता न्यासी के उत्तरवर्ती की जानकारी में आई हुई समझी

जाएगी ; और

(ख) ऐसी कोई बात जो ऐसे किसी व्यक्ति की जानकारी में, उसके शोधन अक्षमता न्यासी के रूप में नियुक्ति किए जाने के पूर्व आती है तो वह शोधन अक्षमता न्यासी के रूप में उसकी नियुक्ति की तारीख को उसकी जानकारी में आई हुई समझी जाएगी ।

(5) शोधन अक्षमता न्यासी इस धारा के आधार पर, ऐसे किसी व्यक्ति से, जिसने सद्भाविक रूप से पश्च अर्जित संपत्ति पर मूल्य के लिए और शोधन अक्षमता की सूचना के बिना कोई अधिकार अर्जित किया है, दावा करने का हकदार नहीं होगा ।

(6) कोई सूचना उपधारा (3) के अधीन अवधि की समाप्ति के पश्चात् ही न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के अनुमोदन से तामील की जा सकेगी ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''पश्च अर्जित संपत्ति'' पद से ऐसी कोई संपत्ति अभिप्रेत है जिसे शोधन अक्षमता प्रारंभ की तारीख के पश्चात् शोधन अक्षम द्वारा अर्जित किया गया है या उस पर न्यागत किया गया है ।

शोधन अक्षम की दुर्भर संपत्ति ।

160. (1) शोधन अक्षमता न्यासी शोधन अक्षम को या दुर्भर संपत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति को सूचना देकर किसी ऐसी दुर्भर संपत्ति का दावा त्याग कर सकेगा, जो शोधन अक्षम की संपदा का भाग रूप है ।

(2) शोधन अक्षमता न्यासी इस बात के होते हुए भी उपधारा (1) के अधीन सूचना दे सकेगा कि उसने दुर्भर संपत्ति का कब्जा ले लिया है, उसे बेचने का प्रयत्न किया है या उसके संबंध में स्वामित्व के अधिकार का प्रयोग किया है ।

(3) दावा त्याग की सूचना,--

(क) दावा त्याग की तारीख से ही, अदावाकृत दुर्भर संपत्ति की बाबत शोधन अक्षम के अधिकारों, हितों और दायित्वों का अवधारण करेगा ;

(ख) शोधन अक्षमता न्यासी की नियुक्ति की तारीख से ही दुर्भर संपत्ति की बाबत सभी वैयक्तिक दायित्व से शोधन अक्षमता न्यासी को उन्मोचित करेगा ।

(4) उपधारा (1) के अधीन दावात्याग की सूचना ऐसी संपत्ति की बाबत दी जाएगी जिसका लेनदारों की समिति की अनुज्ञा के बिना धारा 155 के अधीन शोधन अक्षम की संपत्ति के लिए दावा किया गया है ।

(5) उपधारा (1) के अधीन दावात्याग की सूचना किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों या दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगी और ऐसा कोई व्यक्ति जिसको इस धारा के अधीन दावा त्याग के प्रवर्तन के परिणामस्वरूप कोई हानि या नुकसान हुआ है, उस हानि या नुकसान की सीमा तक शोधन अक्षम के लेनदार के रूप में समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए "दुर्भर संपत्ति" पद से,--

(i) कोई अलाभकारी संविदा; और

(ii) शोधन अक्षम की संपदा में समाविष्ट कोई अन्य संपत्ति जो अविक्रीय है या तुरंत विक्रीय नहीं है या ऐसी है कि उससे दावा उत्पन्न हो सकेगा,

अभिप्रेत है ।

दुर्भर संपत्ति के दावात्याग की सूचना ।

161. (1) धारा 160 के अधीन दावा त्याग की कोई सूचना आवश्यक होगी, यदि--

(क) दुर्भर संपत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति ने लिखित में शोधन अक्षमता न्यासी को या उसके पूववर्ती को उससे यह अपेक्षा करते हुए कि वह यह विनिश्चय करे कि क्या दुर्भर संपत्ति का दावा त्याग किया जाना चाहिए या नहीं, लिखित में आवेदन किया है ; और

(ख) खंड (क) के अधीन कोई विनिश्चय सूचना की प्राप्ति के सात दिन के भीतर शोधन अक्षम द्वारा नहीं लिया गया है ।

(2) कोई दुर्भर संपत्ति, जिसका उपधारा (1) के अधीन दावा त्याग नहीं किया जा सकता है, शोधन अक्षम की संपदा का भाग समझी जाएगी ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, दुर्भर संपत्ति को वहां दावा त्याग कहा जाता है, जहां उस संपत्ति के संबंध में सूचना धारा 160 के अधीन शोधन अक्षमता न्यासी को दे दी गई है ।

पट्टाधृतों का दावात्याग ।

162. (1) शोधन अक्षमता न्यासी किसी पट्टाधृति हित का दावा त्याग करने के लिए हकदार तब तक नहीं होगा जब तक कि दावा त्याग की सूचना प्रत्येक हितबद्ध व्यक्ति पर तामील न कर दी गई हो, और--

(क) हितबद्ध व्यक्ति द्वारा दावात्याग का आक्षेप करने वाला आवेदन उस तारीख के पंद्रह दिन के भीतर, जिसको सूचना पट्टाधृति के संबंध में आवेदन फाइल नहीं किया गया था; और

(ख) जहां दावेत्याग का आक्षेप किया जाने वाला आवेदन हितबद्ध व्यक्ति द्वारा फाइल किया गया है, वहां न्यायनिर्णयन प्राधिकारी ने धारा 163 के अधीन यह निदेश दिया है कि दावा त्याग प्रभावी होगा ।

(2) जहां न्यायनिर्णयन प्राधिकारी उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन निदेश देता है, वहां वह किरायेदार द्वारा फिक्सरों, सुधारों तथा पट्टे से उद्भूत होने वाले अन्य विषयों के संबंध में ऐसा आदेश भी किया जा सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

अदावाकृत संपत्ति के विरुद्ध चुनौती ।

163. (1) दावा त्याग को चुनौती देने वाला आवेदन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को इस धारा के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा किया जा सकेगा--

(क) ऐसा कोई व्यक्ति जो अदावाकृत संपत्ति में हित का दावा करता है; या

(ख) ऐसा कोई व्यक्ति जो अदावाकृत संपत्ति की बाबत किसी दायित्व के अधीन है ; या

(ग) जहां अदावाकृत संपत्ति कोई निवासगृह है, ऐसा कोई व्यक्ति जो शोधन अक्षमता के आवेदन की तारीख को उस निवासगृह के अधिभाग में या उसका अधिभोग करने के लिए हकदार था ।

(2) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन पर उपधारा (1) में उल्लिखित व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को अदावाकृत संपत्ति को निहित करने या उसके परिदान के लिए आदेश कर सकेगा ।

(3) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में उपधारा (1) के खंड (ख) के

अधीन आवेदन किया है सिवाय वहां के ऐसा आदेश नहीं करेगा जहां न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि यह व्यक्ति की प्रतिपूर्ति करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना उचित होगा ।

(4) इस धारा के अधीन आदेश के प्रभाव को धारा 160 की उपधारा (5) के अधीन दावा त्याग के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति द्वारा उठाई गई हानि या नुकसान का निर्धारण करते समय हिसाब में लिया जाएगा ।

(5) उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति में संपत्ति निहित करने वाले आदेश को किसी परिणाम, समनुदेशन या अंतरण द्वारा पूरा किए जाने की आवश्यकता नहीं है ।

अवमूल्यकृत संव्यवहार ।

164. (1) शोधन अक्षमता न्यासी शोधन अक्षम और किसी व्यक्ति के बीच अवमूल्यकृत संव्यवहार की बाबत इस धारा के अधीन किसी आदेश के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवमूल्यकृत संव्यवहार को,--

(क) शोधन अक्षमता के लिए आवेदन के फाइल करने पर समाप्त होने वाली दो वर्ष की अवधि के दौरान किया गया जाना चाहिए था ; और

(ख) शोधन अक्षमता को आगे प्रवर्तित किया जाना चाहिए था ।

(3) शोधन अक्षमता के लिए आवेदन करने की तारीख से पूर्ववर्ती दो वर्ष की अवधि के दौरान शोधन अक्षम और उसके सहयोगियों के बीच किए गए संव्यवहार को इस धारा के अधीन अवमूल्यकृत संव्यवहार के रूप में समझा जाएगा ।

(4) उपधारा (1) के अधीन शोधन अक्षमता न्यासी के आवेदन पर, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी,--

(क) अवमूल्यकृत संव्यवहार को शून्य घोषित करने वाला आदेश पारित कर सकेगा ;

(ख) ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जिसमें अवमूल्यकृत संव्यवहार के भाग के रूप में अंतरित किसी संपत्ति की शोधन अक्षम की संपदा के रूप में शोधन अक्षमता न्यासी के पास निहित किए जाने की अपेक्षा की गई है ; और

(ग) कोई ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकेगा जिसे वह उस स्थिति में प्रत्यावर्तित होने के लिए ठीक समझे जिसमें यह कर दिया गया होता यदि शोधन अक्षम द्वारा अवमूल्यकृत संव्यवहार न किया गया होता ।

(5) उपधारा (4) का खंड (क) के अधीन आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक शोधन अक्षम द्वारा यह साबित न दिया जाए कि संव्यवहार शोधन अक्षम के कारबार के साधारण अनुक्रम में किया गया था :

परंतु इस उपधारा के उपबंध और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन शोधन अक्षम और उसके सहयोगी के बीच किए गए संव्यवहार को लागू नहीं होंगे ।

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, शोधन अक्षम किसी व्यक्ति के साथ अवमूल्यकृत संव्यवहार करता है, यदि--

(क) वह उस व्यक्ति को उपहार देता है ;

(ख) उस व्यक्ति द्वारा शोधन अक्षम से कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं किया

गया है ;

(ग) यह विवाह के प्रतिफल स्वरूप है ;

(घ) यह उस प्रतिफल के लिए है, जिसका मूल्य धन के रूप में या दिवालिया द्वारा दिए गए प्रतिफल के धन के रूप में मूल्य या धन के मूल्य से विशिष्टतया कम है ।

अधिमान संव्यवहार ।

165. (1) शोधन अक्षमता न्यासी इस धारा के अधीन किसी आदेश के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा यदि शोधन अक्षम ने किसी व्यक्ति को अधिमान दिया है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन शोधन अक्षम के किसी सहयोगी को अधिमान देने वाला संव्यवहार शोधन अक्षमता के आवेदन की तारीख को समाप्त होने वाली दो वर्ष की अवधि के दौरान सहयोगी के साथ शोधन अक्षम द्वारा किया जाना चाहिए था ।

(3) अधिमान देने वाला ऐसा कोई संव्यवहार, जो उपधारा (2) के अंतर्गत नहीं आता है, शोधन अक्षमता के आवेदन की तारीख को समाप्त होने वाली छह मास की अवधि के दौरान शोधन अक्षम द्वारा किया जाना चाहिए था ।

(4) उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन अधिमान देने वाले संव्यवहार द्वारा प्रवर्तित किए जाने वाली शोधन अक्षमता प्रक्रिया कारित की जानी चाहिए थी ।

(5) उपधारा (1) के अधीन शोधन अक्षमता न्यासी के आवेदन पर, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी,--

(क) अधिमान देने वाले संव्यवहार को शून्य घोषित करने वाला आदेश पारित कर सकेगा ;

(ख) शोधन अक्षम की संपदा के भाग के रूप में शोधन अक्षमता न्यासी के पास निहित किए जाने वाले अधिमान देने वाले संव्यवहार के संबंध में किसी संपत्ति को अंतरित करने की अपेक्षा करने वाला आदेश पारित कर सकेगा ; और

(ग) कोई ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकेगा जिससे वह उस स्थिति में प्रत्यावर्तित होने के लिए ठीक समझे जिसमें यह कर दिया गया होता यदि शोधन अक्षम द्वारा अधिमान देने वाला संव्यवहार न किया गया होता ।

(6) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी उपधारा (5) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं करेगा जब तक कि शोधन अक्षम किसी व्यक्ति को अधिमान देने के उसके विनिश्चय में अपने उपधारा (8) के खंड (ख) के अधीन उस व्यक्ति के संबंध में अपने विनिश्चय को प्रभावी करने के लिए कोई चल संपत्ति प्रस्तुत करने की वांछा द्वारा प्रभावित नहीं किया गया हो ।

(7) उपधारा (6) के प्रयोजनों के लिए, यदि कोई व्यक्ति दिवालिया का उस समय सहयोगी (उसके केवल कर्मचारी होने के कारण से अन्यथा), है जब अधिमान दिया गया था, यह उपधारणा की जाएगी कि शोधन अक्षम उस उपधारा के अधीन उसके विनिश्चय में प्रभावित किया गया था ।

(8) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी शोधन अक्षम के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने किसी व्यक्ति को अधिमान देने वाला संव्यवहार किया है, यदि--

(क) व्यक्ति शोधन अक्षम के किसी ऋण का लेनदार या प्रतिभू या प्रत्याभूति दाता हैं ; और

(ख) शोधन अक्षम कोई ऐसी बात करता है या ऐसी किए जाने वाली किसी बात से ग्रस्त है, जिसका प्रभाव उस व्यक्ति को ऐसी स्थिति में पहुंचाना है जो ऋणदार को शोधन अक्षम बनाने की दशा में उस स्थिति से बेहतर होती यदि वह उसमें हुआ होता, यदि वह बात न की गई होती ।

आदेश का प्रभाव ।

166. (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए धारा 164 या धारा 165 के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश,--

(क) संपत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई ऐसा अधिकार सृजित नहीं करेगा जो अवमूल्यकृत संव्यवहार या अधिमान देने वाले संव्यवहार में अर्जित की गई थी चाहे वह ऐसा व्यक्ति है या नहीं जिसके साथ शोधन अक्षम ने ऐसा संव्यवहार किया है ।

(ख) किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं करेगा कि वह अवमूल्यकृत संव्यवहार से या अधिमान देने वाले संव्यवहार से फायदा की बाबत शोधन अक्षमता न्यासी को राशि का संदाय करे चाहे वह ऐसा व्यक्ति है या नहीं जिसके साथ शोधन अक्षम ने ऐसा संव्यवहार किया है ।

(2) उपधारा (1) का उपबंध केवल तभी लागू होगा–

(क) सदभावपूर्वक ;

(ख) मूल्य के लिए ;

(ग) बिना सूचना कि शोधन अक्षम ने अवमूल्य पर या अधिमान देने के लिए संव्यवहार किया है ;

(घ) सूचना के बिना कि शोधन अक्षम ने शोधन अक्षमता के लिए आवेदन फाइल किया है या शोधन अक्षमता आदेश पारित किया है ; और

(ड.) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हित अर्जित करने या फायदा प्राप्त करने के समय शोधन अक्षम का सहयोगी नहीं था,

हित अर्जित किया गया था या फायदा प्राप्त किया गया था ।

(3) उपधारा (1) के अधीन शोधन अक्षमता न्यासी को संदत्त की जाने वाली कोई राशि शोधन अक्षम की संपदा में सम्मिलित की जाएगी ।

उद्दापन के तौर पर प्रत्यय संव्यवहार ।

167. (1) उपधारा (6) के अधीन रहते हुए शोधन अक्षमता न्यासी द्वारा किया गया आवेदन, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी उन उद्दापन के तौर पर प्रत्यय संव्यवहारों की बाबत इस धारा के अधीन आदेश कर सकेगा जिनका शोधन अक्षम पक्षकार है या पक्षकार रहा है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन संव्यवहार, शोधन अक्षमता प्रारंभ की तारीख को समाप्त होने वाली दो वर्ष की अवधि के दौरान शोधन अक्षम द्वारा किए जाने चाहिए थे ।

(3) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी का आदेश,--

(क) संव्यवहार द्वारा सृजित किसी संपूर्ण ऋण या उसके भाग को अपास्त

कर सकेगा ;

(ख) संव्यवहार के निबंधनों में फेरफार कर सकेगा या उन निबंधनों में फेरफार कर सकेगा जिन पर संव्यवहार के प्रयोजन के लिए किसी प्रतिभूति को धारित किया गया है ;

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसे किसी संव्यवहार के अधीन शोधन अक्षम द्वारा संदाय किया गया है, शोधन अक्षमता न्यासी को राशि का संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(घ) किसी व्यक्ति से संव्यवहार के प्रयोजनों के लिए प्रतिभूति के रूप में धारित शोधन अक्षम की किसी संपत्ति को शोधन अक्षमता न्यासी को वापस लौटाने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(4) शोधन अक्षमता न्यासी को संदत्त कोई राशि या वापस की गई संपत्ति को शोधन अक्षम की संपदा में सम्मिलित किया जाएगा ।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उद्दापन के तौर पर प्रत्यय संव्यवहार,--

(क) दिए गए प्रत्यय की बाबत अतिशय संदाय करने के लिए शोधन अक्षम से अपेक्षा करने वाले निबंधनों पर ; या

(ख) संविदाओं से संबंधित विधि के सिद्धांतों के अधीन अनभिज्ञ है,

किसी व्यक्ति के लिए संव्यवहार है या उसके द्वारा ; को प्रत्यय के उपबंध को अंतवर्लित करता है ।

(6) ऐसे ऋण के संबंध में प्रवृत्त विधि के अनुपालन में वित्तीय सेवाओं के लिए विनियमित किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी ऋण को इस धारा के अधीन उद्दापन प्रत्यय संव्यवहार के रूप में नहीं समझा जाएगा ।

संविदाओं के अध्यधीन बाध्यताएं ।

168. (1) यह धारा वहां लागू होगी जहां संविदा शोधन अक्षमता प्रारंभ की तारीख से पूर्व किसी व्यक्ति के साथ शोधन अक्षम द्वारा की गई है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन शोधन अक्षम से भिन्न संविदा का कोई पक्षकार न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को,--

(क) संविदा के अधीन आवेदक या शोधन अक्षम की बाध्यताओं को उन्मोचित करने वाला आदेश ; और

(ख) संविदा के अपालन या अन्यथा के लिए पक्षकार या शोधन अक्षम द्वारा नुकसानियों का संदाय ।

(3) उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन आदेश के आधार पर शोधन अक्षम द्वारा संदेय कोई नुकसानी शोधन अक्षमता ऋण के रूप में साबित करने योग्य होगी ।

(4) जब कोई शोधन अक्षम इस धारा के अधीन संविदा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से एक पक्षकार है तो वह व्यक्ति शोधन अक्षम के संयोजन के बिना संविदा की बाबत वाद ला सकेगा या उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा ।

शोधन अक्षम की मृत्यु पर

169. यदि शोधन अक्षम की मृत्यु हो जाती है तो शोधन अक्षमता कार्यवाहियां तब तक चालू रहेंगी जब तक कि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी अन्यथा इस प्रकार निदेश न

दे कि मानों वह जीवित है ।

कार्यवाहियों का चालू रहना ।

मृत शोधन अक्षम की संपदा का प्रशासन ।

170. (1) शोधन अक्षम की संपदा के प्रशासन और वितरण से संबंधित अध्याय 5 के सभी उपबंध, जहां तक वे लागू होते हैं, मृत शोधन अक्षम की संपदा के प्रशासन को लागू होंगे ।

(2) किसी मृत शोधन अक्षम की संपदा का प्रशासन करते, समय शोधन अक्षमता न्यासी उसके द्वारा उपगत उचित अंत्येष्टि तथा वसीयती खर्चों के संदाय के लिए मृत शोधन अक्षम के विधिक प्रतिनिधि के दावों को ध्यान में रखेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन दावे धारा 178 के अधीन दी गई पूर्विकता में प्रतिभूत लेनदारों को एक समान बनाएगा ।

(4) यदि मृत शोधन अक्षम की संपदा के प्रशासन पर अधिशेष, मृत शोधन अक्षम से शोध्य सभी ऋणों का धारा 178 के अधीन यथा उपबंधित प्रशासन और हित के खर्चों के साथ साथ पूर्ण संदाय करने के पश्चात् शोधन अक्षमता न्यासी के हाथ में रहता है तो ऐसा अधिशेष मृत शोधन अक्षम की संपदा के विधिक प्रतिनिधियों को संदत्त किया जाएगा या ऐसी रीति में व्यवहृत किया जाएगा**,** जो विहित की जाए ।

ऋणों का सबूत ।

171. (1) शोधन अक्षमता न्यासी धारा 132 के अधीन लेनदारों की सूची तैयार करने के चौदह दिन के भीतर ऋण के सबूत प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक लेनदार को सूचना देगा ।

(2) ऋण के सबूत में--

(क) लेनदार से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह ऋण की पूर्ण विशिष्टियां दे जिनके अंतर्गत वह तारीख जिसको ऋण की संविदा की गई थी और वह मूल्य जिस पर व्यक्ति उसका निर्धारण करता है ;

(ख) लेनदार से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह प्रतिभूति की ऐसी पूर्ण विशिष्टियां दें जिनके अंतर्गत वह तारीख जिसको प्रतिभूति दी गई थी और वह मूल्य जिस पर व्यक्ति उसका निर्धारण करता है ;

(ग) ऐसी प्ररूप और रीति में होगा जो विहित की जाए ।

(3) यदि लेनदार शोधन अक्षम के विरुद्ध डिक्री धारक है तो डिक्री की एक प्रति ऋण का विधिमान्य सबूत होगा ।

(4) जहां ऋण पर ब्याज लगता है, वहां वह ब्याज उसके सिवाय जहां तक ब्याज शोधन अक्षमता प्रारंभ की तारीख के पश्चात् किसी अवधि की बाबत देय है, ऋण के भाग के रूप में साबित योग्य होगा ।

(5) शोधन अक्षमता न्यासी किसी ऐसे शोधन अक्षमता ऋण के मूल्य का प्राक्कलन करेगा जिसका कोई विनिर्दिष्ट मूल्य नहीं है ।

(6) धारा 5 के अधीन शोधन अक्षमता न्यासी द्वारा समनुदेशित मूल्य संबद्ध लेनदार द्वारा साबित करने योग्य रकम होगी ।

(7) कोई लेनदार ऋण के लिए वहां सबूत दे सकेगा जहां संदाय शोधन अक्षमता के प्रारंभ की तारीख से पश्चातवर्ती तारीख को शोध्य हो गया होता मानो वह वर्तमान में देय होता और ऐसी रीति में लाभांश प्राप्त कर सकेगा**,** जो विहित की जाए ।

(8) जहां शोधन अक्षमता न्यासी उपधारा (1) के अधीन सूचना तामील करता है और वह व्यक्ति जिस पर सूचना तामील की जाती है, सूचना की ऐसी तामील की तारीख के पश्चात्. तीस दिन के भीतर प्रतिभूति का सबूत फाइल नहीं करता है तो शोधन अक्षमता न्यासी, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी की अनुमति से ऐसी किसी संपत्ति का विक्रय कर सकेगा या उसका व्ययन कर सकेगा जो उस प्रतिभूति से मुक्त प्रतिभूति के अध्यधीन थी ।

प्रतिभूत लेनदारों द्वारा ऋण का सबूत ।

172. (1) जहां प्रतिभूत लेनदार अपनी प्रतिभूति को वसूल करता है, वहां वह उसको शोध्य अतिशेष का सबूत प्रस्तुत कर सकेगा ।

(2) जहां प्रतिभूत लेनदार अपनी प्रतिभूति को लेनदारों के साधारण फायदे के लिए शोधन अक्षमता न्यासी को अभ्यर्पित कर देता है वहां वह संपूर्ण दावे का सबूत प्रस्तुत करेगा ।

पारस्परिक प्रत्यय और मुजरा ।

173. (1) जहां शोधन अक्षमता के प्रारंभ की तारीख से पूर्व शोधन अक्षम और किसी लेनदार के बीच पारस्परिक ब्यौहार हुए हैं, वहां शोधन अक्षमता न्यासी–

(क) उसको हिसाब में लेगा जो पारस्परिक व्यौहारों की बाबत प्रत्येक पक्षकार से दूसरे पक्षकार को शोध्य हैं और एक पक्षकार से शोध्य राशि का दूसरे पक्षकार से शोध्य राशि के प्रति मुजरा किया जाएगा ;

(ख) केवल अतिशेष, शोधन अक्षमता ऋण के रूप में या शोधन अक्षम की संपदा के भाग के रूप में शोधन अक्षमता न्यासी को संदेय रकम के रूप में साबित करने योग्य होगा ।

(2) किसी अन्य पक्षकार को शोधन अक्षम से शोध्य राशि को उपधारा (1) के अधीन शोधन अक्षमता न्यासी द्वारा हिसाब में दी गई राशि में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यदि अन्य पक्षकार के पास उस समय यह सूचना थी जब वे शोध्य हो गए थे कि शोधन अक्षम से संबंधित शोधन अक्षमता के लिए आवेदन लंबित था ।

अंतरिम लाभांश का वितरण ।

174. (1) जब कभी शोधन अक्षमता न्यासी के हाथ में पर्याप्त निधियां हैं तो वह शोधन अक्षमता ऋणों, जिनको उन्होंने क्रमश: साबित कर दिया है, की बाबत लेनदारों के बीच घोषणा कर सकेगा और अंतरिम लाभांश का वितरण कर सकेगा ।

(2) जहां शोधन अक्षमता न्यासी ने किसी अंतरिम लाभांश की घोषणा कर दी है, वहां वह ऐसे लाभांश की सूचना देगा और यह सूचित करेगा कि किस रीति में उसे वितरित करने का कैसे प्रस्ताव किया गया है ।

(3) अंतरिम लाभांश की संगणना और वितरण में शोधन अक्षमता न्यासी--

(क) किसी ऐसे शोधन अक्षमता ऋण के लिए उपबंध करेगा, जो उसको उन व्यक्तियों से, शोध्य होने वाले प्रतीत हों, जिनको अपने निवास स्थान की दूरी के कारण निविदत्त करने के लिए पर्याप्त समय न मिला हो और अपने ऋण सिद्ध न कर सके हों ;

(ख) किसी ऐसे शोधन अक्षमता ऋणों के लिए उपबंध करेगा जो उन दावों के विषय में जिन्हें अभी तक अवधारित नहीं किया गया है ;

(ग) विवादास्पद दावों के लिए उपबंध करेगा ; और

(घ) शोधन अक्षम की संपदा के प्रशासन के लिए आवश्यक खर्चों के लिए

उपबंध करेगा ।

संपत्ति का वितरण ।

175. (1) शोधन अक्षमता न्यासी**,** लेनदारों की समिति के अनुमोदन से किसी संपत्ति को उसके विद्यमान रूप में उसके प्राक्कलित मूल्य के अनुसार**,** लेनदारों में विभाजित कर सकेगा जिसे उसकी विशिष्ट प्रकृति या अन्य विशेष परिस्थितियों के कारण फायदाप्रद रूप में तुरंत विक्रीत नहीं किया जा सकता ।

(2) प्रत्येक संव्यवहार के लिए**,** शोधन अक्षमता न्यासी और सदभावपूर्वक शोधन अक्षमता न्यासी के साथ व्यौहार करने वाले व्यक्ति द्वारा उपधारा (1) के अधीन अनुमोदन की ईप्सा की जाएगी और उस मूल्य के लिए जांच करने की यह अपेक्षा नहीं की जाएगी क्या उपधारा (1) के अधीन कोई अपेक्षित अनुमोदन दे दिया गया है या नहीं ।

(3) जहां शोधन अक्षमता न्यासी ने लेनदारों की समिति के अनुमोदन के बिना कोई बात की है, वहां समिति, शोधन अक्षम की संपदा में से अपने खर्चों को चुकाने के लिए शोधन अक्षमता न्यासी के कार्य का अनुसमर्थन कर सकेगी ।

(4) लेनदारों की समिति उपधारा (3) के अधीन शोधन अक्षमता न्यासी के कार्य को तब तक अनुसमर्थित नहीं करेगी जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि शोधन अक्षमता न्यासी ने अत्यावश्यकता की दशा में कार्य किया है और अनुचित विलंब के बिना अपने अनुसमर्थन की ईप्सा की है ।

अंतिम लाभांश ।

176. (1) जहां शोधन अक्षमता न्यासी ने शोधन अक्षम की संपूर्ण संपदा को वसूल कर लिया है या उसके उतने भाग को जो शोधन अक्षमता न्यासी की राय में वसूल किया जा सकता था, वहां वह--

(क) अंतिम लाभांश घोषित करने के अपने आशय की सूचना देगा; या

(ख) यह सूचना देगा कि किसी लाभांश या अतिरिक्त लाभांश की घोषणा नहीं की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन, सूचना में ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी जो विहित की जाएं और सूचना में विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख तक शोधन अक्षम की संपदा के विरुद्ध सभी दावों को सिद्ध किए जाने की अपेक्षा की जाएगी ।

(3) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, शोधन अक्षम की संपदा के प्रशासन में हितबद्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर उपधारा (2) में निर्दिष्ट अंतिम तारीख को स्थगित कर सकेगा ।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट अंतिम तारीख के पश्चात्, शोधन अक्षमता न्यासी-

(क) शोधन अक्षम की संपदा में से शोधन अक्षमता के किन्हीं बकाया खर्चों को चुकाएगा ; और

(ख) यदि वह अंतिम लाभांश घोषित करने का आशय रखता है तो वह, ऐसे लेनदारों में, जिन्होंने किन्हीं अन्य व्यक्तियों के दावों पर ध्यान दिए बिना अपने ऋण साबित कर दिए हैं, उस लाभांश को घोषित करेगा तथा उसे वितरित करेगा ।

(5) यदि शोधन अक्षम के सभी लेनदारों को ब्याज सहित पूर्ण संदाय करने और शोधन अक्षमता के खर्चों के संदाय करने के पश्चात् कोई अधिशेष बचता है तो शोधन

अक्षम अधिशेष के लिए हकदार होगा ।

(6) जहां शोधन अक्षमता आदेश किसी फर्म में एक भागीदार के संबंध में पारित किया गया है वहां लेनदार जिसको शोधन अक्षम, फर्म में अन्य भागीदारों के साथ संयुक्त रूप से ऋणी है या उनमें से कोई भी शोधन अक्षम की पृथक् संपत्ति में से कोई लाभांश तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक कि सभी पृथक् लेनदारों ने अपने-अपने ऋणों की पूरी रकम प्राप्त नहीं कर ली हो ।

लेनदारों के दावे ।

177. (1) कोई लेनदार, जिसने किसी लाभांश की घोषणा से पूर्व अपना ऋण साबित नहीं किया है इस कारण बाधा डालने का हकदार नहीं है कि उसने इसमें भाग नहीं लिया है, उस लाभांश या उसके ऋण से पूर्व घोषित किसी अन्य लाभांश का वितरण, साबित किया गया था, किंतु--

(क) जब उसने ऋण साबित कर दिया है तो वह किसी ऐसे लाभांश या लाभांशों का संदाय किए जाने का हकदार होगा जिन्हें वह किसी अतिरिक्त लाभांश के संदाय के लिए तत्समय उपलब्ध किसी धनराशि में से प्राप्त करने में असफल हुआ है ; और

(ख) कोई लाभांश या उसको संदेय कोई लाभांश किसी ऐसे अतिरिक्त लाभांश के संदाय को उस धनराशि के अनुपयोजित किए जाने से पूर्व संदत्त किया जाएगा ।

(2) लाभांश के लिए शोधन अक्षमता न्यासी के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाएगी परंतु यदि शोधन अक्षमता न्यासी उपधारा (1) के अधीन संदेय लाभांश का संदाय करने से इंकार करता है तो न्यायनिर्णयन प्राधिकारी उसे यह आदेश दे सकेगा कि वह--

(क) लाभांश का संदाय करे ; और

(ख) अपनी ही धनराशि में से--

(i) लाभांश पर ब्याज का ; और

(ii) उन कार्यवाहियों, जिनमें संदाय करने का आदेश पारित किया गया है, के खर्चों,

का संदाय करे ।

ऋणों के संदाय की पूर्विकता ।

178. (1) तत्समय प्रवृत्त संसद या विधान मंडल द्वारा अधिनियमित किसी विधि में अंतर्विष्ट, किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए, अंतिम लाभांश के वितरण में निम्नलिखित ऋण सभी अन्य ऋणों के अग्रता के क्रम में संदत्त किए जाएंगे--

(क) पहला, शोधन अक्षमता प्रक्रिया के लिए शोधन अक्षमता न्यासी द्वारा पूर्णत: उपगत लागतें तथा खर्चे;

(ख) दूसरा--

(i) प्रतिभूत लेनदारों को देय ऋण ; और

(ii) शोधन अक्षमता प्रारंभ की तारीख से पूर्व बारह मास की पूर्ण अवधि या उसके भाग के लिए शोधन अक्षम के कर्मकार को देय मजदूरी तथा असंदत्त शोध्य;

(ग) तीसरा, शोधन अक्षमता प्रारंभ की तारीख से पूर्व बारह मास की पूर्ण

अवधि या उसके किसी भाग के लिए शोधन अक्षम के, कर्मकारों से भिन्न कर्मचारियों को देय मजदूरी और असंदत्त शोध्य;

(घ) चौथा,-

शोधन अक्षमता प्रारंभ की तारीख से पूर्व दो वर्ष की पूरी अवधि या उसके किसी भाग की बाबत केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को देय रकम, जिसके अन्तर्गत भारत की संचित निधि और किसी राज्य की संचित निधि, यदि कोई हो के लेखे में प्राप्त रकम भी है ।;

(ड.) अंत में, अप्रतिभूत ऋणों सहित शोधन अक्षम द्वारा देय सभी अन्य ऋण ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक वर्ग में ऋण उस उपधारा में वर्णित क्रम के रैंक में होगा किंतु उसी वर्ग में ऋणों के उनके बीच समान रैंक किया जाएगा और उनका पूर्णतया संदाय तब तक नहीं किया जाएगा जब तब कि शोधन अक्षम की संपदा उनको चुकाने के लिए पर्याप्त न हो, उस दशा में उनके बीच बराबर समानुपात में उसे कम किया जाएगा ।

(3) जहां किसी लेनदार ने कोई क्षतिपूर्ति दी है या धन राशियों का कोई संदाय किया है जिसके आधार पर शोधन अक्षम की किसी आस्ति को वसूल लिया गया है, संरक्षित किया गया है या परिरक्षित किया गया है तो न्यायनिर्णयन प्राधिकारी ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा वह ऐसी आस्तियों के वितरण के संबंध में उसे लेनदार को, अन्य लेनदारों के मुकाबले में ऐसा करने में उसके द्वारा उठाए गए जोखिमों को ध्यान में रखते हुए लाभ देने की दृष्टि से न्यायोचित समझे ।

(4) अप्रतिभूत लेनदार परस्पर बराबर रैंक के तब तक नहीं होंगे जब तक कि वह संविदात्मक रूप से ऐसे लेनदारों द्वारा तत्प्रतिकूल करार न किया गया हो ।

(5) उपधारा (1) के अधीन ऋणों का संदाय करने के पश्चात् बचे हुए किसी अधिशेष का उपयोजन उन अवधियों की बाबत उन ऋणों के ब्याज का संदाय करने के लिए उपयोजित किया जाएगा जिनके दौरान वह शोधन अक्षमता प्रारंभ होने की तारीख से बकाया है ।

(6) उपधारा (5) के अधीन ब्याज संदाय ऋण की प्रकृति को ध्यान में न रखते हुए समान रैंक के होंगे ।

(7) भागीदारों की दशा में, भागीदारी संपत्ति भागीदारी ऋणों के संदाय के पहली बार उपयोजित होगी और प्रत्येक भागीदार की पृथक् संपत्ति उसके पृथक् ऋणों के पहली बार संदाय पर उपयोजित होगी ।

(8) जहां भागीदारों की पृथक् संपत्ति का अधिशेष है वहां उससे भागीदारी संपत्ति के रूप में व्यौहार किया जाएगा और जहां भागीदारी संपत्ति का अधिशेष है, वहां उस भागीदारी संपत्ति में प्रत्येक भागीदार के अधिकारों और हितों के समानुपात में अपनी-अपनी पृथक् संपत्ति के भाग के रूप में व्यौहार किया जाएगा ।

अध्याय 6

व्यष्टिकों और भागीदारी फर्मों के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी

व्यष्टिकों और भागीदारी फर्मों के

179. (1) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी धारा 60 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, व्यष्टिकों और फर्मों के दिवाला विषयों के संबंध में, ऋण वसूली अधिकरण होगा

लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी ।

जिसकी राजक्षेत्रीय अधिकारिता उस स्थान पर होगी जहां व्यष्टिक ऋणी वास्तविक रूप से और स्वैच्छिक रूप से निवास करता है या अपना कारबार चलाता है या व्यक्तिगत रूप से अभिलाभ के लिए कार्य करता है और वह ऐसे व्यक्ति के संबंध में इस अधिनियम के अधीन आवेदन स्वीकार कर सकता है ।

(2) ऋण वसूली अधिकरण को तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित को ग्रहण करने या उसका निपटान करने की अधिकारिता होगी--

(क) किसी व्यष्टिक ऋणी द्वारा या उसके विरुद्ध कोई वाद या कार्यवाही;

(ख) किसी व्यष्टिक ऋणी द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया कोई दावा;

(ग) इस संहिता के अधीन व्यष्टिक ऋणी या फर्म के दिवालियापन और शोधन अक्षमता के कारण या उसके संबंध में उद्भूत अग्रताओं का कोई प्रश्न या कोई अन्य प्रश्न चाहे वह विधि का हो या तथ्यों का ।

1963 का 14

(3) परिसीमा अधिनियम, 1963 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी ऋणी के नाम से या उसकी ओर से किसी वाद या आवेदन के लिए विनिर्दिष्ट परिसीमा की अवधि की संगणना करने में जिसके लिए इस भाग के अधीन अधिस्थगन का आदेश किया गया है, वह कालावधि, जिसके दौरान ऐसा अधिस्थगन प्रवृत्त है, को अपवर्जित किया जाएगा ।

सिविल न्यायालय को अधिकारिता न होना ।

180. (1) किसी सिविल न्यायालय या प्राधिकारी को किसी विषय के संबंध में वाद या कार्यवाहियों को स्वीकार करने की अधिकारिता नहीं होगी जिन पर ऋण वसूली अधिकरण या ऋण वसूली अपील अधिकरण को इस संहिता के अधीन अधिकारिता है ।

(2) किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी द्वारा ऋण वसूली अधिकरण या ऋण वूसली अपील अधिकरण को इस संहिता के द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई के लिए कोई व्यादेश अनुदत्त नहीं किया जाएगा ।

ऋण वसूली अपील अधिकरण को अपील ।

181. (1) इस संहिता के अधीन ऋण वसूली अधिकरण के किसी आदेश पर कोई अपील ऋण वसूली अपील अधिकरण को पैंतालीस दिन के भीतर फाइल की जाएगी ।

(2) ऋण वसूली अपील अधिकरण, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति को पैंतालीस दिन के भीतर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था तो वह तीस दिन से अनधिक की और अवधि के भीतर अपील फाइल करना अनुज्ञात कर सकेगा ।

उच्चतम न्यायालय को अपील ।

182. (1) ऋण वसूली अपील अधिकरण के किसी आदेश से इस संहिता के अधीन विधि के प्रश्न पर कोई अपील उच्चतम न्यायालय के समक्ष नब्बे दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी ।

(2) उच्चतम न्यायालय, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति को नब्बे दिन के भीतर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था तो वह तीन दिन से अनधिक की और अवधि के भीतर अपील फाइल करना अनुज्ञात कर सकेगा ।

आवेदनों का शीघ्र

183. जब इस संहिता में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी आवेदन का निपटान

नहीं किया जाता है या कोई आदेश पारित नहीं की जाता है तो, यथास्थिति, ऋण वसूली अधिकरण या ऋण वसूली अपील अधिकरण ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसा न करने के कारणों को अभिलिखित करेगा ; और ऋण वसूली अपील अधिकरण का अध्यक्ष इस प्रकार अभिलिखित कारणों को ध्यान में रखते हुए संहिता में विनिर्दिष्ट अवधि का विस्तार कर सकेगा । निपटान ।

अध्याय 7

अपराध और शास्तियां

लेनदार द्वारा दिवाला समाधान प्रक्रिया में मिथ्या सूचना आदि के लिए दंड ।

184. (1)यदि कोई ऋणी या लेनदार ऐसी सूचना प्रदान करता है जो समाधान वृत्तिक के पास किन्हीं तात्विक विशिष्टियों में मिथ्या है तो वह कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ;

(2) यदि कोई लेनदार, किसी ऋणी से कोई धन, संपत्ति या प्रतिभूति स्वीकार करके किसी प्रतिसंदाय योजना के पक्ष में मत देने का वचन देता है, तो वह कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो लेनदार द्वारा स्वीकृत रकम से या उसके समतुल्य से तीन गुणा तक हो सकेगा, दंडनीय होगा:

परंतु जहां ऐसी रकम परिमाणात्मक नहीं है वहां जुर्माने की कुल रकम पांच लाख रुपए से अधिक नहीं होगी ।

समाधान वृत्तिक का दायित्व ।

185. यदि कोई दिवाला वृत्तिक जानबूझकर इस भाग के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा, और कम से कम एक लाख रुपए किंतु जो पांच लाख तक का हो सकेगा के जुर्माने के लिए भी दायी होगा ।

शोधन अक्षम द्वारा मिथ्या सूचना, छिपाव आदि के लिए दंड ।

186. यदि शोधन अक्षम--

(क) धारा 122 के अधीन शोधन अक्षमता के लिए आवेदन करते हुए या शोधन अक्षमता कार्यवाही के दौरान कोई सूचना प्रदान करते हुए, जानबूझकर मिथ्या अभ्यावेदन करता है या जानबूझकर किसी तात्विक सूचना का लोप करता है या उसे छिपाता है तो वह कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा ;

स्पष्टीकरण--खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, मिथ्या अभ्यावेदन या लोप में किसी संपत्ति के निपटान के ब्यौरों का अप्रकटन शामिल है जो निपटान न होने के कारण शोधन अक्षम द्वारा चलाए जा रहे कारबार के साधारण प्रक्रम में किए गए व्यय से भिन्न शोधन अक्षम की संपदा में शामिल होती ;

(ख) छुपाने के आशय से कपटपूर्वक अपनी नष्ट की गई, मिथ्याकृत या परिवर्तित लेखाबहियों, वित्तीय सूचना और उसके अभिरक्षा में अन्य अभिलेखों को उपलब्ध कराने में असफल रहता है या जानबूझकर उन्हें प्रस्तुत करने से रोका जाता है, तो वह कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा;

(ग) उसने धारा 140 के अधीन निर्बंधनों का या धारा 141 के उपबंधों का उल्लंघन किया है तो वह कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा और

जुर्माने से जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा ;

(घ) वह उसके कब्जे या नियंत्रणाधीन शोधन अक्षम की संपदा में शामिल किसी संपत्ति के कब्जे को परिदत्त करने में असफल रहा है जिसे उसके द्वारा धारा 156 के अधीन परिदत्त करने की अपेक्षा की जाती है, वह कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा ;

(ड.) वह किसी युक्तियुक्त कारण के या किसी संतोषजनक स्पष्टीकरण के बिना शोधन अक्षम की संपदा में शामिल उसकी संपत्ति के किसी सारवान भाग की उपगत हानि के लिए उस तारीख से शोधन अक्षमता आवेदन फाइल करने के बारह मास पूर्व हिसाब देने में असफल रहा है, वह कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से, जो हानि के मूल्य से तीन गुणा तक हो सकेगा, दंडनीय होगा:

परंतु जहां ऐसी रकम परिमाणात्मक नहीं है वहां जुर्माने की कुल रकम पांच लाख रुपए से अधिक नहीं होगी ;

(च) शोधन अक्षमता प्रारंभ होने की तारीख से फरार है या फरार होने का प्रयास करता है, वह कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा ;

स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजनों के लिए, किसी शोधन अक्षम को फरार हुआ माना जाएगा यदि वह किसी संपत्ति का कब्जा परिदत्त किए बिना, जिसका उससे शोधन अक्षमता न्यासी को धारा 156 के अधीन परिदान करना अपेक्षित है, देश छोड़ता है या देश छोड़ने का प्रयास करता है ।

शोधन अक्षमता न्यासी का दायित्व ।

187. (1) यदि शोधन अक्षमता न्यासी,--

(क) किसी धन या संपत्ति जो शोधन अक्षम की संपदा में शामिल है, का कपटपूर्वक दुर्विनियोजन किया है, प्रतिधारित किया है या उसके लिए देनदार बन गया है ; या

(ख) जानबूझकर ऐसी रीति में कार्य करता है जिसे शोधन अक्षम की संपदा को शोधन अक्षमता न्यासी द्वारा धारा 149 के अधीन उसके कृत्यों को करने में किसी कर्तव्य भंग के परिणामस्वरूप कोई नुकसान हुआ है,

तो वह कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो कारित नुकसान की रकम से या जो ऐसे उल्लंघन के कारण संबंधित व्यक्तियों को हो सकता, से तीन गुणा से कम नहीं होगा :

परंतु जहां ऐसा नुकसान विधि विरुद्ध अभिलाभ परिमाणात्मक नहीं है, वहां अधिरोपित जुर्माने की कुल रकम एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि शोधन अक्षमता न्यासी इस धारा के अधीन दायी नहीं होगा यदि वह किसी संपत्ति का अभिग्रहण कर लेता है या उसका निपटान कर देता है जो शोधन अक्षम की संपदा में शामिल नहीं है और उस समय उसके पास यह विश्वास करने के पर्याप्त आधार थे कि वह उस संपत्ति का अभिग्रहण करने या निपटान करने

का पात्र है ।

भाग 4

दिवाला वृत्तिक, अभिकरण और सूचना उपयोगिताएं का विनियमन

अध्याय 1

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

बोर्ड की स्थापना और निगमन ।

188. (1) उस तारीख से, जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जो भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के नाम से ज्ञात होगा ।

(2) बोर्ड उपर्युक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और उसके पास, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए जंगम और स्थावर, दोनों प्रकार की संपत्ति को अर्जित करने, धारित करने और व्ययनित करने की शक्ति होगी तथा उसके पास उक्त नाम से संविदा करने तथा कोई वाद करने की शक्ति होगी या उस पर उस नाम से कोई वाद लाया जा सकेगा ।

(3) बोर्ड का प्रधान कार्यालय मुम्बई में होगा ।

(4) बोर्ड भारत में अन्य स्थानों पर अपने कार्यालयों की स्थापना कर सकेगा ।

बोर्ड का गठन ।

189. (1) बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) अध्यक्ष ;

(ख) केंद्रीय सरकार के अधिकारियों में से तीन सदस्य, जो संयुक्त सचिव या समतुल्य रैंक से नीचे के नहीं होंगे, वित्त मंत्रालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय और विधि मंत्रालय में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक-एक सदस्य, पदेन ;

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक सदस्य, पदेन ;

(घ) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले पांच अन्य सदस्य, जिनमें से कम से कम तीन सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होंगे ।

(2) अध्यक्ष और अन्य सदस्य समर्थवान, ईमानदार और प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति होंगे, जिन्होंने दिवाला या शोधन अक्षमता से संबंधित समस्याओं से निपटने में क्षमता का प्रदर्शन किया है और जिनके पास विधि, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखांकन या प्रशासन के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव है ।

(3) इस धारा के अधीन पदेन सदस्य की नियुक्ति से भिन्न प्रत्येक नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश अभिप्राप्त करने के पश्चात् की जाएगी, जो एक अध्यक्ष और तीन स्वतंत्र विशेषज्ञों से मिलकर बनेगी, जो विधि, वित्त और लेखांकन

के क्षेत्र में विशेषज्ञ होंगे और जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) अध्यक्ष और सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) का कार्यकाल पांच वर्ष या उस समय तक होगा जब वे पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं, इनमें से जो भी पूर्वतर हो और वे पुन: नियुक्ति के लिए पात्र होंगे ।

(5) अध्यक्ष और सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

सदस्य का पद से हटाया जाना ।

190. केंद्रीय सरकार किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकेगी, यदि वह--

(क) भाग 3 के अधीन परिभाषित किए गए अनुसार कोई अननुमोचित दिवालिया है ;

(ख) शारीरिक या मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अक्षम हो गया है ;

(ग) उसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें नैतिक अद्यमता अंतर्वलित है ;

(घ) जिसने अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल है :

परंतु किसी भी सदस्य को खंड (घ) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया हो ।

अध्यक्ष की शक्तियां ।

191. विनियमों द्वारा अन्यथा उपधारित किए जाने के सिवाय, अध्यक्ष के पास बोर्ड के कार्यों के साधारण अधीक्षण और निदेशन की शक्तियां होंगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का भी प्रयोग कर सकेगा जो बोर्ड द्वारा उसे प्रत्यायोजित की जाएं ।

बोर्ड की बैठकें ।

192. (1) बोर्ड ऐसे समयों और स्थानों पर बैठकें करेगा और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार (जिसके अंतर्गत ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है) के संबंध में ऐसे प्रक्रिया नियमों का पालन करेगा, जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं ।

(2) अध्यक्ष, या यदि किसी कारणवश अध्यक्ष बोर्ड की किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई अन्य सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(3) बोर्ड की किसी बैठक के समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का विनिश्चय, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के पास द्वितीय या निर्णायक मत होगा ।

कतिपय मामलों में सदस्यों द्वारा बैठकों में भाग न लेना ।

193. कोई सदस्य, जो किसी कंपनी का निदेशक है या जिसका ऐसे निदेशक के रूप में बोर्ड की बैठक में विचारार्थ आने वाले किसी मामले में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धनीय हित है, सुसंगत परिस्थितियों के उसकी जानकारी में आने के पश्चात् यथासंभवशीघ्र ऐसी बैठक में अपने हित की प्रकृति का प्रकटन करेगा और ऐसे प्रकटन को बोर्ड की कार्यवाहियों में लेखबद्ध किया जाएगा, और सदस्य उस मामले के संबंध में बोर्ड के विचार-विमर्श या विनिश्चय में भाग नहीं लेगा ।

रिक्तियों आदि का बोर्ड की कार्यवाहियों को अविधिमान्य न ठहराना ।

194. (1) बोर्ड का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि--

(क) बोर्ड में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई दोष है ; या

(ख) बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई दोष है ; या

(ग) बोर्ड की कार्यवाही में ऐसी कोई अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं करती है ।

(2) बोर्ड ऐसे अन्य अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा, जिन्हें वह इस संहिता के अधीन अपने कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक समझता है ।

(3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों को पदाभिहित करने की शक्ति ।

195. बोर्ड की स्थापना किए जाने तक, केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा वित्तीय क्षेत्र के किसी विनियामक को, इस संहिता के अधीन बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए पदाभिहित कर सकेगी । अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक समझता है ।

अध्याय 2

बोर्ड की शक्तियां और कृत्य

बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।

196. (1) बोर्ड, निम्नलिखित कृत्यों में से सभी या किन्हीं का पालन करेगा, अर्थात् :--

(क) दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं को रजिस्टर करेगा और उनके रजिस्ट्रीकरण को नवीकृत, प्रत्याहृत, निलंबित या रद्द करेगा ;

(ख) दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए न्यूनतम अर्हता अपेक्षाएं विनिर्दिष्ट करेगा ;

(ग) दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस या अन्य प्रभारों का उदग्रहण करेगा ;

(घ) दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं के कार्यकरण के लिए विनियमों द्वारा मानक विनिर्दिष्ट करेगा ;

(ङ) दिवाला वृत्तिकों के, दिवाला वृत्तिक अभिकरणों के सदस्यों के रूप में नामांकन के लिए परीक्षा हेतु विनियमों द्वारा न्यूनतम पाठ्चर्या अधिकथित करना ;

(च) दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं के संबंध में निरीक्षण और अन्वेषण करेगा तथा ऐसे आदेश पारित

करेगा, जो इस अधिनियम और तद्धीन जारी किए गए विनियमों के उपबंधों के अनुपालन के लिए अपेक्षित हों ;

(छ) दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं के कार्यपालन की मानीटरी करेगा और ऐसे निदेश पारित करेगा, जो इस संहिता और तद्धीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुपालन के लिए अपेक्षित हों ;

(ज) दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं से किसी सूचना और अभिलेखों की मांग करेगा ;

(झ) ऐसी सूचना, डाटा, अनुसंधान अध्ययनों और ऐसी अन्य सूचनाओं का प्रकाशन करेगा, जिन्हें विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ञ) सूचना उपयोगिताओं द्वारा डाटा का संग्रहण और भंडारण करने की रीति और ऐसे डाटा तक पहुंच प्रदान करने की रीति को विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करेगा ;

(ट) दिवाला और शोधन अक्षमता के मामलों से संबंधित अभिलेखों का संग्रहण करेगा तथा उन्हें बनाए रखेगा और ऐसे मामलों से संबंधित सूचना का प्रसार करेगा ;

(ठ) ऐसी समितियों का गठन करेगा, जो अपेक्षित हों और इनके अंतर्गत विशिष्ट रूप से धारा 197 में अधिकथित समितियां भी हैं ;

(ड) अपने शासन में पारदर्शिता और सर्वोत्तम व्यवहारों का संवर्धन करेगा ;

(ढ) वेबसाइटों और इलेक्ट्रानिक सूचना के सार्वभौमिक रूप से पहुंच रखने वाले ऐसे संग्रहों को बनाए रखेगा, जो आवश्यक हों;

(ण) किन्हीं अन्य कानूनी प्राधिकरणों के साथ परस्पर समझ के ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करेगा ;

(त) दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगा ;

(थ) दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं के विरुद्ध शिकायतों के समाधान के लिए तंत्र विनिर्दिष्ट करेगा और इस संहिता तथा तद्धीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुसरण हेतु पूर्वोक्त के विरुद्ध फाइल की गई शिकायतों से संबंधित आदेश पारित करेगा ;

(द) बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले अंतरालों पर दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं के कृत्यों और कार्यपालन के संबंध में आवधिक अध्ययन, अनुसंधान और उनकी लेखापरीक्षा का संचालन करेगा ;

(ध) किन्हीं विनियमों की अधिसूचना जारी करने से पूर्व, उन्हें जारी करने के लिए तंत्र विनिर्दिष्ट करेगा, जिसके अंतर्गत लोक परामर्श की कार्यवाहियों का संचालन भी है ;

(न) इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार दिवाला और शोधन अक्षमता से संबंधित मामलों पर विनियमों और मार्गदर्शक सिद्धांतों को जारी करेगा ; और

(प) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा, जो विहित किए जांए ।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित विषयों के संबंध में कार्यवाही करते समय इस संहिता के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय, बोर्ड के पास वही शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी बात का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :-- 1908 का 5

(i) ऐसे स्थान और ऐसे समय पर, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों का प्रकटीकरण और उन्हें प्रस्तुत किए जाने ;

(ii) व्यक्तियों को समन करना तथा उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करना तथा शपथ पर उनकी परीक्षा लेने ;

(iii) किसी स्थान पर किसी व्यक्ति की बहियों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने ;

(iv) साक्षियों की परीक्षा या दस्तावेजों के लिए कमीशन जारी करने ।

सलाहकार समिति, कार्यपालक समिति या अन्य समिति का गठन ।

197. बोर्ड, अपने कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए ऐसी सलाहकार और कार्यपालक समितियों या अन्य ऐसी समतियों का गठन कर सकेगा, जिन्हें वह उचित समझे, जो अध्यक्ष और ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेंगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।

विलंब की माफी ।

198. इस संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां बोर्ड इस संहिता में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई कार्य नहीं करता है, वहां सुसंगत न्याय निर्णयन प्राधिकारी, लिखित में कारणों को लेखबद्ध करके विलंब को माफ कर सकेगा ।

अध्याय 3

दिवाला वृत्तिक अभिकरण

किसी व्यक्ति द्वारा किसी विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के बिना दिवाला वृत्तिक अभिकरण के रूप में कार्य न करना ।

199. इस संहिता में अन्यथा उपबंधित के सिवाए, कोई भी व्यक्ति, बोर्ड द्वारा इस निमित जारी किए जाने वाले रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के अधीन और उसके अनुसार के सिवाए इस अधिनियम के अधीन दिवाला वृत्तिक अभिकरण के रूप में कार्य नहीं करेगा और अपने सदस्यों के रूप में दिवाला वृत्तिकों को नामांकित नहीं करेगा ।

दिवाला वृत्तिक अभिकरण के रजिस्ट्रीकरण को शासित करने वाले सिद्धान्त ।

200. बोर्ड, इस संहिता के अधीन दिवाला वृत्तिक अभिकरणों का रजिस्ट्रीकरण करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखेगा, अर्थात् :--

(क) दिवाला वृत्तिकों के वृत्तिक विकास का संवर्धन और उनका विनियमन करने ;

(ख) ऋणी व्यक्तियों, लेनदारों और ऐसे अन्य व्यक्तियों की, जिन्हें विनिर्दिष्ट किया जाए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सक्षम दिवाला वृत्तिकों की सेवाओं का संवर्धन करने ;

(ग) दिवाला वृत्तिकों के बीच उत्तम वृत्तिक और नैतिक आचार का संवर्धन करने ;

(घ) ऋणी व्यक्तियों, लेनदारों और ऐसे अन्य व्यक्तियों के, जिन्हें विनिर्दिष्ट किया जाए, हितों की संरक्षा करने;

(ङ) इस संहिता के अधीन दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाहियों के प्रभावी समाधान के लिए दिवाला वृत्तिक अभिकरणों के विकास का संवर्धन करने ;

दिवाला वृत्तिक अभिकरण का रजिस्ट्रीकरण ।

201. (1) रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन बोर्ड को ऐसे प्ररूप और रीति में किया जाएगा और उसमें ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी तथा उसके साथ ऐसी फीस लगी होगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए:

परंतु बोर्ड उसके द्वारा प्राप्त प्रत्येक आवेदन की अभिस्वीकृति, उसकी प्राप्ति के सात दिन के भीतर प्रदान करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, बोर्ड यह समाधान हो जाने पर कि आवेदन उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं को पूरा करता है, आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र मंजूर कर सकेगा या ऐसे आवेदन को अन्यथा आदेश द्वारा नामंजूर कर सकेगा :

परंतु आवेदन को नामंजूर करने वाला कोई भी आदेश आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि इस प्रकार किए गए किसी भी आदेश को 15 दिन की अवधि के भीतर आवेदक को संसूचित किया जाएगा ।

(3) बोर्ड आवेदक को ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों के, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, अधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा ।

(4) बोर्ड समय-समय पर और ऐसी रीति में तथा ऐसी फीस के संदाय पर, जो विनिर्दिष्ट की जाए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण कर सकेगा ।

(5) बोर्ड, किसी दिवाला वृत्तिक अभिकरण को मंजूर किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को आदेश द्वारा निम्नलिखित आधारों में से किसी पर निलंबित या रद्द कर सकेगा, अर्थात् :--

(क) कि उसने किसी मिथ्या कथन या दुर्व्यपदेशन के आधार पर या किसी अन्य अविधिपूर्ण साधन से रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया है ;

(ख) कि वह बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों या दिवाला वृत्तिक अभिकरण द्वारा बनाई गई उप विधियों की अपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहा है ;

(ग) कि उसने संहिता या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है ;

(घ) किसी अन्य ऐसे आधार पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबद्ध दिवाला वृत्तिक अभिकरण को सुनवाई का कोई युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया हो :

परंतु यह और कि ऐसा कोई आदेश बोर्ड के किसी पूर्णकालिक सदस्य के सिवाए किसी अन्य सदस्य द्वारा पारित नहीं किया जाएगा।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण को अपील ।

202 ऐसा कोई दिवाला वृत्तिक अभिकरण, जो बोर्ड द्वारा धारा 201 के अधीन किए गए आदेश से व्यथित है, ऐसे प्ररूप में, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा ।

दिवाला वृत्तिक अभिकरण का शासी बोर्ड ।

203 बोर्ड, यह सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि प्रत्येक दिवाला वृत्तिक अभिकरण इस संहिता के अधीन पूरा किए जाने वाले उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करने वाले विनियम बना सकेगा :--

(क) किसी दिवाला वृत्तिक अभिकरण के शासी बोर्ड की स्थापना;

(ख) दिवाला वृत्तिक अभिकरण के शासी बोर्ड में स्वतंत्र सदस्यों की न्यूनतम संख्या ; और

(ग) ऐसे दिवाला वृत्तिकों की संख्या, जो उसके सदस्य हैं और जो दिवाला वृत्तिक अभिकरण के शासी बोर्ड में रहेंगे ।

दिवाला वृत्तिक अभिकरणों के कृत्य ।

204. कोई दिवाला वृत्तिक अभिकरण निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :--

(क) ऐसे व्यक्तियों को, जो उसकी उप विधियों में उपवर्णित सभी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, सदस्यता फीस के संदाय पर सदस्यता मंजूर करना ;

(ख) अपने सदस्यों के लिए वृत्तिक आचार के मानक अधिकथित करना ;

(ग) अपने सदस्यों के कार्यपालन की मानीटरी करना ;

(घ) ऐसे दिवाला वृत्तिकों के, जो उसके सदस्य हैं, अधिकारों विशेषाधिकारों और हितों के लिए सुरक्षोपाय करना ;

(ङ) ऐसे दिवाला वृत्तिकों की, जो उसके सदस्य हैं, की सदस्यता को उसकी उपविधियों में उपवर्णित आधारों पर निलंबित या रद्द करना;

(च) ऐसे दिवाला वृत्तिकों के, जो उसके सदस्य हैं, विरुद्ध उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करना ; और

(छ) अपने कृत्यों, अपने सदस्यों की सूची, अपने सदस्यों के कार्यपालन के बारे में सूचना और ऐसी अन्य सूचना का प्रकाशन करना, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

दिवाला वृत्तिक अभिकरणों द्वारा उपविधियों का बनाया जाना ।

205. इस संहिता और तद्धीन बनाए गए किन्ही नियमों या विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए और बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् प्रत्येक दिवाला वृत्तिक अभिकरण निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए उपविधियां बनाएगा--

(क) उसके सदस्यों हेतु वृत्तिक क्षमता के न्यूनतम मानक ;

(ख) उसके सदस्यों के वृत्तिक और नैतिक आचार के लिए मानक;

(ग) उसके सदस्यों के रूप में व्यक्तियों के नामांकन के लिए अपेक्षाएं, जो अविभेदकारी होंगी ।

स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "अविभेदकारी" पद से धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधारों पर या ऐसे अन्य आधारों पर, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं विभेद का न होना अभिप्रेत है;

(घ) ऐसे व्यक्तियों को, जो उसकी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, सदस्यता मंजूर करने की रीति ;

(ङ) बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों के अनुसार उसके आंतरिक शासन और प्रबंध के लिए एक शासी बोर्ड की स्थापना ;

(च) उसके सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित सूचना जिसके अंतर्गत ऐसी सूचना को प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप और समय भी है ;

(छ) व्यक्तियों के ऐसे विनिर्दिष्ट वर्ग, जिन्हें उसके सदस्यों द्वारा रियायती दरों पर या बिना किसी पारिश्रमिक के सेवाएं उपलब्ध कराई जानी हैं ;

(ज) वे आधार, जिन पर उसके सदस्यों से शास्तियों का उद्ग्रहण किया जा सकेगा और उसकी रीति ;

(झ) उसके सदस्यों के विरुद्ध शिकायतों के समाधान के लिए एक उचित और पारदर्शक तंत्र ;

(ञ) वे आधार जिनके अधीन दिवाला वृत्तिकों को उनकी सदस्यता से निष्कासित किया जा सकेगा ;

(ट) व्यक्तियों को उसके सदस्यों के रूप में सम्मिलित करने के लिए फीस की मात्रा और फीस संग्रह करने की रीति ;

(ठ) व्यक्तियों को उसके सदस्यों के रूप में नामांकित करने के लिए पाठ्यचर्या, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट पाठ्यचर्या से अन्यून नहीं होगी ;

(ड) दिवाला वृत्तिकों के नामांकन के लिए बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट पाठ्यचर्या की परीक्षा का संचालन करने की रीति ;

(ढ) ऐसे दिवाला वृत्तिकों के, जो उसके सदस्य हैं, कार्यकरण की मानीटरी और पुनर्विलोकन करने की रीति ;

(ण) उसके सदस्यों द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कर्तव्य और अन्य क्रियाकलाप ;

(त) किसी दिवाला वृत्तिक द्वारा उसके कर्तव्यों के पालन के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले रजिस्ट्रीकरण बंधपत्र और कार्यपालन प्रतिभूति की रकम, ऐसा प्ररूप और रीति, जिसमें दिवाला वृत्तिक अभिकरण द्वारा ऐसा रजिस्ट्रीकरण बंधपत्र और कार्यपालन प्रतिभूति प्रस्तुत की जाएगी ;

(थ) उसके सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियों का संचालन करने और शास्तियां अधिरोपित करने की रीति ;

(द) उस दशा में, जहां किसी दिवाला वृत्तिक के विरुद्ध अधिरोपित शास्ति का संदाय नहीं किया जाता है वहां रजिस्ट्रीकरण बंधपत्र या कार्यपालन प्रतिभूति के रूप में प्राप्त रकम को उपयोग करने की रीति ।

किसी दिवाला वृत्तिक अभिकरण द्वारा कार्यपालन बंधपत्र का फाइल किया जाना ।

206. (1) किसी ऐसी दिवाला समाधान प्रक्रिया के प्रारंभ पर, जहां किसी दिवाला वृत्तिक को इस संहिता के अधीन किसी भी कृत्य के पालन के लिए नियुक्त किया जाता है -

(क) वह दिवाला वृत्तिक अभिकरण, जहां ऐसा दिवाला वृत्तिक सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, बोर्ड को ऐसे प्ररूप और रीति में, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए एक कार्यपालन बंधपत्र फाइल करेगा ; और

(ख) दिवाला वृत्तिक, दिवाला वृत्तिक अभिकरण को ऐसी रकम की और ऐसी रीति में, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, कार्यपालन प्रतिभूति का निक्षेप करेगा ।

(2) उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन फाइल किया गया कार्यपालन बंधपत्र निम्नलिखित के लिए उपबंध करेगा--

(क) संबद्ध दिवाला वृत्तिक अभिकरण, दिवाला वृत्तिक की बाध्यताओं के लिए प्रतिभूत के रूप में कार्य करेगा और वे ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिसके हितों पर दिवाला वृत्तिक के कपट या दुराचार के किसी कार्य के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, हुई हानियों के लिए संयुक्ततः और पृथकततः दायी होंगे; और

(ख) खंड (क) में उल्लिखित ऐसी हानियों के संबंध में दावों का संदाय, जो कि, यथास्थिति, दिवाला प्रारंभ होने की तारीख या ऋणी के दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से कारपोरेट ऋणी या ऋणी की आस्तियों के मूल्य की रकम के बराबर होगा ।

(3) उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन दिवाला वृत्तिक अभिकरण को निक्षिप्त कार्यपालन प्रतिभूति का उपयोग इस संहिता के अधीन दिवाला वृत्तिक पर अधिरोपित किन्हीं बाध्यताओं के उन्मोचन के लिए किया जाएगा ।

(4) इस धारा के अधीन बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किन्हीं विनियमों के अधीन रहते हुए प्रत्येक दिवाला वृत्तिक अभिकरण, अपनी उपविधियों के द्वारा ऐसे दिवाला वृत्तिकों के, जो ऐसे दिवाला वृत्तिक अभिकरण के सदस्य हैं, इस धारा के अधीन कार्यपालन बंधपत्र के संबंध में दायित्वों का अवधारण करने के लिए उपाय विनिर्दिष्ट करेगा ।

अध्याय 4

दिवाला वृत्तिक

दिवाला वृत्तिकों का नामांकन और रजिस्ट्रीकरण ।

207. (1) कोई भी व्यक्ति, इस संहिता के अधीन किसी दिवाला वृत्तिक अभिकरण के सदस्य के रूप में नामांकित हुए बिना दिवाला वृत्तिक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान नहीं करेगा ।

(2) प्रत्येक दिवाला वृत्तिक, किसी दिवाला वृत्तिक अभिकरण की सदस्यता प्राप्त करने के पश्चात् स्वयं को ऐसे समय के भीतर, ऐसी रीति में और ऐसी फीस के संदाय पर जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत करेगा ।

दिवाला वृत्तिकों के कृत्य और बाध्यताएं ।

208. (1) जहां कोई दिवाला या समाधान, नया आरंभ, समापन या शोधन अक्षमता प्रक्रिया आरंभ की गई है, वहां किसी दिवाला वृत्तिक का कृत्य यह होगा कि वह निम्नलिखित विषयों में ऐसी कार्रवाई करे, जो आवश्यक हो,--

(क) भाग 3 के अध्याय 2 के अधीन एक नया आरंभ आदेश प्रक्रिया ;

(ख) भाग 3 के अध्याय 3 के अधीन व्यष्टिक दिवाला समाधान प्रक्रिया ;

(ग) भाग 2 के अध्याय 2 के अधीन कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया ;

(घ) भाग 3 के अध्याय 4 के अधीन व्यष्टिक शोधन अक्षमता प्रक्रिया ; और

(ङ) भाग 2 के अध्याय 3 के अधीन कारपोरेट ऋणी का परिसमापन ।

(2) प्रत्येक दिवाला वृत्तिक निम्नलिखित आचार संहिता से आबद्ध होगा :--

(क) कर्तव्यों का निष्पादन करते समय युक्तियुक्त सतर्कता और तत्परता बरतेगा ;

(ख) उस दिवाला वृत्तिक अभिकरण की, जिसका वह सदस्य है, उपविधियों में विनिर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं और निबंधनों तथा शर्तों का अनुपालन करेगा ;

(ग) दिवाला वृत्तिक अभिकरण को अपने अभिलेखों का निरीक्षण करने की अनुज्ञा देगा ;

(घ) इस संहिता के अधीन कोई सेवा उपलब्ध कराने से पूर्व दिवाला वृत्तिक अभिकरण को रजिस्ट्रीकरण बंधपत्र और कार्यपालन प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा ;

(ङ) बोर्ड और साथ ही उस दिवाला वृत्तिक अभिकरण को, जिसका वह सदस्य है, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही के अभिलेखों की एक प्रति प्रस्तुत करेगा ; और

(च) अपने कृत्यों का पालन ऐसी रीति और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए करेगा जो विनिर्दिष्ट की जाएं ।

अध्याय 5

सूचना उपयोगिताएं

किसी व्यक्ति द्वारा किसी विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के बिना सूचना उपयोगिता के रूप में कार्य न करना ।

209. इस संहिता में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कोई भी सूचना उपयोगिता, बोर्ड द्वारा इस निमित जारी किए जाने वाले रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अधीन और उसके अनुसार के सिवाए इस अधिनियम के अधीन अपना कारबार नहीं करेगी ।

सूचना उपयोगिता का रजिस्ट्रीकरण ।

210. (1) रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन बोर्ड को ऐसे प्ररूप और रीति में किया जाएगा और उसमें ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी तथा उसके साथ ऐसी फीस लगी होगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए :

परंतु बोर्ड उसके द्वारा प्राप्त प्रत्येक आवेदन की अभिस्वीकृति, उसकी प्राप्ति के सात दिन के भीतर प्रदान करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, बोर्ड यह समाधान हो जाने पर कि आवेदन उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं को पूरा करता है, आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र मंजूर कर सकेगा या ऐसे आवेदन को अन्यथा आदेश द्वारा नामंजूर कर सकेगा :

परंतु आवेदन को नामंजूर करने वाला कोई भी आदेश आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना नहीं किया जाएगा ।

(3) बोर्ड आवेदक को ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों के, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, अधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा ।

(4) बोर्ड समय-समय पर और ऐसी रीति में तथा ऐसी फीस के संदाय पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण कर सकेगा ।

(5) बोर्ड, किसी सूचना उपयोगिता को मंजूर किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को आदेश द्वारा निम्नलिखित आधारों में से किसी पर निलंबित या रद्द कर सकेगा, अर्थात् :--

(क) कि उसने किसी मिथ्या कथन या दुर्व्यपदेशन के आधार पर या किसी अन्य अविधिपूर्ण साधन से रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया है;

(ख) कि वह बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों की अपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहा है ;

(ग) कि उसने संहिता या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है ;

(घ) किसी ऐसे अन्य आधार पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबद्ध सूचना उपयोगिता को सुनवाई का कोई युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया हो :

परंतु यह और कि ऐसा कोई आदेश बोर्ड के किसी पूर्णकालिक सदस्य के सिवाय किसी अन्य सदस्य द्वारा पारित नहीं किया जाएगा।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण को अपील ।

211. ऐसी कोई सूचना उपयोगिता, जो बोर्ड द्वारा धारा 209 के अधीन किए गए आदेश से व्यथित है, ऐसे प्ररूप में, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण को अपील कर सकेगी ।

सूचना उपयोगिता का शासी बोर्ड ।

212. बोर्ड, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक सूचना उपयोगिता इस संहिता के अधीन पूरा किए जाने वाले उद्देश्यों को ध्यान में रखती है, प्रत्येक सूचना उपयोगिता से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह एक शासी बोर्ड की स्थापना करे, जिसमें उतनी संख्या में स्वतंत्र सदस्य होंगे, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।

सूचना उपयोगिता की कोर सेवाएं, आदि ।

213. कोई सूचना उपयोगिता किसी व्यक्ति को ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराएगी, जो विनिर्दिष्ट की जाएं और इसके अन्तर्गत किसी व्यक्ति का उपलब्ध कराई जाने वाली कोर सेवाएं भी हैं, यदि ऐसा व्यक्ति विनयमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले निबंधनों और शर्तों का पालन करता है ।

सूचना उपयोगिता की बाध्यताएं ।

214. प्रत्येक सूचना उपयोगिता, किसी व्यक्ति को कोर सेवाएं उपलब्ध कराते समय--

(क) वित्तीय सूचना का सृजन और भंडारण सार्वभौमिक प्ररूप से पहुंच वाले प्ररूप में करेगी ;

(ख) ऐसे व्यक्तियों से, जो धारा 215 की उपधारा (2) के अधीन वित्तीय सूचना प्रस्तुत करने की बाध्यता के अधीन हैं, ऐसे रूप और रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, वित्तीय सूचना को इलेक्ट्रानिक रूप में स्वीकार करेगी ;

(ग) ऐसे व्यक्तियों से, जो इस प्रकार की सूचना प्रस्तुत करने का आशय रखते हैं, विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति में वित्तीय सूचना का इलेक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुतीकरण स्वीकार करेगी ;

(घ) ऐसे न्यूनतम सेवा क्वालिटी मानकों को पूरा करेगी, जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं ;

(ङ) विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त सूचना को, ऐसी सूचना का भंडारण करने से पूर्व सभी संबद्ध पक्षकारों से अधिप्रमाणन कराएगी ;

(च) उसके द्वारा भंडारित वित्तीय सूचना तक, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे किसी व्यक्ति को पहुंच उपलब्ध कराएगी, जो ऐसी सूचना तक पहुंच बनाने का आशय रखता है ;

(छ) ऐसी सांख्यिकीय सूचना का प्रकाशन करेगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

वित्तीय सूचना को प्रस्तुत करने आदि के लिए प्रक्रिया ।

215. (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो सूचना उपयोगिता को कोई वित्तीय सूचना प्रस्तुत करने का आशय रखता है या सूचना उपयोगिता की किसी सूचना तक पहुंच बनाना चाहता है, ऐसी फीस का संदाय करेगा और ऐसे प्ररूप तथा रीति में सूचना प्रस्तुत करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) यथास्थिति, कोई वित्तीय लेनदार या कोई क्रियाशील लेनदार वित्तीय सूचना और ऐसी आस्तियों, जिनके संबंध में किसी प्रतिभूति हित का सृजन किया गया है, से संबंधित सूचना ऐसे प्ररूप और रीति में प्रस्तुत करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

वित्तीय सूचना प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों के अधिकार और बाध्यताएं ।

216. (1) ऐसे किसी व्यक्ति को, जो किसी सूचना उपयोगिता को कोई वित्तीय सूचना प्रस्तुत करता है, निम्नलिखित अधिकार होंगे, अर्थात् :-

(क) इस प्रकार प्रस्तुत किसी वित्तीय सूचना में ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विनिर्दिष्ट किया जाए, त्रुटियों को शुद्ध करने या उसे अद्यतन या उपांतरित करने ;

(ख) ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विनिर्दिष्ट किया जाए,

किन्हीं संविदाओं या करारों के सभी प्रतिपक्षकारों की अनुमति से यह मांग करना कि सूचना उपयोगिता उसे प्रस्तुत किसी सूचना को उसके अभिलेखों से हटा दे ।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी सूचना उपयोगिता को कोई वित्तीय सूचना प्रस्तुत करता है, ऐसी सूचना को किसी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध नहीं कराएगा, सिवाय ऐसे विस्तार के और ऐसी परिस्थितियों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाएं ।

अध्याय 6
निरीक्षण और अन्वेषण

दिवाला वृत्तिक अभिकरण या उसके सदस्यों या सूचना उपयोगिता के विरुद्ध शिकायतें ।

217. किसी दिवाला वृत्तिक अभिकरण या किसी दिवाला वृत्तिक या किसी सूचना उपयोगिता के कार्यकरण से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, बोर्ड को कोई शिकायत फाइल कर सकेगा ।

दिवाला वृत्तिक अभिकरण या उसके सदस्यों या सूचना उपयोगिता का अन्वेषण ।

218. (1) जहां बोर्ड के पास, धारा 217 के अधीन किसी शिकायत की प्राप्ति पर या स्वैच्छिक रूप से यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि दिवाला वृत्तिक अभिकरण या दिवाला वृत्तिक या सूचना उपयोगिता ने इस संहिता या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों का या बोर्ड द्वारा उसके अधीन जारी निदेशों का उल्लंघन किया है तो वह किसी भी समय लिखित में आदेश द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् इस अध्याय में अन्वेषण प्राधिकारी कहा गया है) को किसी दिवाला वृत्तिक अभिकरण या किसी दिवाला वृत्तिक या सूचना उपयोगिता का निरीक्षण या अन्वेषण करने का निदेश दे सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए जाने वाला निरीक्षण या अन्वेषण का संचालन ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में किया जाएगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(3) अन्वेषण प्राधिकारी, ऐसे निरीक्षण या अन्वेषण के अनुक्रम में, किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से, जिसके पास कोई सुसंगत दस्तावेज, अभिलेख या प्रस्तुत किए जाने के लिए किसी सूचना के होने की संभावना है, उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसा व्यक्ति ऐसे दस्तावेज, अभिलेख या सूचना को प्रस्तुत करने के लिए आबद्ध होगा :

परंतु अन्वेषण प्राधिकारी, ऐसे व्यक्ति से ऐसे दस्तावेज, अभिलेख या सूचना की अपेक्षा करने से पूर्व उसे कारण उपलब्ध कराएगा ।

(4) अन्वेषण प्राधिकारी, अपने निरीक्षण या अन्वेषण के अनुक्रम में, किसी भवन या ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकेगा, जहां उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि जांच की विषय-वस्तु से संबंधित ऐसा कोई दस्तावेज, अभिलेख या सूचना पाई जा सकती है और वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 के उपबंधों, जहां तक वे लागू हों, के अधीन रहते हुए, ऐसे किसी दस्तावेज, अभिलेख या सूचना का अभिग्रहण कर सकेगा या उससे उद्धरण प्राप्त कर सकेगा या उसकी प्रतियां ले सकेगा । 1974 का 2

(5) अन्वेषण प्राधिकारी, इस धारा के अधीन अभिग्रहण की गई बहियों, रजिस्टरों, अन्य दस्तावेजों और अभिलेखों को ऐसी अवधि के लिए अपनी अभिरक्षा में रखेगा, जिसे वह आवश्यक समझता है, किंतु यह अवधि अन्वेषण के पूरा होने के अपश्चात् होगी और उसके पश्चात् वह उन्हें ऐसे संबद्ध व्यक्ति को लौटा देगा, जिसकी अभिरक्षा या शक्ति के अधीन उनका अभिग्रहण किया गया था :

परंतु अन्वेषण प्राधिकारी, पूर्वोक्तानुसार ऐसी बहियों, रजिस्टरों, अन्य दस्तावेजों और अभिलेखों को लौटाने से पहले उन पर या उनके किसी भाग पर पहचान चिह्न चिह्नित करेगा ।

(6) अन्वेषण प्राधिकारी बोर्ड को निरीक्षण या अन्वेषण की एक ब्यौरेवार रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

दिवाला वृत्तिक अभिकरण या उसके सदस्य या सूचना उपयोगिता को कारण बताओ सूचना जारी करना ।

219. बोर्ड, धारा 218 के अधीन निरीक्षण या अन्वेषण के समाप्त होने पर, ऐसे दिवाला वृत्तिक अभिकरण या दिवाला वृत्तिक या सूचना उपयोगिता को कारण बताओ सूचना जारी कर सकेगा और ऐसी रीति में तथा उत्तर देने के लिए ऐसा समय प्रदान करते हुए, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसे दिवाला वृत्तिक अभिकरण या दिवाला वृत्तिक या सूचना उपयोगिता का निरीक्षण कर सकेगा ।

अनुशासन समिति की नियुक्ति ।

220. (1) बोर्ड, धारा 218 की उपधारा (6) के अधीन प्रस्तुत अन्वेषण प्राधिकारी की रिपोर्टों पर विचार करने के लिए अनुशासन समिति का गठन करेगा :

परंतु अनुशासन समिति में केवल बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य ही सदस्य के रूप में सम्मिलित होंगे ।

(2) अन्वेषण प्राधिकारी की रिपोर्ट की संवीक्षा के पश्चात्, यदि अनुशासन समिति का यह समाधान हो जाता है कि पर्याप्त कारण विद्यमान हैं तो वह यथास्थिति, उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार धनीय शास्ति अधिरोपित कर सकेगी या दिवाला वृत्तिक के रजिस्ट्रीकरण को निलंबित या रद्द कर सकेगी या दिवाला वृत्तिक अभिकरण या सूचना उपयोगिता के रजिस्ट्रीकरण को निलंबित या रद्द कर सकेगी ।

(3) अनुशासन समिति निम्नलिखित रीति में धनीय शास्ति अधिरोपित कर सकेगी, अर्थात् :--

(क) जहां किसी दिवाला वृत्तिक अभिकरण या दिवाला वृत्तिक या किसी सूचना उपयोगिता ने इस संहिता या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन किया है वहां अधिकतम धनीय शास्ति वह होगी, जो निम्नलिखित में से अधिक है--

(i) ऐसे उल्लंघन के कारण संबद्ध व्यक्तियों को हुई हानि या ऐसी हानि की, जिसके कारित होने की संभावना थी, की रकम का तीन गुणा ; या

(ii) ऐसे उल्लंघन के कारण प्राप्त किए गए अविधिपूर्ण अभिलाभ की रकम का तीन गुणा :

परंतु जहां ऐसी हानि या अविधिपूर्ण अभिलाभ की मात्रा को तय नहीं किया जा सकता, वहां अधिरोपित की जाने वाली धनीय शास्ति की कुल

रकम एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी ।

(4) उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसने इस संहिता या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उल्लंघन में कोई क्रियाकलाप करके कोई अविधिपूर्ण अभिलाभ प्राप्त किया है या वह किसी हानि से बचा है तो वह ऐसे अविधिपूर्ण लाभ या निवारित हानि के समतुल्य की रकम को वापस करेगा ।

(5) बोर्ड, ऐसे व्यक्ति को, जिसने ङ्घइस प्रकार वापस की गई किसी रकम से किसी उल्लंघन के कारण कोई हानि उठाई है, प्रत्यास्थापन उपलब्ध कराने के लिए यथापेक्षित कार्रवाई कर सकेगा, यदि ऐसे व्यक्ति की, जिसने ऐसी हानि उठाई है पहचान की जा सकती है और इस प्रकार उठाई गई हानि प्रत्यक्ष रूप से ऐसे व्यक्ति के कारण हुई है ।

(6) बोर्ड निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करने के लिए अधिनियम बना सकेगा--

(क) उपधारा (5) के अधीन प्रत्यास्थापन का दावा करने के लिए प्रक्रिया ;

(ख) ऐसी अवधि, जिसके भीतर ऐसे प्रत्यास्थापन का दावा किया जा सकेगा ; और

(ग) वह रीति जिसमें प्रत्यास्थापन की रकम तय की जा सकेगी ।

अध्याय 7

वित्त, लेखा और लेखापरीक्षा

केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।

221. केंद्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए जाने वाले सम्यक् विनियोग के पश्चात्, बोर्ड को ऐसी धनराशियों का अनुदान कर सकेगी, जिन्हें सरकार इस संहिता के प्रयोजनों के लिए उपयोग करने हेतु उचित समझती है ।

बोर्ड की निधियां ।

222. (1) दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की निधि के नाम से ज्ञात एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित को जमा किया जाएगा--

(क) इस संहिता के अधीन बोर्ड द्वारा प्राप्त किए गए सभी अनुदान, फीस और प्रभार ;

(ख) बोर्ड द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से, जिनके संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाए, प्राप्त सभी राशियां ;

(ग) ऐसी अन्य निधियां, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट या केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

(2) निधि का उपयोग निम्नलिखित व्ययों की पूर्ति के लिए किया जाएगा--

(क) बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन भत्ते और अन्य पारिश्रमिक ;

(ख) धारा 196 के अधीन बोर्ड के कृत्यों के निर्वहन में उसके व्यय ;

(ग) इस संहिता द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए व्यय ;

(घ) ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जो विहित किए जाएं ।

लेखा और लेखापरीक्षा ।

223. (1) बोर्ड समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और ऐसे प्ररूप में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए, लेखाओं का एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा ।

(2) बोर्ड के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय बोर्ड द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और बोर्ड के लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को वही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे, जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पास शासकीय लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में साधारण रूप से होते हैं और उसके पास विशेष रूप से, बहियों, लेखाओं, संबद्ध वाऊचरों और अन्य दस्तावेजों और कागज-पत्रों की मांग करने और बोर्ड के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का प्राधिकार होगा ।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस निमित नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित बोर्ड के लेखाओं को उनसे संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक रूप से केंद्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा और वह सरकार उसे संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

भाग 5

प्रकीर्ण

दिवाला और शोधन अक्षमता निधि ।

224. (1) इस संहिता के अधीन व्यक्तियों के दिवाला समाधान, समापन और शोधन अक्षमता के प्रयोजनों के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता निधि (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "निधि" कहा गया है) नाम से ज्ञात एक निधि का सृजन किया जाएगा गठन किया जाएगा ।

(2) इस निधि में निम्नलिखित रकमों को जमा किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा निधि के प्रयोजनों के लिए किए गए अनुदान ;

(ख) व्यक्तियों द्वारा निधि को अभिदाय के रूप में उसमें जमा की गई रकमें;

(ग) किसी अन्य स्रोत से निधि प्राप्त की गई रकमें ; और

(घ) निधि में से किए गए निवेश से प्राप्त ब्याज या अन्य आय ।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने निधि में किसी रकम का अभिदाय किया है, इस संहिता के अधीन किसी न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष उस व्यक्ति के संबंध में किन्हीं कार्यवाहियों के प्रारंभ किए जाने की दशा में, ऐसे न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को निधि से, ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विहित किए जाएं, उसके द्वारा अभिदाय की गई रकम से अनधिक रकम निकालने के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार निधि का प्रशासन करने के लिए, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, अधिसूचना द्वारा एक प्रशासक की नियुक्ति करेगी ।

केंद्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति ।

225. (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड इस संहिता के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग या कृत्यों के निर्वहन में नीति के प्रश्नों के संबंध में ऐसे निदेशों द्वारा आबद्ध होगा, जो केंद्रीय सरकार समय-समय पर उसे लिखित में दे :

परंतु बोर्ड को यथासाध्य रूप से, इस उपधारा के अधीन उसे कोई निदेश दिए जाने से पूर्व अपने विचार अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा ।

(2) इस संबंध में कि क्या कोई प्रश्न नीति से संबंधित है अथवा नहीं, केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

केंद्रीय सरकार की बोर्ड को अधिक्रांत करने की शक्ति ।

226. (1) यदि किसी भी समय केंद्रीय सरकार की यह राय है कि--

(क) किसी अत्यावश्यकता के कारण, बोर्ड उस पर इस संहिता के उपबंधों के द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है; या

(ख) बोर्ड ने इस संहिता के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किसी निदेश का निरंतर रूप से पालन नहीं किया है या उसने इस संहिता के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किन्हीं कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है और ऐसे अननुपालन के परिणामस्वरूप बोर्ड की वित्तीय स्थिति या बोर्ड के प्रशासन का ह्रास हुआ है ; या

(ग) ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जो लोकहित में ऐसा करना आवश्यक बनाती हैं,

केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा बोर्ड को ऐसी अवधि के लिए, जो छाह मास से कम होगी और जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएगी, अधिक्रांत कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बोर्ड को अधिक्रांत करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन पर--

(क) सभी सदस्य, अधिक्रमण की तारीख से, अपने-अपने पद रिक्त कर देंगे ;

(ख) ऐसी सभी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का, जो इस संहिता के उपबंधों के द्वारा या उनके अधीन बोर्ड के द्वारा या उसकी ओर से प्रयोग या निर्वहन किया जा रहा था, प्रयोग या निर्वहन उपधारा (3) के अधीन बोर्ड के पुनर्गठन तक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा, जिन्हें केंद्रीय सरकार ऐसा करने का निदेश दे ; और

(ग) बोर्ड के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा नियंत्रित सभी संपत्तियां, उपधारा (3) के अधीन बोर्ड के पुनर्गठन तक, केंद्रीय सरकार में निहित हो जाएंगी ।

(3) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिक्रमण की अवधि के अवसान के पश्चात्, नई नियुक्ति द्वारा बोर्ड का पुनर्गठन कर सकेगी और उस दशा में ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिन्होंने उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन अपने पदों को रिक्त किया था, नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं माना जाएगा :

परंतु केंद्रीय सरकार, अधिक्रमण की अवधि के अवसान से पूर्व किसी भी समय इस उपधारा के अधीन कार्रवाई कर सकेगी ।

(4) केंद्रीय सरकार उपधारा (1) के अधीन एक नई अधिसूचना जारी करवाएगी और इस धारा के अधीन की गई किसी कार्रवाई की पूर्ण रिपोर्ट और ऐसी कार्रवाई जिन परिस्थितियों में की गई थी उनके बारे में जानकारी शीघ्रातिशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

227. इस संहिता या तत्समय अंतर्विष्ट किसी अन्य विधि में प्रवृत्त किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार वित्तीय क्षेत्र के उपयुक्त विनियामकों के परामर्श से ऐसी दिवाला और समापन कार्यवाहियों को ऐसी रीति में, जो विहित की जाएगी, के प्रयोजनों के लिए वित्तीय सेवा प्रदाताओं या वित्तीय सेवा प्रदाताओं के प्रवर्ग को, मान्यता प्रदान कर सकेगी और जिनका संचालन इस संहिता के अधीन किया जा सकेगा ।

बजट ।

228. बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट तैयार करेगा, जिसमें बोर्ड की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शित किया जाएगा और उसे केंद्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा ।

वार्षिक रिपोर्ट ।

229. (1) बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूर्ण लेखा जोखा प्रदान किया जाएगा और उसकी एक प्रति केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति को, उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

प्रत्यायोजन ।

230. बोर्ड, लिखित में किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों और जिन्हें आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, अधीन रहते हुए बोर्ड के किसी सदस्य, अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को इस संहिता के अधीन ऐसी शक्तियों और कृत्यों (धारा 217 के अधीन की शक्तियों को छोड़कर) का प्रत्यायोजन कर सकेगा, जिन्हें वह आवश्यक समझे ।

अधिकारिता का वर्जन ।

231. किसी भी सिविल न्यायालय को, ऐसे किसी मामले के संबंध में अधिकारिता नहीं होगी जिसके संबंध में बोर्ड इस संहिता द्वारा या उसके अधीन कोई आदेश पारित करने के लिए सशक्त है और बोर्ड द्वारा इस संहिता के द्वारा या उसके अधीन पारित किसी आदेश के अनुसरण में की गई या किए जाने वाली किसी कार्रवाई के संबंध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण द्वारा कोई व्यादेश मंजूर नहीं किया जाएगा ।

बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना ।

232. बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्यों अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को, जब वे इस संहिता के उपबंधों में से किसी के अनुसरण में कार्य कर रहे हैं या तात्पर्यित रूप से कार्य कर रहे हों तो उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा ।

1860 का 21

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।

233. सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध, इस संहिता या तद्धीन बनाए गए नियमों या

विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई किसी कार्रवाई या किए जाने के लिए आशयित किसी कार्रवाई के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवहीं नहीं होगी ।

इस संहिता के उपबंधों का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना ।

234. इस संहिता के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी ऐसी लिखत में, जो ऐसी किसी विधि के कारण प्रभावी है, अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

नियम बनाने की शक्ति ।

235. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस संहिता के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय सरकार ऐसे सभी या किन्हीं विषयों के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात् :--

(क) कोई अन्य लिखत, जो धारा 3 के खंड (15) के अधीन वित्तीय उत्पाद है ;

(ख) अन्य लेखांकन मानक, जो धारा 5 की उपधारा (8) के खंड (ख) के अधीन वित्तीय ऋण होंगे ;

(ग) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन वित्तीय लेनदार द्वारा कारपोरेट दिवाला समाधान संस्थित करने के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करने का प्ररूप, रीति और फीस ;

(घ) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन कारपोरेट ऋणी को की जा सकने वाली मांग सूचना का प्ररूप ;

(ङ) धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन प्रचालन लेनदार द्वारा कारपोरेट दिवाला समाधान संस्थित करने के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करने का प्ररूप, रीति और फीस ;

(च) धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन कारपोरेट आवेदक द्वारा कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया संस्थित करने के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करने का प्ररूप, रीति और फीस ;

(छ) धारा 79 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (ii) के अधीन वे व्यक्ति, जो नातेदार होंगे ;

(ज) धारा 79 की उपधारा (13) के खंड (ङ) के अधीन ऋणी के स्वामित्व के अधीन अविलंगमित एकल आवासीय इकाई का मूल्य ;

(झ) धारा 79 की उपधारा (14) के खंड (च) के अधीन कोई अन्य ऋण ;

(ञ) धारा 81 की उपधारा (2) के अधीन नए आरंभ के लिए आवेदन करने का प्ररूप रीति और फीस ;

(ट) धारा 81 की उपधारा (3) के खंड (ङ) के अधीन ऋणी के वैयक्तिक ब्यौरों की विशिष्टियां ;

(ठ) धारा 86 की उपधारा (3) के अधीन आवेदन के समर्थन में सूचना और दस्तावेज ;

(ड) धारा 94 की उपधारा (6) के अधीन ऋणी द्वारा दिवाला समाधान प्रक्रिया

संस्थित करने के लिए आवेदन करने का प्ररूप, रीति और फीस ;

(ढ) धारा 95 की उपधारा (6) के अधीन लेनदार द्वारा दिवाला समाधान प्रक्रिया संस्थित करने के लिए आवेदन करने का प्ररूप, रीति और फीस ;

(ण) धारा 103 की उपधारा (2) के अधीन समाधान वृत्तिक को लेनदार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विशिष्टियां ;

(त) धारा 122 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन ऋणी द्वारा शोधन अक्षमता के लिए आवेदन करने का प्ररूप और रीति ;

(थ) धारा 122 की उपधारा (3) के अधीन ऋणी के मामलों के विवरण का प्ररूप और रीति ;

(द) धारा 123 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन अन्य सूचना ;

(ध) धारा 123 की उपधारा (6) के अधीन शोधन अक्षमता के लिए आवेदन करने का प्ररूप, रीति और फीस ;

(न) धारा 129 की उपधारा (2) के अधीन वह प्ररूप और रीति, जिसमें वित्तीय प्रास्थिति का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा ;

(प) धारा 130 की उपधारा (2) के अधीन वह विषय और ब्यौरे, जिन्हें लोक सूचना में सम्मिलित किया जाएगा ;

(फ) धारा 130 की उपधारा (3) के अधीन वह विषय और ब्यौरे, जिन्हें लेनदारों की सूचना में सम्मिलित किया जाएगा ;

(ब) धारा 131 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन शोधन अक्षमता न्यासी को दावों के ब्यौरे और अन्य सूचना भेजने की रीति ;

(भ) धारा 141 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन वित्तीय या वाणिज्यिक संव्यवहारों का मूल्य ;

(म) धारा 150 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन शोधन अक्षमता द्वारा शोधन अक्षमता न्यासी को उसके कृत्यों को करने के लिए की जाने वाली अन्य चीजें ;

(य) धारा 170 की उपधारा (4) के अधीन आधिक्य से व्यौहार करने की रीति ;

(यक) धारा 171 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन ऋण के सबूत का प्ररूप और रीति ;

(यख) धारा 171 की उपधारा (7) के अधीन लाभांश प्राप्त करने की रीति ;

(यग) धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन वे विशिष्टियां, जो सूचना में अंतर्विष्ट होंगी ;

(यघ) धारा 189 की उपधारा (5) के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(यङ) धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (प) के अधीन बोर्ड के अन्य कृत्य ;

(यच) धारा 222 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन अन्य निधियां ;

(यछ) धारा 222 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन अन्य प्रयोजन, जिनको निधियां का उपयोजन किया जाएगा ;

(यज) धारा 223 की उपधारा (1) के अधीन वह प्ररूप, जिसमें लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार किया जाएगा ;

(यझ) धारा 224 की उपधारा (3) के अधीन प्रयोजन, जिनके लिए निधियों का आहरण करने के लिए आवेदन किया जा सकेगा ;

(यञ) धारा 224 की उपधारा (4) के अधीन निधियों को प्रशासित करने की रीति ;

(यट) धारा 227 के अधीन दिवाला और परिसमापन कार्यवाहियां संचालित करने की रीति ;

(यठ) धारा 228 के अधीन बोर्ड द्वारा बजट तैयार करने का प्ररूप और समय ;

(यड) धारा 229 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का प्ररूप और समय ;

(यढ) धारा 239 की उपधारा (2) के खंड (vi) के अधीन वह समय जिस तक किसी पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति अपना पद धारण करना जारी रखेगा ।

विनियम बनाने की शक्ति ।

236. (1) बोर्ड, अधिसूचना द्वारा इस संहिता के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए ऐसे विनियम बना सकेगा, जो इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों से संगत हों ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित विषयों में से सभी या किन्हीं के संबंध में उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :--

(क) धारा 3 के खंड (9) के उपखंड (क) के अधीन वित्तीय सूचना के इलैक्ट्रानिकी रूप में प्रस्तुत करने को स्वीकार करने का प्ररूप और रीति ;

(ख) धारा 3 के खंड (9) के उपखंड (घ) के अधीन वे व्यक्ति, जिन्हें सूचना उपयोगिता के पास भंडारित सूचना तक पहुंच का उपबंध किया जा सकेगा ;

(ग) धारा 3 के खंड (13) के उपखंड (च) के अधीन कोई अन्य सूचना ;

(घ) धारा 5 के खंड (13) के उपखंड (ङ) के अधीन अन्य लागतें ;

(ङ) परिसमापक द्वारा परिसमापन कालावधि के दौरान उपगत लागत, जो धारा 5 की उपधारा (16) के अधीन परिसमापन लागत होगी ;

(च) खंड (क) के अधीन व्यतिक्रम के अन्य अभिलेख या साक्ष्य और धारा 7 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अधीन कोई अन्य सूचना ;

(छ) धारा 8 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन संसूचना का इलैक्ट्रानिकी ढंग ;

(ज) धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन कोई अन्य सूचना ;

(झ) धारा 10 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन कालावधि ;

(ञ) धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन कारपोरेट ऋणी को अनिवार्य वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति ;

(ट) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन लोक उदघोषणा करने की रीति ;

(ठ) धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन कार्रवाई करने की रीति और उन पर निर्बंधन ;

(ड) धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन अन्य व्यक्ति ;

(ढ) धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन अन्य विषय ;

(ण) खंड (क) के उपखंड (iv) के अधीन अन्य विषय और धारा 18 के खंड (छ) के अधीन अंतरिम समाधान वृत्तिक द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अन्य कर्तव्य ;

(त) धारा 21 की उपधारा (8) के परंतुक के अधीन व्यक्ति, जो लेनदारों की समिति में होंगे, ऐसी समितियों द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कृत्य तथा रीति, जिसमें ऐसे कृत्यों का निर्वहन किया जाएगा ;

(थ) धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन अन्य इलैक्ट्रानिकी माध्यम, जिनके द्वारा लेनदारों की समिति के सदस्य बैठक करेंगे ;

(द) धारा 24 की उपधारा (7) के अधीन प्रत्येक लेनदार को मतदान अंश समनुदेशित करने की रीति ;

(ध) धारा 24 की उपधारा (8) के अधीन लेनदारों की समिति की बैठकें संचालित करने की रीति ;

(न) धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन लेखाकारों, वकीलों और अन्य सलाहकारों को नियुक्त करने की रीति ;

(प) धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (ट) के अधीन अन्य कार्रवाईयां ;

(फ) वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन समाधान वृत्तिक द्वारा सूचना ज्ञापन तैयार किया जाएगा ;

(ब) धारा 29 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण के अधीन कारपोरेट ऋणी से संबंधित अन्य विषय ;

(भ) धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन दिवाला समाधान प्रक्रिया लागतों का संदाय करने की रीति, खंड (ख) के अधीन प्रचालन लेनदारों के ऋणों का पुनर्संदाय करने की रीति और अन्य अपेक्षाएं जिनके अनुरूप समाधान योजना खंड (घ) के अनुरूप होगी ;

(म) धारा 34 की उपधारा (8) के अधीन परिसमापन कार्यवाहियों के संचालन की फीस तथा परिसमापन संपदा आस्तियों के मूल्य का समानुपात ;

(य) धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन कारपोरेट ऋणी की आस्तियों और संपत्ति का मूल्यांकन करने की रीति, खंड (च) के अधीन पार्सलों में संपत्ति विक्रय करने की रीति, खंड (ढ) के अधीन परिसमापन

प्रक्रिया की प्रगति की रिपोर्ट करने की रीति और के खंड (ण) के अधीन निष्पादित किए जाने वाले अन्य कृत्य ;

(यक) धारा 35 की उपधारा (2) के अधीन अन्य पणधारियों को अभिलेख उपलब्ध कराने की रीति ;

(यख) धारा 36 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन अन्य साधन ;

(यग) धारा 36 की उपधारा (4) के खंड (ङ) के अधीन अन्य आस्तियां ;

(यघ) धारा 37 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन अन्य स्रोत ;

(यङ) धारा 37 की उपधारा (2) के अधीन कारपोरेट ऋणी से संबंधित वित्तीय सूचना प्रदान करने की रीति ;

(यच) धारा 38 की उपधारा (3) के अधीन दावा साबित करने के लिए प्रचालन लेनदार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले समर्थनकारी दस्तावेजों का प्ररूप और रीति ;

(यछ) धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन वह समय, जिसमें परिसमापक दावों का सत्यापन करेगा ;

(यज) धारा 41 के अधीन दावों के मूल्य को अवधारित करने की रीति ;

(यझ) धारा 52 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन परिसमापन संपदा के प्रतिभूति हित का त्यजन करने की रीति तथा परिसमापक द्वारा आस्तियों की बिक्री से आगमों को प्राप्त करना और खंड (ख) के अधीन प्रतिभूति हितों को वसूलने की रीति ;

(यञ) धारा 52 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन अन्य साधन ;

(यट) धारा 52 की उपधारा (9) के अधीन परिसमापक द्वारा प्रतिभूत लेनदार को संदाय करने की रीति ;

(यठ) धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन कालावधि ;

(यड) धारा 57 के खंड (क) के अधीन अन्य साधन और खंड (ख) के अधीन अन्य सूचना ;

(यढ) धारा 59 की उपधारा (2) के अधीन शर्तें और प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं ;

(यण) धारा 95 की उपधारा (7) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित ब्यौरे और दस्तावेज ;

(यत) धारा 105 की उपधारा (4) के खंड (ग) के अधीन अन्य विषय ;

(यथ) धारा 107 की उपधारा (4) के अधीन प्रॉक्सी मतदान की रीति और प्ररूप ;

(यद) धारा 133 की उपधारा (3) के अधीन प्रॉक्सी मतदान की रीति और प्ररूप ;

(यध) धारा 144 की उपधारा (1) के अधीन प्रभारित की जाने वाली फीस ;

(यन) धारा 194 की उपधारा (3) के अधीन बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों

का वेतन और संदेय भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(यप) धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन अन्य सूचना ;

(यफ) धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (द) के अधीन अंतराल, जिसमें आवधिक अध्ययन, कृत्यकरण का अनुसंधान और संपरीक्षा तथा दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं का कार्य निष्पादन ;

(यय) धारा 196 की उपधारा (3) के खंड (i) के अधीन लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों को प्रकट और प्रस्तुत करने का स्थान तथा रीति ;

(ययक) धारा 197 के अधीन बोर्ड द्वारा गठित की जाने वाली अन्य समितियां तथा ऐसी समितियों में अन्य सदस्य ;

(ययख) धारा 200 के खंड (ख) और खंड (घ) के अधीन अन्य व्यक्ति ;

(ययग) धारा 201 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप और रीति, उसमें अंतर्विष्ट विशिष्टियां तथा उसके साथ संलग्न फीस ;

(ययघ) धारा 201 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने का प्ररूप और रीति तथा उसके निबंधन और शर्तें ;

(ययङ) धारा 201 की उपधारा (4) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण की रीति तथा उसकी फीस ;

(ययच) धारा 201 की उपधारा (5) के खंड (घ) के अधीन अन्य आधार ;

(ययछ) धारा 202 के अधीन राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण को अपील का प्ररूप तथा वह अवधि, जिसके भीतर ऐसी अपील फाइल की जाएगी ;

(ययज) धारा 204 के खंड (छ) के अधीन अन्य सूचना ;

(ययझ) धारा 205 के स्पष्टीकरण के अधीन अन्य आधार ;

(ययञ) धारा 205 के खंड (ङ) के अधीन उसके आंतरिक प्रशासन और प्रबंधन के लिए शासी बोर्ड की स्थापना, खंड (ठ) के अधीन पाठ्यचर्या, खंड (ड) के अधीन जांच संचालित करने की रीति ;

(ययट) धारा 206 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन बोर्ड के पास निष्पादन बांड पोस्ट करने का प्ररूप और रीति और खंड (ख) के अधीन कार्य निष्पादन प्रतिभूति की रकम और कार्य निष्पादन प्रतिभूति जमा करने की रीति ;

(ययठ) धारा 206 की उपधारा (4) के अधीन दिवाला वृत्तिकों के दायित्वों का अवधारण करने के साधन ;

(ययड) धारा 207 की उपधारा (2) के अधीन दिवाला वृत्तिकों के रजिस्ट्रीकरण का समय, रीति और फीस ;

(ययढ) धारा 208 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन वह रीति और

शर्तें, जिनके अधीन दिवाला वृत्तिक अपने कृत्यों का निष्पादन करेगा ;

(ययण) धारा 210 की उपधारा (1) के अधीन सूचना उपयोगिता के रजिस्ट्रीकरण का प्ररूप और रीति तथा फीस ;

(ययत) धारा 210 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने का प्ररूप और रीति तथा उसके निबंधन और शर्तें ;

(ययथ) धारा 210 की उपधारा (4) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण की रीति और उसके लिए फीस ;

(ययद) धारा 210 की उपधारा (5) के खंड (घ) के अधीन अन्य आधार ;

(ययध) धारा 211 के अधीन राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण को अपील फाइल करने का प्ररूप, अवधि तथा रीति ;

(ययन) धारा 212 के अधीन स्वतंत्र सदस्यों की संख्या ;

(ययऩ) धारा 213 के अधीन सूचना उपयोगिता द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं तथा उनके निबंधन और शर्तें ;

(ययप) धारा 214 के खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन वित्तीय सूचना के इलैक्ट्रानिकी प्रस्तुतिकरण को स्वीकार करने का प्ररूप और रीति ;

(ययफ) धारा 214 के खंड (घ) के अधीन न्यूनतम सेवा क्वालिटी मानक ;

(ययब) धारा 214 के खंड (च) के अधीन पहुंच की जाने वाली सूचना तथा ऐसी सूचना तक पहुंच करने की रीति ;

(ययभ) धारा 214 के खंड (छ) के अधीन प्रकाशित की जाने वाली सांख्यिकीय सूचना ;

(ययम) धारा 215 की उपधारा (1) के अधीन सूचना प्रस्तुत करने या उस तक पहुंच का प्ररूप, फीस और रीति ;

(यययक) धारा 215 की उपधारा (2) के अधीन वित्तीय सूचना प्रस्तुत करने और आस्तियों से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति ;

(यययख) धारा 216 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन वह रीति और समय, जिसके भीतर त्रुटियों को ठीक किया जा सकेगा, अद्यतन किया जा सकेगा या उपांतरित किया जा सकेगा ;

(यययग) धारा 216 की उपधारा (2) के अधीन सूचना उपलब्ध कराए जाने का परिमाण, परिस्थितियां और रीति ;

(यययघ) धारा 217 के अधीन शिकायत फाइल करने का प्ररूप और रीति ;

(यययङ) धारा 218 की उपधारा (2) के अधीन निरीक्षण या जांच करने का समय और रीति ;

(यययच) धारा 219 के अधीन दिवाला वृत्तिक अभिकरण या दिवाला वृत्तिक या सूचना उपयोगिता का निरीक्षण करने की रीति ;

(ययय छ) धारा 222 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन अन्य निधियां ।

नियमों, विनियमों और उपविधियों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

237. इस संहिता के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम, प्रत्येक विनियम और प्रत्येक उपविधि को, उसे बनाए जाने के तुरंत पश्चात् संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र या अनुक्रमिक सत्रों से तुरंत पूर्व के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन नियम, विनियम या उपविधि में कोई उपांतरण करने पर सहमत हो जाते हैं या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि ऐसे नियम, विनियम या उपविधि को नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम, विनियम या उपविधि उसके पश्चात्, यथास्थिति केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगी या प्रभावी नहीं रहेगी ; तथापि ऐसा कोई उपांतरण या रद्दकरण, उस नियम, विनियम या उपविधि के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति ।

238. (1) यदि इस संहिता के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस संहिता के उपबंधों से असंगत नहीं होंगे और जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों:

परंतु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस संहिता के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश को, उसे किए जाने के तुरंत पश्चात्, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन और व्यावृत्ति ।

1909 का 3
1920 का 5

239. (1) प्रेजिडेंसी नगर दिवाला अधिनियम, 1909 और प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 को निरसित किया जाता है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन निरसन के होते हुए भी--

(i) इस संहिता के प्रारंभ से तुरंत पूर्व प्रेजिडेंसी नगर दिवाला अधिनियम, 1909 और प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 के अधीन और उनसे संबंधित लंबित सभी कार्यवाहियां पूर्व उल्लिखित अधिनियमों के अधीन शासित होती रहेंगी और उनकी सुनवाई तथा निपटारा संबद्ध न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा इस प्रकार किया जाएगा मानो पूर्व उल्लिखित अधिनियमों को निरसित न किया गया हो ;

(ii) किसी निरसित अधिनियमिती के अधीन या उसके अनुसरण में किया गया कोई आदेश, नियम, अधिसूचना, विनियम, नियुक्ति, हस्तांतरण, बंधक, विलेख, दस्तावेज या किया गया करार, निदेशित फीस, पारित संकल्प, दिया गया निदेश, की गई कार्यवाही, निष्पादित लिखत या जारी या की गई कोई बात, जो इस संहिता के आरंभ के समय प्रवृत्त है, प्रवृत्त बनी रहेगी और इस प्रकार प्रभावी होगी मानो पूर्व उल्लिखित अधिनियमों को निरसित न किया गया हो ;

(iii) निरसित अधिनियमितियों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई या तात्पर्यित रूप से किए जाने या की गई कोई कार्रवाई, जिसके अंतर्गत कोई नियम, अधिसूचना, निरीक्षण, आदेश या दी गई या जारी की गई कोई सूचना या कोई नियुक्ति या की गई कोई घोषणा या प्रारंभ किया गया कोई प्रचालन या दिया गया कोई निदेश या की गई कोई कार्यवाही या अधिरोपित

कोई शास्ति, दंड, समपहरण या जुर्माना भी है, विधिमान्य समझी जाएगी ;

(iv) किसी सिद्धांत या विधि के नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन का प्ररूप या क्रम, व्यवहार या प्रक्रिया या विद्यमान प्रथा, परंपरा, विशेषाधिकार, निर्बंधन या छूट पर इस बात के होते हुए भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि उसे क्रमश: किसी रीति में निरसित अधिनियमितियों द्वारा या उनमें पुष्ट किया गया है या मान्यता प्रदान की गई है या व्युत्पन्न किया गया है ;

(v) निरसित अधिनियमतियों के अधीन संस्थित ऐसे किसी अभियोजन की, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से तुरंत पूर्व किसी न्यायालय या अधिकरण के समक्ष लंबित है, इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संबद्ध न्यायालय या अधिकरण द्वारा सुनवाई जारी रखी जाएगी और उसका निपटारा किया जाएगा ;

(vi) किसी निरसित अधिनियमिती के अधीन या उसके कारण किसी पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसे समय तक पदधारण करता रहेगा जैसाकि विहित किया जाए ; और

(vii) किसी अधिकारिता, परंपरा, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, प्रथा, व्यवहार, प्रक्रिया या अन्य विषय अथवा वस्तु को, जो अस्तित्व में अथवा प्रवृत्त नहीं है, पुनरीक्षित या प्रत्यावर्तित नहीं किया जाएगा ।

(3) उपधारा (2) में विशिष्ट मामलों के उल्लेख के बारे में यह अभिनिर्धारित किया जाएगा कि वे निरसित अधिनियमितियों के निरसन के प्रभाव या अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमतियों के उपबंधों के निरसन के प्रभाव के संबंध में साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के साधारण रूप से लागू होने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे । 1897 का 10

विशेष न्यायालय ।

240. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस संहिता के भाग 2 के अधीन अपराधों और भाग 3 के अधीन दिवाला वृत्तिकों द्वारा अपराधों का विचारण, कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय 28 के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा किया जाएगा । 1974 का 2 2013 का 18

संक्रमणकालीन उपबंध ।

241 (1) धारा 195 के अधीन, यथास्थिति, बोर्ड का गठन या वित्तीय क्षेत्र के विनियामक को पदाभिहित किए जाने तक, बोर्ड या वित्तीय क्षेत्र के विनियामक की शक्तियों और कृत्यों का, जिसके अंतर्गत उसकी विनियम बनाने की शक्ति भी है, प्रयोग केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा ।

(2) उक्त धारा 1 के अधीन शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केंद्रीय सरकार विनियमों द्वारा निम्नलिखित विषयों के लिए उपबंध कर सकेगी, अर्थात् :-

(क) ऐसे व्यक्तियों, वृत्तिकों के प्रवर्गों और वित्त, विधि, प्रबंध या दिवाला के क्षेत्र में ऐसी अर्हताएं और अनुभव रखने वाले ऐसे व्यक्तियों को, जैसा वह उन्हें इस संहिता के अधीन दिवाला वृत्तिकों और दिवाला वृत्तिक अभिकरणों के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत करने के लिए आवश्यक समझे, मान्यता प्रदान करना ;

(ख) प्रौद्योगिक, सांख्यिकीय और डाटा संरक्षण सामर्थय रखने वाले ऐसे व्यक्तियों को मान्यता प्रदान करना, जैसा वह उन्हें इस संहिता के अधीन सूचना

उपयोगिता के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत बनने के लिए आवश्यक समझे ; और

(ग) इस संहिता के अधीन कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया, दिवाला समाधान प्रक्रिया, परिसमापन प्रक्रिया, नया आरंभ प्रक्रिया और शोधन अक्षमता प्रक्रिया का संचालन ।

1932 के अधिनियम 9 का संशोधन ।

242. भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 को, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित किया जाएगा ।

1944 के अधिनियम 1 का संशोधन ।

243. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 को, दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित किया जाएगा ।

244. आय-कर अधिनियम, 1961 को, तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित किया जाएगा । 1961 के अधिनियम 43 का संशोधन

245. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 को, चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित किया जाएगा । 1962 के अधिनियम 52 का संशोधन

246. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 को, पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित किया जाएगा । 1993 के अधिनियम 51 का संशोधन ।

247. वित्त अधिनियम, 1994 को, छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित किया जाएगा । 1994 के अधिनियम 32 का संशोधन ।

248. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 को, सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित किया जाएगा । 2002 के अधिनियम 54 का संशोधन ।

249. रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) निरसन अधिनियम, 2003 को, आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित किया जाएगा । 2004 के अधिनियम 1 का संशोधन ।

250. संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 को, नवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित किया जाएगा । 2007 के अधिनियम 51 का संशोधन ।

251. सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 को, दसवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित किया जाएगा । 2009 के अधिनियम 6 का संशोधन ।

242. कंपनी अधिनियम, 2013 को, ग्यारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित किया जाएगा । 2013 के अधिनियम 18 का संशोधन ।

पहली अनुसूची

(धारा 242 देखिए)

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 का संशोधन

(1932 का 9)

1. धारा 41 के खंड (क) का लोप किया जाएगा ।

दूसरी अनुसूची

(धारा 243 देखिए)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 का संशोधन

(1944 का 1)

1. धारा 11ङ में, "और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2015" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

तीसरी अनुसूची

(धारा 244 देखिए)

आय-कर अधिनियम, 1961 का संशोधन

(1961 का 43)

धारा 178 की उपधारा (6) में, "तत्समय प्रवृत्त" शब्दों के स्थान पर " दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2015 के उपबंधों के सिवाय तत्समय प्रवृत्त" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

चौथी अनुसूची

(धारा 245 देखिए)

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 का संशोधन

(1962 का 52)

धारा 142 में, "और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2015" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

पांचवीं अनुसूची

(धारा 246 देखिए)

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 का संशोधन

(1993 का 51)

1. दीर्घ शीर्ष में ''बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों'' शब्दों के पश्चात् '',दिवाला समाधान और व्यष्टियों तथा भागीदारी फर्मों की शोधन अक्षमता'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

2. धारा 1 में,--

(क) उपधारा (1) में, ''बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली'' शब्दों के स्थान पर "और शोधन अक्षमता" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) उपधारा (4) में, ''इस संहिता के उपबंध'' शब्दों के स्थान पर, ''जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, इस संहिता के उपबंध'' शब्द रखे जाएंगे ।

3. धारा 3 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

''(1क) केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता अधिनियम, 2015 द्वारा या उसके अधीन ऐसे अधिकरण को निर्दिष्ट न्यायनिर्णयन प्राधिकारी की अधिकारिता, शक्तियां और प्राधिकार प्रयोग करने के लिए ऐसी संख्या में ऋण वसूली अधिकरण और उसकी शाखाएं स्थापित कर सकेगी जिन्हें वह आवश्यक समझे'' ।''

4. धारा 8 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

''(1क) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसी संख्या में ऋण वसूली अपील अधिकरण स्थापित करेगी, जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2015 के भाग 3 के अधीन प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियां और प्राधिकार का प्रयोग करते हुए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेशों के विरुद्ध अपील ग्रहण करेंगे ।''

5. धारा 17 में,--

(I) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

''(1क) उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,--

(क) अधिकरण ऐसी तारीख से ही, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की जाए, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2015 के भाग 3 के अधीन आवेदन ग्रहण करने और विनिश्चित करने की अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करेगा ;

(ख) अधिकरण सभी जिला मुख्यालयों में सर्किट बैठक करेंगे ।''

(II) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

''(2क) उपधारा (2) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपील अधिकरण ऐसी तारीख से ही जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की जाए, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2015 के भाग 3 के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश के विरुद्ध अपील ग्रहण करने करने की अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करेगा ।''

6. धारा 19 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

''19क. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता अधिनियम, 2015 के अधीन

न्यायनिर्णयन प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकरण को किए गए आवेदनों पर उक्त संहिता के अधीन यथा उपबंधित रीति में कार्यवाही की जाएगी ।''

7. धारा 20 की उपधारा (4) में, "उपधारा (1) " शब्द, कोष्ठक और अंक के पश्चात् "या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2015 की धारा 181 की उपधारा (1)" अंक, शब्द और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

छठी अनुसूची

(धारा 247 देखिए)

वित्त अधिनियम, 1994 का संशोधन

(1994 का 32)

धारा 88 में, "और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2015" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

सातवीं अनुसूची

(धारा 248 देखिए)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2009 का संशोधन

धारा 13 की उपधारा (9) में ''एक से अधिक प्रतिभूत लेनदारों द्वारा किसी आस्ति के वित्त पोषण या प्रतिभूत लेनदारों द्वारा किसी आस्ति के संयुक्त वित्त पोषण की दशा में'' शब्दों के स्थान पर ''दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता अधिनियम, 2015 के उपबंधों के अधीन रहते हुए एक से अधिक प्रतिभूत लेनदारों द्वारा किसी आस्ति के वित्त पोषण या प्रतिभूत लेनदारों द्वारा किसी आस्ति के संयुक्त वित्त पोषण की दशा में'' शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

आठवीं अनुसूची

(धारा 249 देखिए)

रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) निरसन अधिनियम, 2003 का संशोधन

1. धारा 4 के उपखंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

''(ख) इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी तारीख, जो अधिसूचित की जाए, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अधीन अपील अधिकरण को की गई कोई अपील या कोई प्रतिनिर्देश या बोर्ड को या उसके समक्ष लंबित कोई जांच या कोई कार्यवाही चाहे वो किसी भी प्रकृति की हों उपशमित हो जाएगी :

परंतु किसी कंपनी जिसके संबंध में ऐसी अपील या प्रतिनिर्देश या जांच इस

खंड के अधीन समाप्त की गई है, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता अधिनियम, 2015 के अधीन राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता अधिनियम, 2015 के उपबंधों के अनुसरण में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता अधिनियम, 2015 के प्रारंभ की तारीख से 180 दिन के भीतर निर्दिष्ट हो सकेगा :

परंतु यह और कि ऐसी कंपनी द्वारा जिसकी अपील या निर्देश या जांच का इस खंड के अधीन उपशमन हो गया है दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता अधिनियम, 2015 के अधीन ऐसा निर्देश करने के लिए कोई फीस संदेय नहीं होगी ।''

नवीं अनुसूची

(धारा 250 देखिए)

संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 का संशोधन

(2007 का 51)

धारा 23 की उपधारा (4) में, "बैंककारी विनियमन, 1949" शब्दों और अंकों के पश्चात् "या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2015" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

दसवीं अनुसूची

(धारा 251 देखिए)

सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 का संशोधन

(2009 का 6)

धारा 64 के खंड (ग) का लोप किया जाएगा ।

ग्यारहवीं अनुसूची

(धारा 252 देखिए)

कंपनी अधिनियम, 2013 का संशोधन

(2013 का 18)

1. धारा 2 में,--

(क) खंड (23) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा,--

"(23) "कंपनी समापक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अधिकरण द्वारा इस अधिनियम की धारा 275 के उपबंधों के अनुसार इस अधिनियम के अधीन किसी कंपनी के परिसमापन के लिए कंपनी समापक के रूप में नियुक्त किया गया है ।"।

2. धारा 2 में,--

(ख) खंड (94) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित की जाएगी,--

"(94क) "परिसमापन" से इस अधिनियम और/या दिवाला और शोधन अक्षमता

संहिता, 2015, जो भी लागू हो, के अधीन परिसमापन अभिप्रेत है ।"।

2. धारा 8 की उपधारा (9) में "पुनर्वास और दिवाला निधि" शब्दों के स्थान पर, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2015 की धारा 224 के अधीन उपयोग के लिए "दिवाला निधि" शब्द रखे जाएंगे ।

3. धारा 66 की उपधारा (8) में "कंपनी धारा 271 की उपधारा (2) के अर्थान्तर्गत अपने ऋण या दावे की रकम का संदाय करने में असमर्थ है" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "उसके ऋण या दावे के संबंध में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2015 की धारा 6 के अंतर्गत कोई व्यतिक्रम हुआ है" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

4. धारा 77 और धारा 230 में "समापक" शब्द से पूर्व, जहां कहीं वह आता है, ",यथास्थिति इस अधिनियम या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2015 के अधीन" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

5. धारा 117 की उपधारा (3) के खंड (च) में "धारा 304" शब्द, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2015 की धारा 56" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

6. धारा 224 की उपधारा (2) में "इस संहिता के अधीन समापन" शब्दों के पश्चात् "या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2015 के अधीन समापन" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

7. धारा 249 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ङ) इस अधिनियम के अध्याय 20 के अधीन या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2015 के अधीन उसका समापन किया जा रहा है ।"।

8. धारा 253 से धारा 268 का लोप किया जाएगा ।

9. धारा 269 का लोप किया जाएगा ।

10. धारा 270 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:--

"270. परिसमापन से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध, इस अधिनियम के अधीन अधिकरण द्वारा किसी कंपनी के परिसमापन को लागू होंगे ।"।

वे परिस्थितियां, जिसमें अधिकरण द्वारा किसी कंपनी का परिसमापन किया जा सकेगा ।

11. धारा 271 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:--

"271. किसी कंपनी का धारा 272 के अधीन याचिका पर अधिकरण द्वारा परिसमापन किया जा सकेगा,--

(क) यदि कंपनी ने एक विशेष संकल्प द्वारा यह संकल्प लिया है कि कंपनी का अधिकरण द्वारा परिसमापन किया जाए;

(ख) यदि कंपनी ने भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या नैतिकता के हितों के विरुद्ध कार्य किया है ;

(ग) रजिस्ट्रार द्वारा या केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए किसी आवेदन पर, यदि अधिकरण की यह राय है कि कंपनी के कार्यकलापों का

संचालन कपटपूर्ण रीति में किया गया है या कंपनी का निर्माण कपटपूर्ण और अविधिपूर्ण प्रयोजन के लिए किया गया था या उसके निर्माण या उसके कार्यकलापों के प्रबंध से संबद्ध व्यक्ति उसके संबंध में कपट, अपकरण या कदाचार के दोषी रहे हैं और यह उचित है कि कंपनी का परिसमापन किया जाए ;

(घ) यदि कंपनी ने ठीक पूर्ववर्ती पांच क्रमवर्ती वित्तीय वर्षों के लिए वित्तीय विवरणों या वित्तीय विवरणियों को रजिस्ट्रार के पास फाइल करने में व्यतिक्रम किया है ; या

(ङ) यदि अधिकरण की यह राय है कि यह न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण होगा कि कंपनी का परिसमापन कर दिया जाए ।"।

परिसमापन के लिए याचिका ।

12. धारा 272 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:--

"272. (1) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी कंपनी के परिसमापन के लिए अधिकरण को कोई याचिका निम्नलिखित द्वारा प्रस्तुत की जाएगी--

(क) कंपनी ;

(ख) किसी अभिदाता या अभिदाताओं ;

(ग) खंड (क) और खंड (ख) में विनिर्दिष्ट सभी या कोई व्यक्ति एक साथ ;

(घ) रजिस्ट्रार ;

(ङ) केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी व्यक्ति ; या

(च) धारा 271 के खंड (ख) के अंतर्गत आने वाले किसी मामले में, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार ।

(2) कोई अभिदाता किसी कंपनी के परिसमापन के लिए इस बात के होते हुए भी याचिका प्रस्तुत करने का हकदार होगा कि वह पूर्ण समादत शेयरों का धारक हो सकता है या कंपनी के पास अंतत: कोई आस्तियां न हों या उसके पास, उसके दायित्वों और ऐसे शेयरों का, जिसके संबंध में वह अभिदाता है, का समाधान करने के पश्चात् शेयर धारकों के बीच वितरण के लिए कोई अधिशेष आस्तियां नहीं बची हों या परिसमापन के प्रारंभ से ठीक पूर्व अठारह मास के दौरान कम से कम छह मास के लिए उनमें से कुछ मूल रूप से उसे आबंटित की गई थी या उसके द्वारा धारित और उसके नाम पर रजिस्ट्रीकृत की गई हैं या किसी पूर्वधारक की मृत्यु के कारण उसको सुपूर्द हुई हैं ।

(3) रजिस्ट्रार धारा 271 के अधीन परिसमापन के लिए कोई याचिका प्रस्तुत करने के लिए हकदार होगा, सिवाय उसके खंड (ग) या खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट किन्हीं आधारों के :

परंतु रजिस्ट्रार याचिका प्रस्तुत करने के लिए केंद्रीय सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा :

परंतु यह भी कि केंद्रीय सरकार तब तक अपनी मंजूरी नहीं देगी जब तक कि कंपनी को अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

(4) अधिकरण के समक्ष परिसमापन के लिए कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका केवल तभी ग्रहण की जाएगी यदि उसके साथ ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, कार्यकलापों का विवरण होगा ।

(5) इस धारा के अधीन की गई याचिका की एक प्रति रजिस्ट्रार के पास भी फाइल की जाएगी और रजिस्ट्रार अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी याचिका की प्राप्ति से साठ दिन के भीतर अधिकरण को अपने विचार प्रस्तुत करेगा ।

13. धारा 275 में,--

(क) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(2) अधिकरण द्वारा, यथास्थिति, अनंतिम समापक या कंपनी समापक की नियुक्ति, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2015 के अधीन रजिस्ट्रीकृत दिवाला वृत्तिकों में से की जाएगी ।"।

उपधारा (4) का लोप किया जाएगा ।

अधिकरण की अधिकारिता ।

धारा 280 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:--

"280. अधिकरण को, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्वविष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित को ग्रहण करने या निपटाने की अधिकारिता होगी,--

(क) कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध कोई वाद या कार्यवाही ;

(ख) कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया कोई दावा, जिसके अंतर्गत भारत में उसकी किसी शाखा द्वारा या उसके विरुद्ध किए गए दावे भी हैं ;

(ग) धारा 233 के अधीन किया गया कोई आवेदन ;

(घ) पूर्विक्ताओं का कोई प्रश्न या किसी भी प्रकार का अन्य कोई प्रश्न, चाहे विधि का हो या तथ्य का, जिसके अंतर्गत कंपनी के परिसमापन से संबंधित आस्तियां, कारबार, कार्रवाइयां, अधिकार, हकदारियां, विशेषाधिकार, फायदे, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, बाध्यताएं भी हैं, या ऐसे मामले भी हैं, जो कंपनी के परिसमापन से संबंधित या उसके अनुक्रम में उद्भूत मामले भी हैं,

चाहे ऐसे वाद या कार्यवाही को संस्थित किया गया है या वह संस्थित है या ऐसा दावा या प्रश्न उद्भूत हुआ या उद्भूत होता है या ऐसा आवेदन किया गया है या किया जाता है या ऐसी स्कीम को प्रस्तुत किया गया है या प्रस्तुत किया जाता है और ऐसा कंपनी के परिसमापन का आदेश किए जाने से पूर्व या पश्चात् किया जाता है ।"

14. धारा 289 का लोप किया जाएगा ।

15. धारा 304 से धारा 323 का लोप किया जाएगा ।

16. धारा 325 का लोप किया जाएगा ।

अधिरोही अधिमानी संदाय ।

17. धारा 326 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

"326. (1) इस अधिनियम के अधीन किसी कंपनी के परिसमापन में

निम्नलिखित ऋणों को अन्य सभी ऋणों से पूर्विक्ता प्रदान करते हुए संदत्त किया जाएगा :

(क) कर्मकारों का बकाया ; और

(ख) जहां किसी प्रतिभूत लेनदार ने किसी प्रतिभूत आस्ति की वसूली कर ली है वहां ऐसे प्रतिभूत लेनदार को बकाया ऋणों में से उतने को, जिसकी उसके द्वारा वसूली नहीं की जा सकेगी या उसकी प्रतिभूति (यदि विधि के अधीन संदेय है) में कर्मकारों के भाग की रकम, इनमें से जो भी कम हो, कर्मकारों के बकायों की मात्रा के अनुसार :

परंतु किसी कंपनी के परिसमापन की दशा में, स्पष्टीकरण के खंड (ख) के उपखंड (i) और (ii) में निर्दिष्ट राशियों को, जो परिसमापन आदेश से पूर्ववर्ती दो वर्षों के अवधि के लिए या ऐसे अन्य अवधि के लिए, जो विहित की जाए संदेय हैं, आस्तियों के विक्रय से तीस दिन की अवधि के भीतर, अन्य सभी ऋणों (जिसके अंतर्गत प्रतिभूति लेनदारों के बकाया ऋण भी हैं) की पूर्विक्ता में संदत्त की जाएंगी और वे प्रतिभूति लेनदार की प्रतिभूति पर ऐसे प्रभार के अध्यधीन होंगी, जो विहित की जाए।

(2) उपधारा (1) के परंतुक के अधीन संदेय ऋणों का प्रतिभूत लेनदारों को कोई संदाय किए जाने से पूर्व पूर्णतया संदाय किया जाएगा और तत्पश्चात् उस उपधारा के अधीन संदेय ऋणों का, जब तक कि उनको पूरा करने के लिए आस्तियां अपर्याप्त न हों, जिस दशा में उन्हें समान अनुपात में दिया जाएगा, पूर्णतया संदाय किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण--इस धारा और धारा 327 के प्रयोजनों के लिए–

(क) किसी कंपनी की दशा में "कर्मकार" से कंपनी के ऐसे कर्मचारी अभिप्रेत हैं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खंड (ध) के अर्थान्तर्गत कर्मकार हैं ;

1947 का 4

(ख) किसी कंपनी की दशा में "कर्मकार के बकाया" से कंपनी द्वारा उसके कर्मकारों को बकाया निम्नलिखित राशियों का कुल योग अभिप्रेत है, अर्थात् :-

(i) कंपनी को प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में किसी कर्मकार द्वारा अर्जित सभी मजदूरियां या वेतन, जिसके अंतर्गत किसी समय या किसी कार्य के लिए संदेय मजदूरी भी है और कमीशन के रूप में पूर्णरूप से या आंशिक रूप से अर्जित वेतन और किसी कर्मकार को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के किन्हीं उपबंधों के अधीन संदेय कोई प्रतिकर ;

1947 का 4

(ii) परिसमापन आदेश या समाधान के प्रभाव के कारण किसी कर्मकार के नियोजन के समापन से पूर्व या उसके द्वारा उसके अधिकार में या उसकी मृत्यु की दशा में किसी अन्य व्यक्ति को संदेय होने वाला सभी प्रोदभूत अवकाश पारिश्रमिक ;

(iii) जब तक कि कंपनी का परिसमापन स्वैच्छिक रूप से केवल पुन:संरचना या किसी अन्य कंपनी के साथ समामेलन के प्रयोजनों के

लिए न किया जा रहा हो या जब तक कि कंपनी के पास, परिसमापन के प्रारंभ पर किसी बीमाकर्ता के साथ ऐसी किसी संविदा के अधीन, जो कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 14 में यथा उल्लिखित है, कर्मकार को अंतरित और उसमें निहित करने के सामर्थय का अधिकार न हो तब तक उक्त अधिनियम के अधीन कंपनी के किसी कर्मकार की मृत्यु या निशक्तता के संबंध में प्रतिकर या प्रतिकर के लिए दायित्व के संबंध में सभी बकाया राशियां ;

(iv) किसी कर्मकार को भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान निधि या कर्मकार के कल्याण के लिए कंपनी द्वारा बनाए रखी गई किसी अन्य निधि से शोध्य सभी राशियां ।

(ग) किसी कंपनी के प्रतिभूत लेनदार की किसी प्रतिभूति के संबंध में "कर्मकार के भाग" से ऐसी रकम अभिप्रेत है, जो प्रतिभूति के मूल्य में वही अनुपात धारण करती है, जो अनुपात किसी कर्मकार को बकाया किसी रकम का कर्मकारों को बकाया रकमों और प्रतिभूत लेनदारों के बकाया ऋणों की रकमों के कुल योग में है ।

दृष्टान्त

किसी कंपनी के प्रतिभूति लेनदार की प्रतिभूति का मूल्य एक लाख रुपए है । कर्मकारों को कुल शोध्य रकम भी एक लाख रुपए है । कंपनी द्वारा उसके प्रतिभूत लेनदारों को बकाया ऋण की रकम तीन लाख रुपए है । कर्मकारों को बकाया रकम और प्रतिभूत लेनदारों को बकाया ऋण की रकम का कुल योग चार लाख रुपए है । अत: कर्मकारों का प्रतिभूति में भाग प्रतिभूति के कुल मूल्य का एक चौथाई अर्थात् पच्चीस हजार रुपए है ।"

18. धारा 327 में,--

(क) उपधारा (6) के खंड (ग) में, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ग) "सुसंगत तारीख" पद से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं, (i) ऐसी किसी कंपनी की दशा में, जिसका परिसमापन अधिकरण द्वारा किया जा रहा है, किसी अनंतिम समापक की नियुक्ति या प्रथम नियुक्ति की तारीख या यदि ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की गई थी तो परिसमापन आदेश की तारीख, जब तक कि किसी भी दशा में कंपनी ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2015 के अधीन उस तारीख से पूर्व स्वैच्छिक रूप से परिसमापन कर दिया था ।"

(क) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

धारा 327 के अंत में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा :

"(7) धारा 326 और धारा 327, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2015 के अधीन समापन की दशा में लागू नहीं होंगी ।"

19. धारा 329 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

"329. कंपनी द्वारा किया गया जंगम या स्थावर संपत्ति का ऐसा कोई अंतरण या माल का ऐसा कोई परिदान, जो उसके कारबार के सामान्य अनुक्रम में

अथवा सद्भावपूर्ण तथा मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी क्रेता या विल्लंगम के पक्ष में किया गया कोई अंतरण या परिदान नहीं है, कंपनी समापक के विरुद्ध उस दशा में शून्य होगा यदि वह अधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन परिसमापन के लिए किसी याचिका के प्रस्तुत किए जाने से पूर्व एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाता है ।"

20. धारा 334 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

"334. अधिकरण द्वारा परिसमापन की दशा में, किसी संपत्ति का कोई व्ययन, जिसके अंतर्गत कंपनी के अनुयोज्य दावे भी हैं और कंपनी में शेयरों का कोई अंतरण या उसके सदस्यों की प्रास्थिति में कोई परिवर्तन, जिसे परिसमापन के प्रारंभ के पश्चात् किया गया है, जब तक कि अधिकरण अन्यथा आदेश न करे, शून्य होगा ।"

सदभावपूर्वक न किए गए अंतरणों का शून्य होना ।

21. धारा 336 की उपधारा (1) में,--

(क) "चाहे अधिकरण के द्वारा या स्वैच्छया परिसमापन किया जा रहा है" शब्दों के स्थान पर "इस संहिता के अधीन अधिकरण द्वारा परिसमापन किया जा रहा है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "या तत्पश्चात् उसका अधिकरण द्वारा परिसमापन किए जाने का आदेश किया जाता है या जो बाद में यह संकल्प पारित करती है कि उसका स्वैच्छया परिसमापन किया जाए" शब्दों के स्थान पर "या तत्पश्चात् इस अधिनियम के अधीन उसका अधिकरण द्वारा परिसमापन किए जाने का आदेश किया जाता है" शब्द रखे जाएंगे ।

22. धारा 337 में, "जिसका बाद में परिसमापन किए जाने का अधिकरण द्वारा आदेश किया गया है या जिसने स्वैच्छया परिसमापन के लिए कोई संकल्प पारित किया है" शब्दों के स्थान पर "जिसका बाद में इस अधिनियम के अधीन परिसमापन किए जाने का अधिकरण द्वारा आदेश किया गया है" शब्द रखे जाएंगे ।

23. धारा 342 की उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) का लोप किया जाएगा ।

24. धारा 343 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(1) जब कंपनी का परिसमापन अधिकरण द्वारा किया जा रहा है तो कंपनी समापक अधिकरण की मंजूरी से,--

(i) किसी प्रवर्ग के लेनदारों को पूरा संदाय कर सकेगा ;

(ii) लेनदारों से अथवा ऐसे व्यक्तियों से जो लेनदार होने का दावा करते हैं, या कंपनी के विरुद्ध अपना कोई वर्तमान या भावी कोई निश्चित या आकस्मिक दावा करते हैं या जिसके द्वारा कंपनी दायी हो सकती है, कोई समझौता या ठहराव कर सकेगा ; या

(iii) किसी मांग या मांग से संबंधित दायित्व का और ऐसे दायित्व का, जिसके परिणामस्वरूप कोई ऋण हो सकता है तथा वर्तमान या भावी, निश्चित या आकस्मिक, केवल नुकसानी के रूप में निश्चित या आकस्मिक किसी दावे का, जो

कंपनी के और अभिदायी या कथित अभिदायी या अन्य ऋण या कंपनी के प्रति दायित्वाधीन होने की आशंका रखने वाले व्यक्ति के बीच विद्यमान है या जिसका विद्यमान होना अधिकथित है और कंपनी की आस्तियों या दायित्वों के परिसमापन से किसी रूप में संबंधित या उस पर प्रभाव डालने वाले सभी प्रश्नों के विषय में, ऐसे निबंधनों पर, जो सहमत किए जाएं, समझौता कर सकेगा और किसी ऐसी मांग, ऋण, दायित्व या दावे के उन्मोचन के लिए कोई प्रतिभूति ले सकेगा तथा उसकी बाबत पूर्ण उन्मुक्ति दे सकेगा ।

25. धारा 347 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(1) जब किसी कंपनी के कार्यकलापों का पूर्णतया परिसमापन हो गया है और उसका विघटन होने वाला है तब उसकी ओर कंपनी समापक की बहियों और कागज-पत्रों का उस रीति में व्ययन किया जाएगा जैसा कि अधिकरण निदेश दे ।"

26. धारा 348 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(1) यदि किसी कंपनी का परिसमापन, उसके प्रारंभ के पश्चात् एक वर्ष के भीतर समाप्त नहीं होता है तो कंपनी समापक, जब तक कि उस वर्ष की समाप्ति के दो मास की अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार द्वारा या तो पूर्णतया या भागत: ऐसा करने की छूट न दे दी गई हो और तत्पश्चात् परिसमापन पूरा होने तक एक वर्ष से अनधिक के या ऐसे अल्पतर अंतरालों पर, यदि कोई हों, जो विहित किए जाएं, अधिकरण को ऐसे प्रारूप में और समापन की कार्यवाहियों और उसकी स्थिति के संबंध में ऐसी विशिष्टियों को, जो विहित की जाएं अंतर्विष्ट करते हुए एक विवरण फाइल करेगा, जो कि कंपनी के लेखापरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए अर्हित व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से लेखापरीक्षित होगा :

परंतु इस उपधारा में यथानिर्दिष्ट ऐसी लेखापरीक्षा उस समय आवश्यक नहीं होगी, जब धारा 294 के उपबंध लागू हों ।

27. धारा 357 के स्थान पर निम्लिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:--

"357. इस अधिनियम के अधीन अधिकरण द्वारा कंपनी का परिसमापन उस समय से प्रारंभ हुआ समझा जाएगा, जिस समय परिसमापन के लिए याचिका प्रस्तुत की जाती है ।"

28. धारा 370 के परंतुक में, "कंपनी के परिसमापन के लिए आदेश अभिप्राप्त किया जा सकेगा" शब्दों से पहले "इस संहिता या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2015 के अनुसार" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

29. धारा 372 में, "इस अधिनियम के उपबंध" शब्दों के स्थान पर "इस अधिनियम या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2015 के उपबंध" शब्द रखे जाएंगे ।

30. धारा 375 की उपधारा (3) के खंड (ख) में "अपने ऋणों का संदाय करने में असमर्थ है" शब्दों के स्थान पर "ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2015 के अर्थान्तर्गत अपने ऋणों में कोई व्यतिक्रम किया है" शब्द रखे जाएंगे ।

31. धारा 375 की उपधारा (4) का लोप किया जाएगा ।

32. धारा 377 की उपधारा (1) में "इस अधिनियम में इससे पूर्व कोई उपबंध अतिरिक्त" शब्दों के स्थान पर "इस अधिनियम में इससे पूर्व किसी उपबंध या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2015 के उपबंधों के अतिरिक्त" शब्द रखे जाएंगे ।

33. धारा 419 की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(4) केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा उतनी संख्या में अधिकरणों की पीठों की स्थापना कर सकेगी, जितनी वह दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2015 के भाग 2 के द्वारा या उसके अधीन ऐसे अधिकरण को प्रदत्त न्याय निर्णयन प्राधिकरण की अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए आवश्यक समझती है:

परंतु इस उपधारा के अधीन स्थापित किसी अधिकरण की पीठ में कम से कम एक न्यायिक सदस्य होगा ।

34. धारा 424 की उपधारा (1) में,--

(i) "और इस अधिनियम के अन्य" शब्दों के स्थान पर "और इस अधिनियम या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2015 के अन्य" शब्दों को रखा जाएगा ;

(ii) "इस अधिनियम के अधीन" शब्दों के स्थान पर "इस अधिनियम या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2015 के अधीन" शब्दों को रखा जाएगा ।

35. धारा 429 की उपधारा (1) में,--

(i) "किसी रुग्ण कंपनी या किसी अन्य कंपनी के परिसमापन से संबंधित" शब्दों के स्थान पर "दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2015 के अधीन या इस अधिनियम के अधीन किसी कंपनी के परिसमापन की" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "अधिकारिता के भीतर ऐसी रुग्ण या अन्य कंपनी की" शब्दों के स्थान पर "अधिकारिता के भीतर सुसंगत विधिक व्यक्ति की" शब्द रखे जाएंगे ।

कतिपय लंबित कार्यवाहियों का अंतरण ।

36. धारा 434 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

"434 (1) ऐसी तारीख को जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित अधिसूचित की जाए,--

(क) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 10(ङ) की उपधारा (1) के अधीन गठित कंपनी विधि प्रशासन बोर्ड (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् कंपनी विधि बोर्ड कहा गया है) के समक्ष लंबित सभी विषय, कार्यवाहियां या मामले, ऐसी तारीख से ठीक पूर्व अधिकरण को अंतरित हो जाएंगे और अधिकरण ऐसे विषयों, कार्यवाहियों या मामलों का इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निपटारा करेगा ;

(ख) ऐसी तारीख से पहले कंपनी विधि बोर्ड के किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, कंपनी विधि बोर्ड के विनिश्चय या आदेश की उसे संसूचना की तारीख से 60 दिन के भीतर, उस आदेश से उद्भूत होने वाले विधि के किसी प्रश्न पर उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा :

परंतु यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी

उक्त अवधि के भीतर पर्याप्त कारणों से अपील फाइल करने से निवारित हुआ था तो वह उसे 60 दिन से अनधिक की और अवधि के भीतर अपील फाइल करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा ; और

(ग) कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन सभी कार्यवाहियां, जिनके अंतर्गत माध्यस्थम्, समझौता, ठहराव और पुनर्संरचना और कंपनी के परिसमापन से संबंधित कार्यवाहियां भी हैं, जो उस तारीख से ठीक पूर्व किसी जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, अधिकरण को अंतरित हो जाएंगी और अधिकरण उन कार्यवाहियों पर उनके अंतरण से पहले के प्रक्रम से कार्यवाही कर सकेगा :

परंतु कंपनियों के परिसमापन से संबंधित केवल ऐसी कार्यवाहियां ही अधिकरण को अंतरित की जाएंगी, जो ऐसे प्रक्रम पर हैं, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(2) केंद्रीय सरकार, कंपनी विधि बोर्ड या न्यायालयों के समक्ष लंबित सभी विषयों, कार्यवाहियों या मामलों का इस धारा के अधीन अधिकरण को समय पर अंतरण सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों से संगत नियम बना सकेगी ।"

37. धारा 468 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित विषयों में से किसी या सभी विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :--

(i) इस अधिनियम के अधीन अधिकरण द्वारा किसी कंपनी का परिसमापन करने के लिए की जाने वाली कार्यवाहियों की रीति ;

(ii) धारा 230 के अधीन कार्यवाहियों से संबंधित लेनदारों और सदस्यों की बैठकों का आयोजन करने के लिए ;

(iii) पूंजी को कम करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए ;

(iv) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अधिकरण को किए जाने वाले साधारणतया सभी आवेदनों के लिए ;

(v) लेनदारों और अभिदाताओं की आकांक्षाओं का विनिश्चय करने के लिए बैठकों का आयोजन और उनका संचालन ;

(vi) अभिदाताओं की सूची तय करना और सदस्यों के रजिस्टर में, जहां कहीं अपेक्षित हो, सुधार करना और आस्तियों का संग्रहण तथा उपयोजन करना ;

(vii) समापक को संदाय, परिदान, अभिहस्तांतरण, अभ्यर्पण या धन, संपत्ति, बहियों या कागज-पत्रों का अंतरण ;

(viii) कॉल करना ; और

(ix) वह समय नियत करना जिसके भीतर ऋणों और दावों को साबित

किया जाएगा ।" ।

38. अनुसूची 5 के खंड 3 के उपखंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ख) जहां कंपनी,--

(i) निगम की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए एक नई निगमित कंपनी है, या

(ii) कोई रूग्ण कंपनी है, जिसके लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा पुनरुज्जीवन या पुनर्वास के लिए, पुनरुज्जीवन की स्कीम की मंजूरी की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए, किसी स्कीम का आदेश किया गया है,

(iii) ऐसी कोई कंपनी है, जिसके संबंध में राष्ट्रीय कंपनी निधि अधिकरण द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2015 के अधीन कोई समाधान योजना अनुमोदित की गई है और ऐसी योजना, ऐसे अनुमोदन की तारीख से पांच वर्ष के लिए होगी, वहां वह खंड 2 के अधीन अनुज्ञेय रकम के दोगुणा तक पारिश्रमिक का संदाय कर सकेगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

दिवाला और शोधन अक्षमता से निपटने के लिए भारत में कोई एकल विधि नहीं है । कंपनियों के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता से संबंधित उपबंध रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपंबध) अधिनियम, 1985, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और कंपनी अधिनियम, 2013 में पाए जा सकते हैं । ये कानून अनेक मंचों जैसे औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर), ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) और राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) तथा उनके संबंधित अपील अधिकरणों के सृजन का उपबंध करने के लिए हैं । कंपनियों के परिसमापन को उच्च न्यायालयों द्वारा निपटाया जाता है । व्यष्टिक शोधन अक्षमता और दिवाला से प्रेसिडेन्सी नगर दिवाला अधिनियम, 1909 और प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, 1920 के अधीन व्यौहार किया जाता है तथा न्यायालयों द्वारा निपटान किया जाता है । दिवाला और शोधन अक्षमता के लिए विद्यमान ढांचा अपर्याप्त, अप्रभावी है और इसका परिणाम समाधान में अनावश्यक विलंब के रूप में होता है इसलिए प्रस्तावित विधान है ।

2. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2015 का उद्देश्य कारपोरेट व्यक्तियों, भागीदारी फर्मों और व्यष्टिकों के पुनर्गठन और दिवाला समाधान से संबंधित विधियों को समयबद्ध रीति से, ऐसे व्यक्तियों की आस्तियों के मूल्य को अधिकतम करने, उद्यमशीलता का संवर्धन करने, प्रत्यय की उपलब्धता तथा सभी पणधारियों के हितों का संतुलन करने, जिसके अंतर्गत सरकारी शोध्यों के संदाय की पूर्विकता में फेरफार करने तथा दिवाला और शोधन अक्षमता निधि स्थापित करने और उससे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों के लिए समेकित करना और उनका संशोधन करना है । दिवाला और शोधन अक्षमता का समय पर समाधान करने के लिए प्रभावी विधिक ढांचा प्रत्यय बाजारों के विकास में सहायता और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करेगा । यह कारबार करने की सरलता में भी सुधार करेगा तथा अधिक विनिधान को सुकर बनाएगा, जिससे उच्चतर आर्थिक वृद्धि दर और विकास होगा ।

3. संहिता, एनसीएलटी और डीआरटी को क्रमश: कारपोरेट व्यक्तियों और फर्मों तथा व्यष्टिकों के दिवाला समाधान, परिसमापन और शोधन अक्षमता के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकरणों के रूप में पदाभिहित करने के लिए है । संहिता दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाहियों को न्यायिक परिप्रेक्ष से वाणिज्यिक परिप्रेक्ष को पृथक् करने के लिए है । संहिता, दिवाला वृत्तिकों, दिवाला वृत्तिक अभिकरणों और सूचना उपयोगिताओं के विनियमन के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (बोर्ड) की स्थापना का भी उपबंध करने के लिए है । जब तक बोर्ड की स्थापना नहीं की जाती है, केंद्रीय सरकार बोर्ड की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी या किसी वित्तीय सेक्टर विनियामक को बोर्ड की शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करने के लिए पदाभिहित करेगी । दिवाला वृत्तिक, संहिता में उपदर्शित दिवाला समाधान, परिसमापन और शोधन अक्षमता कार्यवाहियों को पूरा करने में सहायता प्रदान करेंगे । सूचना उपयोगिताएं ऐसी कार्यवाहियों को सुकर बनाने के लिए वित्तीय सूचना एकत्रित करेंगी, उन्हें मिलाएंगी, अधिप्रमाणित करेंगी और उनका प्रसार करेंगी । संहिता, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता निधि नामक एक निधि की संहिता में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए स्थापना

करेगी ।

4. संहिता, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962, आय-कर अधिनियम, 1961, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993, वित्त अधिनियम, 1994, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपंबध) निरसन अधिनियम, 2003, संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 और कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधनों का उपबंध करने के लिए है ।

5. संहिता उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

अरुण जेटली

नई दिल्ली ;
17 दिसंबर, 2015

खंडों पर टिप्पण

खंड 1 : खंड 1 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2015 के रूप में संक्षिप्त नाम, संहिता का विस्तार और प्रारंभ और संहिता की विभिन्न धाराएं विभिन्न तारीखों पर प्रवृत्त होने के लिए उपबंध करता है ।

खंड 2 : खंड 2 संहिता के कंपनियों, सीमित दायित्व भागीदारी, भागीदारी फर्मों, व्यष्टियों, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रवृत्त निगमित कोई ऐसा निकाय जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, को लागू होंगे ।

खंड 3 : यह खंड संहिता में प्रयुक्त संबंधित पदों को, जैसे निगमित व्यक्ति, निगमित ऋणी, वित्तीय लेनदार, प्रचालन लेनदार, वित्तीय ऋण और प्रचालन ऋण को परिभाषित करता है ।

खंड 4 : खंड 4 विनिर्दिष्ट करता है कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2015 का भाग 2 निगमित ऋणियों के दिवाला और परिसमापन से संबंधित विषयों से संबंधित मामलों के बारे में है । संहिता का यह भाग ''निगमित व्यक्तियों'', जो कंपनियों, सीमित दायित्व भागीदारी या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सीमित दायित्व के साथ निगमित कोई अन्य व्यक्ति (किसी विशेष विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जिसमें ऐसा व्यक्ति निगमित है) में परिभाषित दिवाला समाधान और परिसमापन के व्यवहार के प्रयोजन का है । वित्तीय सेवा प्रदाता का दिवाला समाधान और परिसमापन संहिता की परिधि से बाहर है । यह क्योंकि ऐसे अस्तित्व किसी विशेष दिवाला अवधि के लिए अपेक्षित है जो विशिष्ट हैं । वित्तीय प्रणाली और अर्थव्यवस्था के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसे अस्तित्वों के मध्य अंत: संबंध दिए गए हैं और अर्थव्यवस्था के लिए सुव्यवस्थित निहितार्थ जोखिम देते हैं । इस भाग के उपबंध लागू नहीं होंगे जहां व्यतिक्रम की रकम एक लाख रुपए से कम है या ऐसी अन्य रकम जो एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

खंड 5 : खंड 5 में संहिता के खंड 2 में प्रयुक्त विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं, जो निगमित व्यक्ति के दिवाला समाधान या परिसमापन से संबंधित है ।

खंड 6 : खंड 6 जहां किसी निगमित ऋणी ने किसी ऋण के संबंध में कोई व्यतिक्रम किया है जो शोध्य है, किन्तु उसका पुन:संदाय नहीं हुआ है, भाग 2 के अधीन निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया किसी वित्तीय लेनदार, किसी प्रचालन लेनदार या निगमित ऋणी द्वारा स्वयं प्रारंभ की जा सकेगी ।

वित्तीय संकट के समय पूर्व पहचान के लिए परिसमापन के समयबद्ध समाधान के लिए बहुत आवश्यक है । दिवाला समाधान प्रक्रिया शीघ्र हस्तक्षेप का कोई व्यतिक्रम आधारित परीक्षण अनुज्ञात करना होगा कि दिवाला समाधान प्रक्रियाएं किसी पूर्व प्रक्रम पर प्रारंभ की जा सकें, जब निगमित ऋणी वित्तीय संकट के चिह्न दर्शित होते हैं, जब कि उस बिन्दु पर, जहां कोई कठिनाई प्रभावी रूप से पुनर्जीवित हो सके । यह भी उपबंध है कि आरंभ समाधान प्रक्रिया का परीक्षण सरल हो ।

खंड 6 किसी वित्तीय लेनदार को निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने को अनुज्ञात करता है, जहां निगमित ऋणी किसी ऋण के ऋण, जो शोध्य हो गया है और उसका पुन: संदाय नहीं हुआ है, के संदाय में व्यतिक्रम करता है । वित्तीय ऋणी, जिसने वित्तीय ऋण लिया है, वित्तीय लेनदार होगा, (जैसे कोई ऋण, जहां उधार धन

का समय मूल्य के लिए प्रतिकर है)

और संहिता निगमित ऋणी को यह भी अनुज्ञात करती है कि किसी ऋण के अपने व्यतिक्रम पर दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करा सके । इसके अतिरिक्त प्रचालन देनदार (जैसे लेनदार, जो किसी धन की रकम को माल या सेवाओं उपबंध के लिए देय है या उसके शोध्य संदाय के संबंध में केंद्रीय या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के संबंध में देय है) भी दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ कराने को अनुज्ञात होंगे । यह विधि अंतरराष्ट्रीय व्यवहारों पर लाई जा रही है, जिससे अप्रतिभूत लेनदार (जिसके अंतर्गत कर्मचारी, प्रदायकर्ता, आदि, जो प्रचालन लेनदारों की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, भी हैं) दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए आवेदन फाइल करने को अनुज्ञात होंगे ।

खंड 7 : खंड 7 वित्तीय लेनदार या दो या दो से अधिक वित्तीय लेनदारों निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए प्रक्रिया अभिकथित करता है । वित्तीय लेनदार राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष व्यतिक्रम के साक्ष्य के साथ और निगमित ऋणी के संबंध में अंतरिम समाधान वृत्तिक के रूप में कार्य करने को किसी समाधान वृत्तिक के नाम के साथ कोई आवेदन फाइल कर सकेंगे । व्यतिक्रम के सबूत उपबंध करने की अपेक्षा सुनिश्चित है कि वित्तीय लेनदार तुक्ष्छ आवेदन या आवेदन, जिसमें निगमित ऋणी को पूर्व परिपक्वता के लिए आवेदन के लिए बाहरी प्रतिफलों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया फाइल न कर सके । न्यायनिर्णयन प्राधिकारी/अधिकरण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन के भीतर किसी विनियमित समाधान उपयोगिता के अभिलेखों किसी व्यतिक्रम के होने को सुनिश्चित करेगा । कोई व्यतिक्रम ऐसी रीति में भी सिद्ध होगा जो भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

एक बार न्यायनिर्णयन प्राधिकारी/अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि व्यतिक्रम हुआ है और यह सुनिश्चित है कि आवेदन पूर्ण है और प्रस्तावित समाधान वृत्तिक के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित नहीं है, बहुत आवेदन को स्वीकार करेगा । न्यायनिर्णयन प्राधिकारी/अधिकरण आवेदन को स्वीकार करने के लिए कोई अन्य मानदंड देखने की अपेक्षा नहीं है । यह महत्वपूर्ण है कि पक्षकार स्वीकार करने के प्रक्रम पर कोई विलंबकारी रणनीति के उपयोग द्वारा विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं करेंगे ।

खंड 8 : खंड 8 में किसी प्रचालन लेनदार द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए प्रक्रिया अभिकथित है । यह प्रक्रिया छोटी रकमों वित्तीय ऋणों की तुलना में , जैसे किसी प्रचालन ऋण (जैसे व्यापारिक ऋण, वेतन या मजदूरी के दावे) के रूप में किसी वित्तीय लेनदार को लागू प्रक्रिया से भिन्न है या आवर्ती प्रकृति की हैं और सभी समयों पर जानकारी उपयोगिता के अभिलेखों में सही-सही प्रदर्शित नहीं हो सकेंगी । प्रचालन लेनदारों के संबंध में विवादित ऋण की संभावना वित्तीय लेनदारों जैस बैंक और वित्तीय संस्था की तुलना में भी ज्यादा हैं । तदुनसार किसी प्रचालन लेनदार के लिए दिवाला समाधान प्रारंभ होने की प्रक्रिया भिन्न हो सकेगी ।

एक बार व्यतिक्रम उत्पन्न हो जाता है तो प्रचालन लेनदार किसी मांग, सूचना या किसी बीजक की वृत्ति निगमित ऋणी के व्यतिक्रम में ऋण के संदाय के लिए प्रदान करता है । निगमित ऋणी ऋण दावे या ऋण के पुनर्संदाय के संबंध में किसी विवाद

होने के विद्यमान होने को निगमित लेनदार की मांग सूचना या बीजक की प्राप्ति से दस दिन की अवधि के भीतर निगमित ऋण विद्यमान होने की सूचना देगा । यह सुनिश्चित करेगा कि प्रचालन लेनदार ने जो ऋण सामान्यतया कम है और दिवाला समाधान प्रकिया समय पूर्व परिपक्व या बाह्य प्रतिफल प्रारंभ करने के कारण सक्षम नहीं हैं । ऐसे लेनदारों और निगमित ऋणी के मध्य अनौपचारित वार्ता भी सुकर हो सकेगी जिसके परिणामस्वरूप औपचारिक प्रक्रिया के बाहर ऋणों की पुन: संरचना हो सकेगी ।

खंड 9 : खंड 8 के अधीन किसी बीजक या मांग सूचना की तारीख से दस दिन की अवधि की समाप्ति, यदि प्रचालन लेनदार निगमित ऋणी से ऋण दावे के संबंध में प्रचालन लेनदार को या तो ऋण का संदाय प्राप्त होता है या विवाद के विद्यमान होने की सूचना प्राप्त होती है, वह ऐसे ऋणी के संबंध में न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने का आवेदन फाइल कर सकेगा । वह ऋण दावे के संबंध में विवाद के विद्यमान होने की बाबत कोई सूचना नहीं होने के सत्यापन के किसी शपथ पत्र के साथ ऋण के व्यतिक्रम के सबूत और असंदाय के सबूत भी देगा । आवेदन की प्राप्ति के चौदह दिन के भीतर, यदि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी/अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि खंड 9(5) के उपखंड (क) में कोई व्यतिक्रम विद्यमान है और उपखंड (ख) में अभिकथित अन्य मानदंड को पूरा करता है वह आवेदन स्वीकार करेगा । न्यायनिर्णयन प्राधिकारी/अधिकरण आवेदन को स्वीकार करने के लिए अन्य किसी मानदंडों को देखने की अपेक्षा नहीं है । यह महत्वपूर्ण है कि पक्षकार स्वीकार करने के प्रक्रम पर कोई विलंबकारी रणनीति के उपयोग द्वारा विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं करेंगे ।

खंड 10 : खंड 10 यह खंड निगमित ऋणी द्वारा स्वयं निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए उपबंध करता है । कोई निगमित आवेदक (निगमित ऋणी से संबंधित व्यक्तियों के रूप में परिभाषित यथाविनिर्दिष्ट) निगमित ऋणी की लेख बहियों और ऐसे अन्य दस्तावेज (जो विनिर्दिष्ट किए जाएं) और अंतरिम समाधान वृत्तिक के रूप में नियुक्त होने के लिए प्रस्तावित व्यक्ति के नाम के साथ न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा । न्यायनिर्णयन प्राधिकारी आवेदन की तारीख से, यदि वह पूर्ण है, चौदह दिन के भीतर स्वीकार कर सकेगा । निगमित ऋणी (और अन्य व्यक्ति, जो किसी निगमित आवेदक की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं) का प्रबंध निगमित ऋणी के वित्तीय मामलों के संबंध में, जिसको सही जानकारी होने की संभावना है, को ऐसे आवेदन को निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने को अनुज्ञात करेगा और समय से मध्यक्षेप को सुनिश्चित करेगा कि कोई निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए निर्णायक है, सफल होगी । ऐसे मामलों में प्रबंधन समाधान वृत्तिक के साथ सहयोग करने को पर्याप्त उपाय करेगा और किसी समाधान योजना के लिए शीघ्रता से और प्रभावी करने के लिए सहमत होगा ।

निगमित आवेदक किसी व्यतिक्रम की घटना पर निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ कर सकेगा और ऋणों के संदाय में असमर्थ होने के लिए संभावतया नहीं होगी, निगमित आवेदक अधिस्थगन उपबंधों का दुरुपयोग (संभाव्य) करने को समय पूर्व निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को प्रवर्तित नहीं करा सकेगा । और दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान निगमित ऋणी के प्रबंधन को हटाने के लिए संहिता, जिसमें स्थायी, (समाधान प्रक्रिया से उत्पन्न होने पर आधारित स्थायी भी हो सकेगी) निगमित आवेदक

बाह्य प्रतिफलों के दिवाला समाधान प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए निवारित होगा ।

खंड 11 : खंड 11 में सूचीबद्ध व्यक्ति, जो निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए किसी आवेदन को करने के लिए पात्र नहीं होंगे । कोई निगमित ऋणी, जिसकी निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया जारी है या निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, कोई निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कोई आवेदन फाइल करने के लिए बारह मास से पूर्व हकदार नहीं होगा । यह सुनिश्चित करेगा कि निगमित ऋणी ऋणों के पुर्नसंदाय के विलंब या लेनदारों की पहुंच से आस्तियों को बाहर रखने के लिए निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को पुन: प्रारंभ न करा सके ।

निगमित ऋणी या वित्तीय लेनदार, जो किसी समाधान योजना के निबंधनों का कोई उल्लंघन करता है, जो प्रक्रिया के प्रारंभ करने के लिए कोई आवेदन करने के बारह महीने पहले अनुमोदित हो चुका था, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया पुन: प्रारंभ करने के लिए कोई आवेदन करने के लिए भी हकदार नहीं होगा । इसके अतिरिक्त समाधान योजना के निबंधनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने को यह सुनिश्चित करेगा कि निगमित ऋणी या वित्तीय लेनदार बाह्य प्रतिफलों के लिए निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया का दुरुपयोग न करे ।

अंतिमत: निगमित ऋणी के संबंध में, जिसे कोई परिसमापन आदेश पारित किया है, पुन: दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए अनुज्ञात नहीं है । यह सुनिश्चित करने को परिसमापन आदेश अंतिम है ।

खंड 12. खंड 12 में निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के पूर्ण होने के लिए 180 दिन की समयसीमा 90 और दिनों द्वारा विस्तारणीय विहित है । केवल आवेदन समाधान वृत्तिक द्वारा विस्तार के लिए आवेदन किया जा सकेगा और वह लेनदारों की समिति की बैठक में मतदान भाग के (संपूर्ण वित्तीय ऋणों के संबंध में ऐसे वित्तीय लेनदारों द्वारा धारित वित्तीय ऋण के अनुपात पर आधारित वित्तीय लेनदारों के अधिकारों के भाग के रूप में परिभाषित) 75 प्रतिशत के बहुमत द्वारा पारित किसी संकल्प से समर्थित होगा । कोई अन्य व्यक्ति ऐसे किसी समय के विस्तार की मांग के लिए हकदार नहीं है । न्यायनिर्णयन प्राधिकारी/अधिकरण को उक्त समयसीमा के विस्तार के लिए कोई विवेकाधिकार नहीं होगा ।

भलिभांति परिभाषित समयसीमा रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अधीन आने वाली समस्याओं में से बहुतों को दूर करने की प्रणाली में सहायक हो सकेगी । यह भी सुनिश्चित होगा कि वाणिज्यिक अनुपयोगी निगमित ऋणी लंबी अवधि के लिए समाधान प्रक्रिया को जारी नहीं रख सकेंगे । (जैसा बहुत सामान्यत: औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अधीन प्रक्रियाओं के लिए होता है और वित्तीय लेनदारों द्वारा विनिश्चय लेने के आधार पर परिसमापन का अवसर होगा । समयसीमा प्रक्रिया के लंबे होने से लेनदारों और अन्य पणधरियों (जिसके अंतर्गत कर्मचारी और कर्मकार भी हैं) की लागत को कम करेगी । लंबे समय चलने कार्यवाहियां निगमित ऋणी के कारबार के मूल्य, लेनदारों और अन्य पणधारियों की विवरणी को ह्रास करती हैं और पूंजी का अवरोध करती हैं जिसे बृहत अर्थ व्यवस्था के लाभ के लिए अन्य जगह पर लगाया जा सकता है ।

यह असफल कारबार के प्रवर्तकों को उस जोखिम से सहजता से बाहर होने के

लिए समर्थ करेगी और किसी भिन्न अस्तित्व के माध्यम से पुन: प्रारंभ किया जा सकेगा ।

खंड 13 : खंड 13 में कार्यवाहियों की सूची है जो निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए किसी आवेदन के स्वीकार करने पर तुरंत न्यायनिर्णयन प्राधिकारी लेगा । न्यायनिर्णयन प्राधिकारी (क) खंड 14 के अनुसरण में अधिस्थगन की घोषणा, (ख) धारा 15 में अभिकथित रीति में दावों को करने को निगमित ऋणी के संबंध में निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने में लोक आख्यापन और रीति में दावों को मांगना, और (ग) खंड 16 के अनुसरण में निगमित ऋणी के लिए निगमित दिवाला समाधान वृत्तिक की नियुक्ति करना ।

खंड 14 : खंड 14 अधिस्थगन के प्रभाव का वर्णन करता है । अधिस्थगन का प्रयोजन, जिसके अंतर्गत निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान निगमित ऋणी की आस्तियों को रखना और निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान परिकल्पित प्रक्रिया को क्रमश: पूर्ण करने के लिए सुकर बनाना तथा व्यतिक्रम के समाधान को दृष्टि में रखते हुए, जब लेनदार संबंधित किसी जारी समुत्थान के रूप में कंपनी को चला सकेगा । यह भी सुनिश्चित करेगा कि एकसाथ बहुत सी कार्यवाहियां न की जाएं तथा संबंधित कार्यवाहियों के होने से संभाव्यत: विरोध की संभावना को दूर करने में सहायता होगी । यह भी सुनिश्चित करेगा कि समाधान प्रक्रिया एक सामूहिक रूप से हो ।

खंड 14 के अधीन आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ निगमित ऋणी के विरुद्ध निगमित ऋणी की किन्हीं आस्तियों के निपटान के लिए कोई वाद या विधिक कार्यवाहियां संस्थित करने या जारी रखने से प्रतिषिद्ध हों, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूत हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन निगमित ऋणी की किन्हीं आस्तियों का निस्तारण तथा ऋण के प्रवर्तन के लिए कार्रवाई प्रतिषिद्ध हो । विधिक कार्यवाहियों को संस्थित या उन्हें जारी रखने का अधिस्थगन, जिसके अंतर्गत ऋण प्रवर्तन के लिए कार्रवाई सुनिश्चित करने को निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के उद्देश्यों को विफल करना हो सकेगा । यथास्थिति बनाए रखने की अवधि को सुनिश्चित करना, जिससे लेनदार व्यक्तिगत प्रवर्तन कार्यवाही को पुन: प्रारंभ नहीं करा सकेंगे । निगमित ऋणी की आस्तियों के निष्तारण का प्रतिषेध यह सुनिश्चित करेगा कि निगमित ऋणी या उसका प्रबंधन अपनी आस्तियों का अंतरण करने में समर्थ नहीं है जिसके द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान मूल्य का निगमित ऋणी निरावृत्त हो जाएगा । आस्थगन निगमित ऋणी के अधिभोग द्वारा या उसके कब्जे में किसी संपत्ति की प्राप्ति तक विस्तारित होगी । यह किसी संविदा, जो ऐसी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के प्रदाय का उपबंध करती हैं, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी संविदा के पर्यावसान से भी रोकेंगी । कतिपय निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान कतिपय मालों और सेवाओं तक पहुंच कार्यवाहियों के पूर्ण होने के क्रम को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगी । तथापि परिसमापन में जाने पर निगमित ऋणी की दशा में, ऐसे मालों और सेवाओं के लिए लागत किसी समाधान योजना के भाग के रूप में या आस्तियों के वितरण के दौरान पूर्विकता में संदत्त होंगी ।

खंड 14 अवधि के लिए विहित करता है जिसको अधिस्थगन प्रभावी होगा । अधिस्थगन निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के पूर्ण होने तक या न्यायनिर्णयन

प्राधिकारी द्वारा किसी समाधान योजना के अनुमोदन होने तक या निगमित ऋणी के परिसमापन को लेनदारों की समिति के संकल्प तक जारी रहेंगी ।

केंद्रीय सरकार संव्यवहारों (अनुमोदित वित्तीय सेक्टर विनियामकों के साथ परामर्श से) जिसे वित्तीय बाजार में सहज कृत्यों के हितों में अस्थगन के लिए छूट प्राप्त होगी, अधिसूचित करने की शक्ति होगी ।

खंड 15 : खंड 15 यह खंड वित्तीय ऋणी के लिए निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को प्रारंभ करने की किसी लोक घोषणा में विशिष्टियों की सूची अंतर्विष्ट हैं । विशिष्टितया लोक घोषणा में दावे प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी अंतरिम समाधान वृत्तिक को दावे और ब्यौरे भेजने के लिए अंतिम तारीख लेनदारों से संबंधित सूचनाएं भी हैं ।

खंड 16 : खंड 16, खंड 7, खंड 9 और खंड 10 के अधीन आवेदन के स्वीकार करने की तारीख से चौदह दिन के भीतर अंतिरम समाधान वृत्तिक नियुक्त करने का उपबंध करता है । जहां निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया किसी निगमित ऋणी के संबंध में किसी निगमित लेनदार या निगमित ऋणी द्वारा प्रारंभ की गई है, दिवाला वृत्तिक, जिसका नाम आवेदन में प्रस्तावित है, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा नियुक्त होगा । जहां निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया किसी प्रचालन, लेनदार द्वारा प्रारंभ की गई है और किसी समाधान वृत्तिक को प्रस्तावित नहीं किया गया है, तब न्यायनिर्णयन प्राधिकारी भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड को अंतरिम समाधान वृत्तिक के रूप नियुक्त करने को किसी व्यक्ति के नाम की सिफारिश के लिए संदर्भ करेगा, यदि प्रचालन लेनदार किसी समाधान वृत्तिक का प्रस्ताव करता है, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी ऐसे वृत्तिक को आवश्यक शर्तें के अनुपालन के अधीन रहते हुए नियुक्त कर सकेगा । बोर्ड संदर्भ की प्राप्ति से दस दिन के भीतर किसी समाधान वृत्तिक के नाम की सिफारिश करेगा, जो खंड 16(3) में नियत मानदंडों को पूरा करते हैं ।

अंतरिम समाधान वृत्तिक निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कार्यकारी हैं । वह दावों के संग्रहण निगमित ऋणी के संबंध में जानकारी के संग्रहण, लेनदारों की समिति के गठन और कंपनी मामलों के अंतरिम प्रबंधन और किसी समाधान वृत्तिक के नियुक्त होने तक कंपनी की आस्तियों को मानीकर करने के विभिन्न कृत्यों का अनुपालन करेगा । अंतरिम समाधान वृत्तिक अपनी नियुक्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के लिए नियुक्त होगा ।

खंड 17 : जब अंतरिम समाधान वृत्तिक नियुक्त हो जाता है, निगमित ऋणी का प्रबंधन उससे ले लेगा । निगमित ऋणी के, यथास्थिति, निदेशकों के बोर्ड या भागीदारों या निगमित ऋणी की शक्तियां निलंबित हो जाएंगी । निगमित ऋणी के अधिकारी और प्रबंधक अंतरिम समाधान वृत्तिक को रिपोर्ट करेंगे और निगमित ऋणी के ऐसे दस्तावेजों और अभिलेखों तक पहुंच कराने में सहयोग करेंगे ।

यह उपबंध रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अधीन किसी ऋणी के कब्जे में व्यवस्था को अनुभव में ध्यान में रखते हुए अंत:स्थापित किया गया है । विभिन्न समितियो की रिपोर्ट, जिसने रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अधीन व्यवस्था का अध्ययन किया है । इस विनाशक या घातक त्रुटि के रूप में ऋणी के कब्जे की व्यवस्था की ओर ध्यान दिलाया है । किसी ऋणी के कब्जे की व्यवस्था विद्यमान प्रबंध को समाधान प्रक्रिया के दौरान अस्तित्व के कब्जे में

शेष है । पूर्व अनुभव यह सुझाव देते हैं कि लेनदारों द्वारा उत्पन्न असफलता के मूल्य के रूप में (परिसमापन के संकेत) जोखिम को बचाने के प्रयोजन के लिए लागू होने के प्रबंध का प्रोत्साहन देगा । और सूचनात्मक लाभों को देने की विद्यमान प्रबंधक (जो नियंत्रक प्रबंधकों के नियंत्रण के अधीन प्राधिनितिक रूप से हैं) पर अन्य पणधारियों को निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान निगमित ऋणी के नियंत्रण में देना होगा। जिसके परिणामस्वरूप प्रस्तावित जोखिम उपाय लेनदारों से छूटों के सारांश को विलंब करने की रणनीति का सहारा लेगा ।

खंड 17(2) विभिन्न शक्तियों को सूचीबद्ध करता है जो अंतरिम समाधान वृत्तिक को हैं, जिसके अंतर्गत निगमित ऋणी के नाम से सभी कार्यों और दस्तावेजों को निष्पादित करना भी है । इन शक्तियां का प्रभावी अनुपालन करना उसके उत्तरदायित्वों के लिए महत्वपूर्ण है ।

खंड 18 : खंड 18 किसी अंतरिम समाधान वृत्तिक के विभिन्न दायित्वों को सूचीबद्ध करता है । जिसके अंतर्गत निगमित ऋणी की वित्तीय जानकारियों का संग्रहण ऋण दावों की प्राप्ति और संग्रह, लेनदारों की समिति का गठन, निगमित ऋणी की आस्तियों को नियंत्रण में लेना और उन्हें मानीटर करना तथा किसी जानकारी उपयोगिता से संगृहीत जानकारियों को फाइल करना, यदि अपेक्षित हो । खंड 18 आस्तियों को भी विनिर्दिष्ट करता है, जो अधिगृहीत नहीं की गई हैं । ये कर्तव्य अंतरिम समाधान वृत्तिक द्वारा एक संक्षिप्त समयावधि में उन्मोचित होगे जो उसे दी गई नियुक्ति के केवल तीस दिनों की अवधि के भीतर होगी । यह त्वरित निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी ।

खंड 19 : यह खंड निगमित ऋणी के मामलों के प्रबंधन में यदि कोई निगमित ऋणी अंतरिम समाधान वृत्तिक द्वारा अपेक्षित सभी सहायता और सहयोग के विस्तार को निगमित ऋणी के कार्मिकों और संप्रवर्तकों पर दायित्व अधिरोपित करता है, कार्मिक से कर्मचारी, निदेशक, प्रबंधक, महत्वपूर्ण प्रबंधक कार्मिक या अभिहित पक्षकार अभिप्रेत हैं । यदि यह अंतरिम समाधान वृत्तिक के अपने कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन में सहायता के लिए अपेक्षित है ।

जहां निगमित ऋणी के कार्मिक या कोई अन्य व्यक्ति अंतरिम समाधान वृत्तिक के साथ सहयोग (ऐसे अन्य व्यक्ति, जिसके अंतर्गत संविदा, प्रतिपक्ष, प्रदायकर्ता, सेवा प्रदाता और लेखा परीक्षक भी हो सकेंगे) अंतरिम समाधान वृत्तिक को सहयोग और सहायता नहीं प्रदान करते हैं, अंतरिम समाधान वृत्तिक न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को किसी आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा । न्यायनिर्णयन प्राधिकारी आदेश द्वारा अंतरिम समाधान वृत्तिक के अनुदेशों का अनुपालन करने को ऐसे व्यक्ति निदेश दे सकेगा या अंतिरम समाधान वृत्तिक को सूचनाएं उपलब्ध कराएगा ।

खंड 20 : खंड 20 अभिकथित करता है कि निगमित ऋणी की संपत्ति के मूल्य को सुरक्षित रखने और संरक्षित करने को अंतरिम समाधान वृत्तिक किसी जारी समुत्थान के रूप में निगमित ऋणी के प्रचालन का प्रबंध करेगा । जिसके अंतर्गत लेखाकारों, विधिक परामर्शियों या ऐसे अन्य वृत्तिकों, जो अंतरिम समाधान वृत्तिक को विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध कराते हैं, की नियुक्ति करने की शक्ति भी है । ऐसे वृत्तिक, विभिन्न सुभिज्ञ और प्रबंध विशेषज्ञ भी हों सकेंगे । इसके अतिरिक्त अंतरिम समाधान वृत्तिक को अंतरिम वित्त भी उपगत करने की शक्ति होगी और निगमित ऋणी के

निमित्त संविदाएं करना, उन्हें संशोधित करना या उपांतरित करना भी है । तथापि निगमित ऋणी की किसी विलंग्गमित संपत्ति की प्रतिभूति द्वारा कोई अंतरिम वित्त उपगत करने को संबंधित लेनदारों की पूर्व अनुज्ञा अपेक्षित होगी । यदि किसी वित्तीय संकटग्रस्त का निगमित ऋणी निगमित दिवाला समाधान कार्यवाहियों के बाहर स्वयं करने में सफलतापूर्वक सक्षम हो जाता है, कार्यवाहियों के अनुक्रम के दौरान व्यापार जारी करने को सुकर होगा । ऐसा कोई ऋणी बाहरी वृत्तिक की पहुंच की आवश्यकता होगी । तथापि एक बार कंपनी निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया में निवेश हो जाती है, यह पाया जाता है कि प्रत्यय प्राप्त करना अत्यधिक कठिन है । कुछ उधारदाता किसी विपदाग्रस्त ऋणी को उधार देने के इच्छुक हैं । यही एक प्रारंभिक मुद्दा है जो किसी ऋण के विलंब की समस्या के कारण वित्तीय कठिनाइयों में आर्थिक रूप से मूल्यवान कारबार के भंग होने की संभावना को, जिसे किसी अन्य नई पूंजी (जिससे संकटग्रस्त ऋणी की कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता को सहारा दे सकती है और उसकी पुनर्प्राप्ति में चलाया जा सकता है विद्यमान लेनदारों के ऋणों के संदाय में पूर्णरूप से उपयुक्त होगा, से आगामी रूप से व्यवस्थित नहीं होगा । इस मुद्दे के क्रम में ऐसा अंतरिम वित्त निगमित दिवाला समाधान लागत के रूप में समझा जाएगा और समाधान योजना के भाग के रूप में अन्य ऋणों में पूर्विकता में पुनर्संदाय होगा । ऐसी पूर्विकता परिसमापन में जाने पर निगमित ऋणी की दशा में आस्तियों के वितरण में भी लागू होगी ।

खंड 21 : यह खंड अंतरिम समाधान वृत्तिक द्वारा लेनदारों की समिति के गठन का उपबंध करने के लिए है । निगमित ऋणी के संबंधित पक्षकारों को छोड़कर लेनदारों की समिति निगमित ऋणी के सभी वित्तीय लेनदारों से मिलकर बनेगी ।

समिति सदस्यों से मिलकर बनेगी जो निगमित ऋणी की वित्तीय व्यवहारता तक पहुंच की क्षमता रखते हैं और जो निगमित ऋणी तथा लेनदारों के मध्य वार्ता में ऋण संविदा के निबंधनों, उपांतरित करने के इच्छुक हों, प्रचालन लेनदार निगमित ऋणी की वाणिज्यिक व्यवहारत: से संबंधित विषयों को विनिश्चित करने के लिए प्रायिक रूप से सक्षम नहीं है न ही चालू समुत्थान के किसी निगमित ऋणी को क्रम में करने के लिए पुन:संरचना की जोखिम से संबंधित विषयों को पुन: संरचना करने के लिए सक्षम होगा । समान रूप से वित्तीय लेनदारों, जो लेनदारों की समिति में प्रचालन लेनदारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, केवल अपने वित्तीय ऋणों को विस्तारित कर सकेंगे । फिर भी यह सुनिश्चित करने के क्रम में कि किसी वित्तीय लेनदार का प्रचालन लेनदार के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार न हो, किसी समाधान योजना को सुनिश्चित करने को कि प्रचालन लेनदार उसके ऋण के परिसमापन मान से कम रकम प्राप्त न हो (निगमित ऋणी परिसमापन को स्वीकार किया हो) ।

समिति के सभी विनिश्चय मतदान भाग के 75 प्रतिशत से अन्यून किसी मत से लिए जाएंगे । उस दशा में, जहां किसी निगमित ऋणी के लिए कोई वित्तीय लेनदार नहीं है, निगमित ऋणी का गठन और विनिश्चय लेने की प्रक्रिया दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा विनिश्चित होगी । समिति को समाधान वृत्तिक से जानकारी मांगने की शक्तियां भी होंगी ।

खंड 22 : लेनदारों की समिति का प्रमुख कार्य समाधान वृत्तिक की नियुक्ति है । खंड 22 यह उपबध करता है कि लेनदारों की पहली में बैठक में अंतरिम समाधान

वृत्तिक की नियुक्ति को वित्तीय लेनदारों के मतदान भाग के 75 प्रतिशत के बहुमत द्वारा समाधान वृत्तिक के रूप में या किसी अन्य समाधान वृत्तिक के नाम को अंतरिम समाधान वृत्तिक के रूप में नियुक्ति के लिए विनिश्चय करेगी । जहां लेनदारों की समिति अंतरिम समाधान वृत्तिक को समाधान वृत्तिक के रूप में नियुक्त न करने का विनिश्चय करेगी, वह प्रस्तावित समाधान वृत्तिक की नियुक्ति के लिए न्याय निर्णयन प्राधिकारी को आवेदन फाइल करेगी । न्याय निर्णयन प्राधिकारी भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड से पुष्टि प्राप्त होने पर प्रस्तावित दिवाला समाधान वृत्तिक को समाधान वृत्तिक के रूप में नियुक्त करेगी । जहां भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड से पुष्टि प्राप्त नहीं होती है, अंतरिम समाधान वृत्तिक पुष्टि प्राप्त होने तक समाधान वृत्तिक के रूप में जारी रहेगी ।

यह खंड समाधान वृत्तिक के रूप में वित्तीय लेनदारों की अंतर्वलित के लिए भी उपबंध करता है । लेनदारों की समिति व्यक्ति के चयन में अत्यधिक प्रेरणासूत्र होगी जो काम के लिए अधिकतम उपयुक्त हो, समाधान वृत्तिक को संदेय फीस कंपनी की आस्तियों की सभी संभाव्यता से संदेय होगी (जिसे लेनदारों के अंतिम पुनर्संदाय के घटना से प्रभावित होगी) वे ऐसे व्यक्ति का चयन कर सकेंगे जो कंपनी के कारबार, उसके क्रियाकलापों, या आस्तियों या उसके कौशल, ज्ञान या मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में देखभाल का अनुभव रखता हो ।

खंड 23: खंड 23 उपबंध करता है कि समाधान वृत्तिक संपूर्ण निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया संचालित करने के लिए और ऐसी प्रक्रिया के दौरान निगमित ऋणी के ऐसे प्रचालनों का प्रबंध करने के लिए उत्तरदायी होगा । इस प्रयोजन के लिए अंतरिम समाधान वृत्तिक के रूप में वही शक्तियां और समान कर्तव्यों का अनुपालन करेगा । खंड यह भी उपबंध करता है कि जहां अंतरिम समाधान वृत्तिक समाधान वृत्तिक के रूप में नियुक्त नहीं होता है, अंतरिम समाधान वृत्तिक समाधान वृत्तिक को निगमित ऋणी से संबंधित ऐसे संक्रमण को सुकर बनाने को सभी जानकारी, दस्तावेज और अभिलेख उपलब्ध कराएगा ।

खंड 24 : खंड 24 लेनदारों की समिति के लिए रूपात्मकता विहित करेगा । बैठक समाधान वृत्तिक द्वारा संचालित होगी और निगमित ऋणी के सदस्य या भागीदारों द्वारा भाग लिया जाएगा । लेनदारों की समिति के लिए यह अवसर देना होगा और समाधान वृत्तिक ऐसी जानकारी प्राप्त करेंगे, जो वे निगमित ऋणी की वित्तीय स्थिति के निर्धारण को अपेक्षित समझे और समाधान योजना तैयार करेंगे ।

खंड 25 : खंड 25 निगमित ऋणी की आस्तियों को सुरक्षित और संरक्षित करने के समाधान वृत्तिक के कर्तव्यों को दिया गया है तथा ऐसे कृत्यों को अभिकथित किया है जिसका वह अनुपालन करेगा । अंतरिम समाधान वृत्तिक की तुलना में समाधान वृत्तिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा । वह अपने कर्तव्यों के साथ-साथ संभावित उधारदाताओं, निवेशकों और अन्य व्यक्तियों को समाधान योजना भेजने को आमंत्रित करेगा, लेनदारों की समिति को ऐसी योजना प्रस्तुत करेगा । संहिता के अध्याय 3 के अनुसरण में विशेष संव्यवहारों को दूर करने के लिए आवेदन फाइल करेगा । समाधान वृत्तिक अंतरिम वित्त लेने के लिए (चाहे प्रतिभूत या अप्रतिभूत हो) लेनदारों की समिति के पूर्वानुमोदन से सशक्त होगा । इस खंड के अधीन अंतरिम वित्त लेने के लिए निगमित दिवाला समाधान लागत के भाग के रूप में ली जाएगी ।

खंड 26 : खंड 26 यह कथन करता है कि कोई समाधान वृत्तिक लेनदारों की लेनदारों की

समिति द्वारा समाधान वृत्तिक का प्रतिस्थापन ।

समिति द्वारा मतदान भाग के 75 प्रतिशत के बहुमत द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय हटाया जा सकेगा । यह शक्ति विशिष्टतया वहां सुसंगत होगी जहां किसी निगमित ऋणी ने निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ की है और अपनी पसंद का कोई समाधान वृत्तिक नियुक्त किया है । लेनदारों की समिति को समाधान वृत्तिक को हटाने का अधिकार होगा जब उनको समाधान वृत्तिक और प्रबंधन के मध्य दुरभिसंधि की आशंका हो ।

लेनदारों की समिति न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को समाधान वृत्तिक के रूप में नियुक्त होने को प्रस्तावित दिवाला वृत्तिक के नाम को भेजेगी । न्यायनिर्णयन प्राधिकारी नियुक्ति के संबंध में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड पुष्टि प्राप्त होने के पश्चात् समाधान वृत्तिक के रूप में प्रस्तावित दिवाला वृत्तिक को नियुक्त करेगी । यह उपबंध संभवतया खंड 22 समाधान वृत्तिक के प्रतिस्थापन में अंतर्वलित लेनदारों के लिए उपबंध करता है ।

खंड 27 : खंड 27 किसी वित्तीय लेनदार (खंड 26 में यथाविहित सीमा से नीचे) द्वारा या खंड 27(1) की दी गई विशिष्ट परिस्थिति के अधीन निगमित ऋणी, जिसके अंतर्गत निगमित ऋणी के प्रचालनों को संचालित करने में उपेक्षापूर्ण या कपटपूर्ण रीति से संचालित करना और निगमित ऋणी, लेनदारों या अन्य पणधारियों के हितों संघर्ष द्वारा समाधान वृत्तिक को हटाने के लिए उपबंध करता है । वित्तीय लेनदार या वित्तीय ऋणी न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को आवेदन फाइल करेंगे । आवेदन की प्राप्ति के चौदह दिन के भीतर यदि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी की यह राय है कि खंड 27(1) में दिए गए कृत्यों मे कोई चूक समाधान वृत्तिक द्वारा की गई है, प्रथमदृष्टया पायी जाती है, वह किसी समाधान वृत्तिक के नाम को समाधान वृत्तिक के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव करने का लेनदारों की समिति को निदेश देगा । यद्यपि लेनदारों की समिति का समाधान वृत्तिक की नियुक्ति में अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी ।

खंड 28 : खंड 28 में मतदान भाग के 75 प्रतिशत बहुमत द्वारा लेनदारों की समिति के पूर्वानुमोदन से केवल समाधान वृत्तिक द्वारा कतिपय कार्यवाहियों की सूची दी गई हैं । इस खंड का उद्देश्य विनिर्दिष्ट विषयों के लिए लेनदारों की समिति प्राप्त करना है जिससे (क) उनकी कार्यवाहियों में कुछ के द्वारा उनके अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं या (ख) निगमित ऋणी की पूंजी संरचना, स्वामित्व या प्रबंध में उक्त कार्यवाही द्वारा महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, जहां समाधान वृत्तिक खंड 28(1) सूचीबद्ध कार्यवाहियां, लेनदारों की समिति की सिफारिशों के बिना करता है, ऐसी कार्यवाहियां विधि शून्य होंगी । समाधान वृत्तिक हो हटाने के लिए भी दायी होगा ।

खंड 29 : खंड 29 किसी जानकारी ज्ञापन की तैयारी में समाधान वृत्तिक के मुख्य कृत्यों में से एक अभिकथित करता है जिससे किसी समाधान योजना को बनाने के लिए समाधान आवेदक को सशक्त करता है । ऐसा कोई जानकारी ज्ञापन निगमित ऋणी के दिवाला को हल करने के लिए समाधान उपलब्ध कराने को बाजार के भागीदारों (समाधान आवेदक) के लिए क्रम में तैयार करने को प्रकल्पित है । इसके अंत में समाधान वृत्तिक निगमित ऋणी के संबंध में सभी संबंधित जानकारियों की पहुंच समाधान आवेदक को गोपनीयता और विधि के अनुपालन से संबंधित कतिपय निबंधनों के अनुपालन के अधीन रहते हुए समाधान वृत्तिक को पहुंच कराने की अपेक्षा भी होगी ।

खंड 30 : यह खंड उस रीति का उपबंध करता है जिसमें किसी समाधान आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए समाधान है । यह भी उल्लेख है कि सभी लागू विधियों के अनुपालन के अधीन रहते हुए जो कोई समाधान आवेदक हो सकेगा, पर कोई निबंधन नहीं है । इसमें निगमित ऋणी के प्रवर्तक भी हैं । यह खंड यह उपबंध वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक हितों के व्यक्तियों के प्रस्तावों को सुकर बनाता है किन्तु ऐसे अस्तित्वों के बचाव को प्रक्रिया में सभी पणधारियों के लिए मूल्य को सृजित करने को दिवाला कारबारों को व्यवहार्य बनाता है ।

समाधान वृत्तिक प्रत्येक समाधान योजना को देगा जो लेनदारों की समिति को खंड 30(2) में दिए गए मानदंडों को पूरा करती हैं, जिसे मतदान भाग के बहुमत के 75 प्रतिशत द्वारा किसी समाधान योजना से अनुमोदित है । लागू विधियों के अनुपालन में योजना निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत का अन्य प्रचालन लेनदारों के पुनर्संदाय का उपबंध करेगा और ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करेगा जो भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा विनिश्चित की जाएं ।

लेनदारों की समिति द्वारा एक बार समाधान योजना का अनुमोदन हो जाता है, उसे इसके अनुमोदन के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा ।

खंड 31 : न्यायनिर्णयन प्राधिकारी लेनदारों की समित द्वज़रा स्वीकृत किसी समाधान योजना का पुनर्विलोकन सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित है, उक्त समाधान योजना (क) खंड 30(2) में दिए गए मानदंडों को पूरा करती है, (ख) प्रचालन लेनदारों के पुनर्संदाय के लिए उपबंध करना जिससे कम से कम वह रकम प्राप्त हो जाए जिसके वे हकदार हैं । यदि निगमित ऋणी परिसमापन में था और (ग) ऐसी शर्तों को पूरा करता है जो भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा विहित की जाएं । उपर्युक्त दिए गए मानदंड (ख) प्रचालन लेनदारों को संरक्षण प्रदाय करने के लिए आशयित है ।(जो लेनदारों की समिति में प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं) यद्यपि कोई समाधान योजना, दिवाला समाधान के लिए किसी प्रस्ताव के लिए उपबंध कर सकेगी ।(जिसके अंतर्गत विधि के अनुपालन में जारी समुत्थान के रूप में कारबार का विक्रय, अन्य अस्तित्व द्वारा निगमित ऋणी का अधिग्रहण, ऋणों पुनर्गठन या वापसी) । न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा होगी कि निगमित दिवाला समाधान अवधि के दौरान समाधान वृत्तिक द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग के अनुक्रम के दौरान कोई तात्विक अनियमितता नहीं की है । जहां समाधान योजना खंड 31(1) में दिए गए मानदंडों को पूरा करती है, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी योजना को मंजूरी देगा । योजना निगमित ऋणी, इसके लेनदारों, कर्मचारियों, शेयरधारकों, प्रतिभूतिदाताओं और अन्य पणधारियों पर बाध्यकर होगा और धारा 14 के अधीन अधिरोपित अधिस्थगन योजना के अनुमोदन पर प्रभावी होगा । तथापि यह टिप्पण करना महत्वपूर्ण होगा कि सभी संबंधित पणधारी पर उक्त योजना बाध्यकारी है । तथापि यदि कोई योजना पर्णधारियों को किसी योजना के प्रभावी अनुपालन के लिए कतिपय कार्यवाही करना या नहीं करना अपेक्षित है । यह सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी होंगे, जो योजना को नियत करने में कार्यवाही करने को बाध्य हैं । समाधान वृत्तिक निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया संचालित करने से संबंधित सभी अभिलेख और इसके अभिलेख रखने के कृत्यों के भाग के रूप में रखने को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड को समाधान योजना भेजने की भी अपेक्षा होगी ।

खंड 32 : यह खंड समाधान योजना के अनुमोदित करने के किसी आदेश से हुई

अपीलों से संबंधित है ।

खंड 33 : यह खंड निगमित ऋणी के परिसमापन के लिए चार परिदृश्यों का उपबंध करता है । (क) जहां न्यायनिर्णयन प्राधिकारी की यह राय है कि समाधान योजना खंड 30(2) में दिए गए मानदंडों को पूरा नहीं करती है ; (ख) जहां न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को दिवाला समाधान योजना को पूरा करने के लिए अनुज्ञात अधिकतम अवधि की समाप्ति तक या उससे पूर्व कोई समाधान योजना प्राप्त नहीं होती है ; (ग) जहां किसी समाधान योजना की पुष्टि से पूर्व किसी समय मतदान भाग के 75 प्रतिशत के बहुमत द्वारा का प्रस्ताव लेनदारों की समिति द्वारा, जो निगमित ऋण का परिसमापन करता हो ; या (घ) जहां निगमित ऋणी किसी व्यक्ति (निगमित ऋणी से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति) द्वारा किसी आवेदन पर और समाधान योजना के निबंधनों का उल्लंघन करता है, ऐसे उल्लंघन द्वारा उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, न्यायनिर्णयन अधिकारी यह अवधारित करेगा कि निगमित ऋणी ने समाधान योजना के निबंधनों का उल्लंघन किया है । अत: संहिता परिसमापन प्रक्रिया के प्रारंभ के लिए स्पष्ट रूप से प्रवर्तित करेगा ।

परिसमापन आदेश उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित किसी अपील की कार्यवाहियों के सिवाय निगमित ऋणी द्वारा या उसके विरुद्ध किसी वाद या विधिक कार्यवाहियों को संस्थित करने या उन्हें जारी रखने के किसी अधिस्थगन का परिणाम होंगे । तथापि परिसमापक न्यायनिर्णयन प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से निगमित ऋणी के निमित्त कोई वाद या कार्यवाहियां संस्थित कर सकेगा । तथापि ऐसा अधिस्थगन खंड 52 के अनुसरण में अपनी प्रतिभूति की वसूली से प्रतिभूति लेनदार को रोकने के लिए नहीं होगा ।

परिसमापन आदेश निगमित ऋणी के अधिकारियों, कर्मचारियों और कर्मकारों को सिवाय जब निगमित ऋणी का कारबार जारी है के उन्मोचन की सूचना भी समझी जाएगी ।

इसके अतिरिक्त किसी परिसमापक की नियुक्ति पर निगमित ऋणी के निदेशक बोर्ड, महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों या भागीदारों की शक्तियां परिसमापक में निहित होंगी । निगमित ऋणी के कार्मिक निगमित ऋणी के मामलों में प्रबंधन में परिसमापक को सभी सहयोग और सहायता, जो अपेक्षित हो, उपलब्ध कराएंगे ।

खंड 34 : जब तक खंड 34 के उपखंड (3) से उपखंड (6) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा बदला न जाए, समापक के रूप में कारपोरेट ऋणी के समाधानकर्ता वृत्तिक की नियुक्ति का उपबंध करने के लिए है इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कारपोरेट ऋणी की वित्तीय स्थिति और कार्यकलापों से सुपरिचित है, समापक के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह समापन प्रक्रिया को समय से दक्षतापूर्वक पूरी करेगा । समापक द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा जारी विनियमों के अध्यधीन होगी ।

खंड 35 : खंड 35 समापन कार्यवाहियों का सुव्यवस्थित रूप से पूरा करने के लिए समापक की शक्तियों और कर्तव्यों की संक्षिप्त सूची का उपबंध करने के लिए है । इन शक्तियों में समापक द्वारा उसके कर्तव्यों के निर्वहन में उसकी सहायता के लिए किसी वृत्तिक को नियुक्त करने की शक्ति सम्मिलित है । समापक को कारपोरेट ऋणी

की आस्तियों के वितरण के हकदार पणधारियों से परामर्श करने की भी शक्ति होगी । न्यायनिर्णयन प्राधिकारी भी कतिपय ऐसे कर्तव्य विहित कर सकेगा जिनका समापक को निर्वहन करना होगा ।

खंड 36 : खंड 36(1) एक संपदा का सृजन करने का उपबंध करने के लिए है जिसमें खंड 36(3) में उपवर्णित कारपोरेट ऋणी की आस्तियां समाविष्ट होंगी । इस खंड में ऐसी आस्तियों को भी विहित किया गया है जिन्हें समापन संपदा में सम्मिलित नहीं किया गया है । समापक कारपोरेट ऋणी की आस्तियों को कारपोरेट ऋणी के सभी लेनदारों के फायदे के लिए धारण करेगा और वह समापन संपदा वैश्वासिक होगा ।

केंद्रीय सरकार को (समुचित वित्तीय सेक्टर के विनियामकों की परामर्श से) आस्तियों को ऐसी आस्तियां अधिसूचित करने की शक्ति हो, जिन्हें वित्तीय बाजार के दक्ष कार्यकरण के हित में संपदा से अपवर्जित किया जाएगा ।

खंड 37 : खंड 37 में यह उपबंधित है कि समापक को समापन संपदा ग्रहण करने तथा उसके दावों का सबूत और पहचान करने के प्रयोजन के लिए पहुंच बनाने की शक्ति होगी । इस शक्ति से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि समापक केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार के अभिकरणों या स्थानीय प्राधिकारियों सहित प्रत्यय सूचना प्रणालियों की व्यापक श्रेणी पर पहुंच बनाने में समर्थ है और जो कारपोरेट ऋणी के दावों का सहजता सत्यापन करने तथा उसकी आस्तियों और दायित्वों की पहचान करने में सहायक होगी । यह खंड लेनदारों को समापक से कारपोरेट ऋणी की वित्तीय सूचना मांगने हेतु सशक्त करने के भी है ।

खंड 38 : खंड 38 समापक द्वारा दावों के संग्रहण के लिए तीस दिन की समयावधि नियत करने के लिए है । इसमें ऐसी पद्धतियों को भी विनिर्दिष्ट किया गया है जिनके द्वारा लेनदारों के भिन्न-भिन्न प्रवर्ग अपने दावों को प्रस्तुत और साबित कर सकते हैं । विशेषतया वित्तीय लेनदार अपने दावों को, दावे के ऐसे अभिलेख द्वारा, जो सूचना उपयोगिता में भंडारित हैं, साबित कर सकते हैं ।

खंड 39 : खंड 39 में समापक द्वारा दावे के सत्यापन के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया अधिकथित की गई है ।

खंड 40 : खंड 40 में दावों को ग्रहण करने और उन्हें नामंजूर करने संबंधी प्रक्रिया अधिकथित की गई है ।

खंड 41 : इस खंड के अनुसार समापक को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड को दावों के मूल्यांकन के लिए विनिर्दिष्ट मापदंडों के अनुसार खंड 40 के अधीन ग्रहण किए गए दावों का मूल्यांकन करने का दायित्व होगा ।

खंड 42 : यह खंड ऐसे लेनदार के अधिकार का उपबंध करने के लिए है, जिसके दावे को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा अपील के लिए नामंजूर कर दिया गया है ।

खंड 43 : खंड 42 में कारपोरेट ऋण द्वारा दिवाले की तीव्र अभिवृद्धि में दिए गए अधिमान के परिवर्जन का उपबंध करने के लिए है । इस उपबंध का आशय ऐसे संव्यवहारों को विखंडित करने का है, जो कारेपोरेट ऋणी की समापनाधीन आस्तियों की मात्रा के अनुसार विवरण को बाधित करते हैं । अत: खंड 42 के अंतर्गत उपबंधित अपवादों के अधीन रहते हुए इसमें ऐसे संपत्ति का, उसमें के हित का अंतरण अविधिमान्य होगा जो सुसंगत समय के दौरान किसी व्यक्ति को, किसी लेनदार, प्रतिभू

या प्रत्याभूतिदाता के फायदे के लिए ऐसे पूर्वगामी ऋण या अन्य दायित्वों के मद्दे दिया गया है, जो ऐसे लेनदार, प्रतिभू या प्रतिभूतिदाता को उस स्थिति से, जिसमें वह तब होता यदि ऐसा अंतरण नहीं किया गया होता, फायदाप्रद स्थिति में लाने के लिए प्रभावी किया गया है ।

इसमें ऐसे संव्यवहारों के परिवर्जन के लिए भी सुसंगत समय विहित किया गया है, जो अधिमान की कोटि में आएंगे । यदि अधिमान संबंधित पक्षकारों को दिया जाता है तो अधिमान दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व दो वर्ष के भीतर दिया जाना चाहिए और यदि यह अन्य सभी व्यक्तियों को दिया जाता है तो दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व एक वर्ष की अवधि के भीतर दिया जाना चाहिए । संबंधित पक्षकारों को दिए गए अधिमानों के लिए लंबी अवधि का उपबंध ऐसे संव्यवहारों से बचने के लिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदारों की धनराशि को कम करने वाले अनेक संव्यवहार न केवल "दिवाला के क्षेत्र में घटित होते हैं अपितु उस समय भी घटित होते हैं जैसे ही विपत्ति के संकेत दिखाई पड़ते हैं" । प्राय संबंधित पक्षकारों को कारपोरेट ऋणी के वित्तीय कार्यकलापों की अधिक जानकारी होती है और वे ऐसी जानकारी होने पर कि कारपोरेट ऋणी निकट भविष्य में दिवालिया हो सकता है, आस्तियों को शून्य करने के लिए कारपोरेट ऋणी के साथ दुर्भिसंधि कर लेते हैं ।

खंड 44 : खंड 44 में ऐसे आदेश विनिर्दिष्ट किए गए हैं, जो किसी अधिमानी संव्यवहार के परिवर्जन के संबंध में पारित किए जा सकेंगे । इन आदेशों का उद्देश्य अधिमानी संव्यवहार के प्रभाव को उलटने और ऐसे व्यक्ति से, जिसे अधिमान दिया जाता है, उन लाभों का वापस संदाय करने का है, जो उसने ऐसे अधिमान के परिणामस्वरूप प्राप्त किए हैं ।

खंड 45 : खंड 45 में (क) दान या (ख) संव्यवहार जैसे न्यून मूल्यांकन संव्यवहारों के परिवर्जन का उपबंध किया गया है, जहां कारपोरेट ऋणी द्वारा ऐसे प्रतिफलार्थ मूल्य के लिए, जो कारपोरेट ऋणी द्वारा दिए गए प्रतिफल के मूल्य से बहुत कम है । इस खंड का उद्देश्य ऐसे कारपोरेट ऋणी के प्रबंध तंत्र द्वारा, जिसे कारपोरेट की दुर्बल वित्तीय स्थिति का ज्ञान है, कारपोरेट आस्तियों को शून्य करने से निवारित करना है और जिससे वह दिवालिया होने के आसपास ऐसे संव्यवहार कर सकेगा ।

खंड 46 : खंड 46 में ऐसी सुसंगत अवधि को विहित किया गया है जिसके दौरान किए गए किसी संव्यवहार को न्यून मूल्यांकित संव्यवहार के रूप में चुनौती दी जाएगी । संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए न्यून मूल्यांकित संव्यवहारों के लिए दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व दो वर्ष की अवधि सुसंगत अवधि के रूप में विहित की गई है और अन्य सभी व्यक्तियों के साथ किए गए न्यून मूल्यांकित संव्यवहारों के लिए दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व एक वर्ष की अवधि को सुसंगत अवधि के रूप में विहित किया गया है । इसके लिए यह व्यवस्था है कि कारपोरेट ऋणी का प्रबंध तंत्र, जिसे कारपोरेट ऋणी के वित्तीय कार्यकलापों की अच्छी जानकारी है, वित्तीय संकटापन्न के प्रारंभिक संकेत प्राप्त होने पर कारपोरेट ऋणी को मूल्य से वंचित करने के लिए संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार कर सकेगा ।

खंड 47 : खंड 47 में कारपोरेट ऋणी के लेनदारों, शेयर धारकों या भागीदारों को न्यून मूल्यांकित संव्यवहारों को, जहां समापक या समाधानकर्ता वृत्तिक द्वारा न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को ऐसे संव्यवहार की रिपोर्ट नहीं की गई है, वहां अपास्त करने के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को आवेदन करने की अनुज्ञा दी गई है । यह उपबंध

खंड 45 की अपेक्षा अधिक व्यापक है क्योंकि इसमें ऐसे लेनदारों को, जो ऐसे संव्यवहारों के परिवर्जन की ईप्सा से प्रेरित हैं, उसके लिए आवेदन फाइल करने हेतु अनुज्ञात किया गया है, जहां समापक या समाधानकर्ता वृत्तिक ने न्यून मूल्यांकित संव्यवहार की रिपोर्ट नहीं दी है ।

खंड 48 : खंड 48 खंड 44 के समान है जिसमें ऐसे आदेशों को वर्णित किया गया है जो न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा न्यून मूल्यांकित संव्यवहारों को अपास्त करने के लिए पारित किए जा सकेंगे । ऐसे आदेशों का, जो दिए जा सकेंगे, उद्देश्य न्यून मूल्यांकित संव्यवहार के प्रभाव को उलटना है और ऐसे व्यक्ति से, जिसे ऐसे संव्यवहार से फायदा हुआ है, ऐसे किन्हीं फायदों को वापस करने की अपेक्षा की गई है, जो उसने ऐसे संव्यवहारों के परिणामस्वरूप प्राप्त किए हैं ।

खंड 49 : कारपोरेट ऋणी की आस्तियों को किसी ऐसे व्यक्ति की जो कारपोरेट ऋणी के विरुद्ध दावा करने का हकदार है, पहुंच से दूर रखने के लिए या इससे अन्यथा उस व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के आशय से किए गए संव्यवहार को विखंडित करने के लिए है । संहिता में के अन्य परिवर्जनीय उपबंधों से भिन्न खंड 49 में कोई ऐसी समयसीमा निश्चित नहीं की गई है जिसके दौरान किए गए संव्यवहार को लेनदारों को कपट वंचित करने के आशय से किए गए संव्यवहार के रूप में चुनौती दी जा सके ।

खंड 50 : दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व दो वर्ष की अवधि के भीतर कारपोरेट ऋणी द्वारा किए गए उद्यापक प्रत्यय संव्यवहार को विखंडित करने के लिए है । यह उपबंध उन परिस्थितियों में, जहां कारपोरेट ऋणी से ऐसे उधार को देने वाले को अपरिसिमित संदाय करने की अपेक्षा की गई है, समापन या समाधानकर्ता वृत्तिक को प्रत्यय संव्यवहारों को अपास्त करने या उपांतरित करने के लिए न्यायालय को आवेदन करने हेतु समर्थ बनाएगा । इस उपबंध में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विधि के अनुपालन में विनियमित वित्तीय सेवा प्रदाता द्वारा बढ़ाए गए किसी ऋण को उद्यापक प्रत्यय संव्यवहार के रूप में नहीं समझा जाएगा ।

खंड 51: खंड 51 में ऐसे आदेश विहित किए गए है जो उद्यापक प्रत्यय संव्यवहारों को अपास्त करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित किए जा सकेंगे । इसके अंतर्गत ऐसे संव्यवहार से पूर्व की स्थिति पुन:स्थापित करना, संव्यवहार को पूर्णतया या भागत: अपास्त करना या संव्यवहार के निबंधनों को उपांतरित करना भी है ।

खंड 52: खंड 52 में यह उपबंधित हे कि समापन कार्यवाई में प्रतिभूत लेनदार प्रतिभूत हित का त्याग करने और आस्तियों के वितरण में भाग लेने या समापन कार्यवाहियों से अलग अपने प्रतिभूत हितों का आपन करने का चुनाव कर सकेगा । यदि कोई प्रतिभूत लेनदार अपनी प्रतिभूति के आपन किए जाने का विनिश्चय करता है तो प्रतिभूत लेनदार द्वारा संदेय दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत की रकम की आपन संबंधी आगमों से कटौती की जाएगी । जहां प्रतिभूत हित में प्रवर्तन से अधिक का आपन किया गया है वहां प्रतिभूत लेनदार समापक को उसका हिसाब देगा । इसी प्रकार प्रतिभूत आस्तियों के आपन के आगम प्रतिभूत लेनदार को दिए गए ऋणों का प्रतिदाय करने के लिए पर्याप्त नहीं है वहां वह ऐसे असंदत्त भाग के लिए धारा 53 के अधीन संदायों की पूर्विकता के अनुसार दावा कर सकेगा ।

खंड 53 : यह खंड समापन में की आस्तियों के वितरण के संबंध में है । इस खंड के अनुसार दिवाला समाधान प्रक्रिया की लागत (जिसेके अंतर्गत कोई अंतरिम वित्त पोषण भी है) और समापन लागत को पहले पूर्विकता प्रदान की जाएगी, उसके पश्चात् प्रतिभूत लेनदार को दिए गए ऋण (जहां प्रतिभूत लेनदार ने अपने प्रतिभूत हित का त्याग कर दिया है) और समापन प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व बारह मास की अवधि की कर्मकारों को देय राशि का संदाय किया जाए । तत्पश्चात् समापन प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व बारह मास की अवधि की (कर्मकारों से भिन्न) कर्मचारियों को उधार दी जाने वाली मजदूरी या कोई असंदत्त देय राशि का संदाय किया जाएगा । ऐसे संदाय के पश्चात् अप्रतिभूत लेनदारों को उधार दिए गए वित्तीय ऋणों का प्रतिसंदाय किया जाएगा । इसके पश्चात् समाधान प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व पूरे दो वर्ष की अवधि का या उसके किसी भाग के संबंध में राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार को शोध्य कोई धन राशि (जिसके अंतर्गत भारत की संचित निधि और किसी राज्य की संचित निधि, यदि कोई हो, के लेखे में प्राप्त कोई धनराशि भी है) और प्रतिभूत हित के प्रवर्तन के अनुसरण में किसी असंदत्त धनराशि के लिए किसी प्रतिभूत लेनदार को उधार दिए गए ऋण का प्रतिसंदाय किया जाएगा । तत्पश्चात् कोई अवशिष्ट ऋण और देयों का प्रतिसंदाय किया जाएगा और अंत में अतिशेष राशि, यदि कोई हो तो, यथास्थिति कारपोरेट ऋणी के शेयर धारकों या भागीदारों में वितरित की जाएगी ।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि अप्रतिभूत वित्तीय लेनदारों को सरकार से पहले संदाय किया जाएगा । इसका आशय वैकल्पिक वित्त के स्रोत और भारत में बंधपत्र बाजारों के परिणामिक विकास का संवर्धन करता है ।

खंड 54 : एक बार कारपोरेट ऋणी के कार्यकलापों का परिसमापन और उसकी आस्तियों का पूर्णतया समापन हो जाने पर, समापक, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को कारपोरेट ऋणी का विघटन करने के लिए आवेदन करेगा । यह ध्यान देने योग्य है कि इस खंड में यह भी कथन किया गया है कि आस्तियों का वितरण ऐसी अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा जो भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

खंड 55 : खंड 55 में त्वरित दिवाला समाधआन प्रक्रिया के लिए उपबंध किया गया है जो कारपोरेट ऋणी के कतिपय प्रवर्गों के लिए नब्बे दिन की अवधि (अधिकतम पैंतालीस दिन के एक और विस्तार के अध्यधीन) के भीतर पूरी की जाएगी । इस प्रक्रिया से विहित स्तर से नीचे की आस्तियों या आय वाले कारपोरेट ऋणियों या विहित वर्ग के लेनदारों या विहित धनराशि के कारपोरेट ऋणियों के लिए त्वरित दिवाला समाधान प्रक्रिया का उपबंध होगा ।

खंड 56 : खंड 56 में ऐसी अवधि का उपबंध है जिसके भीतर त्वरित कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करना होगा ।

खंड 57 : खंड 57 में कारपोरेट ऋणी या लेनदार द्वारा त्वरित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने की प्रक्रिया अधिकथित की गई है । कारपोरेट ऋणी या लेनदार, त्वरित प्रक्रिया के लिए कारपोरेट ऋणी की पात्रता को सिद्ध करने वाली सूचना के साथ सूचना उपयोगिता में यथा अभिलिखित व्यतिक्रम की विद्यमानता के सबूत के साथ आवेदन फाइल कर सकेगा ।

खंड 58 : खंड 58 में यह उपबंधित है कि त्वरित कारपोरेट दिवाला समाधान

प्रक्रिया का संचालन उसी रीति से किया जाएगा जो अध्याय 2 के अधीन कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की है । अध्याय 2 के अधीन अपराधों और शास्तियों से संबंधित उपबंध त्वरित कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को उसी रीति से लागू होंगे ।

खंड 59 : खंड 59 में ऐसे कारपोरेट ऋणी द्वारा स्वेच्छया समापन प्रक्रियाओं को प्रारंभ करने के संबंध में उपबंधित है जो किसी व्यक्ति के प्रति किसी ऋण का व्यतिक्रमी नहीं है ।

कोई कारपोरेट ऋणी, जो एक कंपनी है, अनेक परिस्थितियों में स्वेच्छया परिसमापन का चुनाव कर सकेगी जिसके अंतर्गत उसके संवैधानिक दस्तावेजों में निश्चित कार्यकाल की अवधि समाप्त होने के परिणामस्वरूप या कोई ऐसी घटना घटित होने पर जिसके संबंध में उसके संवैधानिक दस्तावेज में यह उपबंधित है उसे समाप्त कर दिया जाए, भी है ।

स्वेच्छया परिसमापन कार्यवाहियों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया दिवाला समापन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के ही समान है । स्वेच्छया समापन कार्यवाहियां प्रारंभ करने के लिए जहां कारपोरेट ऋणी कोई कंपनी है, वहां निदेशकों को दिवाला संबंधी एक घोषणा और एक यह घोषणा उपलब्ध करानी होगी कि कंपनी का समापन किसी व्यक्ति को कपट वंचित करने के लिए नहीं किया जा रहा है । घोषणाओं के साथ (क) कंपनी के संपरीक्षित वित्तीय विवरण और (ख) पूर्ववर्ती दो वर्ष के या कंपनी के निगमन की अवधि से लेकर अब तक के उसके कारबार प्रचालन के अभिलेख संलग्न किए जाएंगे । इसके अतिरिक्त रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा तैयार की गई कंपनी की आस्तियों की मूल्यांकन रिपोर्ट दी जाएगी । घोषणाओं के चार सप्ताह के भीतर कंपनी के स्वेच्छया परिसमापन के पक्ष में और समापक के रूप में एक समाधानकर्ता वृत्तिक की नियुक्ति के संबंध में किसी सदस्य द्वारा संकल्प पारित किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त जहां कारपोरेट ऋणी कोई कंपनी है वहां कंपनी को दिए गए ऋण के मूल्य के दो तिहाई मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाले लेनदारों को विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संकल्प का समर्थन करना होगा । कंपनी, कंपनी रजिस्ट्रार और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड को पारित किए गए संकल्प और लेनदारों द्वारा किया गया पश्चातवर्ती अनुमोदन को अधिसूचित करेगी ।

एक बार कारपोरेट ऋणी के कार्यकलापों का परिसमापन और उसकी आस्तियों का पूर्णतया समापन हो जाने पर समापक न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को कारपोरेट ऋणी की समाप्ति के लिए आवेदन करेगा । न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश द्वारा कारपोरेट ऋणी समाप्त हो जाएगा ।

स्वेच्छया समापन से संबंधित अन्य प्रक्रियात्मक ब्यौरे भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा विहित किए जाएंगे ।

खंड 60 : खंड 60 में यह उपबंधित है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, कारपोरेट ऋणी में दिवाला समाधान और समापन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी होगा और इसमें अधिकरण की राजक्षेत्रीय अधिकारिता स्थापित करने संबंधी मापदंड भी अधिकथित किए गए हैं । इस खंड में यह भी उपबंधित है कि किसी कारपोरेट ऋणी के किसी निजी प्रत्याभूतिदाता से संबंधित (जिसकी बाबत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष कोई दिवाला समाधान या समापन प्रक्रिया लंबित है) दिवाला

समाधान या शोधन अक्षमता कार्यवाहियां भी राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष फाइल की जाएंगी ।

खंड 61 : खंड 61 में यह उपबंधित है कि राष्ट्रीय कंपनी विधइ अधिकरण के अंतिम आदेश से कोई अपील फाइल करने के लिए अपील प्राधिकारी, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण होगा ।

खंड 62 : इस खंड में यह उपबंधित है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के आदेश से विधि के प्रश्न पर कोई अपील उच्चतम न्यायालय के समक्ष की जाएगी । ऐसी अपील नब्बे दिन की अवधि के भीतर की जाएगी ।

खंड 63 : खंड 63 में ऐसे विषयों में सिविल न्यायालय की अधिकारिता को वर्जित किया गया है जिसमें संहिता के अधीन अधिकारिता वाले राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण या राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण को अधिकारिता है ।

खंड 64 : खंड 64 में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण या राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के लिए कानूनी समयसीमा के भीतर आदेश पारित न किए जाने की दशा में कारणों को अभिलिखित किया जाना अपेक्षित होगा ।

खंड 65 : इस खंड में कार्यवाहियों का कपटपूर्ण या विद्वेषपूर्ण रूप से प्रारंभ किए जाने के लिए शास्तियां विहित की गई हैं । ये शास्तियां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की जा सकेंगी ।

खंड 66 : इस खंड के उपखंड (1) में कतिपय ऐसे आदेशों के लिए उपबंध किया गया है जो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित किए जा सकते हैं । यदि यह पाया जाता है कि कोई व्यक्ति कारपोरेट ऋणी के कारबार को उसके लेनदारों या किसी अन्य व्यक्ति के लेनदारों को कपट वंचित करने के आशय से (कपटपूर्ण व्यापार) किया जा रहा है तो ऐसे व्यक्तियों को कारपोरेट ऋणी की आस्तियों के लिए अभिदाय करने का निदेश दे सकता है । इस खंड के उपखंड (2) में यदि कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के प्रारंभ होने से बचने की कोई संभावना नहीं है तो कारपोरेट ऋणी, निदेशक या भागीदार व्यक्तिगत दायित्व के लिए दायी होंगे, यदि वे लेनदारों की संभावित हानि को कम करने के लिए युक्तियुक्त उपाय करने में असफल रहते हैं । ऐसे निदेशक या भागीदार, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेशों पर कारपोरेट ऋणी की आस्तियों में अभिदाय करने के लिए दायी हो सकेंगे ।

खंड 68 : इस खंड में दिवाले के पूर्वानुमान में संपत्ति को छिपाए जाने से संबंधित अपराध और ऐसे कृत्यों के लिए दंड अधिकथित किया गया है ।

खंड 69 : इस खंड में लेनदारों को कपटवंचित करने संबंधी अपराध और ऐसे कृत्यों के लिए दंड अधिकथित किया गया है ।

खंड 70 : इस खंड में कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान कारपोरेट ऋणी के अधिकारी द्वारा अवचार के लिए दंड का उपबंध किया गया है । इसमें दिवाला वृत्तिक द्वारा जानबूझ कर अवचार करने के लिए दंड का भी उपबंध किया गया है ।

खंड 71 : इस खंड में कारपोरेट ऋणी की बहियों के मिथ्याकरण के लिए दंड के बारे में उपबंध किया गया है ।

खंड 72 : यह खंड कारपोरेट ऋणी के कार्यकलापों से संबंधित विवरणों में कारपोरेट ऋणी का किसी अधिकारी जानबूझकर और तात्विक लोप के लिए दंड विहित करता है ।

खंड 73 : यह खंड कारपोरेट ऋणी के अधिकारियों, जो कारपोरेट ऋणी के संबंध में किसी करार के लिए सहमति अभिप्राप्त करने हेतु लेनदारों को मिथ्या अभ्यावेदन देने के लिए दंड विहित करता है ।

खंड 74 : यह खंड, खंड 14 के अधीन अधिस्थगन काल या समाधान योजना का उल्लंघन करने के लिए दंड विहित करता है ।

खंड 75 : यह खंड जहां कोई व्यक्ति, धारा 7 के अधीन किए गए आवेदन में ऐसी सूचना देगा, जो तात्विक विशिष्टियों में मिथ्या है, जिसका मिथ्या होना वह जानता है मिथ्या सूचना के लिए शास्तियां विहित करता है ।

खंड 76 : यह खंड, खंड 9 के अधीन आवेदन करते समय किसी विवाद या ऋण के प्रतिसंदाय को जानबुझकर छिपाने के लिए दंड विहित करता है ।

खंड 77 : यह खंड, खंड 10 के अधीन आवेदन के भाग के रूप मिथ्या सूचना देने या जानबुझकर तात्विक सूचना छिपाने के लिए दंड विहित करता है ।

खंड 78 : यह खंड, संहिता का खंड 78 संहिता के भाग 3 के लागू होने, व्यतिक्रम और उसके अधीन मामले के न्यायनिर्णय हेतु उत्तरदायी प्राधिकारी के संबंध में है । संहिता का भाग 3, जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय, सम्पूर्ण भारत को लागू होगा और संहिता के इस भाग के लिए न्यायनिर्णय प्राधिकारी, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 के अधीन गठित ऋण वसूली अधिकरण होगा । इस भाग के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे, जहां की रकम एक हजार रुपए से कम या एक लाख रुपए से अनधिक ऐसी रकम है, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट उपवर्णित करता है ।

खंड 79 : यह खंड संहिता भाग 3 के प्रयोजनों के लिए कतिपय पदों की परिभाषाएं उपवर्णित करता है

खंड 80 : यह खंड ऋणी के लिए पात्रता मानदंड, जिनकी जरूरत नई प्रक्रिया के प्रारंभ करने के लिए आवेदन के प्रयोजनों का समाधान करने के लिए है, अधिकथित करता है । नई शुरूआत के लिए किसी आवेदन का प्रस्तावित परिणाम अर्हक ऋणों (यथापरिभाषित) से उन्मोचन है अर्थात् ऋणी से अर्हक ऋणों, जिनके लिए खंड 92 के अधीन उन्मोचन आदेश दिए किए गए है, रकम का संदाय करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और उसके वित्तीय मामलों के संबंध में इस प्रकार नई आरंभ की जाएगी । यह प्रक्रिया ऐसे व्यक्तियों के लिए कम्प्यूटरीकृत की गई है, जिनके उपर धन की कम देन दारी है और जिनके पास देनदारी की वापसी के लिए कम या कोई आय या संपत्ति नहीं है । विहित प्रारंभिक सीमाएं, देश में विकसित आर्थिक परिदृश्य के अनुसार, समय समय पर संशोधित की जा सकेगी । ऐसी धारणा है कि ऋणी अपने ऋणों का संदाय करने में असमर्थ है यदि, खंड 83 (5) की शर्तों का समाधान हो जाता है ।

खंड 81 : यह खंड प्रस्तावित करता है कि नई आरंभ के लिए किसी आवेदन को फाइल करने के लिए प्रथमत: ऋणी जब किसी ऋणी के ऋणों के संबंध में लंबित विधिक कार्रवाई या कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए धारणा प्रभाव होगा और दूसरा

ऋणी के ऋणदाता पर, ऋणी के ऋणों के संबंध में विधिक कार्रवाई या विधिक कार्यवाही के प्रारंभ पर कोई रोक अधिरोपित करेगा । इस अंतरिम रोक का प्रयोजन ऋणी के लिए नई आरंभ प्रक्रिया की पहल करने हेतु अनुकूल वातावरण प्रदान करना और इसके दुरूपयोग की संभावना समुचित दंड और शास्तियों का उपबंध करके की जाती है । उपरोक्त रोक के उपबंधों का प्रभाव ऐसे आवेदन को फाइल करने से न्यायनिर्णन प्राधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन को स्वीकार करने तक रहेगा । खंड 81 ने आरंभ के लिए आवेदन प्रदान की जाने वाली अपेक्षित जानकारी उपवर्णित करता है ।

खंड 82 : यह खंड चर्चा करता है कि नई आरंभ के लिए आवेदन ऋणी द्वारा समाधान वृत्तिक के माध्यम से कोई आवेदन फाइल किया जाता है, पहले मामले में विनियामक बोर्ड प्रक्रिया हेतु समाधान वृत्तिक को न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के निदेश पर नामनिर्देशित करता है और पश्चातवर्ती मामलें न्यायनिर्णयन प्राधिकारी विनियामक बोर्ड समाधान वृत्तिक, जिसने आवेदन फाइल किया है, को पृष्ठ भूमि, निरीक्षण का निदेश देता है । एक समाधान वृत्तिक को नियुक्त करने की आवश्यकता है तो क्योंकि नई आरंभ प्रक्रिया के लिए अपरिहार्य है क्योंकि वह पूर्ण प्रक्रिया को संचालित करता है और उसे मूल भूमिका निभानी होती है । दोनों मामलों में समाधान वृत्तिक की अंतिम नियुक्ति न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के आदेश के माध्यम से की जाती है और ऐसी नियुक्ति पर समाधान वृत्तिक से पालन प्रतिभूति की कतिपय रकम जमा की जानी अपेक्षित है ।

खंड 83 : यह खंड ऐसी रीति का प्रस्ताव करता है जिसमें समाधान वृत्तिक को नई आरंभ के लिए आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने की सिफारिश की रिपोर्ट करनी चाहिए । समाधान वृत्तिक अवश्य आवेदन को अस्वीकार करने की सिफारिश करेगा यदि उपखंड 6 में वर्णित कोई शर्त विद्यमान हो । तथापि, उपखंड 6 में वर्णित शर्तों से अन्यथा यदि कोई शर्त विद्यमान है तो समाधान वृत्तिक ऐसे आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने की सिफारिश में अपने विवेक का प्रयोग करेगा ।

खंड 84 : यह खंड प्रस्तावित करता है कि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी नई आरंभ के लिए आवेदन स्वीकार या अस्वीकार करने का आदेश करेगा । आदेश में खंड 92 के अधीन उन्मोचन के लिए पात्र ऋण भी वर्णित होने चाहिए ।

खंड 85 : यह खंड उपबंध करता है कि नई आरंभ के लिए आवेदन स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए ऐसे प्रवेश की तारीख से छह मास की अवधि के लिए या ऐसी तारीख तक जब खंड 91 के अधीन ऐसे आवेदन को स्वीकार करने वाला आदेश प्रतिसंहरित किया जाता है नई रोक का प्रभाव होगा ।

ऐसे आदेश को पारित करने पर, आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति को ध्यान दिए बिना, खंड 81 के अधीन अंतरिम रोक समाप्त हो जाती है । इस खंड के अधीन रोक संबंधी उपबंध प्रथमत: ऋणी जब किसी ऋणी के ऋणों के संबंध में लंबित विधिक कार्रवाई या कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए धारणा प्रभाव होगा और दूसरा ऋणी के ऋणदाता पर, ऋणी के ऋणों के संबंध में विधिक कार्रवाई या विधिक कार्यवाही के प्रारंभ पर कोई रोक अधिरोपित करेगा । रोक के दुरूपयोग की संभावना कम है यदि प्रक्रिया सफल है, यद्धपि वह ऋण राहत का उपबंध करती है, यह तथ्य की ऋणी नई प्रांरभ प्रक्रिया से गुजरा है उसके सार्वजिनक रूप से उपलब्ध वित्तीय अभिलेखों में समय की अधिक अवधि के लिए अंकित होगा । जो उसके भावी लेनदारों के लिए भावी होगा इसके अतिरिक्त नई आंरभ प्रक्रिया के दृष्टिगत जो ऋणी को ऋण राहत प्रदान करने

के लिए की जाती है उप खंड 3 रोक अवधि के दौरान ऋणी द्वारा आज्ञापक रोक से संकलित किए जाने हेतु कतिपय आवश्यकता को उपवर्णित करता है ।

खंड 86 : यह खंड लेनदारों को इस संबंध में सुसंगत परीक्षण करने के लिए समाधान वृत्तिक को कोई आवेदन फाइल करके ऐसे ऋण के ब्यौरें में कोई तात्विक असंगति उन्मोचन करने या आक्षेप करने के लिए अर्हक ऋण के रूप में उनके ऋण को सम्मिलित करने के लिए आक्षेप करने का अधिकार प्रदान करता है । इसका प्रयोजन लेनदारों को उनके ऋणों के संबंध में जो बट्टे खाते डाले जा सकते है यद्धपि सीमित आधारों पर कम से कम एक सुनवाई का अवसर प्रदान करना है । समाधान वृत्तिक, सुसंगत जानकारी पर आधारित, जो उसकी जानकारी में हो अपनी पहल पर ऐसी परीक्षा भी कर सकता है ।

सुनवाई के आधार पर समाधान वृत्तिक, अन्य बातों के साथ, खंड 92 के अधीन उन्मोचन के प्रयोजनों के लिए अर्हक ऋणों की संशोधित सूची तैयार करता है ।

खंड 87 : यह खंड ऐसे आधार उपवर्णित करता है जिनपर कोई व्यथित लेनदार या ऋणी न्यायनिर्णयन प्राधिकारी केा अर्हक ऋणों के संबंध में खंड 86 के अधीन समाधान वृत्तिक की गई कार्रवाई को चुनौती देते हुए आवेदन कर सकेगा । चुनौती के आधार केवल समाधान वृत्तिक के कृत्यों से संबंधित हैं और संबंध रखते है और इस प्रकार की चुनौतियों को पहले से ही अधिकथित किया जाएगा ।

खंड 88 : यह खंड ऋणी के कर्तव्यों, जिनका उसे आवश्यक रूप से, राहत जिसके लिए उसने आवेदन किया है के दृष्टिगत, पालन करने की आवश्यकता है को उपवर्णित करता है, जिसके अंतर्गत उसके मामलों से संबंधित सभी जानकारियां प्रदान करना बैठकों में उपस्थित होना और समाधान वृत्तिक के अनुरोध का पालन करना है । ऋणी से, अन्य बातों के साथ, समाधान वृत्तिक को नई आरंभ प्रक्रिया के संबंध में उसके द्वारा किसी जानकारी के किसी तात्विक गलती या लोप के संबंध में सूचित करने की अपेक्षा की जाती है और सबसे महत्वपूर्ण समाधान वृत्तिक को सूचित करना यदि उसकी वित्तीय परिस्थियांे में किसी भी रीति में ऐसा परिवर्तन आता है जिसे कि वह अपने ऋणों का संदाय करने में भागत: या पुर्णत: समर्थ बनता है ।

खंड 89 : यह खंड ऐसे आधारों और रीति के लिए उपबंध करता है जिसमें समाधान वृत्तिक को नई आरंभ प्रक्रिया में अन्य समाधान वृत्तिक से परिवर्तित किया जा सकता है । यदि प्रथम दृष्टया न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के अनुसार प्रतिस्थापन के लिए कोई आधार विद्यमान है, तो प्रतिस्थापन प्रक्रिया पहल के लिए संदर्भ विनियामक बोर्ड को किया जाएगा और समान्तर में न्यायनिर्णयन प्राधिकारी विनियामक बोर्ड की सिफारिश पर नई आरंभ प्रक्रिया करने हेतु अन्य समाधान वृत्तिक नियुक्त करेगा । आशय प्रक्रिया को दक्ष बनाने और विलंब करने से है जो, प्रतिस्थापन कार्रवाईयों को आरंभ करने के कारण होता है । यदि समाधान वृत्तिक जिसे प्रतिस्थापित किया गया हो गलत कार्य करते हुए पाया जाता है तो विनियामक बोर्ड समुचित कार्रवाई करेगा । तथापि, यदि यह निष्कर्ष निकाला जाता ळै कि प्रतिस्थापन के लिए आवेदन तुच्छ था या प्रतिस्थापन के लिए आधार वास्तव में विद्यमान है, तो समाधान वृत्तिक की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी और प्रतिस्थापन कार्रवाईया समाधान वृत्तिक के अभिलेखों के भाग के रूप में नोट नहीं किए जाएंगे ।

खंड 90 : यह खंड यह उपबंध करता है कि समाधान वृत्तिक संहिता के उपबंधों

के अनुपालन करने के लिए नवीन प्रारंभ प्रक्रिया में किसी मामलें के संबंध में निर्देश प्राप्त करने के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेंगे ।

खंड 91 : यह खंड ऐसे आधार उपवर्णित करता है जिनपर नवीन प्रारंभ प्रक्रिया को प्रत्याहरित किया जा सकता है । इस खंड का उद्देश्य नवीन प्रारंभ प्रक्रिया का खंडन करने का उपबंध करना है जबकि ऋणी संहिता के कतिपय उपबंधों के अतिक्रमण में कार्य करता है या जहां ऋणी की वित्तीय परिस्थितियों में ऐसा परिवर्तन हो जाता है वह नवीन प्रारंभ प्रक्रिया के लिए अपात्र हो जाता है ।

खंड 92 : यह खंड प्रस्ताव करता है कि अधिस्थगित अवधि की समाप्ति पर, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी अधिस्थगित अवधि की समाप्ति के निकट समाधान वृत्तिक द्वारा तैयार की गई अंतिम सूची में उल्लिखित अर्हक ऋणों में ऋणी का उन्मोचन करने के लिए, उन्मोचन आदे पारित करेगा, और उन्मोचन आदेश नवीन प्रारंभ करने के लिए आवेदन की तारीख से उन्मोचन आदेश की तारीख तक अर्हक ऋणों की बाबत् दंडों, दंड ब्याज और किसी संविदा के अधीन धारित अन्य राशियों के उन्मोचन के लिए उपबंध करेगा । उन्मोचन आदेश केवल ऋणी को ही उन्मोचित करता है और ऋणी की वित्तीय इतिहास में अभिलिखित किया जाता है ।

खंड 93 : खंड 93 अपेक्षा करता है कि समाधान वृत्तिक विहित आचार संहिता का पालन करेगा ।

खंड 94 : यह खंड 94 ऐसे ऋणी के लिए पात्रता मानदंड अधिकथित करता है, जिसने शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन फाइल करने हेतु कोई व्यतिक्रम किया है, जो समझोता की गई प्रतिसंदाय योजना के अनुसार ऋणों के हेतु (जो अपवर्जित ऋण नहीं है) है ऋणी किसी भी रकम के ऋणों के लिए कोई आवेदन फाइल कर सकता है, परंतु यह तब जबकि वर्णित पात्रता मानदंड पूरे किए जाते हो । जहां ऋणी कोई असीमित दायित्व साझेदारी फर्म है, वहां आवेदन तभी फाइल किया जा सकता है यदि उसे सभी या अधिकतर साझेदारों द्वारा संख्या में सहमति प्रदान की जाती है । इस खंड के अधीन आवेदन ऋणी द्वार स्वयं या समाधान वृत्तिक के माध्यम से फाइल किया जाना चाहिए ।

खंड 95 : यह खंड लेनदारों द्वारा कतिपय दस्तावेजों और सूचना सहित विहित प्ररूप में किए जाने वाले ऋण शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया आवेदन के लिए उपबंध करता है लेनदार को देय किसी साझेदारी ऋण के संबंध में लेनदार फर्म या एक या अधिक साझेदारों के विरूद्ध कोई आवेदन फाइल कर सकता है परंतु यह तब जब कि उसी फर्म के साझेदारों के विरूद्ध किए गए प्रथक आवेदन समेकित किए जाएंगे और इक्कठें सुने जाएंगे । इस खंड के अधीन आवेदन लेनदारों द्वारा या स्वयं या समाधान वृत्तिक के माध्यम से फाइल किया जा सकेगा ।

खंड 96 : यह खंड प्रस्तावित करता है कि ऋण शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया आवेदन केा फाइल करना प्रथमत: ऋणी जब किसी ऋणी के ऋणों के संबंध में लंबित विधिक कार्रवाई या कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए धारणा प्रभाव होगा और दूसरा ऋणी के ऋणदाता पर, ऋणी के ऋणों के संबंध में विधिक कार्रवाई या विधिक कार्यवाही के प्रारंभ पर कोई रोक अधिरोपित करेगा ।

अंतरिम अधिस्थगन का प्रयोजन ऋणी की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए सुकर

वातावरण प्रदान करना और संहिता के अधीन दंड का उपबंध करके दुरूपयोग की संभावना को इंगित करना है । पूर्व उल्लिखित विराम और अधिस्थगन प्रावधान ऐसा आवेदन फाइल करने की तारीख से उस तारीख जिसको ऐसे आवेदन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया था तक प्रभावी होगा । जहां ऋणी जो एक असीमित उत्तरदायित्व वाली साझेदारी कर्म है, के विरूद्ध आवेदन फाइल किया जाता है, अधिस्थगन ऐसी कर्म के सभी साझेदारों पर लागू होगा ।

खंड 97 : खंड 97 चर्चा करता है कि ऋणी द्वारा दिवाला समाघात प्रक्रिया के लिए आवेदन या तो व्यक्तिगत रूप से या समाधात वृत्तिक के माध्यम से किया जा सकेगा । पूर्व के मामले में, विनियामक बोर्ड, न्यायनिर्णायन प्राधिकारी द्वारा निदेशित किए जाने पर प्रक्रिया के लिए एक समाघात वृत्तिक नामनिर्दिष्ट करता है और पश्चातवर्ती मामले में, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी विनियामक बोर्ड को समाघात वृत्तिक पर पृष्ठभूमि जांच पड़ताल करने के लिए निदेशित करता है, एक समाघात वृत्तिक नियुक्त करता आवश्यक होता है क्योकि वह दिवाला समाघात प्रक्रिया के लिए परिहार्य होता है, वह संपूर्ण प्रक्रिया का युक्ति चालन करता है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । दोनों मामलों में समाघात वृत्तिक की अंतिम नियुक्ति न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के आदेश के माध्यम से की जाती है और ऐसी नियुक्ति पर, समाघात वृत्तिक से पालने प्रतिभूति की कतिपय रकम निक्षेप करने की अपेक्षा की जाती है ।

खंड 98 : खंड की वह आधार और रीति उपबंधित करता है जिसमें दिवाला समाघात प्रक्रिया में एक समाघात वृत्तिक को, इसके समाघात वृत्तिक के साथ बदला जा सकता है । यदि प्रथम दृष्टतया, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा प्रतिस्थापन का कोर्ट आधार विद्यमान है, विनियामक आयोग को प्रतिस्थापन प्रक्रिया आरंभ करने के लिए निर्देश दिया जाएगा और साथ-साथ, न्याय निर्णयन प्राधिकारी अन्य समाघात वृत्तिक की नियुक्ति, विनियामक आयोग की सिफारिश पर प्रक्रियाओं को जारी रखने के लिए करेगा । आशय प्रक्रियाओं को दक्ष बनाने और विलंब को कम करना है जो प्रतिस्थापन कार्यगतियों के लागू होने के कार हो सकती है । तथापि विद्यमान समाघात वृत्तिक को प्रतिस्थापन चाहते समय यदि लेनदार समिति नये समाघात वृत्तिक का प्रस्ताव करती है तो किंचित पृथक प्रतिस्थापन प्रक्रिया प्रवृर्तित होगी । विनियामक बोर्ड प्रस्तावित समाघात वृतिक की पृष्ठभूमि जांच पड़ताल करेगा और सिफारिश करेगा, जिसके आधार पर न्यायनिर्णयन प्राधिकारी नियुक्ति के लिए आदेश पारित करेगा । यदि समाघात वृतिक जिसे प्रतिस्थापित किया गया है अपक्रिया करता पाया जाता है तो विनियामक समुचित कार्रवाई करेगा । तथापि, निष्कर्ष निकाला जाता है कि प्रतिस्थापन के लिए आवेदन तुच्छ या या प्रतिस्थापन के लिए आधार विद्यमान नहीं है, समाघात वृतिक को क्षतिपूर्ति किया जाएगा और प्रतिस्थापन प्रक्रियाएं समाघात वृतिक के अभिलेखी के भाग के रुप में नोट नहीं की जाएगी ।

खंड 99 : वह रीति प्रस्तावित करता है जिसमें समाघात को दिवाला समाघात प्रक्रिया के लिए आवेदन को या तो स्वीकार करने या अस्वीकार करने की रिपोर्ट बनानी चाहिए । ऋण के संबंध में ऋणी द्वारा उसकी विधिमान्यता का विरोध नहीं किया जा सकेगा यदि ऋण सूचना उपयोगित के साथ रजिस्ट्रीकृत है, के द्वारा किसी ऋण के प्रतिसंदाय को साबित करने का अधिकार होगा ।

खंड 100 : खंड 100 न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को विहित समय सीमा के भीतर दिवाला समाघात प्रक्रिया के लिए आवेदन को या तो स्वीकार करने या अस्वीकार करने

के लिए आदेश पारित करने की अपेक्षा करता है संहिता के भाग 3 के अधीन प्रक्रिया एक घात होने के लिए प्रस्तावित की जाएगी, और इसलिए खंउ 121 में अनुध्यात किन्हीं तीन आधारों पर दिवाला समाघात की प्रक्रिया के विफल होना लेनदार को संहिता के भाग 3 के अध्याय 4 के अधीन ऋणी को शोधन अक्षमता के लिए फाईल करने के लिए हकदार बनाता है इस खंड में उल्लिखित एक आधार अयांत उपखंड 4 में उल्लिखित आधारों के कारण आवेदन के अस्वीकार करने के कारण दिवाला समाघात प्रक्रिया आरंभ करने में असफल होना है

खंड 101 : खंड 101 यह उपबंधित करता है दिवाला समाघात के लिए आवेदन स्वीकार करने वाले आदेश ऐसी स्वीकृति की तारीख से 180 दिन की अवधि के लिए या ऐसी तारीख तक जिसको न्यायनिर्णयन प्रतिसंदाय योजना को अनुमोदित करने वाला आदेश न्यायनिर्णयन प्राधिकारी पारित किया गया है जो भी पहले ही से नवीन अधिस्थगन का प्रभाव रखेगा । ऐसा आदेश पारित करने पर, आवेदन को स्वीकार करने या अस्वीकार करने को विचार में लाये बिना खंड 96 के अधीन अंतरिम अधिस्थगन समाप्त हो जाएगा । इस खंड के अधीन विराम या अधिस्थगन प्रावधान प्रथमत: ऋणी के ऋणों की बाबत किसी लंबित विधिक कार्रवाई या प्रक्रिया को रोकने का प्रभाव रखेगा और द्वितीयत: ऋणी के ऋणों की बाबत किसी विधिक कार्रवाई या प्रक्रिया के आरंभ पर ऋणी के लेनदार पर अधिरोध अधिरोपित करेगा । दंड के उपबंधों के कारण ओर ऋणी के अभिलेखों के तथ्य इस प्रक्रिया के अधीन उसके वित्तीय इतिहास जनसाधारण को उपलब्ध हाने के कारण भी अधिस्थगन के दुरूपयोग की संभाव्यता कम है । अधिस्थगन उपबंधित करने का प्रयोजन दिवाला समाघात प्रक्रिया के लेनदार या ऋणी अथवा लंबित प्रक्रिया के किसी व्यवधान से बचाना है । यह खंड ऋणी पर पूर्व उल्लिखित प्रक्रियाओं से भिन्न निर्बंधनें उपबंधित नही करता । नवीन प्रारंभ और शोधन असक्षमता में यथा उबंधित, इस प्रक्रिया में ऋणी इस ऋण के प्रतिदाय के लिए सकारात्मक बाध्यता का वचन बंध करता है ।

केन्द्रीय सरकार के ऐसे संव्यवहारों जिनको वित्तीय बाजारों के निर्णय कार्य करने के हित में अधिस्थगन से छूट प्राप्त होगी, को अधिसूचित करने की शक्ति दी गई है ।

खंड 102 : खंड 102 न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा ऋणों के लेनदारों से दावे आमंत्रित करते हुए लोक सूचना जारी करना अपेक्षित करता है ताकि प्रत्येक लेनदार को ऋणी द्वारा ऋणों के संदाय के लिए प्रतिसंदाय का भाग होने का अवसर प्राप्त हो ।

खंड 103 : खंड 103 लेनदार संबंध समाघात वृत्तिक के साथ उनके दावों की सुसंगत सूचना प्रदान करने के द्वारा रजिस्टर करे । इस स्तर पर जहां ऋण जिसके लिए लेनदार द्वारा दावा फाइल किया गया है, सूचना उपयोगिता के साथ रजिस्ट्रीकृत किया जाता है, ऐसा रजिस्ट्रीकरण ऋण की विधिमान्यता का निश्चायक सबूत होगा और लेनदार ऐसे ऋण का प्रतिवाद करने से प्रवरित रहेगा, तथापि, ऋण के सूचना उपयोगिता के साथ रजिस्ट्रीकृत नहीं किए जाने की दशा में समाघात वृत्तिक दावें की प्रारंभिक परीक्षा उसकी विधिमान्य और सत्यता अवधारित करने के लिए करेगा, और ऋणी उसकी विधिमान्यता का विरोध कर सकेगा ।

खंड 104 **:** खंड 104 यह प्रस्ताव करता है कि खंड 103 के अधीन समाधान वृत्तिक दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए आवेदन और प्राप्त रजिस्ट्रीकृत दावों से उपलब्ध जानकारी के आधार पर लेनदारों की सूची तैयार करेगा । ऐसी सूची लेनदारों की बैठक बुलाने के प्रयोजनों और पुनर्संदाय योजना से संबंधित

विषयों के लिए अपेक्षित है ।

खंड 105 **:** खंड **105** यह प्रस्ताव करता है कि ऋणी समाधान वृत्तिक के परामर्श से पुनर्संदाय योजना तैयार करेगा । पुनर्संदाय योजना में ऐसे निबंधन अंतर्विष्ट होंगे जिनके अनुसार ऋणी उसके लेनदारों को उसके ऋण का पुनर्संदाय करेगा और ऐसी रीति का उपबंध करेगा जिसमें ऋणी के कार्यकलाप किए जाएंगे । चूंकि लेनदार पुनर्संदाय योजना के तैयार करने में अंतर्वलित नहीं हैं इसलिए पुनर्संदाय योजना में ऐसे कारण अंतर्विष्ट होंगे कि लेनदारों से योजना से सहमत होने की प्रत्याशा क्यों की जाए ।

खंड 106 : खंड **106** पुनर्संदाय योजना पर पुनर्संदाय योजना के साथ-साथ न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट तैयार करने के लिए समाधान वृत्तिक के लिए उपबंध करता है । यदि रिपोर्ट के अनुसार अनुमोदित और कार्यान्वित किए जाने वाली पुनर्संदाय योजना की युक्तियुक्त संभावना है तो लेनदारों की बैठक समाधान वृत्तिक द्वारा बुलाई जाएगी । तथापि, जब किसी कारणवश लेनदारों द्वारा योजना को अनुमोदित और कार्यान्वित न किए जाने की पर्याप्त संभावना है तो समाधान वृत्तिक उसके लिए कारणों का उल्लेख करेगा ।

खंड 107 : खंड **107** यह चर्चा करता है कि लेनदारों की बैठक के लिए सूचना खंड 104 के अधीन समाधान वृत्तिक द्वारा तैयार सूची में उल्लिखित लेनदारों को समाधान वृत्तिक द्वारा जारी की जाएगी ।

खंड 108 : खंड 108 यह प्रस्ताव करता है कि लेनदारों की बैठक समाधान वृत्तिक द्वारा संचालित की जाएगी जिसमें लेनदार पुनर्संदाय योजना का अनुमोदन करने, उसका उपांतरण करने या नामंजूर करने का विनिश्चय कर सकेंगे और यह भी विनिश्चय कर सकेंगे यदि अपेक्षित हो कि क्या विद्यमान समाधान वृत्तिक के साथ बने रहने दिया जाए या नहीं । ऋणी द्वारा तैयार योजना के किसी उपांतरण पर ऋणी द्वारा सहमति होनी है ।

खंड 109 : खंड 109 उपखंड (4) में उल्लिखित लेनदारों के सिवाय लेनदारों की बैठक में प्रत्येक उपस्थित लेनदार को मताधिकार के लिए उपबंध करता है क्योंकि ऐसी संभावना होती है कि उक्त उपधारा के उपखंड (ख) में उल्लिखित लेनदार ऋणी के प्रभाव में कार्य कर सकेंगे । मत का महत्व खंड 100 के अधीन दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन के स्वीकार किए जाने की तारीख को ऋण के मूल्य पर निर्भर करेगा ।

खंड 110 : खंड **110** संहिता के इस अध्याय के अधीन तैयार की गई पुनर्संदाय योजना में प्रतिभूत लेनदारों के अधिकारों का उल्लेख करता है । कोई प्रतिभूत लेनदार पुनर्संदाय योजना के कार्यान्वयन की अवधि के दौरान प्रतिभूति को प्रवृत्त करने के अपने अधिकार पर त्याग करने का या न करने का आशय रख सकेगा । ऐसा प्रतिभूत लेनदार से जो पुनर्संदाय योजना के अनुमोदन के लिए मत देने का आशय रखता है, अपनी प्रतिभूति प्रवृत्त कराने के अपने अधिकार को त्यागने की अपेक्षा की जाएगी, क्योंकि उसे पुनर्संदाय योजना के अधीन अनन्य रूप से लेनदार के रूप में भाग लेने वाला समझा जाएगा । तथापि, उस दशा में जब प्रतिभूत लेनदार अपनी प्रतिभूति प्रवृत्त कराने के अपने अधिकार को त्यागने का

आशय नहीं रखता है तो वह अपने अप्रतिभूत ऋण की बाबत पुनर्संदाय योजना पर मतदान कर सकेगा और उसकी सहमति अपेक्षित होगी यदि पुनर्संदाय योजना का कोई निबंधन प्रतिभूति को प्रवृत्त कराने के उसके अधिकार को प्रभावित करता है ।

खंड 111 : खंड 111 यह प्रस्ताव करता है कि लेनदारों के मूल्य में पचहत्तर प्रतिशत बहुमत जिनका मत पुनर्संदाय योजना या उसके किसी उपांतरण के अनुमोदन के लिए अपेक्षित है ।

खंड 112 : खंड 112 समाधान वृत्तिक से खंड 114 के प्रयोजनों के लिए उपखंड (2) के अधीन प्रकल्पित सूचना को अंतर्विष्ट करने वाली लेनदारों की बैठक की कार्यवाहियों पर एक रिपोर्ट तैयार करने की अपेक्षा करता है ।

खंड 113 : खंड 113 समाधान वृत्तिक को यह आदेश देता है कि वह सभी पणधारियों अर्थात् ऋणी लेनदारों और न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को खंड 112 के अनुसार तैयार की गई रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध कराए ।

खंड 114 : खंड 114 यह प्रस्ताव करता है कि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी खंड 112 के अधीन समाधान वृत्तिक द्वारा तैयार की गई लेनदारों की बैठक की रिपोर्ट के आधार पर किसी उपांतरण के बिना पुनर्संदाय योजना का अनुमोदन करने वाला आदेश पारित करेगा । तथापि यदि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के अनुसार कोई उपांतरण अवश्य ही अपेक्षित है तो लेनदारों की समिति की बैठक पुनः बुलानी पड़ेगी । उसा दशा में जब लेनदारों की बैठक नहीं बुलाई गई है, वहां न्यायनिर्णयन प्राधिकारी समाधान वृत्तिक द्वारा खंड 106 के अधीन तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित करेगा ।

खंड 115 : खंड 115 यह प्रस्ताव करता है कि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित पुनर्संदाय योजना, पुनर्संदाय योजना में उल्लिखित सभी लेनदारों पर आबद्धकर होगी जबकि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत योजना का परिणाम दिवाला समाधान प्रक्रिया का असफल होना है और संहिता के भाग 3 के अध्याय 4 के अधीन ऋणी की शोधन अक्षमता के लिए फाइल करने हेतु ऋणी या लेनदार (लेनदारों) को हकदार बनाता है ।

खंड 116 : खंड 116 अनुमोदित पुनर्संदाय योजना के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने की समाधान वृत्तिक से अपेक्षा करता है और इस प्रयोजन के लिए समुचित निदेशों के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को भी आवेदन कर सकेगा ।

खंड 117 : खंड 117 ऐसे व्यक्तियों को पुनर्संदाय योजना के समापन की सूचना जारी करने के लिए उपबंध करता है जो लेनदारों द्वारा अनुमोदित योजना के मुकाबले में योजना के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट के साथ-साथ खंड 115 के अनुसार उससे आबद्धकर हैं । पुनर्संदाय योजना के समापन के लिए समयावधि योजना के निबंधनानुसार ही होगी ।

खंड 118 : खंड 118 यह प्रस्ताव करता है कि जब पुनर्संदाय योजना की विधिमान्यता के लिए समयावधि (जैसी योजना में ही उल्लिखित है) समाप्त हो जाती है और योजना के निबंधन पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं किए जाते हैं तब उसका परिणाम योजना के समयपूर्व समाप्ति होता है । समाधान वृत्तिक से ऐसी योजना पर एक रिपोर्ट उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाती है और न्यायनिर्णयन प्राधिकारी यह कथन करते हुए एक आदेश पारित करेगा कि योजना पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं की गई है और ऋणी या लेनदार जिनके दावों को नहीं चुकाया गया है, संहिता के भाग 3 के

अध्याय 4 के अधीन ऋणी के शोधन अक्षमता के लिए फाइल करने के हकदार हैं । पुनर्संदाय योजना के कार्यन्वयन के समापन के लिए समयावधि को नहीं बढ़ाया जा सकता और इस प्रकार प्रतिभागियों से अपेक्षा की जाती है कि वे शोधन अक्षमता प्रक्रिया में जाने से बचने के लिए पूरी की जाने वाले अपने कार्यान्वयन के लिए अति दक्ष रीति में कार्य करें । ऋणी से शोधन अक्षमता प्रक्रिया में धकेले जाने के भय से कार्यान्वयन के विलंब होने की संभावना नहीं है फिर भी योजना के कार्यान्वयन के पूरा करने में अयुक्तियुक्त रूप से विलंब के लिए लेनदार या समाधान वृत्तिक द्वारा अपनाए गए कोई विलंबकारी अटकलों का समाधान आपराधिक विधि के अधीन शास्तियों और संहिता के अध्याय 7 के अधीन अन्य सुसंगत खंडों के माध्यम से समाधान किया जा सकेगा ।

खंड 119 : खंड 119 पुनर्संदाय योजना में उल्लिखित ऋणों के संबंध में ऋणी के लिए योजना के निबंधनों के अनुसार ही उन्मोचन आदेश के लिए आवेदन करने वाले समाधान वृत्तिक का उपबंध करता है । योजना, पुनर्संदाय योजना के कार्यान्वयन को पूरा हो जाने पर उन्मोचन के लिए या किसी शीघ्र उन्मोचन अर्थात् पुनर्संदाय योजना के कार्यान्वयन के पूरा हो जाने से पूर्व उन्मोचन के लिए उपबंध कर सकेगी । शीघ्र उन्मोचन का परिणाम पुनर्संदाय योजना अर्थात् उसके ऋणों का पुनर्संदाय के निबंधनों के साथ ऋणी द्वारा सफल अनुपालन की न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा विधिक मान्यता है और यह भी कि उस पर दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजरने के लिए और अधिक विचार नहीं किया जाता है ।

खंड 120 : खंड 120 यह प्रस्ताव करता है कि समाधान वृत्तिक को विहित आचार संहिता का पालन करना चाहिए ।

खंड 121 : खंड 121 ऐसे तीन आधार अधिकथित करता है जिन पर शोधन अक्षमता के लिए आवेदन ऋणी या लेनदार द्वारा फाइल किया जा सकेगा जिनमें से सभी दिवाला समाधान प्रक्रिया की असफलता से संबंधित है । दिवाला समाधान प्रक्रिया के असफल होने पर शोधन अक्षमता प्रक्रिया का प्रारंभ स्वतः नहीं है और आवेदन को विहित समय के भीतर फाइल किए जाने की आवश्यकता है । यह कारण होते हुए कि शोधन अक्षमता का लेबल सामाजिक कलंक सृजित करता है और व्यष्टि के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया में उसकी प्रतिष्ठा और वित्तीय तथा वैयक्तिक प्रास्थिति के संबंध में गंभीर विवक्षाएं होती हैं, और उसकी वित्तीय इतिहास में स्थाई रूप से लेखबद्ध भी की जाती है और लेनदारों सहित लोगों में भी उपलब्ध हो सकेगी । किसी ऐसे ऋणी के संबंध में जो एक अपरिसीमित दायित्व भागीदारी फर्म है, इस खंड के अधीन आवेदन फर्म के भागीदारों में से किसी भागीदार द्वारा फाइल किया जाएगा ।

खंड 122 : खंड 122 ऋणी के लिए यह उपबंध करता है कि वह अपनी ही शोधन अक्षमता के लिए आवेदन करे और आवेदन के साथ उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना अधिकथित करे । ऋणी शोधन अक्षमता प्रक्रिया के लिए शोधन अक्षमता न्यासी के रूप में कार्य करने के लिए दिवालिया वृत्तिक का प्रस्ताव कर सकेगा ।

खंड 123 : खंड 123 लेनदार के लिए यह उपबंध करता है कि वह ऋणी की शोधन अक्षमता के लिए आवेदन करे और आवेदन के साथ उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना अधिकथित करे । अपेक्षित सूचना फाइल करने में प्रतिभूत लेनदार यह कथन करेंगे कि यदि शोधन अक्षमता आदेश किया जाता है तो वे प्रतिभूति प्रवृत्त कराने के अपने अधिकार का त्याग कर देंगे क्योंकि ऐसी घोषणा के बिना शोधम अक्षमता प्रक्रिया सफल नहीं हो सकेगी, तथापि, यदि प्रतिभूत लेनदार प्रतिभूति प्रवृत्त कराने के लिए

अपने अधिकार को त्यागने का आशय नहीं रखता है तो शोधन अक्षमता प्रक्रिया पर केवल उसके अप्रतिभूत ऋण के संबंध में कार्रवाई की जाएगी । लेनदार शोधन अक्षमता प्रक्रिया के लिए शोधन अक्षमता न्यासी के रूप में कार्य करने हेतु किसी दिवाला वृत्तिक का प्रस्ताव कर सकेगा ।

खंड 124 : खंड 124 यह प्रस्ताव करता है कि शोधन अक्षमता के लिए आवेदन फाइल करने में ऋणी के ऋणों की बाबत किसी संपत्ति के विरुद्ध किसी लंबित विधिक कार्रवाई या कार्यवाही को रोकने का धारणा प्रभाव होगा और दूसरे, ऋणी के ऋणों की बाबत किसी संपत्ति के विरुद्ध किसी विधिक कार्यवाही या कार्रवाई के प्रारंभ पर ऋणी के लेनदारों पर रोक अधिरोपित करेगा । अंतरिम अधिस्थगन का प्रयोजन शोधन अक्षमता प्रक्रिया प्रारंभ के लिए सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराना है और दुरुपयोग की संभावना का समाधान दंडों के लिए उपबंध करके किया जाता है । उपर उल्लिखित ठहराव या अधिस्थगन उपबंध उस तारीख तक जिसको न्याय निर्णयन प्राधिकारी द्वारा शोधन अक्षमता आदेश पारित किया जाता है, ऐसे आवेदन के फाइल किए जाने की तारीख से प्रभावी होंगे । अपरिसीमित दायित्व भागीदारी फर्म के संबंध में अधिस्थगन फर्म के सभी भागीदारों के विरुद्ध प्रवृत्त होगा ।

केंद्रीय सरकार को यह शक्ति दी गई है कि वह ऐसे संव्यवहारों (समुचित वित्तीय सेक्टर विनियामकों के परामर्श से) को अधिसूचित करे जो वित्तीय बाजारों के सरल कार्यकरण के हित में अधिस्थगन से छूट प्राप्त होंगे ।

खंड 125 : खंड 125 यह चर्चा करता है कि शोधन अक्षमता प्रक्रिया के लिए आवेदक शोधन अक्षमता न्यासी के रूप में नियुक्त किए जाने वाले किसी दिवाला वृत्तिक का प्रस्ताव कर सकेगा या प्रस्ताव न कर सकेगा । प्रस्तावित शोधन अक्षमता न्यासी ने शोधन अक्षमता के लिए आवेदन करने में आवेदक की सहायता भी की हो । पूर्व मामले में अर्थात् जब आवेदन में शोधन अक्षमता न्यासी के लिए प्रस्ताव अंतर्विष्ट नहीं है, विनियामक बोर्ड न्याय निर्णयन प्राधिकारी द्वारा निदेश किए जाने पर प्रक्रिया के लिए अक्षमता न्यासी को नामनिर्दिष्ट करे और बाद वाले मामले में न्यायनिर्णयन प्राधिकारी विनियामक बोर्ड को प्रस्तावित दिवाला वृत्तिक पर पृष्ठभूमि जांच करने के लिए निदेश दे सकेगा । दोनों मामलों में शोधन अक्षमता न्यासी की अंतिम नियुक्ति न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के आदेश के माध्यम से की जाती है और ऐसी नियुक्ति पर शोधन अक्षमता न्यासी से निष्पादन प्रतिभूति की कतिपय रकम जमा करने की अपेक्षा की जाती है । दिवाला वृत्तिक को शोधन अक्षमता न्यासी के रूप में नियुक्त किया जाना आवश्यक है क्योंकि वह शोधन अक्षमता प्रक्रिया में अपरिहार्य है, क्योंकि वह लेनदारों के मध्य अपने प्रशासन और वितरण के लिए ऋणी के कार्यकलापों और संपदा का प्रबंध करता है ।

खंड 126 : खंड 126 यह प्रस्ताव करता है कि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी एक आदेश जिसे 'शोधन अक्षमता आदेश' कहा गया है, पारित करके शोधन अक्षमता के लिए आवेदन को स्वीकार करेगा जो शोधन अक्षमता प्रक्रिया के प्रारंभ को चिह्नित करता है । जब शोधन अक्षमता आदेश कर दिया जाता है तब ऋणी को शोधन अक्षम कहा जाता है । न्यायनिर्णयन प्राधिकारी से शोधन अक्षमता आदेश के पारित किए जाने के लिए आवेदन को स्वीकार करने की विस्तृत परीक्षा करने की अपेक्षा की जाती है क्योंकि शोधन अक्षमता के लिए आदेश खंड 121 में उल्लिखित खंडों के अधीन दिवाला समाधान प्रक्रिया की असफलता अभिलिखित करने वाले न्यायनिर्णयन प्राधिकारी

द्वारा पारित आदेश के आधारों पर ही फाइल किया जा सकता है और प्रत्येक आदेश ऋणी या लेनदार को शोधन अक्षमता के लिए फाइल करने के लिए हकदार बनाता है । शोधन अक्षमता आदेश के पारित किए जाने पर खंड 124 के अधीन अंतरिम अधिस्थगन समाप्त हो जाता है ।

खंड 127 : खंड 127 खंड 126 के अधीन पारित शोधन अक्षमता आदेश की विधिमान्यता की अवधि अधिकथित करता है और खंड 138 के अधीन उन्मोचन आदेश की तारीख के रूप में ऐसी अवधि की समाप्ति को तय करता है ।

खंड 128 : खंड 128 यह प्रस्ताव करता है कि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा शोधन अक्षमता आदेश के पारित किए जाने पर खंड 155 में यथा परिभाषित शोधन अक्षम की संपदा स्वतः शोधन अक्षमता न्यासी में निहित हो जाएगी । खंड यह भी स्पष्ट करता है कि शोधन अक्षमता आदेश अपने प्रतिभूति हित (खंड 123 के अधीन रहते हुए) प्रवृत्त कराने के लिए प्रतिभूत लेनदारों के अधिकार को प्रभावित नहीं करता है । अपरिसीमित दायित्व भागीदारी फर्म के संबंध में फर्म के विरुद्ध शोधन अक्षमता आदेश उन व्यष्टियों में से प्रत्येक व्यष्टि के विरुद्ध एक ऐसे आदेश के रूप में प्रवृत्त होता है जो शोधन अक्षमता आदेश के पारित किए जाने के समय फर्म के भागीदार थे ।

खंड 129 : खंड 129 शोधन अक्षम से यह अपेक्षा करता है कि वह शोधन अक्षमता न्यासी को वित्तीय मामले की अपनी विवरणी प्रस्तुत करे जिससे कि न्यासी को शोधन अक्षम की संपदा के वितरण के लिए शोधन अक्षम के लेनदारों की सूची तैयार करने के लिए समर्थ बनाया जा सके ।

खंड 130 : खंड 130 यह प्रस्ताव करता है कि लोक सूचना के अतिरिक्त, शोधन अक्षमता के लिए आवेदन और शोधन अक्षमता न्यासी के साथ शोधन अक्षम के विरुद्ध लेनदारों के दावे फाइल करने के लिए लेनदारों को अधिकार प्रदान करने के प्रयोजन के लिए मामलों की विवरणी से उद्भूत शोधन अक्षम के लेनदारों को न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा सूचना जारी की जाएगी ।

खंड 131 : खंड 131 लेनदारों से प्राप्त दावों को रजिस्टर करने की शोधन अक्षमता न्यासी से अपेक्षा करता है ।

खंड 132 : खंड 132 यह प्रस्ताव करता है कि शोधन अक्षमता न्यासी लेनदारों की बैठक बुलाने और लेनदारों की ऐसी समिति स्थापित करने के प्रयोजनों के लिए न्यासी को उपलब्ध सभी जानकारी के आधार पर लेनदारों की सूची तैयार करेगा जो शोधन अक्षमता प्रक्रिया के संबंध में कतिपय विनिश्चय का अनुमोदन करेगी या कतिपय विनिश्चय करेगी । इस प्रक्रम पर न्यासी से अपेक्षा की जाती है कि वह लेनदारों की उक्त सूची के तैयार किए जाने के पश्चात् चौदह दिन के भीतर संहिता के खंड 171 के अधीन होने वाली विस्तृत जांच के अनुसार ऋणों की विधिमान्यता के संबंध में केवल प्रारंभिक जांच करे । इस प्रक्रम पर विस्तृत जांच साध्य नहीं है क्योंकि विस्तृत जांच समय लगने वाली होगी और इसका परिणाम मुकदमे की प्रक्रिया में स्वयं ही उलझना हो सकता है और इस प्रकार पश्चातवर्ती प्रक्रम पर ऋण की विधिमान्यता से संबंधित मुद्दों पर की जाने वाली कार्रवाई स्थगित की जाती है तथा आवश्यक उपांतरण, जैसी अपेक्षा की जाए, लेनदार समिति की संरचना में किया जा सकेगा ।

खंड 133 : खंड 133 शोधन अक्षमता न्यासी से अपेक्षा करता है कि वह खंड 132 के अधीन तैयार की गई सूची में उल्लिखित प्रत्येक लेनदार को, लेनदारों की बैठक

बुलाने के लिए सूचना जारी करे ।

खंड 134 : खंड 134 यह प्रस्ताव करता है कि शोधन अक्षमता न्यासी लेनदारों की बैठक का संचालक होगा जो, अन्य बातों के साथ-साथ, लेनदारों की समिति गठित करेगा ।

खंड 135 : खंड 135 उपखंड (3) और उपखंड (4) में उल्लिखित लेनदारों की समिति की बैठक में उपस्थित प्रत्येक लेनदार के लिए मताधिकार का उपबंध करता है । ऐसी संभावना है कि उपधारा (4) के खंड (क) में उल्लिखित लेनदार ऋणी के प्रभाव के अधीन कार्य कर सकेंगे और इस प्रकार मतदान से अपवर्जित किए जाते हैं । लेनदार के मत का महत्व खंड 126 के अधीन शोधन अक्षमता आदेश के पारित किए जाने की तारीख को ऋण के मूल्य पर निर्भर करेगा ।

खंड 136 : खंड 136 यह उपबंध करता है कि शोधन अक्षम की संपदा का प्रशासन और वितरण संहिता के भाग 3 के अध्याय 5 के अनुसार किया जाएगा ।

खंड 137 : खंड 137 शोधन अक्षमता न्यासी से अपेक्षा करता है कि वह शोधन अक्षम की संपत्ति के प्रशासन और वितरण पर, और उसके पूरा किए जाने पर, लेनदार समिति को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाने हेतु एक रिपोर्ट तैयार करे । रिपोर्ट के अनुमोदन कर दिए जाने पर शोधन अक्षमता न्यासी शोधन अक्षम के लिए उन्मोचन आदेश हेतु आवेदन कर सकता है ।

खंड 138 : खंड 138 यह उपबंध करता है कि शोधन अक्षमता न्यासी न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को शोधन अक्षमता आदेश के पारित किए जाने से एक वर्ष की समाप्ति पर या खंड 137 के अधीन शोधन अक्षम की संपदा के प्रशासन और वितरण के समापन की रिपोर्ट के अनुमोदन के दो दिन के भीतर, जो भी पहले हो, उन्मोचन आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा । उन्मोचन आदेश का प्रभाव यह है कि ऋणी 'शोधन अक्षम' के टैग से और खंड 140 के अधीन शोधन अक्षम पर निर्बन्धन पर निर्बन्धन और अर्हताओं से मुक्त किया जाता है और संहिता का खंड 141 और आगे लागू नहीं है, इस प्रकार सामान्य जीवन जीने के लिए शोधन अक्षम को सुविधा प्रदान की जाती है ।

खंड 139 : खंड 139 उन्मोचन आदेश अर्थात् शोधन अक्षमता ऋणों से शोधन अक्षम की निर्मुक्ति के प्रभाव का उल्लेख करता है भले ही शोधन अक्षम की संपदा का प्रशासन और वितरण पूरा न किया गया हो । तथापि, इन सभी व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए शोधन अक्षमता न्यासी अपने कृत्य करता रहता है क्योंकि उसे खंड 148 (3) के अधीन उसके पद से तब तक निर्मुक्त नहीं किया जाता है जब तक कि शोधन अक्षम की संपत्ति का प्रशासन और वितरण वास्तविक रूप से पूरा नहीं हो जाता है । शोधन अक्षमता ऋणों से शोधन अक्षम की निर्मुक्ति के कतिपय अपवादों का इसमें भी उपबंध किया गया है ।

खंड 140 : खंड 140 ऐसे पदों या हैसियतों का उल्लेख करता है जिनको शोधन अक्षम, शोधन अक्षमता प्रारंभ की तारीख से धारण करने से निर्रहित हो गया है जो भूमि की अन्य विधि के अधीन निर्रहताओं के अतिरिक्त हैं, निर्रहताएं तब तक लागू रहती हैं जब तक कि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा छूट प्राप्त नहीं हो जाएं और शोधन अक्षमता के बातिलीकरण और उन्मोचन आदेश के पारित किए जाने का प्रभाव न रह जाए ।

खंड 141 : खंड 141 शोधन अक्षमता आदेश के बातिलीकरण या उन्मोचन आदेश के पारित किए जाने तक शोधन अक्षमता प्रारंभ की तारीख से शोधन अक्षम पर लागू निर्बन्धनों का उल्लेख करता है ।

खंड 142 : खंड 142 ऐसी परिस्थितियों के लिए उपबंध करता है जिनमें शोधन अक्षमता आदेश उन्मोचन आदेश पारित किए जाने के होते हुए भी बातिल किया जा सकेगा ।

खंड 143 : खंड 143 यह उपबंध करता है कि शोधन अक्षमता न्यास विहित आचार संहिता का पालन करता है ।

खंड 144 : खंड 144 यह प्रस्ताव करता है कि शोधन अक्षमता न्यासी की फीस शोधन अक्षम की संपत्ति के वितरण से उसके मूल्य के अनुपात में संदत्त की जाए । फीस भारतीय दिवालिया और शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अधीन होगी ।

खंड 145 : खंड 145 उन आधारों और ऐसी रीति के लिए उपबंध करता है जिसमें शोधन अक्षमता न्यासी को किसी अन्य शोधन अक्षमता न्यासी से प्रतिस्थापित किया जा सकता है । लेनदारों की समिति द्वारा आवेदन फाइल किया जा सकेगा या प्रतिस्थापन प्रक्रिया स्वप्रेरणा से न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा आरंभ की जा सकेगी । ऋणी को प्रतिस्थापन के लिए आवेदन फाइल करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है । आवेदन की न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा जांच की जाती है और न्यायनिर्णयन प्राधिकारी नए शोधन अक्षमता न्यासी की नियुक्ति के लिए विनियामक बोर्ड से सिफारिश प्राप्त करता है और ऐसा आदेश पारित करके ऐसे शोधन अक्षमता न्यासी की नियुक्ति करता है ।

खंड 146 : खंड 146 उन आधारों और ऐसी रीति के लिए उपबंध करता है जिसमें शोधन अक्षमता न्यासी न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को आवेदन करके त्यागपत्र दे सकता है । त्यागपत्र के स्वीकार किए जाने पर, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी नए शोधन अक्षमता न्यासी की नियुक्ति के लिए विनियामक बोर्ड से सिफारिश प्राप्त करता है और ऐसा आदेश पारित करके ऐसे शोधन अक्षमता न्यासी की नियुक्ति करता है ।

खंड 147 : खंड 147 न्यासी के पद पर रिक्ति, जो त्यागपत्र, प्रतिस्थापन या अस्थायी रुग्णता या छुट्टी के कारण नहीं होती है, के सृजन पर शोधन अक्षमता न्यासी की नियुक्ति के लिए उपबंध करता है । रिक्ति के उत्पन्न होने पर, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी नए शोधन अक्षमता न्यासी की नियुक्ति के लिए विनियामक बोर्ड से सिफारिश प्राप्त करता है और आदेश पारित करके ऐसे शोधन अक्षमता न्यासी की नियुक्ति करता है ।

खंड 148 : खंड 148 शोधन अक्षमता न्यासी की उसके पद से निर्मुक्ति के लिए उपबंध करता है जो उस समय होती है जब किसी नए शोधन अक्षमता न्यासी की नियुक्ति पूर्ववर्ती खंडों के अधीन प्रतिस्थापन, त्यागपत्र या रिक्ति के उत्पन्न होने की दशा में की जाती है या शोधन अक्षम की संपत्ति के प्रशासन और वितरण के पूरा हो जाने पर रिपोर्ट खंड 137 के अधीन अनुमोदित कर दी जाती है । निर्मुक्त शोधन अक्षमता न्यासी से अपेक्षा की जाती है कि वह शोधन अक्षमता प्रक्रिया के सरल कार्यकरण को सुकर बनाने के लिए आने वाले शोधन अक्षमता न्यासी के साथ प्रभावी रूप से सहयोग करे ।

खंड 149 : खंड 149 शोधन अक्षमता न्यासी के कृत्यों का उल्लेख करता है जिनकी शोधन अक्षमता प्रक्रिया के दौरान उसके द्वारा निष्पादन किए जाने के अपेक्षा की जाती है ।

खंड 150 : खंड 150 शोधन अक्षमता प्रक्रिया के दौरान शोधन अक्षमता न्यासी के प्रति शोधन अक्षम के ऐसे कर्तव्यों, जिनके अंतर्गत अति महत्वपूर्ण रूप से आय या संपत्ति की वृद्धि का नोटिस देने का कर्तव्य भी है, का उल्लेख करता है ।

खंड 151 : खंड 151 शोधन अक्षमता न्यासी के अधिकारों को अधिकथित करता है अर्थात् ऐसे कार्य जिन्हें वह अपने पदीय नाम से करता है ।

खंड 152 : खंड 152 संपदा और शोधन अक्षम के ऋणों के संबंध में शोधन अक्षमता न्यासी की शक्तियों का प्रस्ताव करता है ।

खंड 153 : खंड 153 ऐसे कतिपय कार्यों का प्रस्ताव करता है जिन्हें शोधन अक्षमता न्यासी द्वारा लेनदारों की समिति के अनुमोदन के प्राप्त किए जाने के पश्चात् ही किया जा सकता है । तथापि, यदि शोधन अक्षमता न्यासी लेनदारों की समिति के अनुमोदन के बिना ऐसा कोई कार्य करता है तो खंड कार्योत्तर अनुसमर्थन के लिए केवल तभी उपबंध करता है जब कार्य अत्यावश्यकता के कारण किया गया था और अनुसमर्थन की अविलंब ईप्सा की गई थी । इस बात का उदाहरण कि क्या अत्यावश्यक परिस्थितियां विद्यमान थी, लेनदार समिति का विनिश्चय होगा और इस प्रकार विद्यमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा ।

खंड 154 : खंड 154 यह प्रस्ताव करता है कि शोधन अक्षम की संपदा को निहित करना किसी अतिरिक्त कार्य की अपेक्षा के बिना शोधन अक्षमता न्यासी की नियुक्ति के संबंध में उद्भूत होगा ।

खंड 155 : खंड 155 शोधन अक्षम की संपदा के संघटकों का प्रस्ताव करता है । यह एक समावेशी परिभाषा है और इसके अंतर्गत शोधन अक्षमता के प्रारंभ की तारीख को शोधन अक्षम की और उसमें निहित होने वाली संपत्ति जंगम और स्थावर भी सम्मिलित है । संपत्ति के प्रति किसी निर्देश में संपत्ति के संबंध में शोधन अक्षम द्वारा प्रयोक्तव्य ऐसी शक्ति भी सम्मिलित है जो उसके द्वारा उसकी शोधन अक्षमता के प्रारंभ पर या उसके उन्मोचन से पूर्व उसके अपने ही फायदे के लिए उसके द्वारा प्रयोग की गई हो, तथापि, संपदा किसी अन्य व्यक्ति के लिए न्यास पर शोधन अक्षम द्वारा धारित संपत्ति और अपवर्जित आस्तियों की परिभाषा में समाविष्ट संपत्ति को अपवर्जित करती है ।

केंद्रीय सरकार को यह शक्ति दी गई है कि वह ऐसी आस्तियों (समुचित वित्तीय सेक्टर विनियामकों के परामर्श से) को अधिसूचित करे जो वित्तीय बाजारों के दक्ष कार्यकरण के हित में संपदा से अपवर्जित होंगी ।

खंड 156 : खंड 156 शोधन अक्षम उसके बैंककार या अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति पर, जिसके कब्जे में संपत्ति या वित्तीय अभिलेख हैं, शोधन अक्षमता न्यासी, बाध्यता अधिरोपित करता है ।

खंड 157 : खंड 157 शोधन अक्षमता न्यासी से अपेक्षा करता है कि वह शोधन अक्षम की संपत्ति और वित्तीय अभिलेखों पर नियंत्रण रखे ।

खंड 158 : खंड 158 शोधन अक्षम को, शोधन अक्षमता के आवेदन के फाइल

किए जाने और शोधन अक्षमता की प्रारंभ की तारीख के बीच की समयावधि में किसी संपत्ति का व्ययन करने से प्रतिबंधित करता है और ऐसा कोई व्ययन शून्य होगा । इस खंड का प्रयोजन शोधन अक्षम को ऐसी संपत्ति को हड़पने से रोकना है जिसका लेनदारों के बीच वितरण के लिए उपयोग किया जा सके और ऐसी किसी अन्य संपत्ति जो कोई अपवर्जित आस्ति हो सकेगी, को उनका व्ययन करने से शोधन अक्षम को रोकना भी है । चूंकि अधिस्थगन इस अवधि के दौरान लेनदारों पर अधिरोपित किया जाता है, यह निर्बन्धन उसी अवधि के दौरान ऋणी पर अधिरोपित किया जाता है । सद्भावपूर्वक किए गए क्रय या अन्य शब्दों में वास्तविक क्रेताओं को इस खंड के अधीन संरक्षण दिया जाता है ।

खंड 159 : खंड 159 पश्च-अर्जित संपत्ति के वर्ताव का उल्लेख करता है जिसे इस खंड में परिभाषित किया गया है । ऐसी कोई संपत्ति जिसे एक पश्च-अर्जित संपत्ति के रूप में प्रवर्गीकृत किया जा सकता है, का दावा शोधन अक्षम को सूचना जारी करके संपदा के लिए शोधन अक्षमता न्यासी द्वारा किया जा सकता है । यदि उक्त सूचना विहित समयावधि की समाप्ति के पश्चात् जारी की जानी है तो न्यायनिर्णयन प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होता है । वास्तविक क्रेता इस खंड के अधीन संरक्षण प्राप्त हैं ।

खंड 160 : खंड 160 ऐसी दुर्भर संपत्ति के वर्ताव का उल्लेख करता है जिसे इस खंड में परिभाषित किया गया है । शोधन अक्षम न्यासी, संपदा के मूल्य में कमी को रोकने के लिए शोधन अक्षम की संपदा से दुर्भर संपत्ति का दावा त्याग करने के लिए हकदार है । दावा त्याग के लिए सूचना शोधन अक्षमता न्यासी द्वारा शोधन अक्षम को जारी की जाएगी और शोधन अक्षम को ऐसी सूचना जारी किए जाने पर दुर्भर संपत्ति अदावाकृत की हुई समझी जाएगी ।

खंड 161 : खंड 161 यह उपबंध करता है कि शोधन अक्षम न्यासी शोधन अक्षम की संपदा से किसी दुर्भर संपत्ति का दावा त्याग करने के लिए पूर्ववर्ती खंड के अधीन सूचना जारी नहीं करेगा यदि इस संबंध में कि क्या दुर्भर संपत्ति का दावा त्याग किया जाना चाहिए या नहीं, के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने के संबंध में विनिश्चय लंबित है । अतः ऐसी कोई संपत्ति जिसका ऐसे आवेदन के कारण सूचना के जारी न किए जाने के कारण दावा त्याग नहीं किया जा सकता, शोधन अक्षम की संपदा के भाग के रूप में समझी जाएगी ।

खंड 162 : खंड 162 किसी दुर्भर संपत्ति में पट्टाधृत हित के दावा त्याग के लिए मामूली तौर पर भिन्न-भिन्न प्रक्रिया के लिए उपबंध करता है । ऐसे हित के लिए दावा त्याग की सूचना प्रत्येक हितबद्ध व्यक्ति पर तामील की जानी है और यदि ऐसे व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं किया जाता है तो शोधन अक्षमता न्यासी दुर्भर संपत्ति में पट्टाधृत हित का दावा त्याग करने का हकदार होता है । तथापि, यदि आक्षेप का कोई आवेदन प्राप्त किया जाता है तो दावा त्याग केवल तभी प्रभावी होगा जब न्यायनिर्णयन प्राधिकारी ने खंड 163 के अधीन ऐसा निदेश दिया है ।

खंड 163 : खंड 163 ऐसे व्यक्तियों को जिनके अधिकार दुर्भर संपत्ति के दावा त्याग के कारण दाव पर लगाए जा सकेंगे, सुनवाई का अधिकार प्रदान करता है ।

खंड 164 : खंड 164 अवमूल्यकृत संव्यवहारों के वर्ताव का उल्लंघन करता है जिन्हें इस खंड में परिभाषित किया गया है । शोधन अक्षमता न्यासी अन्य बातों के

साथ-साथ अवमूल्यकृत संव्यवहार के संबंध में संव्यवहार को शून्य घोषित करने और उसे शोधन अक्षम की संपदा के भाग के रूप में उसमें निहित करने के लिए आदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन वहां कर सकता है जहां ऐसा संव्यवहार शोधन अक्षमता प्रक्रिया के प्रारंभ को कारित करता है या उसकी ओर ले जाता है । यह दर्शाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि संव्यवहार आस्तियों को लेनदार की पहुंच से बाहर रखने के आशय से किया गया था और यह दर्शाना पर्याप्त है कि वस्तुतः संव्यवहार अवमूल्य पर एक संव्यवहार ही था । अवमूल्यकृत संव्यवहार विनिर्दिष्ट समयावधि में कर दिया जाना अपेक्षित है और शोधन अक्षम के कारबार के सामान्य अनुक्रम में नहीं होना चाहिए क्योंकि इसे इस खंड के अधीन लाया जाना है । तथापि, यदि अवमूल्यकृत संव्यवहार शोधन अक्षम के सहयोगी के साथ कारबार के सामान्य अनुक्रमों में किया जाता है तो उपखंड (5) के अधीन उपबंधित अपवाद उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि सहयोगी को वित्तीय परिस्थितियों तथा शोधन अक्षम के उद्देश्यों के बारे में जानकारी से अवगत होना माना गया है ।

खंड 165 : खंड 165 अधिमान देने वाले संव्यवहारों के वर्तांव का उल्लेख करता है जिन्हें इस खंड के अधीन परिभाषित किया गया है । शोधन अक्षमता न्यासी, अन्य बातों के साथ-साथ, अधिमान देने वाले संव्यवहार के संबंध में, संव्यवहार को शून्य घोषित करने के लिए और उसे शोधन अक्षम की संपदा के भाग के रूप में उसके पास विहित करने के लिए आदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन वहां कर सकता है जहां ऐसा संव्यवहार शोधन अक्षमता प्रक्रिया के प्रारंभ को कारित करता है या उसकी ओर ले जाता है । यह खंड विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर संव्यवहार कर दिए जाने की अपेक्षा करता है और शोधन अक्षम की ओर से ऐसे अधिमान को देने के आशय की विद्यमानता की भी अपेक्षा करता है । ऐसा आशय केवल तभी माना जा सकता है यदि वह व्यक्ति जिसको अधिमान दिया गया है, शोधन अक्षम का सहयोगी है ।

खंड 166 : खंड 166 अवमूल्यकृत संव्यवहारों और अधिमान देने वाले संव्यवहारों के संबंध में वास्तविक क्रेताओं को संरक्षण देने के लिए उपबंध करता है । संरक्षण शोधन अक्षम के प्रत्यक्ष और साथ ही अप्रत्यक्ष क्रेताओं को दिया जाता है तथा ऐसे संव्यवहारों के आधार पर अर्जित संपत्ति में उनके हित की संरक्षा करता है, और ऐसे संव्यवहारों के कारण प्राप्त किसी फायदे के संबंध में शोधन अक्षमता न्यासी को किसी राशि के संदाय से उन्हें छूट प्राप्त है ।

खंड 167 : खंड 167 उद्दापन के तौर पर प्रत्येक संव्यवहारों के वर्तांव का उल्लेख करता है जैसा कि इस खंड में परिभाषित किया गया है । शोधन अक्षमता न्यासी न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को उतने संव्यवहारों, जो ऋण शोधन अक्षमता ऋणों का भागरूप नहीं है, द्वारा सृजित ऋणों को शून्य करने या उसमें फेरफार करने के लिए आदेश प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकेगा । इस खंड के अधीन वापस लौटाई गई कोई संपत्ति शोधन अक्षम की संपदा में सम्मिलित की जाएगी । ऐसे संव्यवहारों का अपवाद एक ऐसा संव्यवहार है जिसके अधीन किसी ऋण को ऐसे ऋण के संबंध में प्रवृत्त विधि के अनुपालन में वित्तीय सेवाओं के उपबंध के लिए विनियमित व्यक्ति द्वारा दिया जाता है ।

खंड 168 : खंड 168 किसी व्यक्ति के साथ शोधन अक्षम द्वारा शोधन अक्षमता प्रारंभ की तारीख से पूर्व की गई संविदाओं का वर्तांव का उल्लेख करता है । शोधन अक्षम से भिन्न पक्षकार न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को नुकसानियों के संदाय के साथ-

साथ संविदा के पालन करने से या तो दोनों पक्षकारों में से कोई एक पक्षकार या दोनों पक्षकारों को छूट देने के लिए आवेदन कर सकता है और शोधन अक्षम द्वारा ऐसी नुकसानियों का संदाय शोधन अक्षमता ऋण के रूप में साबित योग्य हैं ।

खंड 169 : खंड 169 यह उपबंध करता है कि शोधन अक्षम की मृत्यु की दशा में शोधन अक्षमता कार्रवाई कम नहीं होंगी और शोधन अक्षमता न्यासी संपदा के प्रशासन और वितरण के साथ बना रहेगा ।

खंड 170 : खंड 170 यह उपबंध करता है कि मृत शोधन अक्षम का प्रशासन संहिता के खंड 3 के अध्याय 5 के उपबंध जहां तक वे लागू होते हैं, के अनुसार किया जाएगा । शोधन अक्षम के सभी ऋणों के संदाय के पश्चात् कोई अधिशेष विधिक प्रतिनिधियों के बीच वितरित किया जाएगा । खंड यह उपबंध करता है कि उपगत अंत्येष्टि और वशीयती खर्चे खंड 178 के अधीन प्रतिभूत लेनदारों के ऋणों के रूप से समान रूप से वर्गीकृत किए जाएंगे ।

खंड 171 : खंड 171 लेनदारों के ऋणों के सबूत के लिए खंड 132 के अधीन लेनदारों की सूची के तैयार किए जाने के चौदह दिन के पश्चात् आरंभ की जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया अधिकथित करता है ।

खंड 172 : खंड 172 यह उपबंध करता है कि प्रतिभूत लेनदार शोधन अक्षमता प्रक्रिया में या तो अपनी प्रतिभूति वसूल कर सकेंगे या वापस लौटा सकेंगे । यदि वह पहले वाले को करता है और कोई अतिशेष ऋण अभी भी शोध्य है तो वह खंड 171 के अधीन अतिशेष ऋण को साबित कर सकेगा, तथापि, यदि वह बाद वाले को करता है तो वह खंड 171 के अधीन अपने संपूर्ण ऋण को साबित करेगा ।

खंड 173 : खंड 173 शोधन अक्षम और लेनदार के बीच पारस्परिक व्यवहारों के अधीन कतिपय रकमों का मुजराई के लिए उपबंध करता है जो शोधन अक्षमता आरंभ की तारीख से पहले हुई हैं । तथापि, मुजरा नहीं किया जाएगा यदि लेनदार को उस समय जब राशियां शोध्य हुई थीं, पर लंबित शोधन अक्षमता आवेदन के बारे में जानकारी थी ।

खंड 174 : खंड 174 लेनदारों के बीच अंतरिम लाभांशों की घोषणा और वितरण का प्रस्ताव करता है जिन्हें खंड 178 के अधीन प्रकल्पित पूर्विकता पर साबित कर दिया गया है । तथापि, शोधन अक्षमता न्यासी से उपखंड (3) के अधीन उल्लिखित ऋणों पर ध्यान देने की और अंतरिम लाभांशों को घोषित करने तथा उनको वितरित करने से पूर्व उनके लिए उपबंध करने की अपेक्षा की जाती है । उस दशा में जब उपखंड (3) के अधीन कोई ऋण अभिनिश्चित करने योग्य नहीं है तब शोधन अक्षमता न्यासी उस राशि का प्राक्कलित मूल्य बता सकेगा ।

खंड 175 : खंड 175 संपत्ति के वितरण की रीति के लिए उपबंध करता है जिसे अपनी प्रकृति से ही तुरंत या लाभप्रद रूप में विक्रीत नहीं किया जा सकता । ऐसी संपत्ति का वितरण लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदन के अध्यधीन है ।

खंड 176 : खंड 176 यह प्रस्ताव करता है कि शोधन अक्षमता न्यासी लेनदारों को अंतिम लाभांश घोषित करने के अपने आशय की सूचना देगा या कोई अतिरिक्त लाभांश (अंतरिम लाभांश पर्याप्त होने की दशा में) शोधन अक्षम की संपूर्ण संपदा की वसूली पर घोषित नहीं किया जाएगा । खंड 3, खंड 4 और खंड 6 में वितरण की रीति का उल्लेख किया गया है । वितरण के पूरा हो जाने के पश्चात् कोई अधिशेष शोधन

अक्षम को नहीं दिया जाएगा ।

खंड 177 : खंड 177 यह प्रस्ताव करता है कि ऐसा लेनदार जिसने किसी लाभांश की घोषणा से पूर्व अपने ऋण को साबित नहीं किया है, उस लाभांश या उसके ऋण को साबित किए जाने से पूर्व घोषित किसी अन्य लाभांश के वितरण को क्षुब्ध करने का हकदार नहीं है । तथापि, यदि उसे ऐसे लाभांश का संदाय नहीं किया गया है, जिसके लिए वह हकदार है, तो वह किसी अतिरिक्त लाभांश के संदाय के लिए उपलब्ध धनराशि में से पूर्विकता पर उन्हें प्राप्त करने के लिए हकदार होगा । खंड यह भी उपबंध करता है कि शोधन अक्षमता न्यासी के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जा सकती है यदि वह ऐसे लाभांश, जो संदेय है, का संदाय करने से इन्कार करता है ।

खंड 178 : खंड 178 ऐसी पूर्विकता का उल्लेख करता है जिसमें शोधन अक्षम के ऋण लेनदारों और अन्य पणधारियों को प्रतिसंदत्त किए जाएंगे । उपखंड (1) में अधिकथित सभी ऋणों पर ब्याज उपखंड (1) के अधीन संदाय कर दिए जाने के पश्चात् अधिशेष में से संदत्त किया जाएगा और ऋण की प्रकृति को ध्यान में न रखते हुए समान रूप से वर्गीकृत किया जाएगा । भागीदारी ऋणों के संदाय के वितरण के मामले में, भागीदारी संपत्ति पहली बार उपयोजित की जाएगी और फिर भागीदारों की पृथक् संपत्ति को उपयोजित किया जाएगा जबकि भागीदारों को पृथक् ऋणों के संदाय में उनकी पृथक् संपत्ति पहली बार उपयोजित की जाएगी और फिर भागीदारी संपत्ति उपयोजित की जाएगी ।

खंड 179 : खंड 179 यह उपबंध करता है कि ऋण वसूली अधिकरण दिवाला समाधान और व्यष्टियों तथा अपरिसीमित दायित्व भागीदारी फर्मों की अशोधन क्षमता के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी होगा और खंड अधिकरण की राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता स्थापित करने के मानदंड को भी अधिकथित करता है ।

खंड 180 : खंड 180 उन मामलों के लिए जिनके लिए ऋण वसूली अधिकरण को खंड 179 के अधीन अधिकारिता प्राप्त है, सिविल न्यायालय की अधिकारिता से अपवर्जित करता है ।

खंड 181 : खंड 181 यह उपबंध करता है कि ऋण वसूली अधिकरण के अंतिम आदेश से अपील फाइल करने के लिए अपीली अधिकरण ऋण वसूली अपील अधिकरण होगा ।

खंड 182 : खंड 182 यह प्रस्ताव करता है कि ऋण वसूली अपीली अधिकरण के अंतिम आदेश के विरुद्ध विधि के प्रश्न पर किसी अपील के लिए अपीली प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय होगा ।

खंड 183 : खंड 183 ऋण वसूली अधिकरण और ऋण वसूली अपीली अधिकरण से अपेक्षा करता है कि वह, यदि विनिर्दिष्ट समय सीमाओं के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है तो विलंब के लिए कारणों को लेखबद्ध करे ।

खंड 184 : खंड 184 संहिता के भाग 3 के लिए पहला अपराध है और दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान मिथ्या सूचना देने के लिए लेनदार और ऋणी को दंडित करने का प्रस्ताव करता है । खंड ऐसे किसी लेनदार को, जिसने ऋणी से धन, संपत्ति या प्रतिभूति स्वीकार करके पुनर्संदाय योजना के पक्ष में मतदान करने का वचन दिया है, दंडित करने का प्रस्ताव करता है ।

खंड 185 : खंड 185 समाधान वृत्तिक को उस दशा में जब वह भाग 3 के उपबंधों का अतिलंघन करता है, कारावास और प्रतिकर के संदाय के लिए दायी बनाता है ।

खंड 186 : खंड 186 उन अपराधों को अधिकथित करता है जो यदि शोधन अक्षमता प्रक्रिया के दौरान शोधन अक्षम द्वारा किए गए हैं तो वह दंड या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा ।

खंड 187 : खंड 187 शोधन अक्षमता न्यासी को शोधन अक्षम की संपदा में समाविष्ट किसी धन या संपत्ति के लिए उसके कपटपूर्वक दुर्विनियोजित प्रतिधारित किए जाने या उसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाने या जहां उसने जानबूझ कर ऐसा कार्य किया है जिससे कि शोधन अक्षम की संपत्ति को नुकसान कारित हो, की दशा में कारावास और जुर्माने के लिए दायी बनाता है ।

खंड 188 : यह खंड भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड का गठन करता है । खंड यह उपबंध करता है कि बोर्ड एक ऐसा निगमित निकाय होगा जिसका शास्वत उत्तराधिकार और सामान्य मोहर होगी । बोर्ड का अपना मुख्य कार्यालय मुंबई में होगा और भारत के भीतर और बाहर कार्यालयों को स्थापित करने की शक्ति होगी ।

खंड 189 : यह खंड दिवाला और शोधम अक्षमता बोर्ड की संरचना के लिए उपबंध करता है । खंड उपबंध करता है कि बोर्ड ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे । बोर्ड का एक अध्यक्ष, केंद्रीय सरकार से तीन पदेन सदस्य (वित्त मंत्रालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय और विधि मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए हर एक से एक-एक सदस्य), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य (पदेन) और पांच अन्य सदस्य जिनमें से कम से कम तीन पूर्णकालिक सदस्य होंगे ।

यह और उपबंध किया जाता है कि इस खंड के अधीन की गई प्रत्येक नियुक्ति (पदेन सदस्यों से भिन्न) चयन समिति की सिफारिश के पश्चात् की जाएगी । अध्यक्ष और पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि पांच वर्ष होगी या उस समय तक जब तक वे पैंषठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं, इनमें जो भी पूर्वतर हो । पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तों के निबंधन वे होंगे जो विहित किए जाएं ।

खंड 190 : यह खंड किसी सदस्य को उसके पद से हटाने के लिए आधारों का उपबंध करता है । किसी सदस्य को उसके पद से हटाया जा सकेगा, यदि वह (क) भाग 3 के अधीन परिभाषित किए गए अनुसार कोई अननुमोचित दिवालिया है ; (ख) शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया है ; (ग) उसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें नैतिक अद्यमता अंतर्वलित है ; (घ) उसने अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया है ।

यह खंड यह और उपबंध करता है कि किसी भी सदस्य को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे सुनवाई का अवसर प्रदान न कर दिया गया हो ।

खंड 191: यह खंड यह उपबंध करता है कि अध्यक्ष के पास बोर्ड के कार्यों के साधारण अधीक्षण और निदेशन की शक्तियां होंगी, जब तक कि विनियमों में अन्यथा उपबंधित न हो । अध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का भी प्रयोग कर सकेगा जो बोर्ड द्वारा

उसे प्रत्यायोजित की जाएं ।

खंड 192 : यह खंड बोर्ड की बैठकों के लिए उपबंध करता है । इसमें यह उपबंधित है कि उसकी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया नियमों को विनियमों द्वारा जारी किया जा सकेगा । यह खंड यह और उपबंध करता है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई अन्य सदस्य बैठकों की अध्यक्षता करेगा । बोर्ड द्वारा विनिश्चित वाले प्रश्नों का विनिश्चय, सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा । मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के पास द्वितीय या निर्णायक मत होगा ।

खंड 193: यह खंड ऐसी किसी परिस्थिति के लिए उपबंध करता है जहां किसी कंपनी के निदेशक का, बोर्ड की बैठक में विचारार्थ आने वाले किसी मामले में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धनीय हित है । निदेशक से यह अपेक्षित है कि वह ऐसे हित की प्रकृति का प्रकटन करे । ऐसे प्रकट किए गए हित को बोर्ड की कार्यवाहियों में लेखबद्ध किया जाना चाहिए । यह खंड यह और उपबंध करता है कि ऐसा सदस्य उस मामले के संबंध में बोर्ड के किसी विचार-विमर्श या विनिश्चय में भाग नहीं लेगा ।

खंड 194 : यह खंड यह उपबंध करता है कि बोर्ड का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि क) बोर्ड में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई दोष है ; या ख) बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई दोष है ; या ग) बोर्ड की कार्यवाही में ऐसी कोई अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं करती है ।

यह खंड यह भी उपबंध करता है कि बोर्ड ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्ति कर सकेगा, जिन्हें वह इस संहिता के अधीन अपने कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक समझता है । यह खंड यह और उपबंध करता है कि इस खंड के अधीन बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएंगी ।

खंड 195 : यह खंड यह कथन करता है कि केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा वित्तीय क्षेत्र के किसी विनियामक को, इस संहिता के अधीन बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए पदाभिहित कर सकेगी ।

खंड 196: यह खंड बोर्ड की साधारण शक्तियों और कृत्यों को अधिकथित करता है ।

यह खंड यह और उपबंध करता है कि निम्नलिखित विषयों के संबंध में कार्यवाही करते समय बोर्ड के पास वही शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय के पास होती हैं : क) ऐसे स्थान और ऐसे समय पर, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों का प्रकटीकरण और उन्हें प्रस्तुत करने; ख) व्यक्तियों को समन करना तथा उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करना तथा शपथ पर उनकी परीक्षा लेने ; ग) किसी स्थान पर किसी व्यक्ति की बहियों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने ; घ) साक्षियों की परीक्षा या दस्तावेजों के लिए कमीशन जारी करने ।

खंड 197: यह खंड ऐसी समितियों के गठन के लिए उपबंध करता है, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं । प्रत्येक समिति एक अध्यक्ष और ऐसे अन्य

सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

खंड 198: यह खंड यह उपबंध करता है कि इस संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि बोर्ड इस संहिता में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई कार्य नहीं करता है, तो सुसंगत न्याय निर्णयन प्राधिकारी विलंब को माफ कर सकेगा । विलंब की माफी के लिए कारणों को लिखित में लेखबद्ध किया जाना चाहिए ।

खंड 199: यह खंड किसी व्यक्ति को दिवाला वृत्तिक अभिकरण के रूप में अपना कारबार करने और अपने सदस्यों के रूप में दिवाला वृत्तिकों को नामांकित करने से प्रतिषिद्ध करता है, बोर्ड द्वारा इस निमित जारी किए जाने वाले रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के अधीन और उसके अनुसार के सिवाए ।

खंड 200: यह खंड बोर्ड, वृत्तिक अभिकरणों के रजिस्ट्रीकरण को शासित करने वाले सिद्धांत अधिकथित करता है । यह खंड यह यह उपबंध करता है कि बोर्ड को निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए : क) दिवाला वृत्तिकों के वृत्तिक विकास का संवर्धन और उनका विनियमन करने ; ख) ऋणी व्यक्तियों, लेनदारों और ऐसे अन्य व्यक्तियों की, जिन्हें विनिर्दिष्ट किया जाए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सक्षम दिवाला वृत्तिकों की सेवाओं का संवर्धन करने ; ग) दिवाला वृत्तिकों के बीच उत्तम वृत्तिक और नैतिक आचार का संवर्धन करने ; घ) ऋणी व्यक्तियों, लेनदारों और ऐसे अन्य व्यक्तियों के, जिन्हें विनिर्दिष्ट किया जाए, हितों की संरक्षा करने; ङ) इस संहिता के अधीन दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाहियों के प्रभावी समाधान के लिए दिवाला वृत्तिक अभिकरणों के विकास का संवर्धन करने।

खंड 201 : यह खंड यह और उपबंध करता है कि किसी दिवाला वृत्तिक अभिकरण के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन ऐसे प्ररूप और रीति में किया जाएगा, जो विनिर्दिष्ट की जाए । यह आवेदन की अभिस्वीकृति प्रदान करने के लिए सात दिन की समय सीमा विहित करता है । किसी आवेदन की प्राप्ति पर, बोर्ड ऐसे आवेदन पर आदेश द्वारा आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र मंजूर कर सकेगा या ऐसे आवेदन को नामंजूर कर सकेगा । यह खंड यह उपबंध करता है कि आवेदन को नामंजूर करने वाला कोई भी आदेश आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना नहीं किया जाएगा और यह कि इस प्रकार किए गए किसी भी आदेश को 15 दिन की अवधि के भीतर आवेदक को संसूचित किया जाएगा । यदि आवेदन को स्वीकार किया जाता है तो बोर्ड ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों के, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, अधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा । बोर्ड समय-समय पर और ऐसी रीति में तथा ऐसी फीस के संदाय पर, जो विनिर्दिष्ट की जाए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण कर सकेगा ।

यह खंड यह और उपबंध करता है कि बोर्ड, किसी दिवाला वृत्तिक अभिकरण को मंजूर किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को आदेश द्वारा निम्नलिखित आधारों में से किसी पर निलंबित या रद्द कर सकेगा, : क) कि उसने किसी मिथ्या कथन या दुर्व्यपदेशन के आधार पर या किसी अन्य अविधिपूर्ण साधन से रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया है ; ख) कि वह बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों या दिवाला वृत्तिक अभिकरण द्वारा बनाई गई उप विधियों की अपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहा है ; ग) कि उसने संहिता या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है ; घ) किसी अन्य ऐसे आधार पर, जो विनिर्दिष्ट किया जाए ।

यह खंड यह और उपबंध करता है कि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश तब

तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबद्ध दिवाला वृत्तिक अभिकरण को सुनवाई का कोई युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया हो । यह खंड यह भी उपबंध करता है कि ऐसा कोई आदेश बोर्ड के किसी पूर्णकालिक सदस्य के सिवाए किसी अन्य सदस्य द्वारा पारित नहीं किया जाएगा।

खंड 202 : यह खंड यह उपबंध करता है कि ऐसा कोई दिवाला वृत्तिक अभिकरण, जो बोर्ड द्वारा धारा 201 के अधीन किए गए आदेश से व्यथित है, ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसी अवधि के भीतर जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा ।

खंड 203 : यह खंड यह उपबंध करता है कि बोर्ड, निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करने वाले विनियम बना सकेगा : क) किसी दिवाला वृत्तिक अभिकरण के शासी बोर्ड की स्थापना; ख) दिवाला वृत्तिक अभिकरण के शासी बोर्ड में स्वतंत्र सदस्यों की न्यूनतम संख्या ; और ग) ऐसे दिवाला वृत्तिकों की संख्या, जो उसके सदस्य हैं और जो दिवाला वृत्तिक अभिकरण के शासी बोर्ड में रहेंगे ।

खंड 204 : यह खंड यह उपबंध करता है कि किसी दिवाला वृत्तिक अभिकरण निम्नलिखित कृत्यों का पालन करना चाहिए : क) ऐसे व्यक्तियों को, जो उसकी उप विधियों में उपवर्णित सभी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, सदस्यता फीस के संदाय पर सदस्यता मंजूर करना ; ख) अपने सदस्यों के लिए वृत्तिक आचार के मानक अधिकथित करना ; ग) अपने सदस्यों के कार्यपालन की मानीटरी करना ; घ) ऐसे दिवाला वृत्तिकों के, जो उसके सदस्य हैं, अधिकारों विशेषाधिकारों और हितों के लिए सुरक्षोपाय करना ; ङ) ऐसे दिवाला वृत्तिकों की, जो उसके सदस्य हैं, की सदस्यता को उसकी उपविधियों में उपवर्णित आधारों पर निलंबित या रद्द करना; च) ऐसे दिवाला वृत्तिकों के, जो उसके सदस्य हैं, विरुद्ध उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करना ; और छ) अपने कृत्यों, अपने सदस्यों की सूची, अपने सदस्यों के कार्यपालन के बारे में सूचना और ऐसी अन्य सूचना का प्रकाशन करना, जो विनिर्दिष्ट की जाए ।

खंड 205. यह खंड दिवाला वृत्तिक अभिकरणों कि उपविधियों की विषय-वस्तु के लिए उपबंध करता है । यह कथन करता है कि दिवाला वृत्तिक अभिकरण बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए उपविधियां बनाएगा : क) उसके सदस्यों हेतु वृत्तिक क्षमता के न्यूनतम मानक ; ख) उसके सदस्यों के वृत्तिक और नैतिक आचार के लिए मानक; ग) उसके सदस्यों के रूप में व्यक्तियों के नामांकन के लिए अपेक्षाएं, जो अविभेदकारी होंगी ; घ) ऐसे व्यक्तियों को, जो उसकी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, सदस्यता मंजूर करने की रीति ; ङ) बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों के अनुसार उसके आंतरिक शासन और प्रबंध के लिए एक शासी बोर्ड की स्थापना ; च) उसके सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित सूचना जिसके अंतर्गत ऐसी सूचना को प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप और समय भी है ; छ) व्यक्तियों के ऐसे विनिर्दिष्ट वर्ग, जिन्हें उसके सदस्यों द्वारा रियायती दरों पर या बिना किसी पारिश्रमिक के सेवाएं उपलब्ध कराई जानी हैं ; ज) वे आधार, जिन पर उसके सदस्यों से शास्तियों का उद्ग्रहण किया जा सकेगा और उसकी रीति ; झ) उसके सदस्यों के विरुद्ध शिकायतों के समाधान के लिए एक उचित और पारदर्शक तंत्र ; ञ) वे आधार जिनके अधीन दिवाला वृत्तिकों को उनकी सदस्यता से निष्कासित किया जा सकेगा ; ट) व्यक्तियों को उसके सदस्यों के रूप में सम्मिलित करने के लिए फीस की मात्रा और फीस संग्रह करने की रीति ; ठ) व्यक्तियों को उसके सदस्यों के रूप में

नामांकित करने के लिए पाठ्यचर्या, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट पाठ्यचर्या से अन्यून नहीं होगी ; ड) दिवाला वृत्तिकों के नामांकन के लिए बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट पाठ्यचर्या की परीक्षा का संचालन करने की रीति ; ढ) ऐसे दिवाला वृत्तिकों के, जो उसके सदस्य हैं, कार्यकरण की मानीटरी और पुनर्विलोकन करने की रीति ; ण) उसके सदस्यों द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कर्तव्य और अन्य क्रियाकलाप ; त) किसी दिवाला वृत्तिक द्वारा उसके कर्तव्यों के पालन के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले रजिस्ट्रीकरण बंधपत्र और कार्यपालन प्रतिभूति की रकम, ऐसा प्ररूप और रीति, जिसमें दिवाला वृत्तिक अभिकरण द्वारा ऐसा रजिस्ट्रीकरण बंधपत्र और कार्यपालन प्रतिभूति प्रस्तुत की जाएगी ; थ) उसके सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियों का संचालन करने और शास्तियां अधिरोपित करने की रीति ; द) उस दशा में, जहां किसी दिवाला वृत्तिक के विरुद्ध अधिरोपित शास्ति का संदाय नहीं किया जाता है वहां रजिस्ट्रीकरण बंधपत्र या कार्यपालन प्रतिभूति के रूप में प्राप्त रकम को उपयोग करने की रीति ।

खंड 206 : यह खंड कार्यपालन बंधपत्र के प्रस्तुत किए जाने के लिए उपबंध करता है । इसमें यह कथन है कि किसी दिवाला समाधान प्रक्रिया के प्रारंभ पर, जहां किसी दिवाला समाधान वृत्तिक को नियुक्त किया जाता है, वहां : क) वह दिवाला वृत्तिक अभिकरण, जहां ऐसा दिवाला वृत्तिक सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, बोर्ड को ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए एक कार्यपालन बंधपत्र फाइल करेगा ; और ख) दिवाला वृत्तिक, दिवाला वृत्तिक अभिकरण को ऐसी रकम की और ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, कार्यपालन प्रतिभूति का निक्षेप करेगा । इस प्रकार फाईल किए गए कार्यपालन बंधपत्र में निम्नलिखित के लिए उपबंध होगा, क) संबद्ध दिवाला वृत्तिक अभिकरण, दिवाला वृत्तिक की बाध्यताओं के लिए प्रतिभूत के रूप में कार्य करेगा और वे ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिसके हितों पर दिवाला वृत्तिक के कपट या दुराचार के किसी कार्य के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, हुई हानियों के लिए संयुक्ततः और पृथकततः दायी होंगे; और ख) खंड (क) में उल्लिखित ऐसी हानियों के संबंध में दावों का संदाय, जो कि, यथास्थिति, दिवाला प्रारंभ होने की तारीख या ऋणी के दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से कारपोरेट ऋणी या ऋणी की आस्तियों के मूल्य की रकम के बराबर होगा ।

यह खंड यह और उपबंध करता है कि उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन दिवाला वृत्तिक अभिकरण को निक्षिप्त कार्यपालन प्रतिभूति का उपयोग इस संहिता के अधीन दिवाला वृत्तिक पर अधिरोपित किन्हीं बाध्यताओं के उन्मोचन के लिए किया जाएगा । यह खंड यह भी उपबंध करता है कि प्रत्येक दिवाला वृत्तिक अभिकरण, अपनी उपविधियों के द्वारा ऐसे दिवाला वृत्तिकों के, जो ऐसे दिवाला वृत्तिक अभिकरण के सदस्य हैं, इस खंड के अधीन कार्यपालन बंधपत्र के संबंध में दायित्वों का अवधारण करने के लिए उपाय विनिर्दिष्ट करेगा ।

खंड 207 : यह खंड इस बात का प्रतिषेध करता है कि कोई भी व्यक्ति, इस संहिता के अधीन किसी दिवाला वृत्तिक अभिकरण के सदस्य के रूप में नामांकित हुए बिना दिवाला वृत्तिक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान नहीं करेगा । यह खंड यह कथन करता है कि प्रत्येक दिवाला वृत्तिक, किसी दिवाला वृत्तिक अभिकरण की सदस्यता प्राप्त करने के पश्चात् स्वयं को ऐसे समय के भीतर, ऐसी रीति में और ऐसी फीस के संदाय पर जो विनिर्दिष्ट की जाए बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत करेगा ।

खंड 208 : यह खंड दिवाला वृत्तिकों के कृत्यों और बाध्यताओं को अधिकथित

करता है । कोई दिवाला वृत्तिक निम्नलिखित विषयों के संबंध में कार्रवाई कर सकेगा : क) भाग 3 के अध्याय 2 के अधीन एक नया आरंभ प्रक्रिया ; ख) भाग 3 के अध्याय 3 के अधीन व्यष्टिक दिवाला समाधान प्रक्रिया ; ग) भाग 2 के अध्याय 2 के अधीन कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया ; घ) भाग 3 के अध्याय 4 के अधीन व्यष्टिक शोधन अक्षमता प्रक्रिया ; और ङ) भाग 2 के अध्याय 3 के अधीन कारपोरेट ऋणी का समापन ।

यह खंड यह भी उपबंध करता है कि प्रत्येक दिवाला वृत्तिक की निम्नलिखित बाध्यताएं (आचार संहिता) होंगी : क) अपने कर्तव्यों का निष्पादन करते समय युक्तियुक्त सतर्कता और तत्परता बरतना ; ख) उस दिवाला वृत्तिक अभिकरण की, जिसका वह सदस्य है, उपविधियों में विनिर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं और निबंधनों तथा शर्तों का अनुपालन करना ; ग) दिवाला वृत्तिक अभिकरण को अपने अभिलेखों का निरीक्षण करने की अनुज्ञा देना ; घ) इस संहिता के अधीन कोई सेवा उपलब्ध कराने से पूर्व दिवाला वृत्तिक अभिकरण को रजिस्ट्रीकरण बंधपत्र और कार्यपालन प्रतिभूति प्रस्तुत करना ; ङ) बोर्ड और साथ ही उस दिवाला वृत्तिक अभिकरण को, जिसका वह सदस्य है, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही के अभिलेखों की एक प्रति प्रस्तुत करना ; और च) अपने कृत्यों का पालन ऐसी रीति और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए करना जो भारत के दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

खंड 209 : यह खंड किसी व्यक्ति को, बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाले रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अनुसार के सिवाय, सूचना उपयोगिता के रूप में अपना कारबार करने से प्रतिषिद्ध करता है ।

खंड 210 : यह खंड यह उपबंध करता है कि किसी सूचना उपयोगिता के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप और रीति विनिर्दिष्ट की जा सकेगी । यह ऐसे आवेदन की अभिस्वीकृति जारी करने के लिए सात दिन की समय सीमा विहित करता है । ऐसे किसी आवेदन की प्राप्ति पर, बोर्ड आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र मंजूर कर सकेगा या ऐसे आवेदन को आदेश द्वारा नामंजूर कर सकेगा । यह खंड यह उपबंध करता है कि आवेदन को नामंजूर करने वाला कोई भी आदेश आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना नहीं किया जाएगा और यह कि ऐसे प्रत्येक आदेश की पद्रंह दिन की अवधि के भीतर आवेदक को संसूचना दी जाएगी । यदि आवेदन को स्वीकार किया जाता है तो बोर्ड आवेदक को ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों के, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, अधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा । बोर्ड समय-समय पर और ऐसी रीति में तथा ऐसी फीस के संदाय पर, जो विनिर्दिष्ट की जाए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण कर सकेगा ।

यह खंड यह और उपबंध करता है कि बोर्ड, किसी सूचना उपयोगिता को मंजूर किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को आदेश द्वारा निम्नलिखित आधारों में से किसी पर निलंबित या रद्द कर सकेगा : क) कि उसने किसी मिथ्या कथन या दुर्व्यपदेशन के आधार पर या किसी अन्य अविधिपूर्ण साधन से रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया है; ख) कि वह बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों की अपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहा है ; ग) कि उसने संहिता या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है ; घ) किसी ऐसे अन्य आधार पर, जो विनिर्दिष्ट किया जाए । यह खंड यह और उपबंध करता है कि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं

किया जाएगा जब तक कि संबद्ध सूचना उपयोगिता को सुनवाई का कोई युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया हो । यह खंड यह भी उपबंध करता है कि ऐसा कोई आदेश बोर्ड के किसी पूर्णकालिक सदस्य के सिवाय किसी अन्य सदस्य द्वारा पारित नहीं किया जाएगा ।

खंड 211: यह खंड यह उपबंध करता है कि ऐसी कोई सूचना उपयोगिता, जो बोर्ड द्वारा खंड 201 के अधीन किए गए आदेश से व्यथित है, ऐसे प्ररूप में, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण को अपील कर सकेगी ।

खंड 212 : यह खंड यह उपबंध करता है कि बोर्ड प्रत्येक सूचना उपयोगिता से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह एक शासी बोर्ड की स्थापना करे, जिसमें उतनी संख्या में स्वतंत्र सदस्य होंगे, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।

खंड 213 : यह खंड यह उपबंध करता है कि कोई सूचना उपयोगिता किसी व्यक्ति को ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराएगी, जिसके अन्तर्गत किसी व्यक्ति का उपलब्ध कराई जाने वाली कोर सेवाएं भी हैं, यदि ऐसा व्यक्ति विनिर्दिष्ट किए जाने वाले निबंधनों और शर्तों का पालन करता है ।

खंड 214 : यह खंड यह उपबंध करता है कि किसी सूचना उपयोगिता की निम्नलिखित बाध्यताएं होंगी : (क) वित्तीय सूचना का सृजन और भंडारण सार्वभौमिक प्ररूप से पहुंच वाले प्ररूप में करना ; (ख) ऐसे व्यक्तियों से, जो खंड 215 की उपधारा (2) के अधीन वित्तीय सूचना प्रस्तुत करने की बाध्यता के अधीन हैं, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, वित्तीय सूचना को इलेक्ट्रानिक रूप में स्वीकार करना ; (ग) ऐसे व्यक्तियों से, जो इस प्रकार की सूचना प्रस्तुत करने का आशय रखते हैं, विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति में वित्तीय सूचना का इलेक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुतीकरण स्वीकार करना ; (घ) ऐसे न्यूनतम सेवा क्वालिटी मानकों को पूरा करना, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं ; (ङ) विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त सूचना को, ऐसी सूचना का भंडारण करने से पूर्व सभी संबद्ध पक्षकारों से अधिप्रमाणित कराना ; (च) उसके द्वारा भंडारित वित्तीय सूचना तक, ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे किसी व्यक्ति को पहुंच उपलब्ध कराना, जो ऐसी सूचना तक पहुंच बनाने का आशय रखता है ; (छ) ऐसी सांख्यिकीय सूचना का प्रकाशन करना, जो विनिर्दिष्ट की जाए ।

खंड 215 : यह खंड यह उपबंध करता है कि ऐसा कोई व्यक्ति, जो सूचना उपयोगिता को कोई वित्तीय सूचना प्रस्तुत करने का आशय रखता है या सूचना उपयोगिता की किसी सूचना तक पहुंच बनाना चाहता है, ऐसी फीस का संदाय करेगा और ऐसे प्ररूप तथा रीति में सूचना प्रस्तुत करेगा, जो विनिर्दिष्ट की जाए। यह खंड यह भी उपबंध करता है कि यथास्थिति, कोई वित्तीय लेनदार या कोई क्रियाशील लेनदार वित्तीय सूचना और प्रतिभूत आस्तियों से संबंधित सूचना ऐसे प्ररूप और रीति में प्रस्तुत करेगा, जो विनिर्दिष्ट की जाए ।

खंड 216 : यह खंड किसी सूचना उपयोगिता को कोई वित्तीय सूचना प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों के अधिकारों के लिए उपबंध करता है । ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित अधिकार होंगे : (क) इस प्रकार प्रस्तुत किसी वित्तीय सूचना में ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विनिर्दिष्ट किया जाए, त्रुटियों को शुद्ध करने या उसे अद्यतन या उपांतरित करने ; और (ख) ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर, जो

विनिर्दिष्ट किया जाए, किन्हीं संविदाओं या करारों के सभी प्रतिपक्षकारों की अनुमति से यह मांग करना कि सूचना उपयोगिता उसे प्रस्तुत किसी सूचना को उसके अभिलेखों से हटा दे ।

यह खंड यह और उपबंध करता है कि ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी सूचना उपयोगिता को कोई वित्तीय सूचना प्रस्तुत करता है, ऐसी सूचना को किसी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध नहीं कराएगा, सिवाय ऐसे विस्तार के और ऐसी परिस्थितियों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए ।

खंड 217 : यह खंड यह उपबंध करता है कि किसी दिवाला वृत्तिक अभिकरण या किसी दिवाला वृत्तिक या किसी सूचना उपयोगिता के कार्यकरण से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, बोर्ड को कोई शिकायत फाइल कर सकेगा ।

खंड 218 : यह खंड किसी दिवाला वृत्तिक अभिकरण या किसी दिवाला वृत्तिक या किसी सूचना उपयोगिता का अन्वेषण करने के लिए उपबंध करता है । यह खंड यह कथन करता है कि जहां बोर्ड के पास, खंड 217 के अधीन किसी शिकायत की प्राप्ति पर या स्वैच्छिक रूप से यह विश्वास करने के कारण हैं कि दिवाला वृत्तिक अभिकरण या दिवाला वृत्तिक या सूचना उपयोगिता ने इस संहिता या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों का या बोर्ड द्वारा उसके अधीन जारी निदेशों का उल्लंघन किया है तो वह लिखित में आदेश द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् इस अध्याय में अन्वेषण प्राधिकारी कहा गया है) को किसी दिवाला वृत्तिक अभिकरण या किसी दिवाला वृत्तिक या सूचना उपयोगिता का निरीक्षण या अन्वेषण करने का निदेश दे सकेगा । ऐसा निरीक्षण या अन्वेशण करने के समय और रीति को विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा । अन्वेषण प्राधिकारी, ऐसे निरीक्षण या अन्वेषण के अनुक्रम में, किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से, जिसके पास कोई सुसंगत दस्तावेज, अभिलेख या प्रस्तुत किए जाने के लिए किसी सूचना के होने की संभावना है, उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसा व्यक्ति ऐसे दस्तावेज, अभिलेख या सूचना को प्रस्तुत करने के लिए आबद्ध होगा । अन्वेषण प्राधिकारी, ऐसा करने से पूर्व ऐसे व्यक्ति को ब्यौरेवार कारण उपलब्ध कराएगा । अन्वेषण प्राधिकारी, अपने निरीक्षण या अन्वेषण के अनुक्रम में, किसी भवन या ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकेगा, जहां उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि जांच की विषय-वस्तु से संबंधित ऐसा कोई दस्तावेज, अभिलेख या सूचना पाई जा सकती है और वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 के उपबंधों, जहां तक वे लागू हों, के अधीन रहते हुए, ऐसे किसी दस्तावेज, अभिलेख या सूचना का अभिग्रहण कर सकेगा या उससे उद्धरण प्राप्त कर सकेगा या उसकी प्रतियां ले सकेगा । अन्वेषण प्राधिकारी, इस खंड के अधीन अभिग्रहण की गई बहियों, रजिस्टरों, अन्य दस्तावेजों और अभिलेखों को ऐसी अवधि के लिए अपनी अभिरक्षा में रखेगा, जिसे वह आवश्यक समझता है, किंतु यह अवधि अन्वेषण के पूरा होने के अपश्चात् होगी और उसके पश्चात् वह उन्हें ऐसे संबद्ध व्यक्ति को लौटा देगा, जिसकी अभिरक्षा या शक्ति के अधीन उनका अभिग्रहण किया गया था । यह खंड यह उपबंध करता है कि अन्वेषण प्राधिकारी, पूर्वोक्त दस्तावेजों को लौटाने से पहले उन पर पहचान चिह्न चिह्नित कर सकेगा । यह खंड यह भी उपबंध करता है कि बोर्ड के समक्ष निरीक्षण या अन्वेषण की एक ब्यौरेवार रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ।

खंड 219 : यह खंड यह उपबंध करता है कि बोर्ड, खंड 218 के अधीन निरीक्षण

या अन्वेषण के समाप्त होने पर, ऐसे दिवाला वृत्तिक अभिकरण या दिवाला वृत्तिक या सूचना उपयोगिता को कारण बताओ सूचना जारी कर सकेगा और ऐसी रीति में तथा उत्तर देने के लिए ऐसा समय प्रदान करते हुए, जो विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसे दिवाला वृत्तिक अभिकरण या दिवाला वृत्तिक या सूचना उपयोगिता का निरीक्षण कर सकेगा ।

खंड 220 : यह खंड 218 की उपधारा (6) के अधीन अन्वेषण प्राधिकारी को प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के लिए एक अनुशासन समिति का गठन करने के लिए उपबंध करता है । अनुशासन समिति में केवल बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य ही सदस्य के रूप में सम्मिलित होंगे । यह खंड यह भी उपबंध करता है कि अन्वेषण प्राधिकारी की रिपोर्ट की संवीक्षा के पश्चात्, यदि अनुशासन समिति का यह समाधान हो जाता है कि पर्याप्त कारण विद्यमान हैं तो वह यथास्थिति, उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार धनीय शास्ति अधिरोपित कर सकेगी या दिवाला वृत्तिक के रजिस्ट्रीकरण को निलंबित या रद्द कर सकेगी या दिवाला वृत्तिक अभिकरण या सूचना उपयोगिता के रजिस्ट्रीकरण को निलंबित या रद्द कर सकेगी । यह खंड यह उपबंध करता है कि ऐसी धनीय शास्ति निम्नलिखित रीति में अधिरोपित की जा सकेगी : जहां किसी दिवाला वृत्तिक अभिकरण या दिवाला वृत्तिक या किसी सूचना उपयोगिता ने इस संहिता या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन किया है वहां अधिकतम धनीय शास्ति वह होगी, जो निम्नलिखित में से अधिक है - (क) ऐसे उल्लंघन के कारण संबद्ध व्यक्तियों को हुई हानि या ऐसी हानि की, जिसके कारित होने की संभावना थी, की रकम का तीन गुणा ; या (ख) ऐसे उल्लंघन के कारण प्राप्त किए गए अविधिपूर्ण अभिलाभ की रकम का तीन गुणा । ऐसी हानि या अविधिपूर्ण अभिलाभ की मात्रा को तय नहीं किए जा सकने की दशा में, अधिरोपित की जाने वाली धनीय शास्ति की कुल रकम एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी ।

यह खंड यह भी उपबंध करता है कि उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसने इस संहिता या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उल्लंघन में कोई क्रियाकलाप करके कोई अविधिपूर्ण अभिलाभ प्राप्त किया है या वह किसी हानि से बचा है तो वह ऐसे अविधिपूर्ण लाभ या निवारित हानि के समतुल्य की रकम को वापस करेगा । बोर्ड, ऐसे व्यक्ति को, जिसने इस प्रकार वापस की गई किसी रकम से किसी उल्लंघन के कारण कोई हानि उठाई है, प्रत्यास्थापन उपलब्ध कराने के लिए यथापेक्षित कार्रवाई कर सकेगा, यदि ऐसे व्यक्ति की, जिसने ऐसी हानि उठाई है पहचान की जा सकती है और इस प्रकार उठाई गई हानि प्रत्यक्ष रूप से ऐसे व्यक्ति के कारण हुई है ।

यह खंड यह और उपबंध करता है कि बोर्ड निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट कर सकेगा : (क) उपधारा (5) के अधीन प्रत्यास्थापन का दावा करने के लिए प्रक्रिया ; (ख) ऐसी अवधि, जिसके भीतर ऐसे प्रत्यास्थापन का दावा किया जा सकेगा ; और (ग) वह रीति जिसमें प्रत्यास्थापन की रकम तय की जा सकेगी ।

खंड 221 : यह खंड यह उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए जाने वाले सम्यक् विनियोग के पश्चात्, बोर्ड को ऐसी धनराशियों का अनुदान कर सकेगी, जिन्हें सरकार इस संहिता के प्रयोजनों के लिए उपयोग करने हेतु उचित समझती है ।

खंड 222 : यह खंड दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की निधि का गठन

करने के लिए उपबंध करता है । इस निधि में निम्नलिखित को जमा किया जाएगा : (क) इस संहिता के अधीन बोर्ड द्वारा प्राप्त किए गए सभी अनुदान, फीस और प्रभार ; (ख) बोर्ड द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से, जिनके संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाए, प्राप्त सभी राशियां ; (ग) ऐसी अन्य निधियां, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट या केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

इस प्रकार स्थापित निधि का उपयोग निम्नलिखित व्ययों की पूर्ति के लिए किया जाएगा : (क) बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन भत्ते और अन्य पारिश्रमिक ; (ख) खंड 196 के अधीन बोर्ड के कृत्यों के निर्वहन में उसके व्यय ; (ग) इस संहिता द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए व्यय ; और (घ) ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जो विहित किए जाएं ।

खंड 223 : यह खंड यह उपबंध करता है कि बोर्ड समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और ऐसे प्ररूप में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए, लेखाओं का एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा । बोर्ड के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय बोर्ड द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा । भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और बोर्ड के लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को वही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे, जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पास शासकीय लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में साधारण रूप से होते हैं और उसके पास विशेष रूप से, बहियों, लेखाओं, संबद्ध वाऊचरों और अन्य दस्तावेजों और कागज-पत्रों को प्रस्तुत करने की मांग करने और बोर्ड के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का प्राधिकार होगा । (4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस निमित नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित बोर्ड के लेखाओं को उनसे संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक रूप से केंद्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा और वह सरकार उसे संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

खंड 224 : यह खंड संहिता के अधीन आने वाले व्यक्तियों के दिवाला समाधान, समापन और शोधन अक्षमता के प्रयोजनों के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता निधि स्थापित करने का प्रस्ताव करता है ।

खंड 225 : यह खंड यह उपबंध करता है कि बोर्ड नीति के प्रश्नों के संबंध में ऐसे निदेशों द्वारा आबद्ध होगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाएं । उसे यथासाध्य रूप से, उपधारा (1) के अधीन उसे कोई निदेश दिए जाने से पूर्व अपने विचार अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा । इस संबंध में कि क्या कोई प्रश्न नीति से संबंधित है अथवा नहीं, केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

खंड 226 : यह खंड यह उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार के पास छह महीने से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, बोर्ड को अधिक्रांत करने की शक्ति होगी, यदि उसकी यह राय है कि : (क) किसी अत्यावश्यकता के कारण, बोर्ड उस पर इस संहिता के उपबंधों के द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है; या (ख) बोर्ड ने इस संहिता के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किसी निदेश का निरंतर रूप से पालन नहीं किया है या उसने इस संहिता के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किन्हीं

कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है और ऐसे अननुपालन के परिणामस्वरूप बोर्ड की वित्तीय स्थिति या बोर्ड के प्रशासन का ह्रास हुआ है ; या (ग) ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जो लोकहित में ऐसा करना आवश्यक बनाती हैं ।

यह खंड यह और उपबंध करता है कि उपधारा (1) के अधीन बोर्ड को अधिक्रांत करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन पर,-- (क) सभी सदस्य, अधिक्रमण की तारीख से, अपने-अपने पद रिक्त कर देंगे ; (ख) ऐसी सभी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का, जो इस संहिता के उपबंधों के द्वारा या उनके अधीन बोर्ड के द्वारा या उसकी ओर से प्रयोग या निर्वहन किया जा रहा था, प्रयोग या निर्वहन उपधारा (3) के अधीन बोर्ड के पुनर्गठन तक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा, जिन्हें केंद्रीय सरकार ऐसा करने का निदेश दे ; और (ग) बोर्ड के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा नियंत्रित सभी संपत्तियां, उपधारा (3) के अधीन बोर्ड के पुनर्गठन तक, केंद्रीय सरकार में निहित हो जाएंगी ।

यह खंड यह और उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिक्रमण की अवधि के अवसान के पश्चात्, नई नियुक्ति द्वारा बोर्ड का पुनर्गठन कर सकेगी और उस दशा में ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिन्होंने उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन अपने पदों को रिक्त किया था, नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं माना जाएगा । केंद्रीय सरकार, अधिक्रमण की अवधि के अवसान से पूर्व किसी भी समय उपधारा (3) के अधीन कार्रवाई कर सकेगी । केंद्रीय सरकार उपधारा (1) के अधीन एक नई अधिसूचना जारी करवाएगी और खंड 225 के अधीन की गई किसी कार्रवाई की पूर्ण रिपोर्ट और ऐसी कार्रवाई जिन परिस्थितियों में की गई थी उनके बारे में जानकारी शीघ्रातिशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

खंड 227 : यद्यपि प्रस्तावित संहिता के अधीन निगमित व्यक्तियों की परिभाषा से वित्तीय सेवा प्रदाताओं को अपवर्जित किया गया है, फिर भी यह खंड इस संहिता या किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार को संबद्ध वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के परामर्श से वित्तीय सेवा प्रदाताओं या वित्तीय सेवा प्रदाताओं के प्रवर्ग को, मान्यता प्रदान कर सकेगी और ऐसे अस्तित्वों की दिवाला समाधान और समापन कार्यवाहियों को प्रस्तावित संहिता में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार संचालित करने की अनुज्ञा दे सकेगी ।

खंड 228 : यह खंड यह उपबंध करता है कि बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट तैयार करेगा, जिसमें बोर्ड की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शित किया जाएगा और उसे केंद्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा ।

खंड 229 : यह खंड यह उपबंध करता है कि बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूर्ण लेखा जोखा प्रदान किया जाएगा और उसकी एक प्रति केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा । इस प्रकार प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति को, उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

खंड 230 : यह खंड यह उपबंध करता है कि बोर्ड, लिखित में किसी साधारण या

विशेष आदेश द्वारा, ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों और जिन्हें आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, अधीन रहते हुए बोर्ड के किसी सदस्य, अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को इस संहिता के अधीन ऐसी शक्तियों और कृत्यों (धारा 217 के अधीन की शक्तियों को छोड़कर) का प्रत्यायोजन कर सकेगा, जिन्हें वह आवश्यक समझे ।

खंड 231: यह खंड ऐसे किसी मामले के संबंध में, जिसके लिए बोर्ड इस संहिता के अधीन या उसके द्वारा आदेश पारित करने के लिए सशक्त है, किसी भी सिविल न्यायालय की अधिकारिता को वर्जित करता है । यह खंड यह भी उपबंध करता है कि बोर्ड द्वारा इस संहिता के द्वारा या उसके अधीन पारित किसी आदेश के अनुसरण में की गई या किए जाने वाली किसी कार्रवाई के संबंध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण द्वारा कोई व्यादेश मंजूर नहीं किया जाएगा ।

खंड 232 : यह खंड यह उपबंध करता है कि बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को, जब वे इस संहिता के उपबंधों में से किसी के अनुसरण में कार्य कर रहे हैं या तात्पर्यित रूप से कार्य कर रहे हों तो उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा ।

खंड 233 : यह खंड यह उपबंध करता है कि सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी या अन्य कर्मचारी, या किसी दिवाला वृत्तिक या समापक के विरुद्ध, इस संहिता या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई किसी कार्रवाई या किए जाने के लिए आशयित किसी कार्रवाई के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी ।

खंड 234 यह खंड यह कथन करता है कि इस संहिता के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी ऐसी लिखत में, जो ऐसी किसी विधि के कारण प्रभावी है, अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

खंड 235 : यह खंड केंद्रीय सरकार को इस संहिता के प्रयोजनो के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है ।

खंड 236 : यह खंड भारत के दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड को इस संहिता के प्रयोजनो के लिए विनियम बनाने हेतु सशक्त करता है ।

खंड 237 : यह खंड यह उपबंध करता है कि इस संहिता के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम, प्रत्येक विनियम और प्रत्येक उपविधि को, उसे बनाए जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाना अपेक्षित है । यह खंड दोनों सदनो को ऐसे नियमो, विनियमों और उपविधियों में संशोधन करने या उन्हें बातिल करने के लिए सशक्त करता है ।

खंड 238 : यह खंड इस संहिता के प्रारंभ की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के अवसान से पूर्व इस संहिता के उपबंधों को प्रभावी करने में उदभूत होने वाली किसी कठिनाई की दशा में केंद्रीय सरकार को राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके कठिनाईयों को दूर करने हेतु सशक्त करने के लिए है । यह खंड यह और उपबंध करता है कि ऐसे प्रत्येक आदेश को, उसे किए जाने के तुरंत पश्चात्, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

खंड 239 : यह खंड प्रेजिडेंसी नगर दिवाला अधिनियम, 1909 और प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 को निरसित करता है । यह खंड यह भी उपबंध करता है कि ऐसा कोई निरसन, निरसित किए जाने के समय उक्त अधिनियमितियों के अधीन

न्यायालयों या अधिकरणों में लंबित किन्ही कार्यवाहियों को प्रभावित नहीं करेगा और ऐसी कार्यवाहियों का निपटारा संबद्ध न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा इस प्रकार किया जाएगा मानो उक्त अधिनियमों को निरसित न किया गया हो ;

खंड 240 : यह खंड यह विनिर्दिष्ट करता है कि संहिता के भाग 2 के अधीन अपराधों और भाग 3 के अधीन दिवाला वृत्तिकों द्वारा अपराधों का विचारण, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन स्थापित विशेष न्यायालयों द्वारा किया जाएगा ।

खंड 241: यह खंउ संक्रमणकालीन उपबंधों से संबंधित है । यह खंड यह उपबंध करता है कि खंड 195 के अधीन, बोर्ड का गठन या वित्तीय क्षेत्र के विनियामक को पदाभिहित किए जाने तक, उनकी शक्तियों का प्रयोग केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा । यह खंड केन्द्रीय सरकार को संहिता के अधीन व्यक्तियों को दिवाला वृत्तिकों, दिवाला वृत्तिक अभिकरणों और सूचना उपयोगिताओं के रूप में मान्यता प्रदान करने हेतु विनियम जारी करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

खंड 242 : यह खंड भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 का संशोधन करने के लिए उपबंध करता है ।

खंड 243 : यह खंड केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 का संशोधन करने के लिए उपबंध करता है ।

खंड 244 : यह खंड आय-कर अधिनियम, 1961 का संशोधन करने के लिए उपबंध करता है ।

खंड 245 : यह खंड सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 का संशोधन करने के लिए उपबंध करता है ।

खंड 246 : यह खंड बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 का संशोधन करने के लिए उपबंध करता है ।

खंड 247 : यह खंड वित्त अधिनियम, 1994 का संशोधन करने के लिए उपबंध करता है ।

खंड 248 : यह खंड वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 का संशोधन करने के लिए उपबंध करता है ।

खंड 249 : यह खंड रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) निरसन अधिनियम, 2003 का संशोधन करने के लिए उपबंध करता है ।

खंड 250 : यह खंड संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 का संशोधन करने के लिए उपबंध करता है ।

खंड 251 : यह खंड सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 का संशोधन करने के लिए उपबंध करता है ।

खंड 252 : यह खंड कंपनी अधिनियम, 2013 का संशोधन करने के लिए उपबंध करता है ।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 53 किसी कारपोरेट व्यक्ति के परिसमापन के समय सरकारी शोध्यों की पूर्विकता का पुनरीक्षण करने के लिए है ।

2. विधेयक का खंड 178 किसी व्यष्टिक या भागीदार फर्म की शोधन अक्षमता के समय सरकारी शोध्यों की पूर्विकता का पुनरीक्षण करने के लिए है ।

3. खंड 188 का उपखंड (1) अध्यक्ष और नौ अन्य सदस्यों, जिनके अंतर्गत तीन पदेन सदस्य भी हैं, से मिलकर बनने वाले भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की स्थापना का उपबंध करता है ।

4. खंड 189 का उपखंड (5) अध्यक्ष और सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं, का उपबंध करने के लिए है ।

5. खंड 194 का उपखंड (2) यह उपबंध करने के लिए है कि बोर्ड अपने कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए उतने अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

6. दिवाला और शोधन अक्षमता का खंड 224 व्यक्तियों के दिवाला समाधान, परिसमापन और शोधन अक्षमता के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता की निधि की स्थापना के लिए है, जिसमें केंद्रीय सरकार अनुदानों के रूप में अभिदाय करेगी ।

7. संहिता की पांचवीं अनुसूची का पैरा 3 बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 3 का उसमें उपधारा (1क) अंत:स्थापित करके संशोधन करने के लिए है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा उतने ऋण वसूली अधिकरण और उनकी शाखाएं स्थापित कर सकेगी जितनी वह संहिता के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकरण की शक्तियों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे ।

8. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता की दूसरी, तीसरी, चौथी और छठी अनुसूचियां क्रमश: केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1994, आय-कर अधिनियम, 1961, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और वित्त अधिनियम, 1994 में समुचित परिवर्तन करने का, जहां तक वे सरकार को संदेय शोध्य करों के संबंध में संदाय की पूर्विकता से संबंधित है, प्रस्ताव करने के लिए है ।

9. संहिता की पांचवीं अनुसूची का पैरा 4 बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 8 का उसमें उपधारा (1क) अंत:स्थापित करके संशोधन करने के लिए है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा उतने ऋण वसूली अधिकरण स्थापित कर सकेगी जितने वह संहिता के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के आदेशों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए आवश्यक समझे ।

10. संहिता की ग्यारहवीं अनुसूची का पैरा 34 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 419 में उपधारा (4) को प्रतिस्थापित करके उसमें संशोधन करने के लिए है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा अधिकरण की उतनी शाखाएं स्थापित कर सकेंगी जितनी वह संहिता के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी की शक्तियों

का निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे ।

11. पूर्वोक्त उपबंधों के लेखे व्यय उपगत किया जाएगा किंतु इस समय इस विधायी प्रस्ताव से उदभूत भारत की समेकित निधि पर वित्तीय विविक्षा का प्राक्कलन करना व्यवहार्य नहीं है । उपगत किए जाने वाले व्यय की दशा में व्यय विभाग से इस विषय में नियमों के अनुसार संपर्क किया जाएगा ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 235 केंद्रीय सरकार को निम्नलिखित विषयों के संबंध में नियम बनाने के लिए सशक्त करता है, अर्थात् :--

(ऩ) कोई अन्य लिखत, जो धारा 3 के खंड (15) के अधीन वित्तीय उत्पाद है ;

(प) अन्य लेखांकन मानक, जो धारा 5 की उपधारा (8) के खंड (ख) के अधीन वित्तीय ऋण होंगे ;

(फ) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन वित्तीय लेनदार द्वारा कारपोरेट दिवाला समाधान संस्थित करने के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करने का प्ररूप, रीति और फीस ;

(ब) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन कारपोरेट ऋणी को की जा सकने वाली मांग सूचना का प्ररूप ;

(भ) धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन प्रचालन लेनदार द्वारा कारपोरेट दिवाला समाधान संस्थित करने के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करने का प्ररूप, रीति और फीस ;

(म) धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन कारपोरेट आवेदक द्वारा कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया संस्थित करने के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करने का प्ररूप, रीति और फीस ;

(य) धारा 79 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (ii) के अधीन वे व्यक्ति, जो नातेदार होंगे ;

(र) धारा 79 की उपधारा (13) के खंड (ङ) के अधीन ऋणी के स्वामित्व के अधीन अविलंगमित एकल आवासीय इकाई का मूल्य ;

(ऱ) धारा 79 की उपधारा (14) के खंड (च) के अधीन कोई अन्य ऋण ;

(ल) धारा 81 की उपधारा (2) के अधीन नए आरंभ के लिए आवेदन करने का प्ररूप रीति और फीस ;

(ळ) धारा 81 की उपधारा (3) के खंड (ङ) के अधीन ऋणी के वैयक्तिक ब्यौरों की विशिष्टियां ;

(ऴ) धारा 86 की उपधारा (3) के अधीन आवेदन के समर्थन में सूचना और दस्तावेज ;

(व) धारा 94 की उपधारा (6) के अधीन ऋणी द्वारा दिवाला समाधान प्रक्रिया संस्थित करने के लिए आवेदन करने का प्ररूप, रीति और फीस ;

(श) धारा 95 की उपधारा (6) के अधीन लेनदार द्वारा दिवाला समाधान प्रक्रिया संस्थित करने के लिए आवेदन करने का प्ररूप, रीति और फीस ;

(ष) धारा 103 की उपधारा (2) के अधीन समाधान वृत्तिक को लेनदार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विशिष्टियां ;

(स) धारा 122 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन ऋणी द्वारा शोधन

अक्षमता के लिए आवेदन करने का प्ररूप और रीति ;

(ह) धारा 122 की उपधारा (3) के अधीन ऋणी के मामलों के विवरण का प्ररूप और रीति ;

(कक) धारा 123 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन अन्य सूचना ;

(खख) धारा 123 की उपधारा (6) के अधीन शोधन अक्षमता के लिए आवेदन करने का प्ररूप, रीति और फीस ;

(गग) धारा 129 की उपधारा (2) के अधीन वह प्ररूप और रीति, जिसमें वित्तीय प्रास्थिति का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा ;

(र) धारा 130 की उपधारा (2) के अधीन वह विषय और ब्यौरे, जिन्हें लोक सूचना में सम्मिलित किया जाएगा ;

(ऱ) धारा 130 की उपधारा (3) के अधीन वह विषय और ब्यौरे, जिन्हें लेनदारों की सूचना में सम्मिलित किया जाएगा ;

(ल) धारा 131 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन शोधन अक्षमता न्यासी को दावों के ब्यौरे और अन्य सूचना भेजने की रीति ;

(ळ) धारा 141 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन वित्तीय या वाणिज्यिक संव्यवहारों का मूल्य ;

(ऴ) धारा 150 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन शोधन अक्षमता द्वारा शोधन अक्षमता न्यासी को उसके कृत्यों को करने के लिए की जाने वाली अन्य चीजें ;

(व) धारा 170 की उपधारा (4) के अधीन आधिक्य से व्यौहार करने की रीति ;

(यण) धारा 171 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन ऋण के सबूत का प्ररूप और रीति ;

(यत)धारा 171 की उपधारा (7) के अधीन लाभांश प्राप्त करने की रीति ;

(यथ) धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन वे विशिष्टियां, जो सूचना में अंतर्विष्ट होंगी ;

(यद) धारा 189 की उपधारा (5) के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(यध) धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (प) के अधीन बोर्ड के अन्य कृत्य ;

(यन) धारा 222 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन अन्य निधियां ;

(यऩ)धारा 222 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन अन्य प्रयोजन, जिनको निधियां का उपयोजन किया जाएगा ;

(यप)धारा 223 की उपधारा (1) के अधीन वह प्ररूप, जिसमें लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार किया जाएगा ;

(यफ) धारा 224 की उपधारा (3) के अधीन प्रयोजन, जिनके लिए निधियों का

आहरण करने के लिए आवेदन किया जा सकेगा ;

(यब) धारा 224 की उपधारा (4) के अधीन निधियों को प्रशासित करने की रीति ;

(यभ) धारा 227 के अधीन दिवाला और परिसमापन कार्यवाहियां संचालित करने की रीति ;

(यम) धारा 228 के अधीन बोर्ड द्वारा बजट तैयार करने का प्ररूप और समय ;

(यय) धारा 229 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का प्ररूप और समय ;

(यर) धारा 239 की उपधारा (2) के खंड (vi) के अधीन वह समय जिस तक किसी पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति अपना पद धारण करना जारी रखेगा ;

विधेयक का खंड 236 बोर्ड को निम्नलिखित विषयों के संबंध में विनियम बनाने के लिए सशक्त करता है, अर्थात् :--

(ऩ) धारा 3 के खंड (9) के उपखंड (क) के अधीन वित्तीय सूचना के इलैक्ट्रानिकी रूप में प्रस्तुत करने को स्वीकार करने का प्ररूप और रीति ;

(प) धारा 3 के खंड (9) के उपखंड (घ) के अधीन वे व्यक्ति, जिन्हें सूचना उपयोगिता के पास भंडारित सूचना तक पहुंच का उपबंध किया जा सकेगा ;

(फ) धारा 3 के खंड (13) के उपखंड (च) के अधीन कोई अन्य सूचना ;

(ब) धारा 5 के खंड (13) के उपखंड (ङ) के अधीन अन्य लागतें ;

(भ) परिसमापक द्वारा परिसमापन कालावधि के दौरान उपगत लागत, जो धारा 5 की उपधारा (16) के अधीन परिसमापन लागत होगी ;

(म) खंड (क) के अधीन व्यतिक्रम के अन्य अभिलेख या साक्ष्य और धारा 7 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अधीन कोई अन्य सूचना ;

(य) धारा 8 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन संसूचना का इलैक्ट्रानिकी ढंग ;

(र) धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन कोई अन्य सूचना ;

(ऱ) धारा 10 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन कालावधि ;

(ल) धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन कारपोरेट ऋणी को अनिवार्य वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति ;

(ळ) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन लोक उदघोषणा करने की रीति ;

(ऴ) धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन कार्रवाई करने की रीति और उन पर निर्बंधन ;

(व) धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन अन्य व्यक्ति ;

(श) धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन अन्य विषय ;

(ष) खंड (क) के उपखंड (iv) के अधीन अन्य विषय और धारा 18 के खंड (छ) के अधीन अंतरिम समाधान वृत्तिक द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अन्य

कर्तव्य ;

(स) धारा 21 की उपधारा (8) के परंतुक के अधीन व्यक्ति, जो लेनदारों की समिति में होंगे, ऐसी समितियों द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कृत्य तथा रीति, जिसमें ऐसे कृत्यों का निर्वहन किया जाएगा ;

(ह) धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन अन्य इलैक्ट्रानिकी माध्यम, जिनके द्वारा लेनदारों की समिति के सदस्य बैठक करेंगे ;

(कक) धारा 24 की उपधारा (7) के अधीन प्रत्येक लेनदार को मतदान अंश समनुदेशित करने की रीति ;

(खख) धारा 24 की उपधारा (8) के अधीन लेनदारों की समिति की बैठकें संचालित करने की रीति ;

(गग) धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन लेखाकारों, वकीलों और अन्य सलाहकारों को नियुक्त करने की रीति ;

(र) धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (ट) के अधीन अन्य कार्रवाईयां ;

(ऱ) वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन समाधान वृत्तिक द्वारा सूचना ज्ञापन तैयार किया जाएगा ;

(ल) धारा 29 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण के अधीन कारपोरेट ऋणी से संबंधित अन्य विषय ;

(ळ) धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन दिवाला समाधान प्रक्रिया लागतों का संदाय करने की रीति, खंड (ख) के अधीन प्रचालन लेनदारों के ऋणों का पुनर्संदाय करने की रीति और अन्य अपेक्षाएं जिनके अनुरूप समाधान योजना खंड (घ) के अनुरूप होगी ;

(ऴ) धारा 34 की उपधारा (8) के अधीन परिसमापन कार्यवाहियों के संचालन की फीस तथा परिसमापन संपदा आस्तियों के मूल्य का समानुपात ;

(व) धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन कारपोरेट ऋणी की आस्तियों और संपत्ति का मूल्यांकन करने की रीति, खंड (च) के अधीन पार्सलों में संपत्ति विक्रय करने की रीति, खंड (ढ) के अधीन परिसमापन प्रक्रिया की प्रगति की रिपोर्ट करने की रीति और के खंड (ण) के अधीन निष्पादित किए जाने वाले अन्य कृत्य ;

(यऩ) धारा 35 की उपधारा (2) के अधीन अन्य पणधारियों को अभिलेख उपलब्ध कराने की रीति ;

(यप) धारा 36 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन अन्य साधन ;

(यफ) धारा 36 की उपधारा (4) के खंड (ङ) के अधीन अन्य आस्तियां ;

(यब) धारा 37 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन अन्य स्रोत ;

(यभ) धारा 37 की उपधारा (2) के अधीन कारपोरेट ऋणी से संबंधित वित्तीय सूचना प्रदान करने की रीति ;

(यम) धारा 38 की उपधारा (3) के अधीन दावा साबित करने के लिए प्रचालन

लेनदार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले समर्थनकारी दस्तावेजों का प्ररूप और रीति ;

(यय) धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन वह समय, जिसमें परिसमापक दावों का सत्यापन करेगा ;

(यर) धारा 41 के अधीन दावों के मूल्य को अवधारित करने की रीति ;

(यऱ) धारा 52 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन परिसमापन संपदा के प्रतिभूति हित का त्यजन करने की रीति तथा परिसमापक द्वारा आस्तियों की बिक्री से आगमों को प्राप्त करना और खंड (ख) के अधीन प्रतिभूति हितों को वसूलने की रीति ;

(यल) धारा 52 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन अन्य साधन ;

(यळ) धारा 52 की उपधारा (9) के अधीन परिसमापक द्वारा प्रतिभूत लेनदार को संदाय करने की रीति ;

(यऴ) धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन कालावधि ;

(यव) धारा 57 के खंड (क) के अधीन अन्य साधन और खंड (ख) के अधीन अन्य सूचना ;

(यश) धारा 59 की उपधारा (2) के अधीन शर्तें और प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं ;

(यष) धारा 95 की उपधारा (7) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित ब्यौरे और दस्तावेज ;

(यस) धारा 105 की उपधारा (4) के खंड (ग) के अधीन अन्य विषय ;

(यह) धारा 107 की उपधारा (4) के अधीन प्रॉक्सी मतदान की रीति और प्ररूप ;

(यकक) धारा 133 की उपधारा (3) के अधीन प्रॉक्सी मतदान की रीति और प्ररूप ;

(यखख) धारा 144 की उपधारा (1) के अधीन प्रभारित की जाने वाली फीस ;

(यगग) धारा 194 की उपधारा (3) के अधीन बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन और संदेय भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(यब) धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन अन्य सूचना ;

(यभ) धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (द) के अधीन अंतराल, जिसमें आवधिक अध्ययन, कृत्यकरण का अनुसंधान और संपरीक्षा तथा दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं का कार्य निष्पादन ;

(यम) धारा 196 की उपधारा (3) के खंड (i) के अधीन लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों को प्रकट और प्रस्तुत करने का स्थान तथा रीति ;

(यय) धारा 197 के अधीन बोर्ड द्वारा गठित की जाने वाली अन्य समितियां तथा ऐसी समितियों में अन्य सदस्य ;

(यर) धारा 200 के खंड (ख) और खंड (घ) के अधीन अन्य व्यक्ति ;

(यऱ़) धारा 201 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप और रीति, उसमें अंतर्विष्ट विशिष्टियां तथा उसके साथ संलग्न फीस ;

(ययय) धारा 201 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने का प्ररूप और रीति तथा उसके निबंधन और शर्तें ;

(ययर) धारा 201 की उपधारा (4) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण की रीति तथा उसकी फीस ;

(ययऱ़) धारा 201 की उपधारा (5) के खंड (घ) के अधीन अन्य आधार ;

(ययल) धारा 202 के अधीन राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण को अपील का प्ररूप तथा वह अवधि, जिसके भीतर ऐसी अपील फाइल की जाएगी ;

(ययळ) धारा 204 के खंड (छ) के अधीन अन्य सूचना ;

(ययऴ) धारा 205 के स्पष्टीकरण के अधीन अन्य आधार ;

(ययव) धारा 205 के खंड (ङ) के अधीन उसके आंतरिक प्रशासन और प्रबंधन के लिए शासी बोर्ड की स्थापना, खंड (ठ) के अधीन पाठ्यचर्या, खंड (ड) के अधीन जांच संचालित करने की रीति ;

(ययश) धारा 206 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन बोर्ड के पास निष्पादन बांड पोस्ट करने का प्ररूप और रीति और खंड (ख) के अधीन कार्य निष्पादन प्रतिभूति की रकम और कार्य निष्पादन प्रतिभूति जमा करने की रीति ;

(ययष) धारा 206 की उपधारा (4) के अधीन दिवाला वृत्तिकों के दायित्वों का अवधारण करने के साधन ;

(ययस) धारा 207 की उपधारा (2) के अधीन दिवाला वृत्तिकों के रजिस्ट्रीकरण का समय, रीति और फीस ;

(ययह) धारा 208 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन वह रीति और शर्तें, जिनके अधीन दिवाला वृत्तिक अपने कृत्यों का निष्पादन करेगा ;

(ययकक) धारा 210 की उपधारा (1) के अधीन सूचना उपयोगिता के रजिस्ट्रीकरण का प्ररूप और रीति तथा फीस ;

(ययखख) धारा 210 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने का प्ररूप और रीति तथा उसके निबंधन और शर्तें ;

(ययगग) धारा 210 की उपधारा (4) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण की रीति और उसके लिए फीस ;

(ययघघ) धारा 210 की उपधारा (5) के खंड (घ) के अधीन अन्य आधार ;

(ययङङ) धारा 211 के अधीन राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण को अपील फाइल करने का प्ररूप, अवधि तथा रीति ;

(ययचच) धारा 212 के अधीन स्वतंत्र सदस्यों की संख्या ;

(ययछछ) धारा 213 के अधीन सूचना उपयोगिता द्वारा उपलब्ध कराई जाने

वाली सेवाएं तथा उनके निबंधन और शर्तें ;

(ययजज) धारा 214 के खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन वित्तीय सूचना के इलैक्ट्रानिकी प्रस्तुतिकरण को स्वीकार करने का प्ररूप और रीति ;

(ययझझ) धारा 214 के खंड (घ) के अधीन न्यूनतम सेवा क्वालिटी मानक ;

(ययप) धारा 214 के खंड (च) के अधीन पहुंच की जाने वाली सूचना तथा ऐसी सूचना तक पहुंच करने की रीति ;

(ययफ) धारा 214 के खंड (छ) के अधीन प्रकाशित की जाने वाली सांख्यिकीय सूचना ;

(ययब) धारा 215 की उपधारा (1) के अधीन सूचना प्रस्तुत करने या उस तक पहुंच का प्ररूप, फीस और रीति ;

(ययभ) धारा 215 की उपधारा (2) के अधीन वित्तीय सूचना प्रस्तुत करने और आस्तियों से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति ;

(ययम) धारा 216 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन वह रीति और समय, जिसके भीतर त्रुटियों को ठीक किया जा सकेगा, अद्यतन किया जा सकेगा या उपांतरित किया जा सकेगा ;

(ययय) धारा 216 की उपधारा (2) के अधीन सूचना उपलब्ध कराए जाने का परिमाण, परिस्थितियां और रीति ;

(यययज) धारा 217 के अधीन शिकायत फाइल करने का प्ररूप और रीति ;

(यययझ) धारा 218 की उपधारा (2) के अधीन निरीक्षण या जांच करने का समय और रीति ;

(यययञ) धारा 219 के अधीन दिवाला वृत्तिक अभिकरण या दिवाला वृत्तिक या सूचना उपयोगिता का निरीक्षण करने की रीति और उत्तर देने के लिए समय ;

(यययट) धारा 222 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन अन्य निधियां ;

3. वे विषय, जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकेंगे या अधिसूचना जारी की जा सकेगी, प्रक्रिया या प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । इसलिए विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।